



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए



मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-4

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-4

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		(v)
विहंगावलोकन		(vii) – (xvi)
अध्याय-1		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन		1-16
अध्याय-2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र, बीरसिंगपुर की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	17-45
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	46-64
मध्य प्रदेश में नव एवं नवकरणीय ऊर्जा का विकास	2.3	65-85
अध्याय-3		
लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	3	
सरकारी कम्पनियाँ	--	
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड		
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में राज्य शासन की वित्तीय पुनर्संरचना योजना के कार्यान्वयन पर वृहत कण्डिका	3.1	87-96
तरलता क्षति की कम वसूली	3.2	96-97
कार्पोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट (सी0एल0टी0डी0) योजना को नहीं अपनाने के कारण ब्याज हानि	3.3	97-98
माँग वापिसी के कारण राजस्व की हानि	3.4	98-99
मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड		
विद्युत पर परिहार्य व्यय	3.5	99-100
आई0टी0 नीति से विचलन में भूमि का आवंटन	3.6	101-102
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड		
कर्मचारी कल्याण उपकर की कम वसूली	3.7	102-104
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड		
रियायतग्राही को अतिरिक्त बोनस का भुगतान	3.8	104-105
रियायत अनुबंध में उपवाक्य के अनुसार ब्याज वसूल न किए जाने के परिणामस्वरूप हानि।	3.9	106-107
रियायतग्राही को अनौचित्यपूर्ण बोनस का भुगतान	3.10	107-109
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड		
ट्रांसफार्मर ऑयल की कमी की प्रतिपूर्ति न करना	3.11	109-110
दादा धुनीवाले, खण्डवा पावर लिमिटेड		
कम्पनी मामलों का त्रुटिपूर्ण प्रबन्धन	3.12	111-112

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
नर्मदा बेसिन परियोजना कम्पनी लिमिटेड			
आधिक्य निधि के निवेश न करने से ब्याज की हानि		3.13	112-113
परिशिष्ट			
क्र.संख्या	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1.1	अद्यतन वर्ष जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सांराशित वित्तीय परिणाम	1.1 एवं 1.15	115-122
1.2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया है, में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.11	123
2.1.1	स्थापित क्षमता (ताप व जल) तथा वित्तीय विवरण दिखाता पत्रक	2.1.1	124-126
2.1.2	संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र का संगठनात्मक ढाँचा	2.1.2	127
2.1.3	2010-11 से 2014-15 के दौरान उत्पादन लक्ष्य व संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के विवरण को दर्शाता पत्रक	2.1.6	128
2.1.4	2010-11 से 2014-15 के दौरान स्टेशन हीट रेट (एस. एच. आर.) व विद्युत गृह I द्वारा कोयले के उपभोग तथा वहन की गई लागत के आधिक्य के विवरण को दर्शाता पत्रक	2.1.10	129
2.1.5	2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह I में ईंधन तेल उपभोग के विवरण को दर्शाता पत्रक	2.1.11	130
2.1.6	2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह I में अधिक सहायक ऊर्जा उपभोग दर्शाता पत्रक	2.1.12	131
2.1.7	2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह I में तल व पलाई राख में अधजले, कोयले की अधिक मात्रा के कारण हुई कोयला हानि को दर्शाता पत्रक	2.1.14	132-134
2.1.8	2010-11 से 2014-15 के दौरान कोयला मिलों की बहुधा खराबियों के कारण विद्युत गृह I में हुई उत्पादन हानि के सारांश को दर्शाता पत्रक	2.1.16	135
2.1.9	2010-11 से 2014-15 के दौरान तीनो विद्युत गृहों में नियंत्रित करने योग्य कारणों से हुई उत्पादन हानि का विवरण दर्शाता पत्रक	2.1.20, 2.1.30 एवं 2.1.41	136
2.1.10	2010-11 से 2014-15 के दौरान स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.) के कारण विद्युत गृह II में अधिक कोयला उपभोग व अधिक वहन की गई लागत के विवरण को दिखाता पत्रक	2.1.23	137
2.1.11	2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II में ईंधन तेल उपभोग के विवरण को दर्शाता पत्रक	2.1.24	138
2.1.12	2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II में	2.1.25	139

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
	अधिक सहायक ऊर्जा उपभोग दर्शाता पत्रक		
2.1.13	2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II में तल व फलाई राख में अधजले, कोयले की अधिक मात्रा के कारण हुई कोयला हानि को दर्शाता पत्रक	2.1.26	140-142
2.1.14	2010-11 से 2014-15 के दौरान कोयला मिलों की बहुधा खराबियों के कारण विद्युत गृह II में हुई उत्पादन हानि के सारांश को दर्शाता पत्रक	2.1.28	143
2.1.15	2010-11 से 2014-15 के दौरान स्टेशन हीट रेट (एस. एच. आर.) व विद्युत गृह I द्वारा कोयले के उपभोग तथा वहन की गई लागत के आधिक्य के विवरण को दर्शाता पत्रक	2.1.33	144
2.1.16	2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह III में तल व फलाई राख में अधजले, कोयले की अधिक मात्रा के कारण हुई कोयला हानि को दर्शाता पत्रक	2.1.35	145-147
2.1.17	अव्यवस्थित अनुसूचना व ग्रिड अनुशासन के अनुपालन न करने के कारण एस. एल. डी. सी. को किए गये भुगतान के विवरण को दर्शाता पत्रक	2.1.36	148
2.1.18	समन्वय ठेकेदार द्वारा प्रदत्त खराब कोयले के कारण हुई उत्पादन हानि (एम. यू.) दर्शाता पत्रक	2.1.45	149
2.2.1	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट	2.2.2	150
2.2.2	वर्ष 2010-11 से 2013-14 में कंपनी की वित्तीय स्थिति	2.2.6	151
2.2.3	कंपनी के वर्ष 2010-11 से 2013-14 के कार्यचालन परिणाम	2.2.6	152
2.2.4	कंपनी द्वारा उपयोग नहीं की गई सब्सिडीज्/अग्रिमों का विवरण पत्रक	2.2.10	153
2.2.5	आठ वर्ष से अधिक से कम्पनी द्वारा प्रयोग नहीं की गई/वितरित नहीं की गई सब्सिडीज्/अग्रिमों का विवरण पत्रक	2.2.10	154
2.2.6	वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म की उपलब्ध भूमि के प्रयोग प्रदर्शित करता विवरण पत्रक	2.2.22	155
2.2.7	बाग/पेडो की निलामी में माँगी गई ई.एम.डी. का विवरण प्रदर्शित करता पत्रक	2.2.24	156
2.2.8	31 मार्च 2014 को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार जिला कार्यालय वार अप्रयोज्य स्कंध का विवरण पत्रक	2.2.27	157
2.2.9	31 मार्च 2014 को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कमी/खोये हुये स्कंध का विवरण पत्रक	2.2.27	158
2.3.1	कंपनी एवं कार्यालय, कमिश्नर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, विभाग, मध्य प्रदेश शासन की संगठन संरचना	2.3.3	159
2.3.2	ग्रिड संबंध अक्षय ऊर्जा नीति में प्रदान की गई	2.3.7,	160

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
	प्रोत्साहन एवं छूट	2.3.8, 2.3.9, 2.3.11, 2.3.13 तथा 2.3.14	
3.1	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का संगठनात्मक ढाँचा	3.1.2	161
3.2	विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्काम) के कार्यशील परिणामों एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.1.6.2 तथा 3.1.8	162-163
3.3	आर0जी0जी0व्ही0वाय योजना के सम्बन्ध में तरलता क्षति (एल0डी0) की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.2	164
3.4	आधिक्य निधियों के निवेश न करने के कारण ब्याज हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.3	165
3.5	न्यूनतम मॉग प्रभार के कारण अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.5	166
3.6	बोनस के अतिरिक्त भुगतान एवं परियोजना के समापन अवधि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.8	167
3.7	प्रब्याजि के विलंबित भुगतान के कारण ब्याज हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.9	168
3.8	बोनस के आधिक्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.10	169-170

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है।

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा किये जाने के अधीन है और उन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अपनी टिप्पणी देते हैं या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह कम्पनियां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के अधीन है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा नियम) अधिनियम, 1971 की धारा 19-अ के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान सभा के पटल पर रखने हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो 2014-15 की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा वह भी जो विगत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उन्हे पिछले प्रतिवेदन में समाविष्ट नहीं किया गया था। जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली

सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अनुसार अधिशासित होती है। 31 मार्च 2015 को मध्यप्रदेश राज्य की 64 सरकारी कंपनी (नौ अकार्यशील कंपनियों शामिल) एवं तीन सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थी। सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपुरक लेखा परीक्षा भी सी.ए.जी. द्वारा सम्पन्न की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनसे संबंधित विधानों¹ द्वारा नियंत्रित होती है। 31 मार्च 2015 को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 64826 कर्मचारी नियोजित थे। 30 सितंबर 2015 तक इन कंपनियों ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 61264.43 करोड़ की आवर्त दर्ज की।

(कंडिका 1.1 और 1.3)

सरकारी उपक्रमों में विनियोग

31 मार्च 2015 को 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (3 सांविधिक निगम शामिल) में विनियोग (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 56997.43 करोड़ था। इसमें वर्ष 2010-11 में ₹ 24400.17 करोड़ से 133.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, कुल विनियोग का 34.77 प्रतिशत पूँजी एवं 65.23 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण में विनियोजित था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश को ओर मुख्यतः उर्जा के क्षेत्र में था, यह वर्ष 2010-11 में ₹ 21414.20 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 52367.63 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 8921.46 करोड़ समता, ऋण एवं अनुदान/ उपदानों के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में अंशदान किया।

(कंडिका 1.6, 1.7 और 1.8)

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

सितम्बर 2015 की स्थिति में 36 सार्वजनिक उपक्रमों के 77 लेखे बकाया थे। बकाया समाप्त करने के लिये लेखों को तैयार करने से संबंधित कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.10)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (तीन सांविधिक निगम शामिल) में 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल ₹ 566.51 करोड़ की लाभ अर्जित की वही 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 6848.38 करोड़ की हानि वहन की। छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये एवं शेष दो सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों ने अपने प्रथम लेखों का अंतिमीकरण नहीं किया। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 2113.02 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 1887.15 करोड़), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 1810.95 करोड़) तथा मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (₹ 896.82 करोड़) भारी नुकसान वहन करने वाली कंपनी रही।

(कंडिका 1.16)

¹ मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम- म.प्र. राज्य सड़क परिवहन अधिनियम 1950, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कार्पोरेशन : म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन 1962 तथा मध्यप्रदेश वित निगम : म.प्र. वित निगम अधिनियम 1951

लेखों की गुणवत्ता

अक्टूबर 2014 से सितंबर 2015 तक कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 59 लेखों का अंतिमीकरण किया गया; इनमें से सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा 44 लेखों में अनर्हता प्रमाण पत्र एवं 15 लेखों में अर्हता प्रमाण पत्र दिये गये, इसके अलावा सी.ए.जी. द्वारा एक लेख (मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम) में अनुपूरक लेखा परीक्षा में डिस्क्लेमर प्रमाण पत्र दिया गया। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं सी.ए.जी. कि अनुपूरक लेखा परीक्षा यह दर्शाता है कि लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.21 और 1.22)

प्रतिवेदन का क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ₹ 4099.14 करोड़ से जुड़े वित्तीय प्रभाव वाले तीन निष्पादन लेखापरीक्षायें, एक वृहत कंडिका एवं 12 कंडिकाएँ शामिल हैं।

2. सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र, बीरसिंगपुर की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखा परीक्षा

31 मार्च 2015 की स्थिति में, मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अधीन कुल 4320 मेगावाट स्थापित क्षमता के चार विद्युत ताप केन्द्र तथा 915 मेगावाट क्षमता के आठ जल विद्युत केन्द्र हैं। संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र अपने तीन विद्युत गृहों की कुल 1340 मेगावाट क्षमता के साथ प्रमुख ताप विद्युत केन्द्र है, (विद्युत गृह I में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाई, विद्युत गृह क्र. II में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाई तथा विद्युत गृह III में 500 मेगावाट क्षमता की एक इकाई)। संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र (एस. जी.टी.पी.एस.) के संचालन, संधारण, अनुबंध प्रबंधन तथा पर्यावरणीय अनुपालन की समीक्षा से निम्न बिन्दु सामने आए।

विद्युत गृह I

● विद्युत गृह I 2010-11 से 2014-15 के मध्य उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका और यह कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत तक रही। उक्त विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि यह मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.), ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत तथा प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.) के मानकों को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालन मानक जैसे कि उच्च मुख्य भाप तापमान, बॉयलर के सुपर हीटर एवं री-हीटर क्षेत्र में कंपन, निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के कारण भट्टी की अस्थिरता, वार्षिक संधारण कार्य न करने के कारण बॉयलर में मुख्य उपकरणों की अनुचित कार्यप्रणाली तथा विद्युत केन्द्र का कार्य प्रदर्शन सुधारने के लिए गहन पूँजीगत नवीनीकरण एवं आधुनिककरण कार्य न करवाने के कारण हुआ।

इसके परिणामस्वरूप, ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम. टी. कोयले, ₹ 41.63 करोड़ मूल्य के 9573.490 कि. ली. ईंधन तेल, ₹ 63.51 करोड़ मूल्य की 212.784 एम. यू. सहायक ऊर्जा की खपत अधिक हुई एवं 2010-11 से 2014-15 के दौरान आयोग द्वारा पारित ₹ 379.20 करोड़ की स्थायी लागत की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 एवं 2.1.13)

● वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान तल राखड़ में 1.15 प्रतिशत से 14.80 प्रतिशत तथा फलाई राखड़ में 0.35 प्रतिशत से 2.37 प्रतिशत अधिक अधजला कोयला पाया गया। ऐसा,

कोयले की बारीकी तथा हवा-ईंधन अनुपात को नियंत्रित करने वाले उपकरणों के अभाव में बॉयलर भट्टी में अनुचित दहन के कारण हुआ । इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.67 करोड़ मूल्य के 79648.529 एम. टी. कोयले की हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.14)

• 20 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने के उपरांत भी री-हीटर नलियों को न बदलने के कारण निरंतर दिक्कतों के फलस्वरूप ₹ 30.45 करोड़ मूल्य की 85.05 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.17)

• विद्युत गृह I एवं II की कोयला मिलों में, बॉयलर में सटीक मात्रा में कोयला प्रदान करने के लिए उपयुक्त ग्रेविमेट्रिक कोयला प्रदायक नहीं लगे थे । इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष ₹ 21.20 करोड़ मूल्य के 1.31 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत हुई ।

(कंडिका 2.1.18)

विद्युत गृह II

• 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II उत्पादन लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका, उत्पादन में 13.98 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत तक की कमी रही । विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा क्योंकि यह आयोग द्वारा स्टेशन हीट रेट, ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत तथा प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर(पी.ए.एफ.) के परिपेक्ष्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं कर सका । ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालन मानकों जैसे, उच्च भाप तापमान, बॉयलर के सुपर हीटर एवं री-हीटर क्षेत्र में कंपन, निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के कारण भट्टी की अस्थिरता, वार्षिक संधारण कार्यों में विलम्ब के फलस्वरूप बॉयलर उपकरणों का अनुचित कार्य करना तथा विद्युत गृह के प्रदर्शन में सुधार के लिए सघन पूँजीगत नवीनीकरण एवं आधुनिकरण कार्य न किए जाने के कारण हुआ ।

इसके फलस्वरूप 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 276.36 करोड़ मूल्य के 7.57 लाख एम.टी.कोयले, ₹ 39.48 करोड़ मूल्य के 8270.370 कि.ली. ईंधन तेल तथा ₹ 80.91 करोड़ मूल्य के 254.446 एम. यू. सहायक ऊर्जा खपत की अधिक खपत हुई ।

(कंडिका 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25)

• बॉयलर में कोयले की बारीकी तथा दहन को नियंत्रित करने वाला उपकरण न लगा होने के कारण तल एवं फलाई राखड़ में अधजले कोयले की अधिक मात्रा पाई गई । इससे, अधजले कोयले के रूप में ₹ 12.38 करोड़ मूल्य के 32404.596 एम.टी. कोयले की हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.26)

• निवारक तथा नियमित संधारण अनुबंध होने के उपरांत भी 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह-II की कोयला मिलों में बारबार त्रुटियां आती रही । ऐसा कोयले के प्रवेश द्वार पर लगी छननी का संधारण न होने के कारण बाह्य तत्वों की प्रविष्टि से कोयला पिसाई तत्वों के खराब होने के कारण हुआ । इसके कारण संयंत्र को बंद/निम्न दाब पर चलाना पड़ा जिसके फलस्वरूप ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम.यू.ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.28)

विद्युत गृह-III

• 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह-III उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा यह कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत तक रही। आगे, यह आयोग द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका जिसके फलस्वरूप ₹ 200.25 करोड़ मूल्य के 5.92 लाख एम.टी.कोयले की अधिक खपत हुई। यह कोयले की खराब गुणवत्ता तथा बॉयलर संयंत्र के उपकरणों के समय-समय पर असंगत संरक्षण के कारण हुआ।

(कंडिका 2.1.32 एवं 2.1.33)

• विद्युत गृह की वार्षिक ओवरहॉल को निर्धारित दिनांक से स्थागित करने के फलस्वरूप टरबाइन के अधिक ह्रास हो जाने के कारण वार्षिक ओवरहॉल की अवधि 14 दिन बढ़ानी पड़ी। इसके फलस्वरूप ₹ 63.67 करोड़ मूल्य की 168 एम.यू. विद्युत उत्पादन की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.37)

• विद्युत गृह-III के बॉयलर में प्रयुक्त टिल्टिंग टैन्जेंशियल फायरिंग सिस्टम के अनुचित संधारण के परिणामस्वरूप जल दीवार नलियो तथा री-हीटर नलियों में परिहार्य रिसाव हुआ। इसके फलस्वरूप ₹ 75.20 करोड़ मूल्य की 220.948 एम.यू. विद्युत की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.39 एवं 2.1.40)

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में अनुबंध प्रबंधन

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र कोयले के साथ प्राप्त बड़े आकार के पत्थरों के विरुद्ध ₹ 3.80 करोड़ की मांग राशि, मेसर्स दक्षिण पूर्वी कोलरीज लिमिटेड से वसूल नहीं सका। साथ ही राशि ₹ 80 लाख के ब्याज की लंबित मांग राशि ईंधन प्रदाय अनुबंध के अनुसार आरोपित करने में असफल रही।

(कंडिका 2.1.44)

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा कोलरीयों तथा रेलवे से समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया समन्वयन अनुबंध त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि उसमें ठेकेदार की त्रुटियों के लिये उसे उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान नहीं था। उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ठेकेदार की असफलता के कारण संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को ₹ 351.97 करोड़ मूल्य की 1153.540 एम.यू. विद्युत की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.45)

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र भारत सरकार की अधिसूचना (नवम्बर 2009) में निर्धारित 100 प्रतिशत राखड़ उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। पार्टियों के खराब प्रतिसाद के चलते 2010-11 से 2014-15 के दौरान वास्तविक राखड़ उपयोग 57.73 प्रतिशत से 79.89 प्रतिशत रहा। आगे, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन तथा रखरखाव) नियम में दी गई 10 कि.ली. की भण्डारण सीमा के विरुद्ध 31 मार्च 2015 की स्थिति में संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने 30 कि.ली. रेज़िन तथा 16 कि.ली. ल्यूब तेल खतरनाक अपशिष्ट को नष्ट न करते हुए, भण्डारण कर रखा था।

(कंडिका 2.1.48 एवं 2.1.49)

2.2 मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड भोपाल (कंपनी) का गठन राज्य में कृषि और कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) के संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में मार्च 1969 में किया गया था। 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि में कंपनी की बिक्री/टर्नओवर ₹ 940.02 करोड़ से ₹ 1293.77 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹ 15.16 करोड़ से ₹ 51.20 करोड़ रहा था।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा कंपनी के विविध पहलू यथा वित्तीय प्रबंधन, व्यापारिक एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों, मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म (एम.ए.एफ.) का निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता एवं निगरानी तंत्र का आंकलन करने के लिए वर्ष 2010-15 की अवधि हेतु की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

वित्तीय प्रबंधन

- लेखा शीर्षो हेतु एक समान कोड विकसित नहीं करने के कारण कंपनी अपने जिला कार्यालयों के लेखे समय से संकलित करने में असमर्थ रही। फलस्वरूप वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी हुई थी। 31 अक्टूबर 2015 को कंपनी के 2013-14 एवं 2014-15 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देना बकाया था।

(कंडिका 2.2.7)

- 31 मार्च 2015 को ₹ 231.44 करोड़ की व्यापारिक प्राप्तियां बकाया थी जिनमें से ₹ 8.65 करोड़ तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि से सम्बन्धित थे। इसके अलावा व्यापारिक प्राप्तियों में प्रतिकूल (क्रेडिट) शेषों का समाधान नहीं किया गया था जो वर्ष 2010-11 के ₹ 10.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 22.37 करोड़ हो गये थे।

(कंडिका 2.2.9)

नियोजन

- कंपनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गतिविधियों को दिशा देने के लिये दृष्टिकोण एवं रणनीति योजना नहीं बनाई थी। म. प्र. शासन के साथ वर्ष 2010-11 से 2013-14 के वार्षिक समझौता ज्ञापन को जिसमें कंपनी को वित्तीय/वाणिज्यिक लक्ष्य दिये रहते हैं, को देर से अंतिम रूप दिया गया था। साथ ही वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप ही नहीं दिया गया था। इस प्रकार, कंपनी के कुशलपूर्वक संचालन को दिशा देने के लिये म. प्र. शासन के साथ समझौता ज्ञापन करने का उद्देश्य ही असफल रहा।

(कंडिका 2.2.12 एवं 2.2.13)

परिचालन गतिविधियाँ

- कंपनी द्वारा 2009-11 के दौरान अपने रेडी टू ईट उत्पादन इकाई का विस्तार एवं खिचड़ी उत्पादन संयंत्र का उपार्जन किया गया था। परन्तु इस विस्तार के साथ अतिरिक्त भंडार क्षमता सृजित नहीं की गई जिस कारण प्लांट के उपार्जन से चार वर्ष बीतने पर भी कंपनी खिचड़ी संयंत्र का परिचालन नहीं कर पायी थी और रेडी टू ईट संयंत्र इकाई पर पर्याप्त भण्डारण क्षमता न होने के कारण कच्चे माल को वैकल्पिक स्थान से परिवहन पर परिहार्य व्यय ₹ 20.96 लाख करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.17)

- जैव उर्वरक की बिक्री के लिये शासकीय एजेंसियों पर निर्भरता एवं जैव उर्वरक की बिक्री बढ़ाने के लिए विपणन रणनीति तैयार नहीं करने के कारण कंपनी के जैव उर्वरक

संयंत्र की क्षमता का उपयोग वर्ष 2010-11 के 62 प्रतिशत से गिरकर 2014-15 में 35 प्रतिशत रह गया।

(कंडिका 2.2.19)

● एम.ए.एफ. केवल परंपरागत कृषि की ही गतिविधियों में संलग्न था और अपने उद्देश्यों यथा बीजों का उत्पादन, कृषि के उन्नत तरीकों का प्रदर्शन और किसानों का प्रशिक्षण, के अनुरूप गतिविधियाँ शुरू नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधा की व्यवस्था न करने के कारण कृषि भूमि का उपयोग 2010-11 से 2014-15 की अवधि में खरीफ मौसम के दौरान 22.27 प्रतिशत से 48.41 प्रतिशत के बीच एवं रबी मौसम में 41.42 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत के बीच रहा। एम.ए.एफ. को आवंटित भूमि के कम प्रयोग के कारण म.प्र. शासन ने 679.89 हेक्टेयर भूमि अक्टूबर 2012 में वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को हस्तांतरित कर दी थी।

(कंडिका 2.2.20 एवं 2.2.22)

निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

● आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था क्योंकि सब्सिडी एवं अग्रिमों का समय से उपयोग और अप्रचलित स्टोर्स और बेकार संपत्तियों के समय से निपटान देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कंपनी के संचालक मंडल की नियमित बैठकें न आयोजित करने के कारण समय से निर्णय लेने एवं निगरानी तंत्र प्रभावित हुआ था।

(कंडिका 2.2.25 एवं 2.2.26)

2.3 मध्य प्रदेश में नव एवं नवकरणीय ऊर्जा का विकास

राज्य में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 में की गई थी। राज्य में अक्षय ऊर्जा से संबंधित गतिविधियाँ ग्रिड संबंधित एवं बिना ग्रिड सम्बन्धित (ऑफ ग्रिड) परियोजनाओं में वर्गीकृत है। ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यालय, आयुक्त, नवीन और नव करणीय ऊर्जा (विभाग) की स्थापना (अप्रैल 2010) में की गई थी, जबकि कम्पनी ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ करती है।

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विभाग का ग्रिड गतिविधियों निष्पादन और ऑफ ग्रिड गतिविधियों के विकास से संबंधित कम्पनी के निष्पादन को जानने के लिये की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं

राज्य में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 39095 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के खिलाफ केवल 1243 मेगावाट था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2011 से जुलाई 2012 तक के दौरान सौर, पवन, लघु जल बिजली और बायोमास सम्बन्धित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बनाई गई अक्षय ऊर्जा नीतियों में राज्य में अक्षय ऊर्जा की क्षमता के आकलन पर आधारित नहीं थी, जिसका अक्टूबर 2014 में मूल्यांकन किया गया था। इसके अलावा, क्षमता वृद्धि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे और न ही अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक/अल्पावधि योजनाएं विभाग द्वारा तैयार की गई थी। नतीजतन, राज्य में अक्षय ऊर्जा की संभावना को एक सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.3.2 और 2.3.8)

● 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, सौर में 453.22 मेगावाट की परियोजना (45 प्रतिशत), पवन में 665.30 मेगावाट (9 प्रतिशत) और बायोमास में 55.40 मेगावाट (12 प्रतिशत) क्षमता का 1007.50 मेगावाट, 7196.55 मेगावाट और 471.20 मेगावाट क्रमशः पंजीकृत परियोजनाओं के खिलाफ क्रियाशील किया गया था । इसके अलावा कोई लघु जल बिजली परियोजना विभाग द्वारा क्रियाशील नहीं किया गया था । इसके अलावा, सौर में 247 मेगावाट की परियोजना (25 प्रतिशत), 833.35 मेगावाट पवन में (12 प्रतिशत), लघु जल बिजली में 44.80 मेगावाट (14 प्रतिशत) और बायोमास में 194 मेगावाट (41 प्रतिशत) की परियोजनाओं का पंजीकरण विभाग द्वारा निरस्त किये गए थे ।

● परियोजनाओं के क्रियाशीलता के कम प्रतिशत और ज्यादा पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन न किया जाना, विकासकर्ताओं द्वारा उदासीनता दिखाया जाना, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऊर्जा के लिए अपर्याप्त टैरिफ और परियोजनाओं की लंबी अवधि थे, परिणामस्वरूप अक्षय ऊर्जा की बिजली परियोजना को स्थापित करने के लिए निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अक्षय ऊर्जा की नीतियों के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया ।

(कंडिका 2.3.9, 2.3.13 और 2.3.14)

● सरकारी जमीन पर परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के ग्रीड सम्बन्धित पवन और बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े सात विकासकर्ताओं से निष्पादन गारंटी के गैर-संग्रह के कारण ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जाना ।

(कंडिका 2.3.12 और 2.3.15)

ऑफ ग्रीड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ

● मध्य प्रदेश शासन ने ऑफ ग्रीड अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए कोई विशेष नीति और वार्षिक लक्ष्य तय किए नहीं किये हैं । विशिष्ट लक्ष्यों के अभाव में, ऑफ ग्रीड परियोजनाओं की स्थापना लाभार्थियों से प्राप्त तदर्थ मांग के आधार पर किया जा रहा था । नतीजतन, राज्य में ऑफ ग्रीड सम्बन्धित नवकरणीय ऊर्जा के लिए पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका ।

(कंडिका 2.3.17)

● आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा कार्य को पूरा न किये जाने के कारण एवं कार्य आदेशों के लगातार रद्द होने के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान कंपनी नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा 6725 के.डब्ल्यू.पी. क्षमता की मंजूरी के विरुद्ध केवल 3061 के. डब्ल्यू.पी. क्षमता (45 प्रतिशत) ही सौर फोटो वोल्टिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सका । आपूर्तिकर्ताओं द्वारा काम के पूरा न होने के कारणों को विश्लेषण करने में और सुधारात्मक कारवाही करने में कंपनी की विफलता के कारण लाभार्थी अक्षय ऊर्जा के लाभ से वंचित हुए यद्यपि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 34.08 करोड़ के लाभार्थी हिस्सेदारी कंपनी के साथ अप्रयुक्त पड़ी रही थी ।

(कंडिका 2.3.18)

● रद्द किये गये कार्य आदेशों की पुनः निविदा में की गई देरी के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान कंपनी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 81.70 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र के विरुद्ध केवल 18.66 लाख लीटर प्रतिदिन (22.84 प्रतिशत) क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र की ही स्थापना कर पाई परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार लाभार्थी अंश के रूप में ₹ 4.54 करोड़ कंपनी में व्यर्थ पड़ा हुआ था ।

(कंडिका 2.3.19)

● कंपनी के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा 38 स्थापित सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र प्रणालियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में केवल 26 प्रणालियां (68 प्रतिशत), क्रियाशील पाये गये चार प्रणाली (11 प्रतिशत) बिना क्रियाशील हालत में और 8 प्रणाली (21 प्रतिशत) यद्यपि क्रियाशील हालत में थे परन्तु आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रख रखाव की कमी और कम्पनी द्वारा समुचित निगरानी के अभाव के कारण पुर्जा/बैट्री आदि में समस्याओं का सामना कर रहे थे। इस प्रकार कम्पनी स्थापित संयंत्रों के दीर्घकालिक स्थिरता और समुचित रख-रखाव करने में विफल रही परिणामस्वरूप लाभार्थियों को इच्छित लाभ से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 2.3.20)

● वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य में अक्षय ऊर्जा के अपर्याप्त उत्पादन के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.) के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकी परिणामस्वरूप कुल 6316.91 मिलियन यूनिट आर.पी.ओ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी हुई इसके अलावा विद्युत वितरण कम्पनियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता में कमी के लिए ₹ 3013.20 करोड़ की अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र की खरीद नहीं की थी।

(कंडिका 2.3.22)

3. लेनदेन लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में शामिल लेनदेन लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में पायी गयी कमियों को दर्शाती हैं जिसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ सम्मिलित हैं। अध्याय में एक दीर्घ कंडिका "मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में राज्य सरकार की वित्तीय संरचना योजना का क्रियान्वयन" भी शामिल की गयी है। पायी गयी अनियमितताएँ मुख्य रूप से निम्न प्रकृति की हैं :

नौ प्रकरणों में नियमों, निर्देशों प्रक्रियाओं तथा अनुबंधों के नियम व शर्तों का पालन न करने के कारण ₹ 2231.75 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिकाएँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 और 3.12)

चार प्रकरणों में दोषपूर्ण/अपूर्ण नियोजन के कारण ₹ 5.37 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिकाएँ 3.4, 3.5, 3.11 और 3.13)

वृहत कंडिका के महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार निम्न है :

● वित्तीय पुनर्संरचना योजना का प्रथम चरण जो कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान लागू किया गया था, राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनी के संचालन तथा वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हेतु कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किये। परिणाम स्वरूप, वितरण कंपनी की निम्न वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकार द्वारा ₹ 2214.38 करोड़ का लघु अवधि ऋण दिया गया जो कि ₹ 5012.90 करोड़ वित्तीय संरचना कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के अतिरिक्त था।

(कंडिका 3.1.8)

● विस्तारित वित्तीय पुनर्संरचना योजना (2014-17) में मध्यप्रदेश शासन द्वारा, राजस्व वसूली की औसत दर तथा औसत वितरण लागत के मध्य विद्यमान अंतर में कमी को न लिक करते हुए राजस्व वसूली औसत दर के लक्ष्यों का निर्धारण किया। परिणामस्वरूप राजस्व वसूली की औसत दर तथा औसत वितरण लागत की दर के बीच अंतर, वित्तीय पुनर्संरचना योजना के लागू होने के पश्चात् भी बना रहा।

(कंडिका 3.1.9)

● वितरण कंपनी औसत तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों तक घटाने में असमर्थ रही, जैसा कि विस्तारित वित्तीय पुनर्संरचना योजना में प्रावधानित था। परिणामस्वरूप डिस्काम द्वारा ₹ 582.83 करोड़ की तकनीकी व वाणिज्यिक हानियाँ अवशोषित की गयी जिससे डिस्काम की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पडा।

(कंडिका 3.1.10)

● वित्तीय पुनर्संरचना योजना कि शर्तों के अनुसार, वितरण कंपनी फीडर सेपरेशन योजना के अंतर्गत चालू कार्यों की पूर्णता में विलंब एवं निरस्त किये हुए कार्यों की पुनः आदेशित करने में विलंब के कारण, 1589 फीडर्स में 777 फीडर्स में फीडर्स सेपरेशन योजना के अर्न्तगत पूर्ण करने में असफल रही।

(कंडिका 3.1.13)

● वितरण कंपनी वित्तीय स्थिति में सुधार तथा वाणिज्यिक रूप से सक्षम होने के उद्देश्यो को वित्तीय पुनर्संरचना के चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी प्राप्त नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप 2011-12 से 2014-15 के दौरान ₹ 8602 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन पर निर्भर रही।

(कंडिका 3.1.14)

कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है :

● चालू खाते में सी0एल0टी0डी0 योजना नहीं अपनाने एवं परिणामस्वरूप चालू खाते में आधिक्य निधि रहने से मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को राशि ₹ 1.98 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.3)

● मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा आवश्यक संयोजन भार के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारण विद्युत पर राशि ₹ 1.21 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 3.5)

● मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन आई0टी0 द्वारा नीति से विचलन कर आई0टी0 कम्पनियों को कम दरों पर भूमि का आवंटन किया गया। परिणामस्वरूप सरकार को राशि ₹ 128.85 करोड़ की हानि हुई एवं उसी सीमा तक आई0टी0 कम्पनियों को अनुचित लाभ हुआ।

(कंडिका 3.6)

● मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा आपूर्ति भाग के लिए ठेकेदारों के बिलों से राशि ₹ 49.39 लाख के कर्मचारी कल्याण उपकर की कम बसूली की गयी एवं इस प्रकार ठेकेदारों को अलक्षित लाभ पहुँचाया गया।

(कंडिका 3.7)

● परामर्शदाता द्वारा परियोजना सम्भाव्यता प्रतिवेदन में अनुशंसित/मान्य अवधि से अधिक निर्माण अवधि की अनुमति के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को राशि ₹ 12.21 करोड़ के अतिरिक्त बोनस का भुगतान मध्यप्रदेश सडक विकास निगम द्वारा किया गया।

(कंडिका 3.8)

- मध्यप्रदेश सडक विकास निगम द्वारा प्रब्याजि के विलंब से भुगतान के लिए अनुबंध के उपवाक्य के अनुसार ब्याज की वसूली न करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.17 करोड़ ब्याज की हानि साथ ही रियायतग्राही से राशि ₹ 43.20 करोड़ की वसूली भी नहीं हुई।

(कंडिका 3.9)

- रियायत अनुबंध में परियोजना के निर्धारित समयावधि से पूर्व समापन के लिए बोनस के भुगतान की कोई अधिकतम सीमा का उल्लेख नहीं किया गया एवं परामर्शदाताओं द्वारा अनुशंसित निर्माण अवधि से अधिक निर्माण अवधि की अनुमति देने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 85.02 करोड़ का अतिरिक्त बोनस भुगतान मध्यप्रदेश सडक विकास निगम द्वारा किया गया।

(कंडिका 3.10)

- दादा धुनीवाले खन्डवा पावर लिमिटेड द्वारा कोयले की श्रृंखला को सुनिश्चित किए वगैर संचालन जारी रखने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.12)

- नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड स्वयं के ज्ञापन में अर्न्तनिहित उपवाक्य के विरुद्ध व्यर्थ निधि को सावधिक जमा (एफ0डी0) में निवेशित करने में असफल रही परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज से आय के अवसर की हानि हुई।

(कंडिका 3.13)

अध्याय – एक

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए किया गया है। 31 मार्च 2015 को मध्यप्रदेश में 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है। इनमें से कोई भी कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना नहीं हुई तथा न ही कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद हुआ। 31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है:-

तालिका 1.1 – 31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कुल उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम ¹	योग
सरकारी कम्पनियाँ ²	55	9	64
सांविधिक निगम ³	3	निरंक	3
योग	58	9	67

31 मार्च 2015 को 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (3 सांविधिक निगम भी शामिल) थे। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 61264.36 करोड़ का व्यवसाय किया। यह व्यवसाय राज्य के वर्ष 2014-15 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 12.06 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल मिलाकर ₹ 6281.87 करोड़ की हानि उठाई। मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 64823 कर्मचारी नियोजित थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक स्वायत्तशासी निकाय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) शामिल नहीं है जिसका भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एकमात्र लेखापरीक्षक है।

31 मार्च 2015 को नौ अकार्यशील उपक्रम 5 से 25 वर्षों तक अस्तित्व में थे जिनमें ₹ 192.03 करोड़ का निवेश था। यह जोखिमपूर्ण क्षेत्र है चूंकि अकार्यशील उपक्रम में निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं रहा।

¹ सार्वजनिक क्षेत्रों के अकार्यशील उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिये हैं।

² सरकारी कम्पनियों में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 की उपधारा 5 व 7 में वर्णित अन्य कम्पनियाँ शामिल हैं।

³ मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन एवं मध्यप्रदेश वित्त निगम

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, "सरकारी कंपनी" वह कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी में 51 प्रतिशत का हिस्सा केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार का और जिसमें उस सरकारी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती हैं को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच कर सकता है तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान भी ऐसी नमूना जाँच प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार सरकारी कम्पनी या अन्य कोई कम्पनी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जा सकती है। 31 मार्च 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 (5) एवं (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हुये अन्य के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेगा। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा संपादित की जाती हैं।

सांविधिक निगमों⁴ की लेखा परीक्षा उनसे संबंधित विधान द्वारा नियंत्रित होता है। तीन सांविधिक निगमों में से मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए सीएजी एक मात्र लेखापरीक्षक है। मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन एवं मध्यप्रदेश वित्त निगम का लेखा परीक्षा लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य शासन इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

⁴ म.प्र. राज्य सड़क परिवहन अधिनियम 1950, म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन अधिनियम 1962 तथा म.प्र. राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951

राज्य विधायिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता की भी निगरानी करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 या संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियाँ अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों तथा सांविधिक निगम के संदर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के अधीन शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन का अंश

1.5 इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन का बड़ा वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार के है:

- अंशपूँजी एवं ऋण— अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय समय पर ऋण देकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- विशेष वित्तीय सहायता—राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकता अनुसार बजटीय सहायता, अनुदान एवं उपदान देती है।
- प्रत्याभूति—राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान किये गये ब्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.6 31 मार्च 2015 को, 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (पूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 56997.43 करोड़ था जिसका विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश


(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुलयोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील उपक्रम	19239.91	35270.25	54510.16	521.01	1774.23	2295.24	56805.40
अकार्यशील उपक्रम	57.59	134.44	192.03	--	--	--	192.03
योग	19297.50	35404.69	54702.19	521.01	1774.23	2295.24	56997.43

(स्रोत :-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का 99.66 प्रतिशत पूंजी कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एवं शेष 0.34 प्रतिशत पूंजी अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। 31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का, 34.77 प्रतिशत पूंजी में और 65.23 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश वर्ष 2010-11 में ₹ 24400.17 करोड़ से 133.59 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 56997.43 करोड़ हो गया जैसा कि रेखाचित्र-1.1 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र-1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश



(स्रोत :-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.7 31 मार्च 2015 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्र वार सारांश तालिका 1.3 में दिया गया है।


तालिका 1.3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनियाँ		सांविधिक निगम	कुल	निवेश (₹करोड़ में)
	कार्यशील	अकार्यशील उपक्रम	कार्यशील		
ऊर्जा	11	00	0	11	52367.63
विनिर्माण	14	03	0	17	530.06
वित्त	11	02	01	14	1926.27
सेवा	14	00	01	15	1733.57
अधोसंरचना	03	02	0	05	208.96
कृषि एवं संबद्ध	02	02	01	05	230.94
कुल	55	09	03	67	56997.43

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

31 मार्च 2011 तथा 31 मार्च 2015 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनका प्रतिशत रेखाचित्र-1.2 में दर्शाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, यह 2010-11 में ₹ 21414.20 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 52367.63 करोड़ हो गया।

रेखाचित्र-1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र वार निवेश



(कोष्ठक में प्रदर्शित आंकड़े कुल निवेश में प्रतिशत दर्शाते हैं)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश, वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसमें 144.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2010-11 से 2014-15) जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड/रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं/विकास/उन्नयन कार्यों के लिए सरकार द्वारा समता एवं ऋण में किया गया निवेश रहा।

1.8 राज्य शासन वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समता, ऋण, अनुदान/उपदान, ऋण का अपलेखन व ब्याज की माफी के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता का विवरण (₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से समता पूंजी बहिर्गमन	09	1418.65	06	1544.67	08	803.10
2.	बजट से दिये गए ऋण	04	2148.50	06	3786.50	05	2060.14
3.	बजट से प्राप्त अनुदान/उपदान	15	3833.43	18	4456.45	15	6058.22
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	-	7400.58	-	9787.62	--	8921.46
5.	ऋण एवं ब्याज की माफी	--	--	--	--	01	1379.23
6.	निर्गत प्रत्याभूति	07	5303.11	08	6528.32	10	3311.27
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	08	4815.88	09	7873.52	10	8958.90

स्रोत :- सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी

विगत पाँच वर्षों के लिए समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विवरण रेखाचित्र-1.3 में दिया गया है।

रेखाचित्र-1.3 : समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन

रेखाचित्र-1.3



(स्रोत :- सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

बजट से समता, ऋण एवं अनुदान/आर्थिक सहायता वर्ष 2013-14 में ₹ 9787.62 करोड़ से घटकर 2014-15 में ₹ 8921.46 करोड़ बहिर्गमित हुई। बजट के ₹ 8921.46 करोड़ बहिर्गमन में चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दी गई सहायता ₹ 7743.16 करोड़ शामिल

हैं। जो क्रमशः ₹ 2716.58 करोड़ मध्यप्रदेश पूर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को, ₹ 1487.21 करोड़ मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ₹ 1906.12 करोड़ मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ₹ 1633.25 करोड़ मध्यप्रदेश सिविल सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड को समता ऋण एवं अनुदान/उपदान शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य गारंटी नियम 2009 के तहत गारंटी दिया जाता है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क आरोपित की जाती है। यह शुल्क 0.50 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से राज्य सरकार द्वारा ऋणी के आधार पर लगाया जाता है। गारंटी प्रतिबद्धता वर्ष 2012-13 में ₹ 4815.88 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 8958.90 करोड़ हो गया इसके अलावा वर्ष 2014-15 के दौरान तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी शुल्क 4.36 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया और जिनके विरुद्ध संचित/बकाया ₹ 170.45 करोड़ थी (31 मार्च 2015 को)।

वित्तीय लेखों के साथ मिलान

1.9 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े, राज्य के वित लेखों में दर्शाये गये आकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आँकड़ों में भिन्नता हो तो, संबंधित पी.एस.यू. और वित विभाग को भिन्नताओं का समाधान करना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2015 की स्थिति तालिका 1.5 में दर्शित है।

तालिका 1.5 : वित्त लेखों और पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूतियां

(₹करोड़ में)

निम्नांकित के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता	4511.22	16291.87	11780.65
ऋण	15017.39	24692.41	9675.02
प्रत्याभूति	15676.62	8958.90	6717.72

स्रोत : वित्तीय लेखे 2014-15 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी

हमने पाया कि अन्तर, 38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में थे। और इनमें से कुल अन्तरों का समाधान पूर्व के पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित है। यद्यपि वित लेखों में दर्ज आँकड़े और पी.एस.यू. के अभिलेखों में भिन्नताओं को पूर्व के वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदन किया गया था, परन्तु राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। शासन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्तरों के समाधान के लिये उचित समय के अंदर ठोस कदम उठाना चाहिये।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96 (1) के प्रावधानों के अनुसार सितंबर माह के अंत तक संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता अधिनियम की

धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं। इसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का अंतिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

30 सितम्बर 2015 तक लेखों के अंतिमीकरण करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रगति का विवरण तालिका 1.6 में प्रस्तुत है।

तालिका 1.6 : लेखों के अंतिमीकरण करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रगति का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	51	55	55	58	58
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखाओं की संख्या	59	50	49	47	59
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	58	63	64	84	77
4.	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	26	26	25	32	36
5.	बकायों की सीमा (वर्षों की सीमा)	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11

(स्रोत :- सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

यह देखा जा सकता है कि कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लंबित लेखों की संख्या 58 (2010-11) से बढ़कर 77 (2014-15) हो गई लंबित लेखों में 69 सरकारी कम्पनियों के लेखे एक से ग्यारह वर्ष की अवधि तथा दो सांविधिक निगमों के लेखें मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन लेखें का एक वर्ष लिये और म.प्र. राज्य परिवहन निगम लेखे का सात वर्षों के लिये शामिल है ।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि ये पी.एस.यू. अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर कर रहे है । यद्यपि संबंधित विभाग/मंत्रालय को नियमित रूप से (फरवरी 2015 और नवम्बर 2015) अवगत कराया गया । यद्यपि कोई सुधार नहीं देखा गया और विलंबन में वृद्धि हुई ।

1.11 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 2630.52 करोड़ (समता: ₹ 269.53 करोड़ (पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), ऋण: ₹ 1897.63 करोड़ (पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) एवं अनुदान: ₹ 463.36 करोड़ (10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)) का निवेश किया जिनके लेखे अंतिमीकृत नहीं हुये थे जिनका विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है । लेखों के अंतिमीकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि, किये गये निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं । इस प्रकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शासकीय निवेश राज्य की विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा ।

1.12 उपरोक्त के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का अंतिमीकरण लंबित थे । नौ अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से सात⁵ परिसमापन की प्रक्रिया में थे शेष दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का विलंबन तीन से सात साल के बीच था ।

तालिका 1.7: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का विलंबन

अकार्यशील उपक्रम का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखें लंबित रहें	लेखों में विलम्बन संख्या वर्षों में
मध्यप्रदेश राज्य टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	07
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड	2012-13	03

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1.13 सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गमित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को (30 सितम्बर 2015 तक) राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति तालिका 1.8 में दर्शित है ।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक का एसएआर विधायिका में रखा गया	एसएआर जिस वर्ष से विधायिका में रखा जाना शेष है	
			एसएआर का वर्ष	एसएआर का वर्ष
1	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए
2	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2007-08	2008-09	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए
3	म.प्र. वित्त निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	02 नवंबर 2014

लेखों के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव

1.14 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है (कड़िका 1.10 से 1.12) लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की संभावना हो सकती है । उपरोक्त के अनुसार राज्य के लंबित लेखों की दशा में वर्ष 2014-15 में राज्य की जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान का आकलन नहीं किया जा सकता तथा राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य की विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया ।

अतः ये अनुशांसा की जाती है :

⁵ म.प्र. लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, म.प्र. राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड और म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड

- सरकार को बकाया के निराकरण के निरीक्षण हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिये और प्रत्येक कम्पनी/निगम के लिये लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिये जिसका निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाये ।
- जहाँ स्टाफ अपर्याप्त या अयोग्य है वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के लिये बाह्य स्रोत पर विचार करना चाहिये ।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 कार्यशील सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परीणाम का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवर्त का राज्य के जीडीपी के साथ अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों को दर्शाता है । समाप्त हुये वर्ष 2014-15 से पूर्व के पाँच वर्षों की अवधि का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण **तालिका 1.9** में प्रदर्शित है ।

तालिका 1.9 : कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आवर्त ⁶	31637.50	37949.25	58237.27	59860.12	61264.36
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	263396.00	305158.00	361270.00	434730.00	508006.00
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में आवर्त का प्रतिशत	12.01	12.44	16.12	13.77	12.06


(स्रोत :- सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

वर्ष में राज्य की जीडीपी में आवर्त की प्रतिशतता वर्ष 2010-11 में 12.01 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 16.12 प्रतिशत हो गया तत्पश्चात 2014-15 में 12.06 प्रतिशत तक की गिरावट राज्य जीडीपी में 2013-14 से 2014-15 में योगदान में कमी का संकेतक है ।

1.16 वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि **रेखाचित्र 1.4** में प्रदर्शित की गई है ।

⁶30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त

रेखाचित्र 1.4 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हानि (₹ करोड़ में)



(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अद्यतन लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाते हैं।)

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

वर्ष 2014-15 के दौरान 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 566.51 करोड़ लाभ अर्जित की और 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 6848.38 करोड़ की हानि हुई। छः कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार तैयार किये और दो कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने प्रथम लेखे का अंतिमीकरण नहीं किया। लाभ में प्रमुख योगदान मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.81 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड इन्दौर (₹ 86.75 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 80.50 करोड़) व मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 66.12 करोड़) का था।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2113.02 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1887.15 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1810.95 करोड़) तथा मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 896.82 करोड़) भारी नुकसान वहन करने वाली कम्पनी रही।

1.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अन्य प्रमुख मापदण्ड तालिका 1.10 में दिये गये हैं।

तालिका 1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत में)	--	--	--	--	--
ऋण	13599.12	21670.95	28932.24	34988.54	37178.92
आवर्त ¹	31637.50	37949.25	58237.27	59860.12	61264.36
ऋण/आवर्त अनुपात	0.43:1	0.57:1	0.50:1	0.58:1	0.61:1
ब्याज का भुगतान	2082.37	1601.69	2715.97	3382.32	4064.62
संचित लाभ/(-) हानि	(-)2034.28	(-)2332.51	(-)4066.23	(-) 28254.01	(-) 29597.25

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

संचित हानि प्रतिमान में वृद्धि देखी गई, जो 2010-11 में ₹ 2034.28 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 29597.25 करोड़ हो गई। मुख्य योगदान करने वाले कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 8673.05 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 8824.44 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 7733.55 करोड़), मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 3047.01 करोड़) थे। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परिचालन की बिगड़ती स्थिति को इंगित करता है। ऋण आवर्त अनुपात 2010-11 में 0.43:1 से बढ़कर 2014-15 में 0.61:1 हुई। अतः इस दौरान जिस अनुपात में ऋण में वृद्धि में हुई उस अनुपात में सालाना बिक्री में वृद्धि नहीं हुई।

1.18 राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2005 में लाभांश नीति तैयार की गई थी जिसके तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर पश्चात लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश भुगतान करना आवश्यक है। नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 566.51 करोड़ लाभ अर्जित किया और उनमें से सिर्फ आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁷ ने ₹ 34.28 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इस प्रकार 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जित करने के बावजूद लाभांश घोषित न करके मध्य प्रदेश शासन के लाभांश नीति का उल्लंघन किया।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

1.19 31 मार्च 2015 को नौ अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। उनमें से सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ किया चुका है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या तालिका 1.11 में दिये गये हैं।

¹ 30 सितम्बर 2015 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयू का आवर्त

⁷ म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड, म.प्र. रोड विकास निगम लिमिटेड, संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथ करघा विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड, म.प्र. लघु उद्योग नि. लिमिटेड

तालिका 1.11: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की संख्या	10	09	09	09	09
अकार्यशील सांविधिक निगमों की संख्या	--	--	--	--	--
कुल	10	09	09	09	09

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान और अपेक्षित उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिये इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह माना जा सकता है कि इन्हें या तो बंद किया जाये या पुर्नजीवित किया जाये।

वर्ष 2014-15 के दौरान दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁸ के प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय ₹ 0.08 करोड़ रहा। इन व्ययों के लिए वित्त पोषण मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया (₹ 1.19 करोड़)

1.20 वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी कम्पनी की समापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने का चरण⁹ तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने का चरण

संख्या	विवरण	कंपनी	सांविधिक निगम	कुल
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	9	--	9
2.	उपरोक्त (1) में से संख्या नीचे			
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	--	--	--
(ब)	स्वेच्छा से परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	7	--	7 ¹⁰
(स)	समापन/बन्द करने के आदेश/अनुदेश जारी हो गए हैं परन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है।	2	--	2

वर्ष 2014-15 के दौरान, स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम में तेज है और इसे सख्ती से अपनाई/अपनाये जाने की आवश्यकता है। सरकार दो अकार्यशील उपक्रमों¹¹ के परिसमापन के संबंध में निर्णय ले सकती है जबकि इनके अकार्यशील होने के बावजूद चालू रखने या न रखने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिये गये।

⁸ म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड एवं म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड

⁹ कम्पनियों के द्वारा निर्णायक जानकारी प्रस्तुत न करने के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013-14 से ग्रहण की गई।

¹⁰ मध्यप्रदेश उद्दवन सिंचाई निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्यप्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्यप्रदेश पंचायतीराज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड

¹¹ म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड

लेखा टिप्पणी

1.21 वर्ष 2014-15 के दौरान, 44 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनके 58 अंकेक्षित लेखे पीएजी/एजी को भेजे गए। इनमें से 30 सरकारी कम्पनियों के 31 लेखों को अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिए चयन किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी की अनुपूरक लेखा परीक्षा यह इंगित करता है कि लेखे के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणी की मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 1.13 में है।

तालिका 1.13: कार्यशील कम्पनियों के लेखों पर अंकेक्षण टिप्पणी का मौद्रिक प्रभाव

(₹ करोड़ में)

संख्या	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम
1.	लाभ में कमी	03	8.39	02	15.87	10	121.16
2.	हानि में वृद्धि	02	52.16	03	181.06	02	11.10
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	02	697.28	06	110.63	08	40.94
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	02	2548.36	10	234.26	04	194.30

(स्रोत :- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा 44 लेखों पर अमर्यादित प्रमाण पत्र और 14 लेखों में मर्यादित प्रमाण पत्र दिये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त सीएजी ने एक लेखे (मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम) में डिस्क्लेमर टिप्पणी दी है वर्ष के दौरान 8 लेखों पर 46 मामले ऐसे थे जिनमें लेखामानक का अनुपालन कमजोर रहा।

1.22 इसी तरह वर्ष 2015-16 के दौरान मध्य प्रदेश वित्त निगम ने वर्ष 2014-15 के लेखे पीएजी/एजी को भेजे। इस लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया और लेखे को अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिये चयनित किया। सांविधिक लेखापरीक्षक की अंकेक्षण प्रतिवेदन और सीएजी की अनुपूरक लेखा परीक्षा यह इंगित करता है कि लेखे के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणी की मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 1.14 में है।

तालिका 1.14: कार्यशील सांविधिक निगमों के लेखों पर अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

संख्या	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम	लेखों की संख्या	रकम
1.	लाभ में कमी	--	--	02	8.80	01 ¹²	13.30
2.	वर्गीकरण की त्रुटियां	--	--	02	23.60	--	--

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

¹² म.प्र. वित्त निगम

लेखा परीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखा परीक्षाएँ तथा कंडिकाएँ

1.23 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन के लिए तीन निष्पादन लेखा परीक्षा, एक लम्बी कंडिका और चार विभागों से जुड़े 12 अंकेक्षण कंडिकाएँ संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को 6 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध के साथ जारी किए गए थे हालांकि एक निष्पादन लेखा परीक्षा और 9 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2015)।

लेखा प्रतिवेदनों का अनुपालन

अप्राप्त उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच की प्रक्रिया के चरम स्थिति को प्रदर्शित करता है इसलिये यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्रकाश में लाये वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को अगस्त 2015 में निर्देशित किया है कि सीएजी के आडिट रिपोर्ट में शामिल कंडिका/पैराग्राफ के उत्तर निर्धारित प्रारूप में कोपू से प्रश्नावली की प्रतिक्रिया किये बिना व्याख्यात्मक नोट विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करे ।

तालिका- 1.15: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2015 की स्थिति में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/पीएसयू)	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		पीएस/कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई	
		पीएस	कंडिकाएँ	पीएस	कंडिकाएँ
2012-13	22.07.2014	05	11	00	03
2013-14	22.07.2015	03	08	03	08
कुल		08	19	03	11

उपरोक्त तालिका 1.15 से यह देखा जा सकता है कि 19 कंडिकाओं और आठ निष्पादन लेखा परीक्षा में से 11 कंडिकाओं और तीन विभागों की तीन निष्पादन लेखा परीक्षा पर टिप्पणी की गई थी, उनकी व्याख्यात्मक टिप्पणी अप्राप्त थे (सितम्बर 2015)।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो पर चर्चा -

1.25 30 सितम्बर 2015 को निष्पादन लेखा परीक्षाओं एवं कंडिकाओं की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयू में शामिल थी और जिन पर सरकारी उपक्रम समिति के द्वारा चर्चा की गई जिसका विवरण नीचे तालिका 1.16 में दी गई है ।

तालिका 1.16: 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं पर की गई चर्चा का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या
-----------------------	---

की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		चर्चा के लिए लंबित कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2009-10	02	09	02	08
2011-12	02	07	01	07
2012-13	05	11	00	00
2013-14	03	08	00	00
कुल	12	35	03	15

सरकारी उपक्रमों पर समिति कोपु के प्रतिवेदनो का अनुपालन—

1.26 सितम्बर 1976 और मार्च 2015 के दौरान राज्य की विधायिका के समक्ष कोपू के 66 प्रतिवेदनों से संबंधित 411 कंडिकाओं पर शासकीय विभागों की कार्यवाही का विवरण कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त रहे (दिसम्बर 2015) जैसा कि तालिका 1.17 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.17: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिनके लिए कार्यवाही विवरण प्राप्त नहीं हुए
1973-74 से 2003-04	37	653	286
2004-05	08	54	28
2005-06	06	45	29
2006-07	03	30	17
2007-08	07	28	19
2008-09	04	39	30
2009-10	01	03	02
कुल	66	852	411

कोपू की इन प्रतिवेदनों में 11 विभागों से संबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसाएं थी जो 1973-74 से 2009-10 के वर्षों में भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन में शामिल थी ।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि:

(अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षकों एवं कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण के उत्तर/व्याख्यात्मक टीप निर्धारित समय सीमा में भेजे (ब) हानियाँ/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान आदि की वसूली समय सीमा के अंदर किया जाए एवं (स) लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर देने के लिये तंत्र में सुधार लाया जाये ।

प्रतिवेदन का क्षेत्र

1.27 इस प्रतिवेदन में ₹ 4099.14 करोड़ से जुड़े वित्तीय प्रभाव तीन निष्पादन लेखापरीक्षायें, एक वृहत कंडिका एवं 12 कंडिकाएं शामिल हैं ।

अध्याय – दो

2. सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र, बीरसिंगपुर की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखा परीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

31 मार्च 2015 की स्थिति में, मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अधीन कुल 4320 मेगावाट स्थापित क्षमता के चार विद्युत ताप केन्द्र तथा 915 मेगावाट क्षमता के आठ जल विद्युत केन्द्र हैं। संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र अपने तीन विद्युत गृहों की कुल 1340 मेगावाट क्षमता के साथ प्रमुख ताप विद्युत केन्द्र है, (विद्युत गृह I में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाई, विद्युत गृह क्र. II में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाई तथा विद्युत गृह III में 500 मेगावाट क्षमता की एक इकाई)। संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र (एस. जी.टी.पी.एस.) के संचालन, संधारण, अनुबंध प्रबंधन तथा पर्यावरणीय अनुपालन की समीक्षा से निम्न बिन्दु सामने आए।

विद्युत गृह I

- विद्युत गृह I 2010–11 से 2014–15 के मध्य उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका और यह कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत तक रही। उक्त विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि यह मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.), ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत तथा प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.) के मानकों को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालन मानक जैसे कि उच्च मुख्य भाप तापमान, बॉयलर के सुपर हीटर एवं री-हीटर क्षेत्र में कंपनी, निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के कारण भट्टी की अस्थिरता, वार्षिक संधारण कार्य न करने के कारण बॉयलर में मुख्य उपकरणों की अनुचित कार्यप्रणाली तथा विद्युत केन्द्र का कार्य प्रदर्शन सुधारने के लिए गहन पूँजीगत नवीनीकरण एवं आधुनिकरण कार्य न करवाने के कारण हुआ।

- इसके परिणाम स्वरूप, ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम. टी. कोयले, ₹ 41.63 करोड़ मूल्य के 9573.490 कि. ली. इंधन तेल, ₹ 63.51 करोड़ मूल्य की 212.784 एम. यू. सहायक ऊर्जा की खपत अधिक हुई एवं 2010–11 से 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा पारित ₹ 379.20 करोड़ की स्थायी लागत की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 एवं 2.1.13)

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान तल राखड़ में 1.15 प्रतिशत से 14.80 प्रतिशत तथा फलाई राखड़ में 0.35 प्रतिशत से 2.37 प्रतिशत अधिक अधजला कोयला पाया गया। ऐसा, कोयले की बारीकी तथा हवा-ईंधन अनुपात को नियंत्रित करने वाले उपकरणों के अभाव में बॉयलर भट्टी में अनुचित दहन के कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.67 करोड़ मूल्य के 79648.529 एम. टी. कोयले की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.14)

- 20 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने के उपरांत भी री-हीटर नलियों को न बदलने के कारण निरंतर दिक्कतों के फलस्वरूप ₹ 30.45 करोड़ मूल्य की 85.08 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.17)

- विद्युत गृह I एवं II की कोयला मिलों में, बॉयलर में सटीक मात्रा में कोयला प्रदान करने के लिए उपयुक्त ग्रेविमेट्रिक कोयला प्रदायक नहीं लगे थे। इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष ₹ 21.20 करोड़ मूल्य के 1.31 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत हुई ।

(कंडिका 2.1.18)

विद्युत गृह II

- 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II उत्पादन लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका, उत्पादन में 13.98 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत तक की कमी रही । विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा क्योंकि यह आयोग द्वारा स्टेशन हीट रेट, ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत तथा प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.) के परिपेक्ष्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं कर सका । ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालन मानकों जैसे, उच्च भाप तापमान, बॉयलर के सुपर हीटर एवं री-हीटर क्षेत्र में कंपन, निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के कारण भट्टी की अस्थिरता, वार्षिक संधारण कार्यों में विलम्ब के फलस्वरूप बॉयलर उपकरणों का अनुचित कार्य करना तथा विद्युत गृह के प्रदर्शन में सुधार के लिए सघन पूंजीगत नवीनीकरण एवं आधुनिकरण कार्य न किए जाने के कारण हुआ ।

इसके फलस्वरूप 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 276.36 करोड़ मूल्य के 7.57 लाख एम.टी.कोयले, ₹ 39.48 करोड़ मूल्य के 8270.370 कि.ली. ईंधन तेल तथा ₹ 80.91 करोड़ मूल्य के 254.446 एम. यू. सहायक ऊर्जा खपत की अधिक खपत हुई ।

(कंडिका 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25)

- बॉयलर में कोयले की बारीकी तथा दहन को नियंत्रित करने वाला उपकरण न लगा होने के कारण तल एवं फ्लायैश राखड़ में अधजले कोयले की अधिक मात्रा पाई गई । इससे, अधजले कोयले के रूप में ₹ 12.380 करोड़ मूल्य के 32404.596 एम.टी. कोयले की हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.26)

- निवारक तथा नियमित संधारण अनुबंध होने के उपरांत भी 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह-II की कोयला मिलों में बारबार त्रुटियां आती रही । ऐसा, कोयले के प्रवेश द्वार पर लगी छननी का संधारण न होने के कारण बाह्य तत्वों की प्रविष्टि से कोयला पिसाई तत्वों के खराब होने के कारण हुआ । इसके कारण संयंत्र को बंद/निम्न दाव पर चलाना पड़ा जिसके फलस्वरूप ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम.यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.28)

विद्युत गृह-III

- 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह-III उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा यह कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत तक रही । आगे, यह आयोग द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका जिसके फलस्वरूप ₹ 200.25 करोड़ मूल्य के 5.92 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत हुई । यह कोयले की खराब गुणवत्ता तथा बॉयलर संयंत्र के उपकरणों के समय-समय पर असंगत संरक्षण के कारण हुआ ।

(कंडिका 2.1.32 एवं 2.1.33)

- विद्युत गृह की वार्षिक ओवरहॉल को निर्धारित दिनांक से स्थागित करने के फलस्वरूप टरबाइन के अधिक ह्रास हो जाने के कारण वार्षिक ओवरहॉल की अवधि 14 दिन बढ़ानी पड़ी । इसके फलस्वरूप ₹ 63.67 करोड़ मूल्य की 168 एम.यू. विद्युत उत्पादन की हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.37)

• विद्युत गृह-III के बॉयलर में प्रयुक्त टिल्टिंग टैन्जेंशियल फायरिंग सिस्टम के अनुचित संधारण के परिणामस्वरूप जल दीवार नलियों तथा री-हीटर नलियों में परिहार्य रिसाव हुआ। इसके फलस्वरूप ₹ 75.20 करोड़ मूल्य की 220.948 एम.यू. विद्युत की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.39 एवं 2.1.40)

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में अनुबंध प्रबंधन

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र कोयले के साथ प्राप्त बड़े आकार के पत्थरों के विरुद्ध ₹ 3.80 करोड़ की मांग राशि, मेसर्स दक्षिण पूर्वी कोलरीज लिमिटेड से वसूल नहीं सका। साथ ही राशि रु 80 लाख के ब्याज की लंबित मांग राशि ईंधन प्रदाय अनुबंध के अनुसार आरोपित करने में असफल रही।

(कंडिका 2.1.44)

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा कोलरीयों तथा रेलवे से समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया समन्वयन अनुबंध त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि उसमें ठेकेदार की त्रुटियों के लिये उसे उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान नहीं था। उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ठेकेदार की असफलता के कारण संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को ₹ 351.97 करोड़ मूल्य की 1153.540 एम.यू. विद्युत की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.45)

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र भारत सरकार की अधिसूचना (नवम्बर 2009) में निर्धारित 100 प्रतिशत राखड़ उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। पार्टियों के खराब प्रतिसाद के चलते 2010-11 से 2014-15 के दौरान वास्तविक राखड़ उपयोग 57.73 प्रतिशत से 79.89 प्रतिशत रहा। आगे, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन तथा रखरखाव) नियम में दी गई 10 कि.ली. की भण्डारण सीमा के विरुद्ध 31 मार्च 2015 की स्थिति में संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने 30 कि.ली. रेज़िन तथा 16 कि.ली. ल्यूब तेल खतरनाक अपशिष्ट को नष्ट न करते हुए, भण्डारण कर रखा था।

(कंडिका 2.1.48 एवं 2.1.49)

परिचय

2.1.1 मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कार्य मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) में निहित है। 31 मार्च 2015 की स्थिति में कम्पनी के अधीन 4320 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के चार ताप विद्युत उत्पादक केन्द्र तथा 915 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के आठ जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं। 2010-11 से 2014-15 के दौरान कम्पनी ने ₹ 25815.56 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, ₹ 27560.77 करोड़ की लागत वहन की तथा ₹ 1745.21 करोड़ की हानि वहन की। कम्पनी की स्थापित क्षमता (ताप व जल दोनों) तथा वित्तीय प्रदर्शन का विवरण **परिशिष्ट 2.1.1** में दिया गया है।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र (एस.जी.टी.पी.एस.)में 1340 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के तीन विद्युत गृह हैं। यह, विद्युत गृह-I जिसमें 1993-94 में सम्मिलित 210 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाइयां हैं, विद्युत गृह-II जिसमें 1998-99 में सम्मिलित 210 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाइयां तथा विद्युत गृह-III जिसमें अगस्त 2008 में सम्मिलित 500 मेगावाट की एक विद्युत उत्पादन इकाई है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र का विद्युत उत्पादन कम्पनी के कुल विद्युत उत्पादन का 40.35 प्रतिशत से 52.26 प्रतिशत के मध्य रहा।

संगठनात्मक संरचना

2.1.2 31 मार्च 2015 की स्थिति में, कम्पनी का प्रबंधन, अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल, जिसमें प्रबंध निदेशक समेत आठ निदेशक हैं, में निहित है ।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र की संचालन गतिविधियों की निगरानी, मुख्य महा प्रबंधक द्वारा की जाती है इनके पाँच सहायक उप मुख्य महा प्रबंधक तथा बीस महा प्रबंधक (जी. एम) विद्युत केन्द्र की रोजमर्रा की संचालन व संधारण गतिविधियों की निगरानी करते हैं । संगठन संरचना **परिशिष्ट 2.1.2** में दी गई है ।

समीक्षा लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 समीक्षा लेखापरीक्षा निम्न बिन्दुओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्पन्न की गई:

- क्या विद्यमान संयंत्र की क्षमता के अधिकाधिक दोहन हेतु योजना तैयार एवं लागू की गई तथा संयंत्र मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त कर पा रहा है ।
- क्या संयंत्र में त्रुटियों को न्यूनतम तथा संयंत्र उपयोगिता को अधिकतम करने हेतु निवारक तथा विभाजक संधारण कार्य समय पर किए गए ।
- क्या क्रय तथा समन्वय हेतु दिए गए ठेकों का प्रभावी व कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया जा रहा है ।
- क्या संयंत्र पर्यावरणीय नियमों तथा वैधानिक बाध्यताओं का अनुपालन का रहा है ।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.4 समीक्षा लेखापरीक्षा हेतु मापदण्ड निम्न स्रोतों से रेखांकित किए गए:

- विद्युत केन्द्रों के संचालन तथा संधारण के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/राज्य शासन/विद्युत नियामक आयोग (केन्द्रीय तथा राज्य) द्वारा जारी नियम/दिशानिर्देश
- विद्युत उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधी, नियम व निर्देश
- कम्पनी की उपज/खरीद नीति के अनुसार निविदा तथा ठेके प्रदाय करने की निर्धारित प्रक्रिया एवं उसका क्रियान्वयन

लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2.1.5 समीक्षा लेखापरीक्षा संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के 2010-11 से 2014-15 की अवधि के प्रदर्शन को सम्मिलित करते हुए सम्पन्न की गई । प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के साथ प्रवेश सम्मेलन 06 अप्रैल 2015 को रखी गई । जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा क्षेत्र पर चर्चा की गई । लेखापरीक्षा के दौरान बोर्ड एजेंडा व मिनिट्स की समीक्षा की गई । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के प्रदर्शन की जांच की गई । संधारण योजनाओं की रचना तथा उन्हे लागू करना एवं पर्यावरणीय अनुपालनों की जांच की गई । प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के साथ निकास सम्मेलन 16 अक्टूबर 2015 को सम्पन्न हुई । सरकार द्वारा प्रदत्त उत्तर तथा निकास सम्मेलन में सरकार के विचार उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए हैं ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 हेतु 44083 एम.यू. का उत्पादन लक्ष्य दिया गया था । यद्यपि वह मात्र 39390.010 एम.यू. ही उत्पादन कर पाया जो कि 4692.990 एम.यू. (10.64 प्रतिशत) कम था। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.3** में दिया गया है। ऐसा मुख्यतः संचालन मानकों को प्राप्त करने हेतु संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग हेतु कार्य योजना बनाने तथा लागू करने, उपकरणों को तय क्षमता पर चलाने योग्य बनाए रखने हेतु नियमित संधारण तथा आगामी कंडिकाओं में चर्चा किए गए अन्य कारणों में संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र की असफलता के कारण हुआ ।

योजना तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ की अकुशल कार्यशैली


2.1.7 संयंत्र के कार्मिक प्रदर्शन की बेहतरी तथा समग्र कुशलता तथा दक्षता प्राप्त करने हेतु योजना बनाने के लिए विद्युत केन्द्र में एक समर्पित योजना तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी थी । यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उक्त प्रकोष्ठ द्वारा कोई भी मुख्य योजना बनाई या लागू नहीं की गई । इसके फलस्वरूप उत्पादन केन्द्र संचालनात्मक समस्याओं का निरंतर सामना करता रहा एवं मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न संचालन मानकों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका । सरकार ने लेखापरीक्षा कंडिका को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि प्रकोष्ठ 21 व्यक्तियों की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध मात्र छः व्यक्तियों के साथ कार्य कर रहा है । अतः प्रकोष्ठ की कार्यशैली में कुछ कमियां हैं ।

सुझाव :

प्रबंधन को संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु कार्य योजनाएं बनाने तथा लागू करने के लिए प्रबंधन प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने के कदम उठाने चाहिए ।

संचालनात्मक प्रदर्शन तथा संधारण कार्य

2.1.8 ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया व सममित आरेख नीचे दिया गया है।



संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत गृह-I, II, III की 2010-11 से 2014-15 की संचालनात्मक प्रदर्शन तथा संधारण कार्यों की समीक्षा में निम्न कमियां पाई गई :-

विद्युत गृह -I

2.1.9 विद्युत गृह (विद्युत गृह-I) में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाईयां सन 1993 व 1994 से कार्यरत है । वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह ने 12148 एम.यू. के लक्ष्य के विरुद्ध 10626.180 एम.यू. ऊर्जा का उत्पादन किया। उत्पादन में लक्ष्य के विरुद्ध कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत रही, जैसा नीचे दर्शाया गया है ।

तलिका 2.1.1

वर्ष	लक्ष्य (एम.यू.में.)	उत्पादन (एम.यू.)	कमी (%में)
2010-11	2058	1910.80	7.15
2011-12	2100	2037.70	2.97
2012-13	2771	2602.07	6.10
2013-14	2513	2296.13	8.63
2014-15	2706	1779.48	34.24
कुल	12148	10626.18	

उक्त विद्युत गृह का संचालनात्मक प्रदर्शन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से निम्न था जैसा नीचे चर्चा की गई है :

अधिक स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.)

2.1.10 स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.), ताप विद्युत केन्द्र की कुशलता को मापने का मापदण्ड है, जो एक किलो वाट (कि.वा.) ऊर्जा के उत्पादन के लिए वांछित ताप को किलो कैलोरी में दर्शाता है । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत गृह I हेतु वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 से 2014-15 के लिए 2700 किलो कैलोरी, 2650 किलो कैलोरी, तथा 2600 किलो कैलोरी क्रमशः का एस.एच.आर. का लक्ष्य निर्धारित किया था । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के एस.एच.आर. लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त वर्षों में ताप दक्ष्यता¹ 31.85 प्रतिशत, 32.45 प्रतिशत तथा 33.08 प्रतिशत होनी चाहिए थी ।

हमने पाया कि (विद्युत गृह I में एस.एच.आर.) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 189.67 किलो कैलोरी से 450.40 किलो कैलोरी अधिक था । अधिक एस.एच.आर. के फलस्वरूप विद्युत गृह I की ताप दक्ष्यता में कमी 2.09 प्रतिशत से 4.89 प्रतिशत के मध्य रही । इसके फलस्वरूप ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत 2010-11 से 2014-15 के दौरान हुई जैसे **परिशिष्ट 2.1.4** में दर्शाया गया है ।

उच्च एस.एच.आर. की वजह, प्रमुख संचालनात्मक मानकों से भटकाव जैसे कि, उच्च मुख्य भाप तापमान, बॉयलर के सूपर हीटर व री-हीटर क्षेत्र में कंपन, भट्टी अस्थिरता, कोयले की खराब गुणवत्ता, पुनर्चक्रित जल का अधिक उपयोग एवं इकाई को आंशिक भार पर चलाना है । ऐसा विद्युत गृह के प्रदर्शन की बेहतरी के लिए पूँजीगत नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य न करने के अनियमित संधारण कार्यों के कारण बॉयलर के महत्वपूर्ण उपकरणों (प्राथमिक हवा पंखा, इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट पंखा, फोर्सड ड्राफ्ट पंखा, टरबाइन चलित पंप) के अनियमित संचालन के कारण हुआ ।

विद्युत गृह I संचालनात्मक मानकों से विमुख होने के कारण एस.एच.आर. लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका। जिसके फलस्वरूप ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत हुई ।

¹ यह कुल ताप उत्पादन का वास्तविक ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तन (प्रतिशत में) की गणना में बॉयलर की दक्ष्यता को मापता है ।

आगे, हमने पाया कि कम्पनी ने विद्युत गृह का एस.एच.आर. घटाने व ताप विद्युत केन्द्रों की संचालनात्मक दक्षता को बढ़ाने हेतु अप्रैल 2014 में संचालनीय दिशा निर्देश जारी किए थे । यद्यपि उत्पादन केन्द्र ने वर्ष 2014-15 में भी दिशा निर्देशों को अप्रभावी ढंग से लागू करते हुए अधिक एस.एच.आर. ही दर्ज किया ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह I की इकाईयां बहुत पुरानी है एवं कोष में कमी के कारण मरम्मत व संधारण पर पर्याप्त खर्च/पूँजीगत निवेश नहीं किया जा सका । अतः एस.एच.आर. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा रहा ।

तथ्य शेष है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग संचालनात्मक लक्ष्य निर्धारित करते समय इकाईयों की क्रियाशील स्थिति को ध्यान में रखता है । अतः निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए ।

सुझाव :

प्रबंधन को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित एस.एच.आर. लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारणों को संबोधित करते हुये कार्य योजना का सृजन व क्रियान्वयन करना चाहिए ।

अधिक ईंधन तेल खपत

भट्टी अस्थिरता, बहुधा आउटेज आदि के कारण ₹ 41.63 करोड़ मूल्य के 9573.49 कि. ली. ईंधन तेल की अधिक खपत हुई

2.1.11 ताप उत्पादन केन्द्र, इकाई को चालू करने में सहायता तथा भट्टी/अग्नि के स्थायित्व प्राप्त करने हेतु द्वितीय ईंधन के रूप में ईंधन तेल (भारी ईंधन तेल व हल्का डीजल तेल) का प्रयोग करते हैं । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए विद्युत गृह I हेतु 1.15 मि.लि. प्रति के.डब्ल्यू.एच. का ईंधन तेल खपत का लक्ष्य निर्धारित किया था ।

हमने पाया कि विद्युत गृह I की इकाईयों ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 494.050 कि.ली. से 3512.580 कि. ली. अधिक ईंधन तेल उपभोग किया । इस अवधि में कुल ₹ 41.63 करोड़ मूल्य का 9573.49 कि.ली. अधिक ईंधन तेल उपभोग किया, जैसा कि परिशिष्ट 2.1.5 में वर्णित किया गया है ऐसा मुख्यतः कोयला मिलों में संचालनीय समस्याएं, खराब बंकर पोषण, भट्टी अस्थिरता बहुधा बाध्यकारी आउटेज, हॉट स्टार्ट प्रारंभ आदि कारणों से हुआ । यह, कोलरियों से समन्वय स्थापित करने हेतु अनुबंधित समन्वयक की नियुक्ति के उपरांत भी कोयला खानों से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की अनुपलब्धता, कोयला हैडलिंग संयंत्र की समस्याओं एवं विद्युत गृह में पूँजीगत नवीनीकरण एवं संधारण कार्य न करने के कारण हुआ ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह I की इकाईयां पुरानी है एवं वित्तीय कमी के कारण पूँजीगत संधारण कार्यों हेतु पर्याप्त कोष उपलब्ध न होने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं किया जा सका ।

तथ्य शेष है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग क्रियाशील स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही लक्ष्य निर्धारित करता है । अतः निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिये ।

अधिक सहायक खपत

2.1.12 सहायक खपत, सामान्य सेवाओं/उपकरणों को चलाने हेतु उत्पादक संयंत्र द्वारा आंतरिक रूप से उपयोगित ऊर्जा को दर्शाता है। संयंत्र की कार्मिक क्षमता व बनावट को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग सहायक ऊर्जा खपत का लक्ष्य निर्धारित करता है।

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह I ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से 1.11 प्रतिशत से 3.20 प्रतिशत तक अधिक सहायक ऊर्जा खपत दर्ज की। फलस्वरूप ₹ 63.51 करोड़ मूल्य की 212.784 एम.यू. अधिक सहायक ऊर्जा का उपभोग किया गया जैसा की **परिशिष्ट 2.1.6** में वर्णित है।

वर्ष 2006-07 में मेसर्स इलेक्ट्रिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन (इरडा) द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन (फरवरी 2011) के अनुसार कई सहायक उपकरण अपनी क्षमता से निम्न क्षमता पर कार्य संचालित हो रहे थे जिसके कारण सहायक ऊर्जा का अधिक उपभोग हो रहा है।

हमने पाया कि मेसर्स इरडा द्वारा सहायक ऊर्जा खपत कम करने हेतु दिए सुझावों को जून 2015 तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप कोई देखने योग्य सुधार नहीं हुआ व सहायक ऊर्जा खपत मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग मानकों से अधिक बनी रही।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि पुराने हो जाने के कारण उपकरणों की कार्य कुशलता कम हो गई है व ऊर्जा खपत बढ़ गई है। आगे, वित्तीय कमी के चलते पूंजीगत कार्य, संधारण व सुधार कार्य हेतु कोष उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। अतः मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्राप्त नहीं किया जा सके।

यह तथ्य है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग संयंत्र की कार्यरत स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही संचालन मानक निर्धारित करता है। अतः निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना ही चाहिए।

प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.)

2.1.13 प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.) निर्धारित अवधि में विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्र की उपलब्धता दर्शाता है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह I व विद्युत गृह II हेतु 80 प्रतिशत पी.ए.एफ. का लक्ष्य निर्धारित किया था।

विद्युत गृह की उत्पादन लागत में परिवर्तनशील लागत व स्थायी लागत दोनों सम्मिलित होती है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग प्रबंधन द्वारा प्रदत्त स्थायी लागत के समस्त घटकों के अध्ययोपरांत स्थायी लागत स्वीकृत करता है। जो कि उत्पादन ट्रैरिफ के माध्यम से वर्ष भर में वसूली जा सकती है। यदि, वास्तविक पी.ए.एफ. लक्ष्यित पी.ए.एफ. से कम रहता है तो स्थायी लागत कि वार्षिक वसूली उसी अनुपात में कटौती कर दी जाती है।

पी.ए.एफ. लक्ष्य की अप्राप्ति के कारण मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत में से ₹ 379.20 करोड़ कम वसूली हो सकी।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पी.ए.एफ. लक्ष्य, स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर (एस.एल.डी.सी.)² द्वारा प्रमाणित वास्तविक पी.ए.एफ., मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत तथा वसूली गई वास्तविक स्थायी लागत का विवरण निम्नानुसार है:

तलिका 2.1.2

वर्ष	विद्युत गृह I एवं II				
	पी.ए.एफ. (%)		स्थायी लागत (₹ करोड़ में)		
	आयोग लक्ष्य	एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रमाणित पी.ए.एफ.	आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत	कम्पनी द्वारा वसूला गया	वसूली में कमी
2010-11	80	53.96	411.87	277.78	134.09
2011-12	80	64.17	378.64	320.28	58.36
2012-13	80	72.24	429.60	387.91	41.69
2013-14	80	74.86	467.94	437.90	30.04
2014-15	80	58.34	424.82	309.80	115.02
कुल			2112.87	1733.67	379.20

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी

तलिका 2.1.2 से देखा जा सकता है कि विद्युत गृह I व विद्युत गृह II द्वारा प्राप्त पी.ए.एफ. , लक्षित पी.ए.एफ. का मात्र 53.96 प्रतिशत से 74.86 प्रतिशत ही रहा। इसके फलस्वरूप विद्युत गृह I व विद्युत गृह II के संदर्भ में 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 379.20 करोड़ को स्थायी लागत की कम वसूली हुई। विद्युत गृह I व विद्युत गृह II द्वारा लक्षित पी.ए.एफ. प्राप्त न करने की मुख्य वजह बहुतायत बाध्यकारी आउटटेज थे। विद्युत गृह I व विद्युत गृह II में 231 बाध्यकारी आउटटेजों में 7875 घंटो तथा 247 बाध्यकारी आउटटेजों में 7807 घंटो की क्रमशः हानि हुई। ऐसा बॉयलर के कई महत्वपूर्ण उपकरणों के अनुचित कार्य करने, विद्युत गृह के वार्षिक संधारण कार्यों के अभाव में नलियों में हुये रिसाव, कोयले की अनियमित आपूर्ति आदि कारणों से हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि बाध्यकारी आउटटेजों के अतिरिक्त कोयले की कम आवक भी पी.ए.एफ. में कमी का कारण रही।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि एस.जी.टी.पी.एस. में वांछित गुणवत्ता वाले कोयले की निर्धारित आपूर्ति के लिए समन्वयक नियुक्त किया हुआ है। तथा आयोग संयंत्र की कार्मिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही पी.ए.एफ. लक्ष्य निर्धारित करता है।

तल व फलाई राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा

2.1.14 ताप विद्युत गृहों में कोयला मिलों में पिसा हुआ कोयला नलियों से होता हुआ प्राथमिक हावा के द्वारा भट्टी में पहुंचाया जाता है। कोयले की बारीकी तथा भट्टी में हवा ईंधन अनुपात का असर कोयले के दहन³ तथा भट्टी के प्रदर्शन पर पड़ता है। अतः बॉयलर की अधिकाधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए वांछित बारीक कोयले व हवा-ईंधन अनुपात बनाए रखना आवश्यक हैं वांछित बारीक कोयल व हवा-ईंधन अनुपात न बनाये रखने के फलस्वरूप अनियमित दहन के कारण तल व फलाई राख में अधजले कोयले की मात्रा बढ़ जाती है। विद्युत गृह I में बॉयलर के प्रकार के अनुसार तल राख व फलाई राख में अधजले कोयले की सीमा क्रमशः चार प्रतिशत व एक प्रतिशत है।

² एस.एल.डी.सी. राज्य में विद्युत की उचित अनुसूचना व निकास के लिये उत्तरदायी है तथा यह प्रत्येक विद्युत गृह द्वारा प्राप्त पी.ए.एफ. को प्रमाणित करता है। मध्य प्रदेश में यह ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा संचालित है

³ दहन से तात्पर्य ईंधन की त्वरित ऑक्सीडेशन से है। किसी भी ईंधन का पूर्ण दहन पर्याप्त आक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है।

एस.जी.टी.पी.एस. की रासायनिक प्रतिवेदन में हमने पाया कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान विद्युत गृह I में तल राख में अधजले कोयले का प्रतिशत 1.15 प्रतिशत से 14.80 प्रतिशत तथा फलाई राख में यह 0.35 प्रतिशत से 2.37 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि बॉयलर में दहन उपयुक्त नहीं था।

अनुचित दहन का मुख्य कारण कोयला नलियों से लिए गए नमूनों की मानवीय विश्लेषण पद्धति में अधिक समय लगने के कारण कोयला मिलों की सेटिंग की देरी तथा बॉयलर से निकासित फ्लू गैस में ऑक्सीजन के अनुपात को नियंत्रित करने हेतु लगे आक्सीजन नियंत्रक का खराब प्रदर्शन था।

कोयले की बारीकी को नियंत्रित करने वाले उपकरण के अभाव में बायलर में पूर्ण दहन न होने के कारण तल व फलाई राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा से ₹ 27.67 करोड़ मूल्य के 79648.529 एम. टी. कोयले की हानि।

एस.जी.टी.पी.एस. में अनियमित दहन की समस्या के समाधान हेतु कोयले की बारीकी मापने के लिये लेजर चलित ऑनलाइन कोयला साइजर का परीक्षण किया गया (दिसम्बर 2008) जिसके संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हुए। यद्यपि उक्त उपकरण 2014–15 तक भी एस.जी.टी.पी.एस. में अज्ञात कारणों से खरीदे व लगाये नहीं जा सके। फलस्वरूप ₹ 27.67 करोड़ मूल्य के 79648.529 एम. टी. कोयले की परिहार्य हानि हुई जैसा **परिशिष्ट 2.1.7** में वर्णित है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि एस.जी.टी.पी.एस. में ऑनलाइन कोल साइजर इसलिए नहीं लगाए गए क्योंकि यह देश के किसी भी अन्य ताप विद्युत केन्द्र में नहीं लगाये गए हैं।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि स्वयं कम्पनी ने इस उपकरण को लगाने के उपरान्त ₹ 6.23 करोड़ वार्षिक की बचत की गणना की या (मार्च–नवम्बर 2013)। आगे, उक्त उपकरण का परीक्षण (दिसम्बर 2008) एस.जी.टी.पी.एस. द्वारा सफल पाया गया था।

सुझाव :

प्रबंधन को राख में अधजले कोयले की मात्रा में कमी लाने व कोयले के अधिकतम उपयोग हेतु उक्त उपकरण यथाशीघ्र स्थापित करना चाहिए।

ओवरऑल में विलम्ब के फलस्वरूप उत्पादन हानि

2.1.15 हमने पाया कि विद्युत गृह I की इकाईया बहुत पुरानी हैं व 20 वर्ष तक सेवाएँ देने के बाद भी इनके वार्षिक ओवरऑल में 10 माह का विलम्ब हुआ। (इकाई I में अक्टूबर 2013 से जुलाई 2014 एवं इकाई II में अक्टूबर 2012 से जुलाई 2013) तथा इकाई I 23 बार ठप हुई जिससे ₹ 35.53 करोड़ मूल्य की 108.986 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई तथा इकाई क्रमांक II 11 बार ठप हुई जिससे ₹ 16.62 करोड़ मूल्य की 47.210 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई।

वार्षिक ओवरऑल में हुये विलंब के कारण ₹ 52.15 करोड़ मूल्य की 156.196 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2015) कि इकाइयों का वार्षिक ओवरहाल कई घटकों जैसे इकाई का प्रदर्शन, तकनीकी आवश्यकता तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्पादन क्षमता की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए तय किया जाता है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि इकाइयों की आयु व बारम्बार इकाई ठप होने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ओवरहाल निर्धारित समय पर होना चाहिए।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने कम्पनी को निर्देश दिया कि इकाइयों के प्रदर्शन को सुधारने हेतु वार्षिक ओवरहाल सूची का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

सुझाव :

संयंत्र की आयु व बारंबार ट्रिपिंग्स को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधन को वार्षिक ओवरऑल के निर्धारित कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

कोयला मिलों की बारंबार खराबियों से उत्पादन हानि

2.1.16 बॉयलर भट्टी में वांछित बारीकी के कोयले के निर्बाधित प्रदाय हेतु विद्युत गृह I में 12 कोयला मिले लगाई गई है। इनमें से दो आपातकालीन मिलें हैं।

हमने पाया कि विद्युत गृह I में 2010-11 से 2014-15 के दौरान कोयला मिलें 1008 घंटे खराब रही जिससे ₹ 204.48 करोड़ मूल्य की 658.976 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई। आगे, कोयला मिलों की खराबी के कारण भट्टी की अस्थिरता से उबरने के लिए विद्युत गृह I ने ₹ 12.99 करोड़ मूल्य के 3094.90 कि.ली. ईंधन तेल का अधिक उपभोग किया जैसा **परिशिष्ट 2.1.8** में वर्णित है। विद्युत गृह I में कोयला मिलों हेतु ₹ 3.09 करोड़ के रोकथाम संधारण अनुबंध व ₹ 1.82 करोड़ के नियमित संधारण अनुबंधों के उपरान्त भी ऐसा खराब प्रदर्शन देखने को मिला।

आगे हमने पाया कि 8000 घंटों की अपेक्षित आयु के विरुद्ध कोयला मिलों के पिसाई तत्वों की वास्तविक आयु 2884 से 6464 घंटे ही रही। घिसाई तत्वों के अपरिपक्व निष्फल होने व कोयला मिलों की बहुधा आउटेज का मुख्य कारण कोयला मिलों में बाहरी तत्वों जैसे पत्थर, लौह कण, नट-बोल्ट, बड़े हथौड़े का कोयले के साथ कोयला मिलों में पहुंच जाना है। कोयला मिलों के भौतिक सत्यापन के दौरान हमने पाया कि कोयले के प्रदाय बिन्दु पर लगी छन्नी क्षतिग्रस्त अवस्था में थी जिससे बाहरी सामग्री कोयला फीडर तक आसानी से पहुंच जाती है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह I की कोयला मिले स्थापना के बाद से ही निरंतर संचालित रही है व इनमें से कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे कहा गया कि घिसाई तत्वों की प्राप्त कार्मिक आयु को दृष्टिगत रखते हुए धातुकर्मी में सुधार किया गया है।

सुझाव :

कोयला मिलों के प्रदर्शन में सुधार हेतु प्रबंधन को कोयला मिलों में बाह्य तत्वों के प्रवेश की रोकथाम के लिए कोयले के आदान/प्रदान की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए।

री-हीटर नलियों न बदलने से उत्पादन हानि

2.1.17 री-हीटर नलियाँ बॉयलर दबाव क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग है। विद्युत गृह I की इकाई-I में री-हीटर नलियाँ स्थापना से ही क्रियाशील है (1993) व 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है। हमने पाया कि इकाई-I 2010-11 से 2014-15 के दौरान री-हीटर नलियाँ मे रिसाव के कारण ठप हुई।

हमने आगे पाया कि इकाई-II के शेष आयु आंकलन (आर.एल.ए.) में सलाहकार ने (2007-08) ने पाँच वर्षों में एक बार री-हीटर नलियाँ बदलने का सुझाव दिया था। यद्यपि यह सुझाव इकाई-II में अपनाया गया किन्तु री-हीटर नलियों की जीर्ण अवस्था के उपरान्त भी इकाई-I में नहीं लागू किया गया (जून 2015 की स्थिति में) री-हीटर नलियों को बदलने में देरी का मुख्य कारण एस.जी.टी.पी.एस. में अपनाई गई त्रुटिपूर्ण क्रय व्यवस्था

बायलर में री-हीटर नलियाँ न बदलने के कारण बाध्यकारी आउटेजो से ₹ 30.45 करोड़ मूल्य की उत्पादन हानि हुई

है, जिसके तहत कंपनी के क्रय संहिता (2012-13) के अनुसार प्रथम वाक्ये (सितम्बर 2013) में निविदाएँ आमंत्रित करने के बजाय एक ही पार्टी से ऑफर आमंत्रित किया गया।

इस देरी की अवधि में एस.जी.टी.पी.एस. ने री-हीटर नलियाँ न बदलने से हुए आउटेजो के कारण स्थायी लागत पर ₹ 3.21 करोड़ तथा ₹ 30.45 करोड़ मूल्य की 85.05 एम. यू. की उत्पादन हानि वहन की सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि री-हीटर नलियों को बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है जो कि 2016-17 तक बदल दी जायेंगी।

ग्रेविमैट्रिक कोल फीडर स्थापित न करना

2.1.18 ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की अधिकाधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु बॉयलर भट्टी में प्रदाय के पूर्व कोयले की सही मात्रा का माप करना आवश्यक है। बॉयलर में प्रदत्त कोयले के माप हेतु विद्युत गृह I व II में वाल्यूमेट्रिक कोयला फीडरों की पद्धति स्थापित है, जो कि बॉयलर भट्टी में उपभोग के लिए कोयले की वांछित मात्रा मापने का सटीक तरीका नहीं है। सचिव (ऊर्जा) म. प्र. शासन (अप्रैल 2010) के निर्देशों के अनुपालनार्थ कम्पनी के निदेशक मण्डल ने एस.जी.टी.पी.एस. के विद्युत गृह I व II में माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर (एम.पी.सी.) प्रकार के ग्रेविमैट्रिक कोयला फीडर स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया (सितम्बर 2010)।

विद्युत गृह I व II में ग्रेविमैट्रिक कोल फीडर की स्थापना न करने से ₹ 63.60 करोड़ मूल्य के कोयले का अधिक उपभोग हुआ।

15 वर्ष की अपेक्षित आयु वाले ₹ 30 करोड़ मूल्य के उपकरण का पे-बैक अवधि 18 माह थी। कम्पनी ने इस उपकरण की स्थापना से तीन प्रतिशत वार्षिक अर्थात् ₹ 21.20 करोड़⁴ मूल्य के 130683 एम.टी. कोयले की बचत की गणना की थी। यद्यपि कम्पनी ने जून 2015 की स्थिति में विद्युत गृह I व II में उक्त उपकरण लगाने के आदेश नहीं दिए हैं। फलस्वरूप, ₹ 63.60 करोड़⁵ मूल्य के कोयले की बचत नहीं की जा सकी।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2015) कि एस.जी.टी.पी.एस. में उक्त उपकरण स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। तथ्य रह जाता है कि निदेशक मंडल की स्वीकृति के पाँच वर्ष उपरान्त भी कम्पनी उपकरण स्थापित करने में असफल रही।

सुझाव :

प्रबंधन कम्पनी को कोयले की बड़ी बचत व मात्र 18 माह के पेबैक अवधि को दृष्टिगत रखते हुए ग्रेविमैट्रिक कोयला फीडर तुरंत स्थापित करने चाहिए।

बस बार प्रोटेक्शन प्रणाली स्थापित न करना

2.1.19 विद्युत गृह I व II में उत्पादित विद्युत 220 कि.वा. की बस बार से तथा विद्युत गृह III की विद्युत 400 कि.वा. बस बार⁶ के माध्यम से निकासित होती है। उक्त दोनों बस बार ग्रिड की आवश्यकतानुसार उत्पादित ऊर्जा के हस्तांतरण हेतु एक इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर (आई.सी.टी.) के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

बस बार के किसी एक क्षेत्र में उत्पन्न त्रुटि में समस्त शेष बस बार क्षेत्र की स्व-ट्रिपिंग द्वारा रक्षा हेतु बस बार सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जानी थी। उक्त प्रणाली 400 कि. वा. बस बार में उपलब्ध थी किन्तु 220 कि. वा. बस बार में स्थापित नहीं थी।

⁴ ₹ 21.20 करोड़ (कोयला उपभोग में बचत 130683 एम. टी. x कोयले का मूल्य ₹ 1662 प्रति एम.टी.)

⁵ ₹ 21.20 करोड़ की बचत x 3 वर्ष (2012 से 2015) 18 माह की कार्य पूर्ण अवधि को छोड़कर

⁶ इस प्रतिवेदन में वर्णित बस बार का कार्य वेबसाइट पर उपलब्ध साहित्य 'नेटवर्क प्रोटेक्शन एण्ड ऑटोमेशन गाइड' पर आधारित है।

हमने पाया कि पश्चिमी क्षेत्र लोड डिस्पैच केन्द्र (डब्ल्यू. आर. एल. डी. सी.) 220 कि. वा. बार बस में बस बार सुरक्षा प्रणाली हेतु निवेदन कर रहा था (अक्टूबर 2013) से किन्तु एस. जी.टी.पी.एस. ने अभी तक (जून 2015) 220 कि. वा. बस बार सुरक्षा प्रणाली स्थापित नहीं की।

हमने आगे पाया कि, विद्युत गृह I की इकाई II को प्रज्वलित करते समय 220 कि. वा. बस बार में दुर्घटना हुई (13 नवम्बर 2014) तथा बस बार सुरक्षा प्रणाली के अभाव में 220 कि. वा. बस बार से जुड़े समस्त फीडर ठप हो गए। इसके फलस्वरूप इकाई II 99 घंटों तक बंद रही जिससे ₹ 3.95 करोड़ मूल्य की 10.43 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने कहा कि (सितम्बर 2015) कि बस बार सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है एवं इस वर्ष के अंत तक स्थापित कर ली जावेगी।

संयंत्र व मशीनों के रख-रखाव न करने से आंशिक उत्पादन हानि-

2.1.20 अधिकाधिक संचालनीय दक्षता प्राप्त करने हेतु उत्पादन इकाईयों को पूर्ण भार पर संचालित होना चाहिए। हमने पाया कि विद्युत गृह I ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान आंशिक भार पर संचालित होने के कारण 3392.852 एम.यू.⁷ की उत्पादन हानि वहन की। जैसा **परिशिष्ट 2.1.9** में वर्णित है। उक्त गणना मैरिट ऑर्डर डिस्पैच (एम.ओ.डी.)⁸ प्रणाली के तहत इकाई के बैकिंग डाउन को हटा कर की गई है।

एस.जी.टी.पी.एस. के आंशिक उत्पादन हानि से संबंधित लेखों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि इकाईयों को आंशिक भार पर चलाने के लिए मुख्य कारण, कोयला हैण्डलिंग संयंत्र में बहुधा संचालनीय समस्याएँ, बॉयलर के विभिन्न क्षेत्रों में नलियों में रिसाव, प्रमुख सहायक उपकरणों की खराबी, कोयले का अनुचित भंडारण, फ्लू गैस क्षेत्रों की खराबी डक्टिंग, निम्न वैक्यूम दाब आदि हैं, जो कि परिहार्य हैं। उक्त कारणों से विद्युत गृह I में हुई आंशिक हानि व प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.)⁹ नीचे दिए गए हैं -

तालिका 2.1.3

वर्ष	आंशिक हानि			प्राप्त पी.एल.एफ.		
	वास्तविक आंशिक हानि (एम.यू.)	उपलब्ध क्षमता के विरुद्ध आंशिक हानि की सीमा (%)		वास्तविक कार्मिक घंटों के विरुद्ध प्राय पी.एल.एफ. (%)	वास्तविक कार्मिक घंटों के विरुद्ध प्राप्त वास्तविक पी.एल.एफ. (%)	पी.एल.एफ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी (%)
		न्यूनतम	सर्वाधिक			
2010-11	1052.076	23.34	54.25	81.46	51.94	29.53
2011-12	704.891	17.40	42.18	77.32	55.38	21.93
2012-13	658.571	16.46	34.42	91.30	70.72	20.57
2013-14	433.020	20.85	27.43	34.74	62.41	20.30
2014-15	604.964	20.83	39.22	67.79	48.37	19.43
कुल	3453.522					

हमने देखा कि संयंत्र व मशीनरी के रख-रखाव हेतु एस.जी.टी.पी.एस. में वार्षिक ओवरहाल/पूँजीगत ओवरहाल के अतिरिक्त ₹ 19.55 करोड़ के निरोधात्मक संधारण व नियमित संधारण अनुबंध भी थे। इस संधारण पद्धति के उपरांत भी विभिन्न उपकरणों में

⁷ हानि की गणना समस्त परिहार्य कारणों से कुल आंशिक हानि 3453.522 एम.यू. में से प्रतिवर्ष जुलाई से सितम्बर माह के मध्य प्राप्त खराब कोयले के कारण आंशिक हानि (60.67 एम.यू.) घटा कर की गई है।

⁸ एम.ओ.डी. अर्थात् मैरिट ऑर्डर डिस्पैच के तहत विद्युत केन्द्र की लागत कार्यकुशलता के अनुसार उसे उत्पादन सारणी में स्थान मिलता है। अर्थात् न्यूनतम उत्पादन लागत वाले संयंत्र को प्राथमिकता देते हुए महंगी उर्जा वाले संयंत्र बैकिंग डाउन में बन्द कर दिये जाँएंगे।

⁹ प्लांट लोड फैक्टर दर्शाता है कि विद्युत गृह में कार्यरत इकाई कितनी क्षमता पर चल रही है।

बहुधा समस्याएँ थी जिसके चलते इकाइयों को मजबूरन आंशिक भार पर चलाना पड़ा जिसके फलस्वरूप 3392.582 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि परिहार्य कारणों से होने वाली आंशिक हानि को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सुझाव :

इकाइयों के प्रदर्शन को सुधारने हेतु कम्पनी को आंशिक भार पर इकाइयों के संचालन के लिए उत्तरदायी घटकों को सम्बोधित करना चाहिए।

विद्युत गृह I का समग्र प्रदर्शन

2.1.21 उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी दर्शाती है कि विद्युत गृह I वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका एवं यह कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत के मध्य रही। विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि यह म. प्र. विद्युत नियामक आ. द्वारा निर्धारित मानको को प्राप्त नहीं कर सका तथा उच्च एस. एच. आर., ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत व निम्न पी. ए. एफ. के कारण उक्त अवधि में अधिक खर्च भी वहन किया। ऐसा, उपलब्ध संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग हेतु अपर्याप्त योजना, खराब गुणवत्ता के कोयले, संयंत्र व मशीनरी का अनियमित रख-रखाव, कोयले के सटीक माप हेतु वांछित उपकरण की अनुपलब्धि तथा सामयिक रूप से पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों के न होने के कारण हुआ।

विद्युत गृह II

2.1.22 विद्युत गृह II में 210 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाइयाँ हैं जो सन् 1998 व 1999 से सेवा में हैं। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II ने 13652 एम. यू. के लक्ष्य के विरुद्ध 11016.610 एम. यू. विद्युत उत्पादन किया। उत्पादन में 13.98 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत कमी रही जैसा नीचे दर्शाया गया है -

तालिका 2.1.4

वर्ष	लक्ष्य (एम. यू. में)	उत्पादन (एम. यू. में)	कमी %
2010-11	3553	2144.93	39.63
2011-12	2325	2499.00	नहीं
2012-13	2944	2532.46	13.98
2013-14	2566	2012.73	21.25
2014-15	2274	1827.49	19.64
योग	13652	11016.61	

उक्त विद्युत गृह का प्रदर्शन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से निम्न रहा, जैसा नीचे चर्चा की गई है।

अधिक स्टेशन हीट रेट (एस. एच.आर.)

2.1.23 कंडिका 2.1.10 में की गई चर्चा के अनुरूप, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 से 2014-15 के लिए विद्युत गृह II हेतु 2700 कि. कैल, 2650 कि. कैल व 2600 कि. कैल क्रमशः का एस. एच. आर. का लक्ष्य निर्धारित किया था। म. प्र. विद्युत नियामक आयोग के एस. एच. आर. लक्ष्य के अनुसार उक्त अवधि के दौरान विद्युत गृह II की ताप दक्षता 31.85 प्रतिशत, 32.45 प्रतिशत व 33.08 प्रतिशत होनी चाहिए थी।

हमने पाया कि एस. एच. आर., आयोग द्वारा निर्धारित मानको से अधिक रहा। 2010-11 से 2014-15 के दौरान एस. एच. आर. उपयोगिता आधिक्य 44.18 कि. कैल से 747.61 कि. कैल के बीच रहा जिससे, ताप दक्षता में 0.47 प्रतिशत से 7.39 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसके फलस्वरूप ₹ 276.36 करोड़ मूल्य के 7.57 लाख एम.टी. अधिक कोयले की खपत हुई। जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.10** में वर्णित है।

ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालनीय मानकों से विमुख होने के कारण हुआ जैसा कि कंडिका 2.1.10 में वर्णित है। यह विद्युत गृह के प्रदर्शन को सुधारने हेतु सामयिक पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों तथा वार्षिक संधारण कार्यों के अभाव/विलंब के चलते बॉयलर के महत्वपूर्ण उपकरणों के अनियमित कार्य करने के कारण हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह II की इकाइयाँ पुरानी है अतः एस. एच. आर. मानक प्राप्त नहीं किये जा सके।

तथ्य शेष रह जाता है कि आयोग संचालनीय मानक निर्धारित करते समय इकाइयों की कार्मिक स्थिति को दृष्टिगत रखता है। अतः निर्धारित मानक प्राप्त किया जाना ही चाहिए।

अधिक ईंधन तेल खपत

2.1.24 कंडिका 2.1.11 में की गई चर्चा के अनुरूप, आयोग ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए विद्युत गृह II हेतु एक मि.ली. प्रति यूनिट ईंधन तेल खपत का लक्ष्य निर्धारित किया था।

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह II ने आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 712.011 कि. ली. से 2549.519 कि. ली. अधिक ईंधन तेल का उपयोग किया। कुल ₹ 39.48 करोड़ मूल्य का 8270.37 कि. ली. ईंधन तेल अधिक उपभोग किया गया जैसा **परिशिष्ट 2.1.11** में वर्णित है। विद्युत गृह II में अधिक ईंधन तेल खपत के लिए वहीं कारक जिम्मेदार है जो **परिशिष्ट 2.1.11** में वर्णित है। यह, कोयला खदानों से उच्च गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त न होने, कोयला हैडलिंग प्लांट समस्याओं, व विद्युत गृह में पूंजीगत सघन नवीनीकरण तथा संधारण कार्यों के अभाव के कारण हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह II की इकाइयाँ पुरानी है अतः ईंधन तेल की खपत अधिक हुई।

तथ्य शेष रह जाता है कि आयोग संचालनीय मानक निर्धारित करते समय इकाइयों की कार्मिक स्थिति को दृष्टिगत रखता है। अतः निर्धारित मानक प्राप्त किया जाना ही चाहिए।

अधिक सहायक खपत

2.1.25 कंडिका 2.1.12 में की गई चर्चा के अनुरूप ही, संयंत्र की कार्मिक स्थिति के आधार पर आयोग ने वर्ष 2010-11, 2011-12 से 2012-13, 2013-14 से 2014-15 हेतु विद्युत गृह II में सहायक खपत के लिए 8.25 प्रतिशत, 8 प्रतिशत व 9 प्रतिशत क्रमशः का लक्ष्य निर्धारित किया था।

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II ने सहायक ऊर्जा खपत में 1.95 प्रतिशत से 2.76 प्रतिशत का आधिक्य दर्ज किया जिससे ₹ 80.91 करोड़ मूल्य की 254.446 एम. यू. की अधिक सहायक ऊर्जा का उपभोग हुआ। जैसा **परिशिष्ट 2.1.12** में वर्णित है।

विद्युत गृह II में अधिक सहायक ऊर्जा खपत के लिए वही कारक उत्तरदायी है जो कंडिका 2.1.12 में चर्चित है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा कि (सितम्बर 2015) विद्युत गृह II की इकाइयाँ पुरानी है अतः सहायक ऊर्जा खपत के मानक प्राप्त नहीं किए जा सके।

विद्युत गृह II मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सहायक ऊर्जा संबंधी लक्ष्यो को प्राप्त नहीं कर सका जिसके कारण 254.446 मिलियन ₹ 80.91 करोड़ उर्जा इकाई का अधिक उपभोग हुआ।

तथ्य शेष रह जाता है कि आयोग संचालनीय मानक निर्धारित करते समय इकाइयों की कार्मिक स्थिति को दृष्टिगत रखता है। अतः निर्धारित मानक प्राप्त किया जाना ही चाहिए।

तल पलाई राख में अधिक अधजला कोयला

2.1.26 जैसा कि कंडिका 2.1.14 में चर्चा की गई, हमने एस.जी.टी.पी.एस. की रसायनिक रिपोर्ट की समीक्षा में पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह II में तल राख में अधजले कोयले की मात्रा लक्षित चार प्रतिशत से 3.30 से 12.22 प्रतिशत से अधिक रही तथा पलाई राख में एक प्रतिशत से कम के मानक के विरुद्ध 0.7 प्रतिशत से 2.15 प्रतिशत अधिक रही। इसके लिए वही कारक उत्तरदायी है जिनकी चर्चा कंडिका 2.1.14 में की गई है।

विद्युत गृह II में इस समस्या से उबरने हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित नहीं थे राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा के कारण ₹ 12.38 करोड़ मूल्य के 32404.596 एम. टी. कोयले की परिहार्य हानि हुई जैसा **परिशिष्ट 2.1.13** में वर्णित है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि इस समस्या से निजात पाने के लिए आवश्यक ऑनलाइन कोयला साईजर एस.जी.टी.पी.एस. में इसलिए नहीं लगाए गए क्योंकि वह देश के किसी भी विद्युत केन्द्र में पहले स्थापित नहीं किए गए हैं।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि कंपनी के स्वआंकलन के अनुसार विद्युत गृह II में उक्त उपकरण स्थापित करने से बड़ी बचत की जा सकती है।

वार्षिक ओवरहॉल/पूँजीगत ओवरहाल में विलम्ब से उत्पादन हानि

2.1.27 कंडिका 2.1.15 में की गई चर्चा के ही अनुरूप, विद्युत गृह II में हमने पाया कि इकाइयों की अधिक उम्र व निरंतर संचालन के उपरान्त भी ए.ओ.एच./सी.ओ.एच. में निर्धारित तिथि से विलंब किया गया। इकाई-3 के वार्षिक ओवरहॉल में 18 माह का विलंब हुआ (सितम्बर 2012 से जून 2013 तथा सितम्बर 2014 से मार्च 2015) जिसके कारण इकाई 25 मौकों पर ठप हुई जिसके फलस्वरूप ₹ 84.85 करोड़ मूल्य की 231.321 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई। ऐसे ही, इकाई 4 के वार्षिक ओवरहाल में 20 माह का विलम्ब हुआ (नवम्बर 2011 से जून 2012) तथा अगस्त 2013 से जुलाई 2014 जिससे इकाई 16 बार ठप हुई तथा ₹ 42.56 करोड़ मूल्य की 126.824 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि वार्षिक ओवरहॉल की अनुसूची कंपनी की उत्पादन क्षमता व राज्य की मांग को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इकाइयों की उम्र व बहुधा ट्रिपिंग्स को दृष्टिगत रखते हुए ए. ओ.एच./सी.ओ.एच. निर्धारित समय पर किया जाना ही चाहिए। आगे, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में कंपनी को संयंत्र की आयु को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूची का पालन करने हेतु निर्देशित किया।

कोयला मिलों की बहुधा खराबी से परिहार्य उत्पादन हानि

2.1.28 कंडिका 2.1.16 में की गई चर्चा के अनुरूप, बॉयलर भट्टी में वांछित बारीक कोयले की सतत् प्रदाय हेतु विद्युत गृह II (दो इकाइयाँ) में 14 कोयला मिलें लगाई गई थी। इसमें से चार मिलें आपातकालीन हैं।

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह II की कोयला मिले 1032 घंटे बंद/खराब रही जिससे ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम.यू. की हानि हुई। आगे, निरंतर कोयला मिलों में खराबी से जनित भट्टी अस्थिरता से उबरने के लिए विद्युत गृह II में ₹ 12.84 करोड़ मूल्य के 2540 कि.ली. ईंधन तेल का अधिक उपभोग हुआ, जैसा **परिशिष्ट 2.1.14** में वर्णित है। कोयला मिलों हेतु, ₹ 2.29 करोड़ के निरोधात्मक संधारण

पर्याप्त संधारण अनुबंधों के उपरान्त भी कोयला मिलों में खराबी से ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

अनुबंध तथा ₹ 3.25 करोड़ के नियमित संधारण अनुबंध के उपरांत भी कोयला मिलों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला।

हमने आगे, पाया कि, 8000 घंटों की अपेक्षित आयु के विरुद्ध घिसाई तत्वों ने 3259 से 7636 घंटे ही सेवा दी। कोयला मिलों के खराब प्रदर्शन हेतु कंडिका 2.1.16 में चर्चित कारण ही उत्तरदायी है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि कोयला मिलों के प्रदर्शन बेहतर करने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे।

बस बार सुरक्षा प्रणाली की अनुपलब्धता

2.1.29 कंडिका 2.1.19 के अनुरूप, विद्युत गृह I व II में उत्पादित ऊर्जा के निकास हेतु स्थापित 220 कि. वा. बस बार में बस बार सुरक्षा प्रणाली के अभाव में, नवम्बर 2014 में 220 कि. वा. बस बार में हुई दुर्घटना का असर संपूर्ण बस बार में फैल गया तथा विद्युत गृह II की इकाई 3 व 4, 6 घंटे व 12 घंटे के लिए क्रमशः ठप हो गये थे जिससे ₹ 0.67 करोड़ मूल्य की 1.775 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि वर्षान्त तक बस बार सुरक्षा प्रणाली स्थापित कर ली जावेगी।

संयंत्र मशीनरी के रख-रखाव में कमी से आंशिक उत्पादन हानि

2.1.30 कंडिका 2.1.20 में की चर्चा के अनुरूप, हमने पाया कि, 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II के आंशिक भार पर संचालन के कारण 2692.646 एम. यू.¹⁰ की उत्पादन हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.9** में वर्णित है। उक्त गणना दी गई अवधि के दौरान मैरिट आर्डर डिस्पैच (एम.ओ.डी.) प्रणाली के तहत इकाई के बैकिंग डाउन को अलग रखके की गई है।

इकाई के आंशिक भार पर संचालन के कारण कंडिका 2.1.20 में चर्चित कारणों के समान ही है। विद्युत गृह II आंशिक हानि व प्राप्त प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) नीचे दिये गए हैं।

तालिका 2.1.5

वर्ष	आंशिक हानि			प्राप्त पी.एल.एफ.		
	वास्तविक आंशिक हानि (एम.यू.)	उपलब्ध क्षमता के विरुद्ध आंशिक हानि की सीमा (%)		वास्तविक कार्मिक घण्टों के विरुद्ध प्राप्य पी.एल.एफ. (%)	वास्तविक कार्मिक घण्टों के विरुद्ध प्राप्त वास्तविक पी.एल.एफ. (%)	पी.एल.एफ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी (%)
		न्यूनतम	सर्वाधिक			
2010-11	576.596	12.90	42.35	75.13	58.30	16.83
2011-12	573.016	12.39	34.82	85.76	67.92	17.84
2012-13	679.940	17.40	32.64	89.98	68.83	21.15
2013-14	493.843	11.09	62.75	71.66	54.71	16.96
2014-15	544.351	13.74	67.08	64.42	49.67	14.75
कुल	2867.746					

हमने पाया कि, संयंत्र व मशीनरी के विभिन्न उपकरणों के रख-रखाव हेतु ₹ 51.10 करोड़ के निरोधात्मक व नियमित संधारण अनुबंधों के अतिरिक्त एस.जी.टी.पी.एस. में ए. ओ. एच. /सी.ओ.एच. की व्यवस्था थी। उक्त संधारण पद्धति के उपरान्त भी विभिन्न उपकरणों में बहुधा समस्याओं के चलते इकाईयों को आंशिक भार पर चलाने हेतु बाध्य होना पड़ा, जिससे 2692.646 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई।

¹⁰ हानि की गणना समस्त परिहार्य कारणों से कुल आंशिक हानि 2867.746 एम.यू. में से प्रतिवर्ष जुलाई से सितम्बर माह के मध्य प्राप्त खराब कोयले के कारण आंशिक हानि (175.10 एम.यू.) घटा कर की गई है।

2010-11 से 2014-15 के दौरान इकाई के आंशिक माह पर संचालन से 2692.646 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि आंशिक हानि को कम करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

विद्युत गृह II का समग्र प्रदर्शन –

2.1.31 उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों से यह पता चलता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न करते हुए 19.64 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत कम उत्पादन कर सका। विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि यह आयोग द्वारा निर्धारित संचालनीय मानकों को प्राप्त नहीं कर सका तथा उच्च एस. एच. आर., ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत व निम्न पी.ए.एफ. दर्ज करते हुए अधिक खर्च वहन किया। पैसा, खराब गुणवत्ता के कोयले, अनियमित रख-रखाव के चलते कोयला मिलों की बहुधा खराबी, बॉयलर में उपयुक्त दहन हेतु कोयले की बारीकी को मापने के लिए आवश्यक उपकरण की अनुपलब्धता तथा सामयिक रूप से पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों न करने के कारण हुआ।

विद्युत गृह III

संचालनीय प्रदर्शन

2.1.32 विद्युत गृह III के अंतर्गत 500 मेगावाट क्षमता की एक इकाई है जो, 2008 से संचालित हो रही है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह III ने 18283 एम. यू. के लक्ष्य के विरुद्ध 17747.220 एम. यू. ऊर्जा का उत्पादन किया। उत्पादन में कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत मध्य रही, जैसा नीचे दर्शाया गया है

तालिका 2.1.6

वर्ष	लक्ष्य (एम. यू.) में	उत्पादन (एम. यू.) में	कमी (%) में
2010-11	3553	3665.85	कोई कमी नहीं
2011-12	3755	3726.47	0.76
2012-13	3727	3495.14	6.22
2013-14	3769	3643.98	3.31
2014-15	3479	3215.78	7.56
कुल	18283	17747.22	

संचालनीय मानको की दृष्टि से इस विद्युत गृह का प्रदर्शन आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से निम्न रहा, जैसा नीचे चर्चा की गई है।

अधिक स्टेशन हीट रेट (एस. एच. आर.)

2.1.33 कंडिका 2.1.10 में की गई चर्चा के अनुरूप, वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आयोग ने विद्युत गृह III हेतु 2425 कि. कैल. प्रति यूनिट के एस. एच. आर. का लक्ष्य निर्धारित किया था। आयोग के एस. एच. आर. लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त अवधि में विद्युत गृह III की ताप दक्षता 35.46 प्रतिशत होनी चाहिए थी।

हमने पाया कि विद्युत गृह III में एस. एच. आर. आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान एस. एच. आर. उपयोग 31 कि. कैल. से 227 कि. कैल. अधिक रहा, जिससे ताप दक्षता में 0.44 प्रतिशत से 3.03 प्रतिशत की कमी आई इसके फलस्वरूप ₹ 200.25 करोड़ मूल्य के 5.92 लाख एम. टी. कोयले का अधिक उपभोग हुआ जैसा **परिशिष्ट 2.1.15** में वर्णित है। अधिक एस. एच. आर. के लिए वही कारक उत्तरदायी है जो कंडिका 2.1.10 में चर्चित है। यह, वार्षिक संधारण कार्यों में विलंब के चलते बॉयलर के उपकरणों की अनियमित क्रियाशीलता के चलते हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, इकाइयों को आंशिक भार पर चलाने के कारण एस. एच. आर. में मामूली बढ़त हुई।

तथ्य शेष रह जाता है कि, विद्युत गृह III आयोग द्वारा संयंत्र की कार्मिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित एस. एच. आर. लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.)

2.1.34 कंडिका 2.1.13 में की गई चर्चा के अनुरूप, वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आयोग ने विद्युत गृह III हेतु 85 प्रतिशत पी.ए.एफ. का लक्ष्य निर्धारित किया था। आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत की वसूली वास्तविक पी.ए.एफ. पर निर्भर उक्त अवधि में करता है। विद्युत गृह III द्वारा प्राप्त वास्तविक पी.ए.एफ. व वसूली गई स्थायी लागत नीचे दर्शाई गई है।

तालिका 2.1.7

वर्ष	विद्युत गृह III					
	पी.ए.एफ. (%)		स्थायी लागत (₹ करोड़ में)			
	आयोग लक्ष्य	एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रमाणित पी.ए.एफ.	आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत	द्वारा स्वीकृत	कम्पनी द्वारा वसूली की गई	वसूली में कमी
2010-11	85	86.46	414.31		417.87	0.00
2011-12	85	93.53	431.91		435.08	0.00
2012-13	85	84.81	379.82		360.43	19.39
2013-14	85	97.76	429.64		461.88	0.00
2014-15	85	80.64	423.82		412.96	10.86
कुल			2079.50		2088.22	30.25

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी

जैसे कि, तालिका से देखा जा सकता है, विद्युत गृह III ने 2012-13 व 2014-15 में पी.ए.एफ. लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत में से ₹ 30.25 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। ऐसा मुख्यतः, उक्त अवधि में 68 बाध्यकारी आउटटेजों से 1744 घंटों की हानि के कारण हुआ। ऐसा, विद्युत गृह के वार्षिक संधारण कार्यों में विलम्ब के कारण बॉयलर के विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरणों के अनुचित कार्य करने एवं बलियों में रिसाव तथा उक्त वर्षों में कोयले की अनियमित आपूर्ति के कारण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि, 2012-13 व 2014-15 के दौरान बाध्यकारी आउटटेज बंकर खाली हो जाने तथा संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त होने के कारण हुआ।

तथ्य शेष रह जाता है कि उक्त अवधि में संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की आवंटित मात्रा की अपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समन्वयक अनुबंध किया हुआ था। अतः कोयले की वांछित गुणवत्ता व मात्रा प्राप्त होनी ही चाहिए थी।

तल व फ्लार्ड राख में अधिक अधजला कोयला

2.1.35 कंडिका 2.1.14 में की गई चर्चा के अनुरूप, संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के रसायनिक प्रतिवेदन की समीक्षा में हमने पाया कि, विद्युत गृह III में वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में तल राख में अधजले कोयले की मात्रा 1.5 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध 1.5 प्रतिशत से 4.35 प्रतिशत तथा फ्लार्ड राख में एक प्रतिशत से कम से मानक के विरुद्ध 0.4 प्रतिशत से 1.2 प्रतिशत रही। तल व फ्लार्ड राख में अधजले की अधिक मात्रा के उपस्थिति के लिए वही कारक उत्तरदायी है जो कंडिका 2.1.14 में चर्चित है।

इस समस्या से उबरने हेतु आवश्यक उपकरण विद्युत गृह III में स्थापित वही ये राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा के कारण ₹ 6.06 करोड़ मूल्य के 17704.360 एम.टी. कोयले की परिहार्य हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.16** में वर्णित है ।

सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, इस समस्या से उबरने हेतु आवश्यक ऑनलाइन कोयला साइजर संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि वह देश कि किसी भी अन्य विद्युत केन्द्र में स्थापित नहीं किया गया है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वयं कम्पनी के ऑकलन के अनुसार, उक्त उपकरण की स्थापना से कोयले में बड़ी बचत की जा सकती है ।

अव्यवस्थित ऊर्जा अनुसूचना से परिहार्य भुगतान

2.1.36 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग नियम, 2009 के अनुच्छेद 5 सह पठित अनुच्छेद 6(2) के अनुसार विद्युत उत्पादक द्वारा स्वीकृत ग्रिड फ्रिक्वेंसी¹¹ में कम विद्युत आपूर्ति पर अन शिड्यूल्ड इंटरचेन्ज (यू.आई.) प्रभार देय होगा । उपर्युक्त नियमन के तहत उत्पादक को अनुसूचित अवधि के दो घण्टे पूर्व संकलित विद्युत आपूर्ति पुनरीक्षित करने की अनुमती थी ।

हमने पाया कि (जून 2015) संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत गृह III ने घोषित अवधि में कम उत्पादन के चलते ग्रिड में घोषित क्षमता (डी.सी.) से कम विद्युत प्रदाय की । आगे, विद्युत गृह ने स्वीकृत समयावधि में संकल्पित ऊर्जा को भी नहीं पुनरीक्षित किया । इसके फलस्वरूप 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 15.29 करोड़ के यू.आई. प्रभार को परिहार्य भुगतान करना पडा जैसा **परिशिष्ट 2.1.17** में वर्णित है ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने ग्रिड में संकल्पित मात्रा से कम विद्युत आपूर्ति कर कोई हानि नहीं उठाई क्योंकि उसने विद्युत उत्पादन न करने ईंधन लागत बचा ली ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संकल्पित विद्युत के उत्पादन न करने से ऊर्जा विक्रय से होने वाली भावि राजस्व तथा इसके अतिरिक्त यू.आई. प्रभार की हानि हुई ।

सुझाव :

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को समय-समय पर किये गये संकल्पों के अनुसार ही ग्रिड में विद्युत प्रदाय हेतु प्रयास करने चाहिए ।

वार्षिक ओवरहॉल में लम्बे अंतराल से उत्पादन हानि

2.1.37 कंडिका 2.1.15 में की गई चर्चा के अनुरूप, विद्युत गृह III में अगस्त 2012 में वार्षिक ओवरहॉल किया गया था तथा अगला वार्षिक ओवरहॉल अगस्त 2014 में होना था । यद्यपि, वार्षिक ओवरहॉल छः माह के लिए स्थगित कर फरवरी 2015 में 34 दिनों (23 फरवरी 2015 से 28 मार्च 2015) के लिए होना तय किया गया ।

हमने पाया कि, वार्षिक ओवरहॉल में विलम्ब के अंतराल के दौरान (अगस्त 2014 से फरवरी 2015) इकाई के निरंतर संचालन से बॉयलर व टरबाईन के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गये

¹¹ स्वीकृत ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50.3Hz से 49.2Hz के मध्य है

वि. गृ. III ग्रिड मे संकल्पित मात्रा मे ऊर्जा प्रदाय नहीं कर सका जिससे ₹ 15.29 करोड़ के यू.आई. प्रभार का परिहार्य भुगतान करना पडा ।

जिससे वार्षिक ओवरहॉल की अवधि 14 दिन बढ़ गयी, जो कि अनुसूचित सम्पन्नता दिनांक 28 मार्च 2015 के बजाय 11 अप्रैल 2015 को पूर्ण हुआ । इससे ₹ 63.67 करोड़ मूल्य की 168 एम.यू.¹² की परिहार्य उत्पादन हानि हुई ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, टरबाइन के अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो जाने के पुरजो की अनुपलब्धता के कारण वार्षिक ओवरहॉल को स्थिगत किया गया था । तथ्य शेष रह जाता है कि ए.ओ.एच. में विलम्ब के कारण परिहार्य उत्पादन हानि हुई ।

बस बार सुरक्षा प्रणाली की खराबी

2.1.38 कंडिका 2.1.19 में की चर्चा के अनुरूप, यद्यपि विद्युत गृह III द्वारा उत्पादित ऊर्जा के विकास हेतु स्थापित 400 के.वी. बस बार में बस बार सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध थी, परन्तु इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर (आई.सी.टी.) में उत्पन्न त्रुटि के कारण 220 के.वी. बस बार में हुई दुर्घटना (नवम्बर 2014) का असर 400 के.वी. बस बार तक फैल गया । आई.सी.टी. की खराबी के कारण ट्रिपिंग दुर्घटना से 1 मिनट 41 सेकन्ड बाद हुई ।

फलस्वरूप, 400 के.वी. बस बार व 400 के.वी.बस से जुड़े सभी तत्व ट्रिप हो गए इससे विद्युत गृह III 24 घण्टे के लिए बंद पड़ गया जिससे ₹ 2.23 करोड़ मूल्य की 5.895 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रयास किए गए हैं ।

बॉयलर में परिहार्य नली-रिसावों से उत्पादन हानि

2.1.39 विद्युत गृह III में बॉयलर भट्टी में हवा व पिसे हुए कोयले के प्रदाय हेतु लगे पवन बक्से जल दीवार नलियों के बहुत समीप लगे हुए थे । क्षतिग्रस्त पवन बक्सों से निकलने वाले कोयले के कणों के सम्पर्क में आने से जल दीवार नलियों को होने वाली सम्भावित हानि से बचाने हेतु पवन बक्सों का व्यवस्थित संधारण आवश्यक था ।

हमने पाया कि, विद्युत गृह III में पवन बक्से संधारण के अभाव में बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके थे जिससे बॉयलर भट्टी में अनियमित/असमान कोयले को आपूर्ति होने लगी इससे फलस्वरूप चार जल दीवार नलियों में रिसाव होने से ₹ 39.52 करोड़ मूल्य की 117.43 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि कदम उठाए गए हैं व जल दीवार रिसावों को न्यूनतम स्तर तक लाया जा चुका है ।

2.1.40 विद्युत गृह III के बॉयलर में टिल्टिंग टैनजैशियल टाईप फायरिंग प्रणाली लगी हुई थी तथा फायर बॉल बनने के स्थान (बॉयलर भट्टी के मध्य में) को नियंत्रित करने व बॉयलर में अधिकाधिक दक्षता प्राप्त करने हेतु इस आधुनिक पद्धति का उचित संधारण अत्यावश्यक था ।

विद्युत गृह III के बायलर के फायरिंग सिस्टम के अव्यवस्थित संधारण के फलस्वरूप हुई बहुधा ट्रिपिंग से ₹ 75.20 करोड़ मूल्य की 220.948 एम.यू. उत्पादन हानि हुई ।

¹² 14 दिवस * 24 घण्टे * 0.50 एम.यू. प्रति घण्टा = 168 एम.यू.

हमने पाया कि, यांत्रिक संधारण (एम.एम.) संभाग की ट्रिपिंग प्रतिवेदन के अनुसार जनवरी 2012 से जुलाई 2013 के दौरान बॉयलर के दाहिने हिस्से में छः रीहीटर नाली-रिसाव हुए। यह बॉयलर भट्टी के अनुचित सीन पर फायर बॉल के निर्माण को दर्शाता है। आगे एम.एम. संभाग के प्रतिवेदन के अनुसार फ्लू गैस के तापमान की निगरानी हेतु बॉयलर के अंदर लगे थर्मोकपलप्रोब्स इस अवधि में उचित कार्य नहीं कर रहे थे अतः बॉयलर में अति गर्माहट नियंत्रित नहीं की जा सकी। इसके फलस्वरूप नली रिसावों के कारण बाध्यकारी शटडाउन हुए जिनसे ₹ 35.68 करोड़ मूल्य की 103.518 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई।

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी.पी.आर.आई)¹³ ने भी पाया (अक्टूबर 2013) कि अत्याधिक तापमान, दबाव व आंतरिक क्षति के कारण नलियों में रिसाव हुआ। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बॉयलर उपकरण उचित तरीके से संधारित न होने के कारण नली-रिसाव हुए निसे उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, बॉयलर उपकरणों के नियमित संधारण व रिसावों को रोकने हेतु कदम उठाए गए हैं।

संयंत्र व मशीनरी के रख-रखाव के अभाव में उत्पादन हानि

2.1.41 कंडिका 2.1.20 में की गई चर्चा के अनुरूप, हमने पाया कि, 2010-11 से 2014-15 कि दौरान, विद्युत गृह III के आंशिक भार पर चलने के फलस्वरूप 733.689 एम.यू.¹⁴ की उत्पादन हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.9** में वर्णित है। यह गणना उक्त अवधि को मैरिट ऑर्डर डिस्पैच (एम.ओ.डी.) प्रणाली के तहत इकाई के बैंकिंग डाउन को हटाकर की गई है।

इकाई को आंशिक भार पर चलाने के लिए वही कारक उत्तरदायी है जिनकी चर्चा कंडिका 2.1.20 में की गई है। विद्युत गृह III द्वारा वहन आंशिक हानि व प्राप्त प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) नीचे दर्शाये गए हैं :

तालिका 2.1.8

वर्ष	आंशिक हानि			प्राप्त पी.एल.एफ.		
	वास्तविक आंशिक हानि (एम.यू.)	उपलब्ध क्षमता के विरुद्ध आंशिक हानि की सीमा (%)		वास्तविक कार्मिक घंटों के विरुद्ध प्राप्य पी.एल.एफ. (%)	वास्तविक कार्मिक घंटों के विरुद्ध प्राप्त वास्तविक पी.एल.एफ. (%)	पी.एल.एफ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी (%)
		न्यूनतम	सर्वाधिक			
2010-11	186.279	0.75	15.06	44.79	41.85	2.94
2011-12	245.441	2.79	18.50	46.07	42.54	3.53
2012-13	67.130	2.43	14.77	41.38	39.90	1.48
2013-14	26.538	3.95	22.99	48.28	41.60	6.68
2014-15	270.721	9.94	19.16	43.40	36.71	6.69
योग	796.109					

हमने पाया कि संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में संयंत्र व मशीनरी के विभिन्न उपकरणों के रख रखाव हेतु ₹ 23.15 करोड़ के निवारक/नियमित संधारण कार्य अनुबंधों/टेको अतिरिक्त वार्षिक ओवरहॉल/पूँजीगत ओवरहॉल पद्धति भी थी। उक्त संधारण प्रणाली होने के बाद भी, विभिन्न उपकरणों में बहुधा समस्याओं के चलते विद्युत गृह को विवशता पूर्वक आंशिक भार पर चलाया गया जिससे 733.639 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई।

¹³ सी.पी.आर.आई. 1960 में स्थापित स्वशासी संस्था है जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विद्युत ऊर्जा यांत्रिक में शोधकार्य, उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता आश्वासन आदि हेतु कार्यरत है।

¹⁴ हानि की गणना समस्त परिहार्य कारणों से कुल आंशिक हानि 796.109 एम.यू. में से प्रतिवर्ष जुलाई से सितम्बर माह के मध्य प्राप्त खराब कोयले के कारण आंशिक हानि (62.42 एम.यू.) घटा कर की गई है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, आंशिक हानि को न्यूनतम करने हेतु कदम उठाए गए हैं ।

विद्युत गृह III का समग्र प्रदर्शन

2.1.42 उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियां यह हैं कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह III उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा यह कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत रही। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ईंधन तेल खपत व सहायक ऊर्जा खपत हेतु निर्धारित मानकों के परिपेक्ष्य में इस विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद रहा, यद्यपि विद्युत गृह स्टेशन हीट रेट व प्लांट अवलेबिलिटी फैक्टर के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका । ऐसा कोयले की खराब गुणवत्ता व बॉयलर में कोयला दहन प्रणाली के अव्यवस्थित संधारण के कारण हुआ ।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में ठेका प्रबंधन

2.1.43 उत्पादन केन्द्र ने अपनी कोयला आवश्यकता की पूर्ति हेतु साउथ ईस्टर्न कोलरीज लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) के साथ ईंधन प्रदाय अनुबंध किया (अगस्त 2009) व गणुवत्ता वाले कोयले की निर्बाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समन्वय ठेका दिया (नवम्बर 2009)। इन ठेकों की समीक्षा में निम्न कमियां पाई गईं ।

कोयले के साथ प्राप्त बड़े पत्थरों के लंबित दावे की वसूली न होना

2.1.44 भारत सरकार द्वारा जारी (अक्टूबर 2007) नवीन कोयला वितरण नीति (एन.सी.डी.पी.) के अंतर्गत कम्पनी ने संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को बीस वर्ष तक 64 लाख एम.टी. कोयला प्रति वर्ष प्रदाय करने हेतु साउथ ईस्टर्न कोलरीज लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) के साथ ईंधन प्रदाय अनुबंध (एफ.एस.ए.) हस्ताक्षरित किया (अगस्त 2009) ।

एफ.एस.ए. के अनुच्छेद 4.6.3 के अनुसार यदि 250 एम.एम. से बड़े पत्थर विद्युत केन्द्र पर प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्रथम कर संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र व एस.ई.सी.एल. के प्रतिनिधियों द्वारा पत्थरों के मूल्य के समायोजना हेतु ऑकलन किया जावेगा । अनुच्छेद 9.1 में आगे स्पष्ट किया गया है कि विक्रेता क्रेता को साख पत्र जारी करेगा जो कि पत्थरों के मूल्य तथा उन बड़े पत्थरों पर लगे अन्य प्रभार जैसे सड़क भाड़ा, पिसाई, त्वरित भरण प्रभार, रेल भाड़ा आदि के 100 प्रतिशत के बराबर होगा । अनुच्छेद 12 में दोनों पक्षों पर भुगतान में देरी करने पर ब्याज आरोपित करने का प्रावधान है ।

हमने पाया कि, 2009-10 से 2014-15 के दौरान प्रदत्त बड़े पत्थरों के मद में एस.ई.सी.एल. के विरुद्ध ₹ 3.80 करोड़ का दावा (₹ 1.27 करोड़ रेल भाड़े को छोड़कर) अभी तक लंबित है । हमने आगे पाया कि संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने एस.ई.सी.एल. द्वारा भुगतान में की गई देरी के विरुद्ध ब्याज राशि का दावा पेश नहीं जैसा एफ.एस.ए. में प्रावधान था, जिससे उक्त अवधि में ₹ 86.88 लाख की ब्याज आय की हानि हुई ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि एफ.एस.ए. में रेल भाड़े की वापसी का प्रावधान नहीं था । ओग कहा गया कि, लंबित दावों पर ब्याज आरोपित करने हेतु व्यवस्था का विकास किया जाएगा ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एफ.एस.ए. के अनुच्छेद 9.1 के स्पष्ट से एस.ई.सी.एल. द्वारा प्रदत्त पत्थरों के दावे पेश करते समय रेल भाड़े का समायोजन करने का प्रावधान है ।

समन्वयक ठेकेदार के खराब प्रदर्शन से उत्पादन हानि

2.1.45 कम्पनी, संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में कोयले की सुगम आपूर्ति हेतु एस.ई.सी. एल. 21.45 व रेलवे के मध्य समन्वयन हेतु ठेका देती आ रही है। उक्त ठेके के अंतर्गत उत्तम गुणवत्ता व आवंटित मात्रा में कोयले की उपलब्धता, खदानों पर वांछित संख्या में रेल रैक की उपलब्धता व कोल रैकों के संचालन को सुनिश्चित करना शामिल था। एफ.एस.ए. व्यवस्था लागू होने (अगस्त 2009) के पश्चात समन्वयक ठेकेदार का दायित्व बहुत कम हो गया था, क्योंकि प्रदाय की मात्रा, एफ.एस.ए. में निर्धारित कर दी गई थी।

समन्वय ठेके के नियम व शर्तों तथा प्रबंधन द्वारा उन्हें लागू करने की समीक्षा उपरांत निम्न कमियां पाई गईं।

समन्वय अनुबंध की कमियों व ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण खराब गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त हुआ।

- संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में बाह्य तत्व जैसे, मिट्टी, कीचड़ व बड़े पत्थर आदि युक्त कोयला प्राप्त हो रहा था, जो कि खदानों पर समन्वय ठेकेदार की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। कोयले में बाह्य तत्वों की अधिक उपस्थिति से संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में कोल रैकों के खाली होने में आठ से 137 घण्टों तक का विलम्ब हुआ। इससे, 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 2.62 करोड़¹⁵ (300 रैकों के नमूना जांच पर आधारित) डेमरेज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, अनुबंध की शर्तों में डेमरेज, ठेकेदार पर आरोपित करने का प्रावधान नहीं है। तथ्य शेष रह जाता है कि अनुबंध में इस विषय हेतु ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराने के लिए प्रभावी शर्तें नहीं हैं।

- अनुच्छेद 4.1.15 में खराब कोयले के कोयला मिलों वे बॉयलर उपकरणों पर पड़ने वाले असर के ऑकलन का प्रावधान है। यद्यपि, खराब कोयले की प्राप्ति के उपरांत भी यह यह ऑकलन कर ठेकेदार पर आरोपित नहीं किया गया। इसके विपरीत ₹ 2.82 करोड़ की न्यूनतम शास्ति मात्र आरोपित की गई।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि, खराब कोयले के होने वाली क्षति को ऑकलित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए कई अन्य कारक उत्तरदायी हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में क्षति के आंकलन का प्रावधान है।

- अनुच्छेद 1.0.3 में मासिक अनुबंधित मात्रा या उससे अधिक कोयला प्राप्त होने पर ठेकेदार को कार्यान्वयन प्रोत्साहन राशि के भुगतान का प्रावधान है यद्यपि, ठेकेदार को उक्त भुगतान करते समय कोयले की कुल मात्रा में से बाह्य पदार्थों की मात्रा को न घटाने से ₹ 20.80¹⁶ लाख का अनुचित भुगतान कर दिया गया।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2015) कि अनुबंध में इस हेतु प्रावधान नहीं है अतः इस मद में कोई कटौती नहीं की गई। तथ्य शेष रह जाता है कि अनुबंध इस विषय में त्रुटिपूर्ण है जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला।

- अनुबंध के अनुच्छेद 1.0.3 में, कोयला परिवहन हानि को 0.8 प्रतिशत से कम रखने हेतु ₹ 471 प्रति एम.टी. की दर से शार्टिज मिनिमाईजेशन प्रभार ठेकेदार को देय है। हमने पाया कि, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 08 प्रतिशत की कोयला हानि के मानक में भण्डारण/हस्तांतरण हानि भी सम्मिलित होती है। अतः शॉर्टेज मिनिमाईजेशन प्रभार की सीमा, को भण्डारण/हस्तांतरण हानि का ध्यान रखते हुए 0.8 प्रतिशत से कम पर निर्धारित किया जाना चाहिए था। भण्डारण/हस्तांतरित हानि पर

¹⁵ डेमरेज प्रभार की गणना एन.टी.एच. व डब्ल्यू. टी. के लिये 5.5 घण्टे तथा ओ.टी.एच. के लिये 9 घण्टे घटाकर की गयी है। आगे, जानकारी के अभाव में, डेमरेज प्रभार की गणना रेलवे द्वारा प्रदत्त छुट (यदि कोई हो) को छोड़कर की गई है।

¹⁶ प्राप्त पत्थर 69360 एम.टी. x ₹ 30 प्रति एम.टी. न्यूनतम प्रोत्साहन राशि।

विचार न करते हुए ठेकेदार को ₹ 1.36¹⁷ करोड़ की राशि का अनुचित भुगतान कर दिया गया ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित परिवहन हानि का मानक वास्तविक नहीं थी, अतः याचिका दायर की गई है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग सभी कारकों को दृष्टिगत रखते हुए मानक निर्धारित करता है ।

उपर्युक्त कमियां, ठेकेदार के खराब प्रदर्शन तथा ठेकेदार की अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थता हेतु उसे उत्तरदायी ठहराने के लिए प्रावधानों के अभाव को दर्शाती है । इसके फलस्वरूप संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र विद्युत गृह को 2010-11 से 2014-15 के दौरान, खराब कोयले, वांछित जी.सी.व्ही. से अधिक का कोयला, खदानों पर वांछित रेकों की संख्या की अनुपलब्धता, अधिक डेमरेज प्रभार तथा ₹ 351.97 करोड़ मूल्य की 1153.540 एम.यू. उत्पादन हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा (**परिशिष्ट 2.1.18**)

अतः ₹ 29.56 करोड़ की लागत से अनुबंधित समन्वयन ठेके के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी क्योंकि उसने लक्षित कार्य नहीं किए ।

सुझाव :

कम्पनी को अनुबंध की त्रुटियों को दूर करना चाहिए व ठेकेदार को उसकी नाकामी के कारण हुई परिहार्य व्यय के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए ।

परिवहन, हस्तांतरण व भण्डारण में असामान्य कोयला हानि

2.1.46 यह कोयले की प्रकृति है कि, उसमें परिवहन, भण्डारण/हस्तांतरण के दौरान निश्चित प्रतिशत हानि होती है । इस हानि में सामान्य व असामान्य दोनों हानियां सम्मिलित है । 2010-11 से 2014-15 के दौरान, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कोयले के परिवहन, भण्डारण/हस्तांतरण में 0.8 प्रतिशत हानि का मानक निर्धारित किया था ।

हमने पाया कि कोयले की असामान्य हानि मानकों से 0.43 प्रतिशत से 2.38 प्रतिशत अधिक रही । भण्डारण/हस्तांतरण हानि मात्र ही मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के 0.8 प्रतिशत के मानक से अधिक रही । अधिक हानि में हम्माली, संचालन व हस्तांतरण संयंत्र से कोयला मिलों तक तथा कोयला मिलों से बॉयलर भट्टों तक परिवहन एवं स्थानीय अग्निकांड आदि में होने वाली हानि सम्मिलित है ।

हमने आगे पाया कि संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा प्रस्तावित राइट-ऑफ में कोयले की असामान्य हानि हेतु कोई कारण नहीं बताए गए एवं निदेशक मण्डल ने भी उसे उसी अवस्था में स्वीकृत कर लिया । असामान्य कोयला हानियों की बढ़ती घटनाओं से संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को ₹ 112.20 करोड़ मूल्य के 361086 एम.टी. कोयले की हानि हुई जैसा नीचे वर्णित है ।

तालिका 2.1.9

वर्ष	प्राप्त कोयले	कुल कोयला	कोयला हानि का	कोयला हानि	कोयले की	परिहार्य हानि
------	---------------	-----------	---------------	------------	----------	---------------

¹⁷ कुल शॉर्टेज मिनीमाइजेशन प्रभार का 50 प्रतिशत। शेष 50 प्रतिशत अन्य भण्डारण/हस्तांतरण हानि के मध्य में मानते हुये तथा 0.8 प्रतिशत जो अन्य सभी हानियों को सम्मिलित करता है को निर्धारित करने के बाद ।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक हस्तान्तरण व भण्डारण हानि के कारण ₹ 112.20 करोड़ मूल्य के 3.61 लाख एम.टी. कोयले की हानि वहन की।

	की कुल मात्रा (एम. टी.)	हानि (एम.टी.)	आयोग मानक 0.8 % (एम.टी.)	अधिक्य (एम.टी.)	औसत प्रति एम.टी. लागत	(₹)
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7 (5*6)
2010-11	5918499	188416	47348.00	141068.00	2015.86	284373338
2011-12	6219068	116783	49752.54	67030.46	3648.50	244560633
2012-13	6475190	120443	51801.52	68641.48	4009.15	275193989
2013-14	5923193	109336	47385.54	61950.46	3670.95	227417041
2014-15	5227592	64176	41821.00	22355.00	4048.00	90493040
कुल				361265		1122038041

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, कोयला हानि वर्षाकाल के कारण हुई तथा बाकी समय खुले में कोयले के भण्डारण के कारण हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हानि वर्षाकाल के अतिरिक्त समय में भी हुई है एवं मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक भण्डारण हानि समेत समस्त सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तय किए जाते हैं।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन

2.1.47 एस.जी.टी.पी.एस. के प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में आने के कारण पर्यावरणीय अनुपालनों से सम्बन्धित विभिन्न नियमों/प्रावधानों के अनुपालन हेतु वैधानिक रूप से बाध्य था।

एस.जी.टी.पी.एस. को पर्यावरणीय अनुपालन हेतु दो पर्यावरणीय अनुपालन सम्मान प्राप्त हुए हैं, वे मध्यप्रदेश शासन की ओर से वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक पर्यावरण सम्मान तथा वर्ष 2014-15 के लिए विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 'वन ग्रीन लीफ' रेटिंग है। यद्यपि लेखापरीक्षा में हमने निम्न कमियाँ पाई –

राख उपयोगिता के लक्ष्य की अप्राप्ति

2.1.48 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पुनर्क्षित अनुसूचना जारी कर (नवम्बर 2009) यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक ताप विद्युत केन्द्र को पाँच वर्षों में (नवम्बर 2014) उत्पादित राख का 100 प्रतिशत उपयोग कर लेना चाहिए।

हमने पाया कि एस.जी.टी.पी.एस. ने नवम्बर 2014 तक राख उपयोगिता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तथा 2010-11 से 2014-15 के दौरान राख का वास्तविक उपयोग 57.73 प्रतिशत से 79.89 प्रतिशत के मध्य रहा। ऐसा राख के भावी उपयोगकर्ताओं के खराब प्रतिसाद के कारण हुआ।

हमने आगे पाया कि, बदलाव अनुसूचना (2009) के अनुसार राख की बिक्री से प्राप्त समस्त राशि, राख उपयोगिता बढ़ाने हेतु वांछित सुविधाओं के विकास के लिए उपयोग की जानी चाहिए। एस.जी.टी.पी.एस. ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राख की बिक्री से ₹ 56.85 करोड़ प्राप्त किए, जबकि राख उपयोगिता बढ़ाने के लिए सुविधाओं के विकास हेतु 31 मार्च 2015 तक मात्र ₹ 22.83 लाख ही खर्च किए जो कि प्राप्त राजस्व का मात्र 0.40 प्रतिशत था। अतः एस.जी.टी.पी.एस. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार कोष के उपयोग में असफल रहा।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, राख उपयोग हेतु समस्त सम्भव प्रयास किए गए हैं ; यद्यपि लक्ष्य प्राप्ति के आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। उत्तर राख के विक्रय से प्राप्त राशि के अनुपयोगिता पर मौन था।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राख उपयोगिता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया।

हानिकारक अपशिष्ट का निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण

2.1.49 हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन व हस्तांतरण) नियम 2007 के अनुसार उत्पादित हानिकारक अपशिष्ट अधिकाधिक 90 दिनों के लिए अधिकाधिक 10 मिट्रिक टन (एम.टी.) या 10 किलो लीटर (के.एल.) मात्रा तक भण्डारण किया जा सकता है।

हमने पाया कि, 2014-15 के अंत में एस.जी.टी.पी.एस. में 30 कि. ली. रेजिन तथा 16.46 कि.ली. ल्यूब तेल के रूप में हानिकारक अपशिष्ट का भंडारण कर रखा था, जो कि उपर्युक्त नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक था।

आगे, हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तांतरण) नियमों में बदलाव (24 सितम्बर 2008) के अनुसार, हानिकारक अपशिष्ट का पूरक ईंधन के रूप में विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के साथ उपयोग मान्य है। एस.जी.टी.पी.एस. ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में निर्धारित अनुपात में बॉयलर में कोयले के साथ रेजिन के उपयोग की अनुमति हेतु आवेदन किया है (जुलाई 2010)। यद्यपि जुलाई 2015 तक भी सी.पी.सी.बी. की स्वीकृति प्रतीक्षित थी एवं एस.जी.टी.पी.एस. हानिकारक अपशिष्ट का निर्धारित मानकों से अधिक भण्डार किए हुए है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, वह सी.पी.सी.बी. से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत उक्त सामग्री को बॉयलर में उपयोग करेंगे।

सुझाव :

कम्पनी को विधि द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानकों के अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

विद्युत गृह का संचालन एवं संधारण

विद्युत गृह I

● विद्युत गृह I वर्ष 2010-11 से 2004-15 के दौरान उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका एवं यह कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत तक रही। विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि वह, स्टेशन हीट रेट, ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत व प्लांट अवलेबिलिटी फैक्टर के परिपेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा, विद्युत गृह के प्रदर्शन को सुधारने हेतु किए जाने वाले पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों के अभाव एवं संधारण कार्यों में विलंब के कारण बॉयलर के महत्वपूर्ण उपकरणों के त्रुटिपूर्ण कार्य करने के कारण हुआ।

इससे, ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम. टी. कोयले, ₹ 41.63 करोड़ मूल्य के 9573.490 कि. ली. ईंधन तेल, ₹ 63.51 करोड़ मूल्य की 212.784 एम. यू. सहायक ऊर्जा खपत का अधिक उपभोग हुआ तथा आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत की ₹ 379.20 करोड़ कम वसूली हो सकी।

प्रबंधन को ऐसे संचालनीय समस्याओं को जिसके कारण आयोग द्वारा विद्युत गृह I हेतु निर्धारित मानको को प्राप्त नहीं किया जा सक, पहचान कर सही कर लेना चाहिए।

• विद्युत गृह I एवं II की कोयला मिलों में बॉयलर में सही मात्रा में कोयले की आपूर्ति के लिए ग्रेविमैट्रिक कोयला फीडर नहीं लगाये गये थे। बॉयलर में प्रदत्त कोयले के त्रुटिपूर्ण माप के चलते ₹ 21.20 करोड़ मूल्य के 1.31 लाख एम. टी. कोयले का प्रतिवर्ष अधिक उपभोग हुआ।

प्रदत्त कोयले के सटीक माप तथा कोयले का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विद्युत गृह I एवं II में ग्रेविमैट्रिक कोयला फीडर स्थापित किए जाने चाहिए।

विद्युत गृह II

• विद्युत गृह II ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किए तथा यह कमी 13.98 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत रही। विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि वह, स्टेशन हीट रेट, ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत व प्लांट अवलेबिलिटी फैक्टर के परिपेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा, विद्युत गृह के प्रदर्शन को सुधारने हेतु किए जाने वाले पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों के अभाव एवं संधारण कार्यों में विलंब के कारण बॉयलर के महत्वपूर्ण उपकरणों के त्रुटिपूर्ण कार्य करने के कारण हुआ।

इससे ₹ 276.36 करोड़ मूल्य के 7.57 लाख एम. टी. कोयले, ₹ 39.48 करोड़ मूल्य के 8270.370 कि. ली. ईंधन तेल तथा ₹80.91 करोड़ मूल्य की 254.446 एम.यू. सहायक ऊर्जा खपत का अधिक उपभोग हुआ। प्रबंधन को ऐसे संचालनीय समस्याओं को जिसके कारण आयोग द्वारा विद्युत गृह हेतु निर्धारित मानको को प्राप्त नहीं किया जा सक, पहचान कर सही कर लेना चाहिए।

• निरोधात्मक व नियमित संधारण ठेको के उपरान्त भी विद्युत गृह II की कोयला मिले वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 1032 घंटों के लिए खराब रही। ऐसा कोयला मिलों में बाह्य तत्वों के पहुँचने के कारण घिसाई तत्वों की अपरिपक्व ह्रास हो जाने के कारण हुआ। इससे ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

प्रबंधन के कोयला मिलों के प्रदर्शन को सुधारने एवं उत्पादन हानि की कारक, बहुधा उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को दूर करने हेतु कदम उठाने चाहिए।

विद्युत गृह III

विद्युत गृह III ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किए तथा यह कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत के मध्य रही। विद्युत गृह स्टेशन हीट रेट व पी.ए.एफ. के मानकों को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा, खराब गुणवत्ता के कोयले एवं बॉयलर में कोयला वहन प्रणाली के अव्यवस्थित संधारण के कारण हुआ।

इससे ₹ 200.25 करोड़ मूल्य के 5.92 लाख एम. टी. अधिक कोयले का उपभोग हुआ तथा आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत में से ₹ 30.25 करोड़ कम वसूली हो सके।

प्रबंधन को ऐसे संचालनीय समस्याओं को जिसके कारण आयोग द्वारा विद्युत गृह हेतु निर्धारित मानको को प्राप्त नहीं किया जा सक, पहचान कर सही कर लेना चाहिए।

• संयंत्र व मशीनरी तथा विद्युत गृह III की विभिन्न सहायक उपकरणों के रख-रखाव के अभाव में संयंत्र को आंशिक भार पर चलाना पड़ा। इससे 733.689 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

प्रबंधन को अधिकाधिक ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने हेतु संयंत्र को व्यवस्थित रूप से रख-रखाव करना चाहिए। जिससे उसे आंशिक भार पर न चलाना पड़े।

संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र में ठेका प्रबंधन

- संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा कोलरियों व रेलवे के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु दिया गया समन्वयक ठेका त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उसमें ठेकेदार को उसके खराब प्रदर्शन हेतु उत्तरदायी ठहराने के लिए प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इससे 2010-11 से 2014-15 के दौरान खराब कोयले की आपूर्ति के कारण ₹ 351.97 करोड़ मूल्य की 1153.540 एम.यू. उत्पादन हानि हुई।
- कम्पनी को अपने हितों की रक्षा हेतु समन्वयन ठेके की कमियों को दूर कर लेना चाहिए।

संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन

- संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र भारत सरकार की अधिसूचना (नवम्बर 2009) में लक्षित 100 प्रतिशत राख उपयोग के लक्ष्य को पार्टियों के खराब प्रतिसाद के कारण प्राप्त नहीं कर सका। आगे, हानिकारक अपशिष्टों का निपटान न करते हुए नियमों में उल्लेखित भंडारण सीमा (10 कि.ली./एम.टी.) से अधिक, (30 कि.ली. रेजिन व 16 कि. ली. ल्यूब तेल) भण्डारण किया।
- प्रबंधन को सम्बन्धित विधान में उल्लेखित पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2 मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड भोपाल (कंपनी) का गठन राज्य में कृषि और कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) के संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में मार्च 1969 में किया गया था। 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि में कंपनी की बिक्री/टर्नओवर ₹ 940.02 करोड़ से ₹ 1293.77 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹ 15.16 करोड़ से ₹ 51.20 करोड़ रहा था।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा कंपनी के विविध पहलू यथा वित्तीय प्रबंधन, व्यापारिक एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों, मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म (एम.ए.एफ.) का निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता एवं निगरानी तंत्र का आंकलन करने के लिए वर्ष 2010-15 की अवधि हेतु की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित थे।

वित्तीय प्रबंधन

- लेखा शीर्षो हेतु एक समान कोड विकसित नहीं करने के कारण कंपनी अपने जिला कार्यालयों के लेखे समय से संकलित करने में असमर्थ रही। फलस्वरूप वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी हुई थी। 31 अक्टूबर 2015 को कंपनी के 2013-14 एवं 2014-15 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देना बकाया था।

(कंडिका 2.2.7)

- 31 मार्च 2015 को ₹ 231.44 करोड़ की व्यापारिक प्राप्तियां बकाया थी जिनमें से ₹ 8.65 करोड़ तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि से सम्बन्धित थे। इसके अलावा व्यापारिक प्राप्तियों में प्रतिकूल (क्रेडिट) शेषों का समाधान नहीं किया गया था जो वर्ष 2010-11 के ₹ 10.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 22.37 करोड़ हो गये थे।

(कंडिका 2.2.9)

नियोजन

- कंपनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गतिविधियों को दिशा देने के लिये दृष्टिकोण एवं रणनीति योजना नहीं बनाई थी। म. प्र. शासन के साथ वर्ष 2010-11 से 2013-14 के वार्षिक समझौता ज्ञापन को जिसमें कंपनी को वित्तीय/वाणिज्यिक लक्ष्य दिये रहते हैं, को देर से अंतिम रूप दिया गया था। साथ ही वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप ही नहीं दिया गया था। इस प्रकार, कंपनी के कुशलपूर्वक संचालन को दिशा देने के लिये म. प्र. शासन के साथ समझौता ज्ञापन में करने का उद्देश्य ही असफल रहा।

(कंडिका 2.2.12 एवं 2.2.13)

परिचालन गतिविधियाँ

- कंपनी द्वारा 2009-11 के दौरान अपने रेडी टू ईट उत्पादन इकाई का विस्तार एवं खिचड़ी उत्पादन संयंत्र का उपार्जन किया गया था। परन्तु इस विस्तार के साथ अतिरिक्त भंडार क्षमता सृजित नहीं की गई जिस कारण प्लांट के उपार्जन से चार वर्ष बीतने पर भी कंपनी खिचड़ी संयंत्र का परिचालन नहीं कर पायी थी और रेडी टू ईट संयंत्र इकाई पर

पर्याप्त भण्डारण क्षमता न होने के कारण कच्चे माल को वैकल्पिक स्थान से परिवहन पर परिहार्य व्यय ₹ 20.96 लाख करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.17)

- जैव उर्वरक की बिक्री के लिये शासकीय एजेंसियों पर निर्भरता एवं जैव उर्वरक की बिक्री बढ़ाने के लिए विपणन रणनीति तैयार नहीं करने के कारण कंपनी के जैव उर्वरक संयंत्र की क्षमता का उपयोग वर्ष 2010-11 के 62 प्रतिशत से गिरकर 2014-15 में 35 प्रतिशत रह गया।

(कंडिका 2.2.19)

- एम.ए.एफ. केवल परंपरागत कृषि की ही गतिविधियों में संलग्न था और अपने उद्देश्यों यथा बीजों का उत्पादन, कृषि के उन्नत तरीकों का प्रदर्शन और किसानों का प्रशिक्षण, के अनुरूप गतिविधियाँ शुरू नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधा की व्यवस्था न करने के कारण कृषि भूमि का उपयोग 2010-11 से 2014-15 की अवधि में खरीफ मौसम के दौरान 22.27 प्रतिशत से 48.41 प्रतिशत के बीच एवं रबी मौसम में 41.42 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत के बीच रहा। एम.ए.एफ. को आवंटित भूमि के कम प्रयोग के कारण म.प्र. शासन ने 679.89 हेक्टेयर भूमि अक्टूबर 2012 में वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को हस्तांतरित कर दी थी।

(कंडिका 2.2.20 एवं 2.2.22)

निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था क्योंकि सब्सिडी एवं अग्रियों का समय से उपयोग और अप्रचलित स्टोर्स और बेकार संपत्तियों के समय से निपटान देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कंपनी के संचालक मंडल की नियमित बैठकें न आयोजित करने के कारण समय से निर्णय लेने एवं निगरानी तंत्र प्रभावित हुआ था।

(कंडिका 2.2.25 एवं 2.2.26)

परिचय

2.2.1 मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड भोपाल (कंपनी) का गठन राज्य में कृषि और कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) के संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में मार्च 1969 में किया गया था। कंपनी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग म. प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाना और उसमें तेजी लाना, मुख्य और पूरक आहार के उत्पादन में योगदान देना तथा मध्यप्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास में योगदान देना है।

कंपनी रेडी टू ईट उत्पादों (गेहूँ-सोया बर्फी, आटा-बेसन लड्डू, हलवा, बाल-आहार और खिचड़ी) के उत्पादन एवं व्यापार, विविध कृषि औजारों एवं आदानों का व्यापार, मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म में फसल/उद्यानिकी/बागवानी उत्पादों, कृषि और जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं बिक्री की गतिविधियों में संलग्न है। गतिविधि वार कंपनी की बिक्री/टर्नओवर तालिका 2.2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.2.1

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 ¹	
	बिक्री	प्रतिशत	बिक्री	प्रतिशत	बिक्री	प्रतिशत	बिक्री	प्रतिशत
रेडी टू ईट	485.11	51.60	635.43	50.83	655.99	53.49	671.68	51.92
कृषि औजार एवं आदान	451.18	48.00	609.69	48.77	564.17	46.00	616.17	47.63
फसल/उद्यानिकी/बागवानी मर्दों	0.93	0.10	1.25	0.10	2.73	0.23	1.91	0.15
जैव-उर्वरक	2.80	0.30	3.76	0.30	3.48	0.28	4.01	0.31
योग	940.02	100	1250.13	100	1226.37	100	1293.77	100

2010-11 से 2013-14 के 4 वर्षों दौरान कंपनी की बिक्री/टर्नओवर ₹ 940.02 करोड़ से ₹ 1293.77 करोड़ के बीच रहा तथा शुद्ध लाभ ₹ 15.16 करोड़ से ₹ 51.20 करोड़ के बीच रहा।

संगठनात्मक संरचना

2.2.2 कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। 31 मार्च 2015 की स्थिति में कम्पनी के सात निदेशक के जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को शामिल करते हुये छः निदेशक म. प्र. शासन द्वारा एवं एक निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

प्रबंध निदेशक जो कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है की सहायता के लिए दो महाप्रबंधक, चार उपमहाप्रबंधक और सात क्षेत्रीय प्रबंधक है। कंपनी का एक मुख्यालय भोपाल में है सात क्षेत्रीय कार्यालय² एवं 50 जिला कार्यालय भी है। कंपनी के पास बाबई में एक मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म बाबई में रेडी टू ईट उत्पादन इकाई और भोपाल में एक जैव-उर्वरक संयंत्र तथा कार्यशाला भी है जिनके प्रभार सम्बन्धित प्रभारियों के पास है। कंपनी का संगठनात्मक चार्ट **परिशिष्ट 2.2.1** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी निजी पक्षों के साथ तीन संयुक्त उद्यमों (म.प्र. एग्रो न्यूट्रीफूड लिमिटेड इंदौर, म. प्र. एग्रो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मण्डीदीप एवं म. प्र. एग्रो टोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप) में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी भी है जिनसे महिला एवं बाल विकास विभाग को की जाने वाली आर.टी.ई. उत्पादों की मांग को पूरा किया जाता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य इसका आंकलन करना था कि ;

- सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन तंत्र मौजूद है ;
- कंपनी की गतिविधियों को दिशा देने के लिये बनायी गई तथा लागू की गई योजनाये उसके उद्देश्यों के अनुरूप है ;
- कृषि उत्पादन, उत्पादों एवं सेवाओं की उत्पादन तथा बिक्री को शामिल करते हुये कंपनी की गतिविधियाँ कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययता से की गई है, और

¹ वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखे अनंतिम है जैसे कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए।

² भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और सतना ।

- संगठन के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त रूप से आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र विद्यमान है।

लेखापरीक्षा मापदंड

2.2.4 निम्नलिखित स्रोतों से निष्पादन लेखापरीक्षा मापदण्ड लिये गये हैं –

- नीतियाँ, दिशानिर्देश और म. प्र. शासन एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देश तथा खाद्य प्रसंस्करण नीतियाँ ;
- विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य एवं लक्ष्य/रेडी टू ईट उत्पादों की आपूर्ति के लिये समझौता ज्ञापन ;
- कंपनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ; और
- निदेशक मंडल की बैठकों के एजेन्डा एवं मिनट्स

लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली

2.2.5 वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा कंपनी के मुख्यालय, सात क्षेत्रीय कार्यालयों, 17 जिला कार्यालय (कुल 50 जिला कार्यालयों में से भौगोलिक विभाजन के आधार पर 34 प्रतिशत) मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म, रेडी टू ईट उत्पादन इकाई और जैव उर्वरक उत्पादन संयंत्र को शामिल करते हुये, कंपनी के वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान निष्पादन का आंकलन करने के लिए अप्रैल से जून 2015 के दौरान की गई। हमने 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में 2004-05 से 2008-09 के दौरान कंपनी की कार्यप्रणाली पर पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन कर इसके संबंध में टिप्पणियों को वर्तमान लेखापरीक्षा में शामिल किया है।

08 अप्रैल 2015 को हुई प्रवेश सम्मेलन के दौरान हमने लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड, लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली शासन कंपनी को बता दिये गये थे। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सरकार एवं कंपनी को अगस्त 2015 को बताये गये थे। शासन एवं कंपनी के उत्तर अक्टूबर 2015 में प्राप्त हुई। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर 14 अक्टूबर 2015 को हुई निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव एवं कंपनी के प्रबंध संचालक से चर्चा भी की गई थी। कंपनी एवं शासन की राय एवं उत्तर उपर्युक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की जा रही है।

वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणाम

2.2.6 कंपनी ने 2012-13 के अंतिम लेखे एवं 2013-14 के अनंतिम लेखे तैयार (अक्टूबर-2015) कर लिये थे। कंपनी की वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणाम **परिशिष्ट 2.2.2** और **परिशिष्ट 2.2.3** में दिये गये हैं।

कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणाम का अवलोकन करने से यहां स्पष्ट होता है कि कंपनी का कारोबार वर्ष 2010-11 में ₹ 940.02 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1293.77 करोड़ हो गया। इसी प्रकार से शुद्ध लाभ 2010-11 में ₹ 15.16 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 51.20 करोड़ हो गया।

कंपनी की बिक्री में मुख्यतः शासकीय मांग पर रेडी टू ईट उत्पादों की बिक्री का मूल्य (50.83 प्रतिशत से 53.49 प्रतिशत) एवं कृषि आदानों जिनकी मुख्यतः शासकीय अनुदानों पर बिक्री की जाती है जिसका विवरण तालिका 2.2.1 में दिया गया है। (46.00 प्रतिशत से 48.77 प्रतिशत के बीच) शामिल है। बिक्री मूल्य में स्वयं के रेडी टू ईट उत्पादों में 10 प्रतिशत एवं संयुक्त उद्यमों से रेडी टू ईट उत्पादों की पूर्ति पर 2.5 प्रतिशत का लाभांश शामिल होता है और कृषि उपकरणों के बिक्री मूल्य में अलग-अलग दरों पर लाभांश शामिल होता है। इस प्रकार कंपनी को उसकी गतिविधियों पर नियत लाभांश प्राप्त होता है।

इसके बावजूद, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ 2010-11 में 98.65 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2012-13 में 38.93 प्रतिशत हो गया और 2013-14³ में इसमें थोड़ी सी वृद्धि होकर 46 प्रतिशत पर पहुंच गया था। यह परिलक्षित करता है कि कंपनी के निष्पादन में गिरावट आई है। सरकार का मत था (अक्टूबर 2015) कि अंशधारक कोष बढ़ने के कारण नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत गिरा है। इस प्रकार तथ्य अभी भी बाकी है कि नियोजित पूंजी में वृद्धि तुलना में नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में वृद्धि नहीं हुई थी।

वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी

2.2.7 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 210 एवं कंपनी अधिनियम 2013 (अप्रैल 2014 से प्रभावशाली) की धारा 129 (2) के अनुसार प्रत्येक कंपनी अपने वार्षिक वित्तीय विवरण को वित्त वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अंतिम रूप से तैयार करेगी और वार्षिक साधारण सभा में रखेगी।

लेखाशीर्षों के लिए समान कोड विकसित न करने के कारण लेखों के समामेलन एवं अंतिम रूप देने में देरी हुई।

कंपनी ने अभी तक (अक्टूबर 2015) अपने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लेखे अंतिम रूप से तैयार नहीं किये थे। हमने देखा कि कंपनी के जिला कार्यालयों का लेखांकन एक लेखांकन साफ्टवेयर टेली.ई.आर.पी. 9 की सहायता से किया जाता था परन्तु मुख्यालय पर इन जिला कार्यालय के लेखों को एकत्रित/समामेलित मानवीय आधार पर किया जाता था, जबकि लेखांकन साफ्टवेयर लेखांकन शीर्षों के सामान्य कोड जो विकसित नहीं किये गये थे के आधार पर एकत्रित/समामेलित करने की सुविधा देते हैं। इस कारण से लेखों के अंतिम रूप देने में देरी हो रही थी।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि वर्ष 2013-14 के लेखे अंतिम रूप से तैयार होने वाले हैं और लेखांकन साफ्टवेयर के माध्यम से समामेलित करने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए पेशेवरों की सेवायें ली जा रही हैं।

सुझाव

कंपनी को अपने वार्षिक लेखे समय से अंतिम रूप से तैयार करने के लिए लेखांकन शीर्षों के सामान्य कोड विकसित करने चाहिए।

³ वर्ष 2013-14 के अनंतिम लेखों पर आधारित।

अधिशेष राशि के प्रबंधन में कमियाँ

2.2.8 अंतिम पाँच वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के अंत में कंपनी के पास क्रमशः नगद और नगदी समकक्ष ₹ 182.07 करोड़ ₹ 183.22 करोड़, ₹ 251.44 करोड़, ₹ 281.12 करोड़ और ₹ 248.11 करोड़ थी। कंपनी अपनी अधिशेष राशियों का निवेश अल्पकालीन जमाओं में करती हैं।

कम्पनी ने अधिशेष राशि बिना प्रतियोगी दरें मंगाए अल्पकालीन जमाओं में निवेश की थी।

हमने देखा कि बेहतर लाभ कमाने हेतु, दीर्घकालीन जमाओं में निवेश करने हेतु नगदी बजट/पूर्वानुमान बनाकर समयानुसार अतिरिक्त राशियों की पहचान करने का कोई तंत्र नहीं था। अंतिम पाँच वर्षों 2010-11 से 2014-15 तक क्रमशः राशि ₹ 134.03 करोड़, ₹ 171.86 करोड़, ₹ 228.29 करोड़, ₹ 305.35⁴ करोड़ और ₹ 291.31⁵ करोड़ कम्पनी के पास मौजूद थे जो बिना प्रतियोगी दरें बुलाये अल्पकालीन स्थाई जमाओं में निवेश किये हुये थे। इस प्रकार, कंपनी ने अपने अतिरिक्त राशियों के निवेश पर अधिकतम लाभ आश्वस्त नहीं किया था।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन निष्कर्ष स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि जिला कार्यालयों को अतिरिक्त राशियों को मुख्यालय स्थानांतरित करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों को बुलाने के बाद ही स्थाई जमाये की जायेगी।

सुझाव

कंपनी को नियमित रूप से नगदी बजट बनाना चाहिये जिससे अतिरिक्त नगदी का पता लगा कर स्थाई जमाओं में दीर्घ अवधि के लिए जमा करके लाभ अधिकतम किया जा सके।

व्यापारिक प्राप्तियों के प्रबंधन में कमियाँ

2.2.9 कंपनी विभिन्न उत्पादको/एजेन्सियों के साथ दर अनुबंध करके कृषि उपकरण खरीदती है और जिला कार्यालयों के माध्यम से किसानों/म.प्र.शासन के विभागों को इनकी आपूर्ति करता है। इन क्रेता विभागों के विरुद्ध लंबित राशियाँ लेखों में व्यापारिक प्राप्तियों के तौर पर दिखाई गई हैं। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2014-15 के अंत में कंपनी की व्यापारिक प्राप्तियाँ ₹ 231.44 करोड़ पहुंच गई थी।

व्यापारिक प्राप्तियों की समीक्षा करने पर हमने पाया कि :-

- 31 मार्च 2015 को कुल लंबित व्यापारिक प्राप्तियों ₹ 231.44 करोड़ में से ₹ 8.65 करोड़ तीन वर्ष से अधिक तथा ₹ 15.99 करोड़ एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम की अवधि से लंबित थे। व्यापारिक प्राप्तियों में कृषि विभाग से लंबित राशि ₹ 68.73 करोड़ (29.69 प्रतिशत) शामिल है। प्राप्तियों के वसूल नहीं हो पाने का मुख्य कारण व्यापारिक प्राप्तियों के संबंध में अपर्याप्त रिकार्ड का होना था।

व्यापारिक प्राप्तियों के शीर्ष के अंतर्गत प्रतिकूल शेष समायोजित नहीं किए गए थे।

⁴ 'नकद एवं बैंक शेष' शीर्ष के अंतर्गत चालू खातों में नकारात्मक शेष था जिस कारण सावधि जमा शुद्ध नकद और बैंक शेषों से अधिक है।

⁵ यह प्रबंधन द्वारा प्रदान की गयी सूचना के आधार पर है।

● वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के अंत में क्रमशः ₹ 10.09 करोड़, ₹ 16.58 करोड़, ₹ 20.88 करोड़ एवं ₹ 22.37 करोड़ की राशि शेष लेखों में व्यापारिक प्राप्तियों के शीर्ष के अंतर्गत प्रतिकूल (क्रेडिट) बकाया था, जिसका समाधान नहीं किया गया था। इस कारण लेखों में प्रदर्शित व्यापारिक प्राप्तियों की राशि विश्वसनीय नहीं थी।

इस प्रकार समामेलन नहीं किये जाने या बकाया राशि का प्राप्तियों से मिलान नहीं करने से अतिरिक्त धोखा धड़ी पूर्ण लेनदेन की संभावना बढ़ती है इसके अतिरिक्त लंबी अवधि से लंबित प्राप्तियों के डूब जाने का जोखिम रहता है।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में प्रबंध संचालक ने कहा कि वर्ष 2014-15 के लेखों को तैयार करते समय व्यापारिक प्राप्तियों की वसूली/समायोजन के लिये कदम उठाये जायेंगे।

सुझाव :

व्यापारिक प्राप्तियों की वास्तविक राशियों की पहचान कर व्यापारिक प्राप्तियों का समाधान करने और उनको समय से वसूली सुनिश्चित करने के लिये कंपनी को एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

सब्सिडी और अग्रिमों का अप्रयुक्त शेष

2.2.10 कंपनी, कृषि उपकरणों, उर्वरकों, कीटनाशकों के व्यापार, बायागैस संयंत्र के लगाने और खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी और कृषि के विकास के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन, जिस के लिये उसे सीधे लाभार्थियों के वितरण या उत्पादों को सब्सिडाईज करने आदि के लिये शासन से सब्सिडी/अग्रिम प्राप्त होते हैं।

2007-08 से सब्सिडी/अग्रिमों की राशि ₹ 3.64 करोड़ का सम्मेलन होना लंबित था।

हमने पाया कि मार्च 2014 में अंत में सब्सिडी और अग्रिमों की राशि ₹ 34.92 करोड़ (परिशिष्ट 2.2.4) अप्रयुक्त शेष थे। इनमें से, ₹ 3.64 करोड़ (परिशिष्ट 2.2.5) उपयोग के लिये 2007-08 से लंबित थे। कंपनी ने प्राप्त सब्सिडी का समाधान नहीं किया था और लाभार्थियों तक नहीं पहुँचाया था। समाधान की अनुपस्थिति में सब्सिडी/अग्रिमों की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी जिनका प्रयोग या शासन को वापस करने के लिये पहचान नहीं की गई थी।

शासन ने लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2015) संबंधित राशि प्रयोग करके और अप्रयुक्त राशि को सम्बन्धित शासन को वापस करके लंबित प्रविष्टियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया जावेगा।

सुझाव :

कंपनी को बची शेष सब्सिडी और अग्रिमों की वास्तविक राशि का समाधान एवं पहचान करनी चाहिये और उसके प्रयोग और शासन को समर्पित करने हेतु कदम उठाने चाहिये।

प्रवेश कर का परिहार्य भुगतान

2.2.11 कंपनी पानी के टैंकों के व्यवसाय में संलग्न है जिन पर म. प्र. शासन की ओर से प्रवेश कर आरोपित है। लागत पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर को शामिल करते हुये इनका क्रय मूल्य (माक्रफेड द्वारा निर्धारित) स्वीकृत है।

हमने पाया कि ग्यारह पानी के टैंकों के आपूर्तिकर्ताओं ने कंपनी से उनके क्रय पर 2010-11 से 2013-14 के बीच प्रवेश कर ₹ 1.16 करोड़ संग्रहित किया जिसे आगे वाणिज्यिक कर विभाग को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं के देयको से राशि ₹ 1.16 करोड़ रोक ली है और भविष्य में जिला कार्यालय स्तर पर प्रवेश कर स्वीकृत करने की मनाही कर दी है। तथा तथ्य शेष है कि कंपनी की लेखा पुस्तकों में आपूर्तिकर्ताओं की रोकी गई राशि का अंतिम समायोजन किया जाना बाकी है।

नियोजन

दीर्घकालीन और रणनीतिक योजना का अभाव

2.2.12 कंपनी कृषि उपकरणों एवं आदानो की व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न है। बदलते व्यापारिक माहौल में अपनी बाजार हिस्सेदारी को बनाये रखने और उसका विस्तार करने के लिये इन गतिविधियों के संबंध में निजी कंपनियों के साथ-साथ अन्य शासकीय एजेंसियों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु आवश्यक है कि दीर्घकालीन से मध्यकालीन परिपेक्ष्य और रणनीतिक योजना तैयार की जाये। हमने परन्तु देखा कि कंपनी ने कोई परिपेक्ष्य और रणनीतिक योजना तैयार नहीं की गई है। कंपनी केवल वार्षिक आधार पर आगामी वर्ष के लिये व्यापारिक एवं बजट अनुमान की ही रूप रेखा तैयार करती है। इसके अलावा म. प्र. शासन के साथ वार्षिक आधार पर किये जाने वाले समझौता ज्ञापन में लक्ष्य निर्धारित रहते हैं।

म. प्र. शासन के साथ किया जाने वाले समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित कमियां

2.2.13 राज्य में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रत्येक वर्ष म. प्र. शासन के साथ एक समझौता ज्ञापन में शामिल होना पड़ता है, जिसमें आगामी वर्ष में किये जाने के लिये प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण होता है। कम्पनी द्वारा म. प्र. शासन के साथ समझौता ज्ञापन, जिसमें मुख्यतः वित्तीय/वाणिज्यिक लक्ष्य शामिल किये जाते हैं और आगे पूर्व वर्ष के लक्ष्यों के विपरीत प्राप्त की गई उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियां देखने में आईं:

(अ) समझौता ज्ञापन संपादित करने में देरी

वित्तीय/ वाणिज्यिक लक्ष्यों को स्थापित करने हेतु म.प्र. शासन के साथ किए जाने वाले समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक देरी थी।

समझौता ज्ञापन संगत वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हस्ताक्षरित हो जाना चाहिये। हालांकि हमने देखा कि वर्ष 2010-11 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में म. प्र. शासन के साथ किये गये समझौता ज्ञापन देर से फरवरी 2011, फरवरी 2012, जनवरी 2013 और अक्टूबर 2013 में अर्थात् संगत वर्ष के अंत में हस्ताक्षरित किये गये। 2014-15 का समझौता ज्ञापन को भले ही वर्ष खत्म हुये लंबा समय बीत गया है पर अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस प्रकार कंपनी के बेहतर संचालन के लिये म. प्र. शासन के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होना का उद्देश्य पूरी तरह विफल हो गया था।

सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि समझौता ज्ञापन के राज्य सरकार द्वारा स्थापित टास्क फोर्स द्वारा अंतिम रूप दिया जाता था कंपनी उसे ही अपनाती है। तथ्य शेष

रहा कि समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने में गंभीर विलंब होने के कारण समझौता ज्ञापन करने का वांछित उद्देश्य सफल नहीं हो सका।

(ब) गतिविधि-वार भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होना

कंपनी द्वारा, समझौता ज्ञापन में, निर्धारित लक्ष्यों में, कंपनी द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। समग्र रूप से व्यापार के संबंध में 2010-11 से 2013-14 की अवधि में वित्तीय लक्ष्य और उनके सम्बन्ध में उपलब्धि तालिका 2.2.2 में दी जा रही है।

तालिका 2.2.2

(₹ लाख में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लक्ष्य	78000	110000	142000	142400
उपलब्धियाँ (समझौता ज्ञापन के अनुसार)	101700	134806	133208	139852
उपलब्धियाँ (प्रतिशत)	130	123	94	98

जैसा पहले ही ऊपर बताया गया है कि समस्त लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया व्यर्थ थी क्योंकि लक्ष्य देर से जो कि सामान्य तौर पर संगत वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्धारित किये गये थे। इसके बावजूद जैसा ऊपर की तालिका में देखा जा सकता है कि कंपनी वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में पूरी तरह लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही थी। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया कि समझौता ज्ञापन में बतायी गई लक्ष्य प्राप्तियाँ प्रमाणित/अनंतिम वार्षिक लेखों से मेल नहीं खाती है।

इसके अलावा हमने देखा कि समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

- जैसा कि समझौता ज्ञापन (2013-14) में नियोजित किया गया था, कंपनी खुले बाजार में अपने कारोबार का विस्तार नहीं कर सकी और मोटे तौर पर वह महिला एवं बाल विकास विभाग को रेडी टू ईट की बिक्री पर निर्भर थी जो 2013-14 के दौरान कुल कारोबार का 52 प्रतिशत था।
- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक के समझौता ज्ञापन में कंपनी ने गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों के बेहतर उपयोग की योजना बनाई थी। कोपू ने (मार्च 2012) सुझाव दिया था कि ग्वालियर के मौजूदा अक्रियाशील जैविक खाद्य संयंत्र के निपटान के बाद बची हुई संयंत्र की जमीन पर नया संयंत्र स्थापित किया जाये। हालांकि हमने पाया संयंत्र के अक्रियाशील होने के 15 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी संयंत्र का निपटान नहीं किया जा सका। नतीजतन संयंत्र पर उपलब्ध भूमि का न तो नये संयंत्र को स्थापित करने में और न ही किसी अन्य प्रयोग में उपयोग की जा सकी। निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुये कहा संयंत्र पर मौजूद सामग्री की नीलामी और संयंत्र स्थल को नगर निगम ग्वालियर को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
- वर्ष 2011-12 से 2013-14 के समझौता ज्ञापनों में कंपनी ने योजना बनाई थी कि पुतलीघर और इंद्रपुरी भोपाल में खाली पड़ी भूमि का व्यवसायिक प्रयोग करके उन संपत्तियों से आय उत्पन्न की जायेगी। हमने पाया कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

● वर्ष 2010-11 के समझौता ज्ञापन में कंपनी ने अपने पेस्टिसाइड फार्मुलेशन संयंत्र बीमा में 1991-92 से पड़े खतरनाक कचरे के निपटान की योजना बनाई थी। कोपू ने भी खतरनाक कचड़े के निपटान की अनुशंसा (मार्च 2012) की थी। परन्तु अभी तक (अक्टूबर 2015) खतरनाक अपशिष्ट का निपटान नहीं किया जा सका था।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) की खतरनाक अपशिष्ट के उचित निपटान के प्रयत्न चल रहे हैं। तथ्य बाकी रह जाता है कि सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की अनुशंसा के बावजूद भी कंपनी खतरनाक अपशिष्ट के निपटान में विफल रही है।

इस प्रकार जाहिर है कि कंपनी की नियोजन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भी क्योंकि दीर्घकालिक रणनीतिक योजना अस्तित्व में नहीं थी। कंपनी की कृषि उपकरणों के व्यवसाय, कृषि, रेडी टू ईट उत्पादों और जैव उर्वरकों के उत्पादन की निरंतर गतिविधियों को संचालित करने के लिये म. प्र. शासन के साथ किया जाने वाले समझौता ज्ञापन को सही रूप से संगत वर्ष के अंत में देर से अंतिम रूप दिया गया था। इस प्रकार कंपनी तदर्थ आधार पर कार्य कर रही थी।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि संसाधनों की उपलब्धता, शासकीय योजनाओं की जरूरतों एवं विभागों द्वारा की जाने वाली मांगों के आधार पर कंपनी अपनी परिचालन योजना साथ ही साथ जैव उर्वरक संयंत्र और एम. ए. एफ. का उत्पादन कार्यक्रम बनाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सतत रूप से चलने वाली कंपनी की गतिविधियों के कुशल संचालन के लिये दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता थी। योजना के अभाव में जैव-उर्वरक संयंत्र की क्षमता का पूर्ण स्तर तक प्रयोग नहीं किया जा सका था और एम.ए. एफ. की कुल भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका था जैसा कि क्रमशः पैरा 2.2.19 एवं 2.2.22 में चर्चा की गई है।

सुझाव :

कंपनी को अपनी निरंतर चल रही गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिये और परिचालन गतिविधियों के संचालन हेतु समझौता ज्ञापन को समय से अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक करना चाहिये।

परिचालन गतिविधियां

2.2.14 कम्पनी समीक्षा की अवधि के दौरान रेडी टू ईट उत्पादों के उत्पादन एवं आपूर्ति, कृषि उपकरणों के क्रय एवं विक्रय, जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं आपूर्ति, एम.ए.एफ. पर फसलों की कृषि एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई योजनाओं के क्रियान्वयन में लगी थी। परिचालन गतिविधियों में पाई गई कमियों के बारे में आगे के पैरो में चर्चा की गई है।

रेडी टू ईट उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति :

2.2.15 आरटीई उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक **तालिका 2.2.3** में दी गई है

तालिका 2.2.3

वर्ष	महिला एवं बाल विकास विभाग से मांग	आपूर्ति				
		आर. टी. ई. उत्पादन इकाई द्वारा		संयुक्त उपक्रमों द्वारा		कुल आपूर्ति
		मात्रा मैट्रिक टन में	मात्रा मैट्रिक टन में	प्रतिशत	मात्रा मैट्रिक टन में	प्रतिशत
2010-11	154087.44	6813.08	4.42	147274.36	95.58	154087.44
2011-12	193261.99	12841.44	6.64	180520.48	93.36	193361.91
2012-13	201146.34	16564.34	8.23	184582.00	91.77	201146.34
2013-14	190319.43	18436.92	9.68	171882.51	90.28	190319.43
2014-15	187071.72	19396.00	10.33	167675.72	89.67	187071.72

उपर वर्णित तालिका में देख जा सकता है कि वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आरटीई उत्पादों की आपूर्ति में कम्पनी का भाग 4.42 प्रतिशत से 10.33 प्रतिशत रहा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिये गये मांगपत्र की शेष मांग को तीन संयुक्त उद्यम कम्पनियों के माध्यम से 10 प्रतिशत मार्जिन लेते हुए पूरी की गई। कम्पनी को आरटीई उत्पादों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिये उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनानी चाहिये थी।

रेडी टू ईट उत्पादों का उच्च मूल्य निर्धारण

2.2.16 रेडी टू ईट उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिये डब्ल्यूसीडीडी को प्रदत्त किये लागत आंकड़ों के अनुसार कम्पनी के स्वयं के प्लान्ट एवं संयुक्त उद्यम के प्लान्टों द्वारा आपूर्ति उत्पादों पर अनुमानित लाभ मार्जिन 10 प्रतिशत तक सीमित था। लागत आंकड़ों में दिये गये आरटीई उत्पादों के मूल्य को डब्ल्यूसीडीडी द्वारा अनुमोदित किया गया। लागत आंकड़ों के अनुसार विक्रय मूल्यों को प्रत्येक छमाही में संशोधित किया जाना था।

कम्पनी की रेडी टू ईट उत्पादन इकाई द्वारा कमाया गया वास्तविक मार्जिन निर्धारित मार्जिन से अत्यधिक उच्च था।

हमने पाया कि रेडी टू ईट उत्पादों का विक्रय मूल्य मई 2009 में निर्धारित किया गया था जो कि 2010-11 से 2014-15 के मध्य प्रत्येक छमाही निर्धारित किये जाने के स्थान पर सिर्फ एक अगस्त 2013 में संशोधित किया गया है। कम्पनी की उत्पादन इकाई द्वारा दिये गये लागत डेटा के आधार पर हमने पुनः पाया कि कम्पनी कि स्वयं कि इकाई का वास्तविक लाभ 23.44 से 29.35 प्रतिशत के मध्य था (2012-13 के अलावा जिसमें यह 6.41 प्रतिशत था) जो की वर्ष 2010-11 से 2013-14 कि अनुमोदित मार्जिन 10 प्रतिशत से काफी अधिक है।

हमने पुनः विश्लेषण किया कि विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाते वक्त खाली बोरो के विक्रय मूल्य को ध्यान नहीं रखना, गैर लागू करों को शामिल किया जाना, परिवहन की अधिक दूरी लेना एवं ईंधन की लागत को अधिक दर पर लेने के कारण आरटीई उत्पादों का विक्रय मूल्य अधिक हुआ। इन सभी कारणों के कारण कम्पनी ने 2010-11 से 2013-14 के मध्य ₹ 16.94 करोड़ का अधिक कमाया, फलस्वरूप सरकारी खजाने पर भी अधिक बोझ पड़ा।

चूँकि निर्धारित विक्रय मूल्य संयुक्त उद्यम द्वारा की गई आपूर्ति पर भी लागू था अतः उनके द्वारा भी अतिरिक्त लाभ अर्जित किया गया । चूँकि संयुक्त उद्यम का लागत डाटा उपलब्ध नहीं था अतः उनके द्वारा अर्जित लाभ लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सका था ।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि यह सच है कि आरटीई यूनिट का लाभ 10 प्रतिशत से अधिक था किन्तु संयुक्त उद्यम का लाभ 2009-10 से 2014-15 तक 4.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के मध्य रहा इसके अतिरिक्त भविष्य में लागत बनाते समय लेखापरीक्षा के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा ।

उत्तर मान्य नहीं है क्यो कि कंपनी ने संयुक्त उपक्रमों के लाभ को उनके लाभ तथा हानि खातो को आधार बना कर बताया है। जो कि संयुक्त उपक्रमों के पूर्ण व्यवसाय पर आधारित है जिसमें अन्य विक्रय भी शामिल है। साथ ही कंपनी ने संयुक्त उपक्रमों से लागत गणना प्राप्त नहीं किया तथा लागत पत्र प्रत्येक छः माह में आर.टी.ई. उत्पादन इकाई तथा संयुक्त उपक्रमों की वास्तविक लागत के आधार पर परिवर्तित भी नहीं किया गया।

सुझाव :

कंपनी को आर.टी.ई. उत्पादो के विक्रय मूल्य का निर्धारण प्रत्येक छः माह में लागत का विश्लेषण कर निर्धारित करना चाहिये ताकि विक्रय मूल्य में अनुचित वृद्धि का भार शासन पर ना पड़े।

भंडारण क्षमता सृजित करने में देरी तथा खिचड़ी संयंत्र का अक्रियाशील रहना

2.2.17 रेडी टू ईट उत्पादन इकाई की स्थापना (1995-96) प्रारंभिक तौर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को रेडी टू ईट उत्पादों के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिये 4800 मैट्रिक टन क्षमता के साथ हुई थी। बाद में, कंपनी ने रेडी टू ईट उत्पादन इकाई का आधुनिकीकरण (2009-10) और क्षमता का विस्तार करके 12000 में टन प्रति वर्ष कर लिया। आगे वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 14.52 लाख की लागत से 15 मैट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाले खिचड़ी उत्पादन के लिये एक संयंत्र खरीदा।

हमने देखा (अक्टूबर 2015) कि रेडी टू ईट उत्पादन इकाई सीमित जगह के कारण खिचड़ी उत्पादन संयंत्र खरीदने से चार वर्ष बीत जाने पर भी कंपनी ने शुरू नहीं किया है। कंपनी महिला एवं बाल विकास विभाग को खिचड़ी की आपूर्ति नहीं कर रही है और पूर्ण रूप से कंपनी संयुक्त उपक्रमों पर इसके लिए निर्भर है।

कंपनी ने देर से (फरवरी 2012) उत्पादन क्षमता के विस्तार और खिचड़ी उत्पादन संयंत्र के उपार्जन के कारण भंडारण क्षमता की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये 2000 मैट्रिक टन गोदाम/साइलों का निर्माण का निश्चय किया किन्तु निर्माण प्रारंभ नहीं किया (अक्टूबर 2015) जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था।

हमने आगे देखा कि रेडी टू ईट उत्पादन इकाई पर, पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में कंपनी को अपने कच्चे माल को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मंडीदीप में स्थित संयुक्त उपक्रम संयंत्रों पर भण्डारित करना पड़ रहा था और उसी को आर.टी.ई उत्पादन इकाई पर भण्डारण क्षमता की उपलब्धता के अनुसार वापस उठाकर लाना पड़ रहा था। बाड़ी स्थित

क्षमता विस्तार के साथ अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण न करने के कारण, कंपनी खिचड़ी उत्पादन संयंत्र को उपभोग करने में असफल रही और कच्चे माल के परिवहन पर ₹ 20.96 लाख का अपरिहार्य व्यय किया।

रेडी टू ईट उत्पादन इकाई से मंडीदीप स्थित संयुक्त उपक्रमों के उत्पादन संयंत्र लगभग 78 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस कारण कंपनी को 2012-13 से 2014-15 के दौरान कच्चे माल संयुक्त उपक्रम संयंत्रों और रेडी टू ईट उत्पादन इकाईयों के बीच परिवहन पर ₹ 20.96 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा था।

इस प्रकार, रेडी टू ईट उत्पादन इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार के साथ-साथ अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण की योजना के अभाव और आगे चल कर गोदाम/साइलो के निर्माण में निष्क्रियता फलस्वरूप कच्चे माल के परिवहन पर ₹ 20.96 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) संयंत्र के लिये खरीदे गये सभी आयटम (राशि ₹ 1.57 लाख के इलेक्टर और हॉपर को छोड़कर) वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रेडी टू ईट उत्पादन इकाई पर प्रयोग किये जा रहे हैं। आगे निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में लेखापरीक्षा आपत्ति को कंपनी ने स्वीकार कर कहा कि वह रेडी टू ईट उत्पादन इकाई बाड़ी से भोपाल स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही है इसलिए रेडी टू ईट उत्पादन इकाई बाड़ी में वह आगे नहीं बढ़ रही है।

तथ्य यह बाकी है कि संयंत्र के उपार्जन के बावजूद भी भंडारण क्षमता की अनुपलब्धता के कारण कंपनी ने खिचड़ी का उत्पादन प्रारंभ नहीं किया था और खिचड़ी की आपूर्ति के लिये पूरी तरह संयुक्त उपक्रमों पर निर्भर थी।

सुझाव :

भंडारण सुविधा के निर्माण और आर.टी.ई उत्पादन इकाई पर खिचड़ी संयंत्र के संचालन को एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिये।

जैव उर्वरक संयंत्र का निष्पादन

2.2.18 1000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले जैव उर्वरक संयंत्र (बी.एफ.पी.) की स्थापना 1986 में हुई। जैव उर्वरक राज्य की मांग के अनुसार मौसम वार (रवि एवं खरीफ) उत्पादित किया जा रहा था। जैव उर्वरक का उपयोग जीवन 6 माह का एक मौसम और इस निर्धारित अवधि में बेच जाना आवश्यक है।

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा (जनवरी 2007 में) जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिये उर्वरक नियंत्रण आदेश जारी किया और राज्य सरकार कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये जैव उर्वरकों के महत्व के बारे में कृषकों को शिक्षित करने की सलाह दी कंपनी के कामकाज पर आधारित पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा पर कोपू ने भी इसके महत्व के बारे में किसानों को बताने के द्वारा इसकी बिक्री बढ़ाने के प्रयास करने, पर्याप्त प्रचार करने एवं बिक्री में कमी के कारणों को खोजने की सिफारिश (2012) की थी।

जैव उर्वरक संयंत्र की क्षमता का कम उपयोग

2.2.19 तालिका 2.2.4 कुल उत्पादन, उत्पादन क्षमता का उपयोग, विक्रय एवं जैव उर्वरक के विक्रय पर लाभ की जानकारी देती है :

तालिका 2.2.4

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (मैट्रिक टन)	1000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता के विरुद्ध उत्पादन क्षमता का प्रयोग(प्रतिशत में)	विक्रय (₹ लाख में)	वर्ष में लाभ/हानि (₹ लाख में)	बिक्री पर लाभ का प्रतिशत
2010-11	621.00	62.10	394.71	54.62	13.84

2011-12	660.00	66.00	384.46	79.26	20.62
2012-13	604.00	60.40	329.52	149.00	45.22
2013-14*	648.00	64.80	467.60	178.65	38.21
2014-15*	354.00	35.40	188.89	33.20	17.58

*अंतिम

कम्पनी द्वारा जैव उर्वरक की बिक्री बढ़ाने में विफलता के कारण जैव उर्वरक संयंत्र की क्षमता का उपयोग 2010-11 में 60 प्रतिशत को गिरकर 2014-15 में 35 प्रतिशत रह गयी।

उपर वर्णित तालिका से यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार के जैव उर्वरक के प्रचार के आदेश बावजूद भी उत्पादित क्षमता का उपयोग वर्ष 2010-11 से 2013-14 के मध्य 60 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के मध्य रहा एवं इसके पश्चात गिरकर 2014-15 में 35.40 प्रतिशत हो गया। हमने पाया कि जैव उर्वरक के प्रचार के लिए कम्पनी ने कोई भी विपणन निति नहीं बनाई एवं उसके विक्रय के लिये पूर्ण रूप से अन्य सरकारी संस्थाओं पर ही निर्भर रहे इस कारण बी.एफ.पी. का कम उपयोग हुआ।

हमने आगे यह पाया कि यद्यपि उत्पादन जिला कार्यालयों द्वारा दी गई मांग के आधार पर किया गया फिर भी 31 मार्च 2015 को कम्पनी के पास 1001.96 मीट्रिक टन बिना बिका हुआ एवं कालावतीत स्कंध जमा हो गया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 98.51 लाख की हानि हुई।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि जैव उर्वरक का ज्यादातर बिक्री खरीफ में होती है एवं इसकी बिक्री कम होने का मुख्य कारण खरीफ 2014 के दौरान सरकार द्वारा जैव उर्वरक नीती में परिवर्तन किया जाना था। निकास सम्मेलन में (अक्टूबर 2015) के प्रबंध संचालक ने कहा कि जैव उर्वरको को किसानों के मध्य लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि 2010-11 से 2013-14 के मध्य संयंत्र के कम उपयोग के कारण नहीं दिये गये एवं कम्पनी के पास जैव उर्वरक के विक्रय के बढ़ाने के लिये एवं संयंत्र का बेहतर उपयोग करने के लिये कोई रणनिति नहीं थी।

सुझाव :

कम्पनी को जैव उर्वरकों के लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित कर जैव उर्वरको की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये एवं विपणन रणनिति बनानी चाहिये।

मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म का निष्पादन

एम.ए.एफ. के उद्देश्यों की पूर्ति न होना

2.2.20 मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म (एम ए एफ) बाबई 1971 में किसानों को गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन एवं वितरण, खेती में उन्नत मशीनों का प्रयोग करना, पैदावार के नये तरीकों का प्रदर्शन करना, किसानों के लिये ट्रेनिंग सेन्टर की तरह कार्य करना के उद्देश्यों के साथ स्थापना की गई, राज्य सरकार ने कम्पनी को 1316.76 हेक्टेयर भूमि (1971) आवंटित की, उसमें से 376.47 हे. भूमि खेती के लिये, 4.05 हेक्टेयर नर्सरी के लिये एवं 194.40 हेक्टेयर बागवानी के लिये विकसित की गई।

हमने पाया कि एम.ए.एफ. पारंपरिक कृषि गतिविधियों में जैसे कि कृषि/बागवानी आदि के व्यस्त थी एवं उसने अपने ऊपर वर्णित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की और एम.ए.एफ. आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग करने में भी असफल रहा, इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने एम.

मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म ने अपने उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियों को नहीं किया।

ए.एफ. की 679.89 हे. भूमि को (अक्टूबर 2012) में वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को स्तानांतरित कर दिया ।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि भूमि अन्य आधुनिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में उत्पादित किया फसलों को एम.ए.एफ. के चयनित क्षेत्रों में उत्पादित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त भूमि आदेशानुसार वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को हस्तांतरित की गई ।

उत्तर पुष्टि करता है कि एम.ए.एफ. की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ ।

एम.ए.एफ. बावर्ड का वित्तीय प्रदर्शन

2.2.21 तालिका 2.2.5 वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों के दौरान कृषि एवं बाग उत्पादन की बिक्री एवं उस विक्रय पर लाभ/हानि को दर्शाता है ।

तालिका 2.2.5

(₹ लाख में)

वर्ष	विक्रय	बिक्री पर लाभ / हानि	बिक्री पर लाभ / हानि का प्रतिशत
2010-11	93.69	-24.00	-25.62
2011-12	163.47	8.60	5.26
2012-13	274.54	26.87	9.79
2013-14*	215.92	-19.36	-8.97
2014-15*	74.23	-124.45	-167.65

*अंतिम आंकड़े

ऊपर वर्णित तालिका में यह देखा जा सकता है कि कम्पनी को वर्ष 2010-11, 2013-14 एवं 2014-15 में नुकसान उठाना पड़ा एवं वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सीमांत लाभ प्राप्त हुआ । वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में हानि में हए उतार चढ़ाव का कारण उपलब्ध भूमि का कम प्रयोग एवं नर्सरी का खराब प्रदर्शन रहा जैसा कि कंडिका 2.2.22 एवं 2.2.23 में बताया गया है। इसके अतिरिक्त नुकसान में वृद्धि का मुख्य कारण अनाज की बिक्री वर्ष 2013-14 के ₹ 1.26 करोड़ से कम होकर वर्ष 2014-15 में ₹ 0.59 करोड़ हो जाना है ।

शासन ने (अक्टूबर 2015) में लेखापरीक्षा के टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा कि वर्ष 2014-15 के दौरान हुई हानि का मुख्य कारण धान के मूल्य में अचानक आई कमी है । तथ्य शेष रहता है कि कंपनी एम.ए.एफ. के निष्पादन को बढ़ाने हेतु मजबूत कदम उठाने में असफल रही ।

एम.ए.एफ. में कृषि के लिये उपलब्ध भूमि का कम उपयोग

2.2.22 अक्टूबर 2012 में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को 679.89 हे. भूमि हस्तांतरित करने के बाद एम.ए.एफ. के पास खेती के लिए 376.47 हे. भूमि शेष रही ।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य खरीफ मौसम में धान की खेती के लिए भूमि का उपयोग 22.27 प्रतिशत से 48.41 प्रतिशत के मध्य रहा तथा रबी के मौसम से गेहूँ उत्पादन में 41.42 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत के मध्य रहा । जैसा कि परिशिष्ट 2.2.6 में दिया गया है। अतः कंपनी ने उपलब्ध भूमि के पूर्ण उपयोग के लिए कोई योजना नहीं बनाई ।

मेकेनाइज्ड एग्रीकलचर फार्म में 2010-15 के दौरान कृषि की भूमि का उपयोग 22.27 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत तक रहा ।

सरकार (अक्टूबर 2015) में कहा कि भूमि का उपयोग सिचाई की क्षमता एवं उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया । तथ्य शेष रहा कि कम्पनी ने सिचाई सुविधा सहित उपलब्ध भूमि के अधिकतम उपयोग के लिये कदम नहीं उठाये ।

सुझाव :

कम्पनी को अपने कारोबार एवं लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिये कृषि में अप्रयुक्त भूमि के उपयोग के लिये योजना बनानी चाहिये ।

एम.ए.एफ. में नर्सरी के प्रदर्शन में गिरावट

2.2.23 एम.ए.एफ. की बावई में एक नर्सरी थी जिसका विकास वर्ष 1971-72 के मध्य हुआ था नर्सरी का कुल क्षेत्रफल 4.05 हेक्टे. है हमने पाया कि पौधों के विक्रय संख्या वर्ष 2010-11 में 45687 से घटकर वर्ष 2014-15 में 6777 रह गई । हमने प्रबंधन द्वारा विक्रय में गिरावट के कारणों के किये गये किसी विश्लेषण एवं नर्सरी के पौधों की संख्या बढ़ाने के लिये बनाये किसी भी योजना को नहीं पाया ।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि कम्पनी नर्सरी के पौधों की मांग के लिये उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पर आश्रित है एवं वर्ष 2014-15 में पौधों के विक्रय संख्या में गिरावट की मांग में कमी के कारण थी । यह तथ्य शेष रहा कि कम्पनी ने सरकार पर निर्भरता के स्थान पर मांग के नए क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास नहीं किया ।

बागो और पेड़ों की नीलामी/निविदा में अनियमितताएँ :

2.2.24 कम्पनी ने एम.ए.एफ. में उपलब्ध भूमि में से 194.40 हे. भूमि पर फलों, सब्जियों एवं वृक्षों के बाग विकसित किये। इन बागों की उपज को निविदाओं के माध्यम से प्रस्तावों का आमंत्रित करके बेचा जाता है । कम्पनी ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य निविदा के माध्यम से विक्रय पर इस बाग से ₹ 1.62 करोड़ की बिक्री की ।

एम.ए.एफ. बावई में बागो एवं पेड़ों की बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करने पर निम्न अनियमितताएँ पाई गईं:

(I) विक्रय निविदा की तक्रसंगतता सुनिश्चित करने के लिये विक्रय योग्य सामग्री बेस/अपसेट प्राईस का निर्धारण/मूल्यांकन कम्पनी द्वारा नहीं किया गया ।

(II) बागों की निविदा के लिए बोलीदाताओं से ली गई ई.एम.डी की राशि का निर्धारण बाग में वृक्षों की संख्या के आधार पर नहीं किया गया तथा ई.एम.डी. का अनुमानित/वास्तविक बोली मूल्य **परिशिष्ट 2.2.7** में दर्शाया है ।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि कम्पनी बागों की नीलामी के लिए अपनी मानक प्रक्रिया अपनायी है तथा विक्रय मूल्य को अंतिम रूप देने के लिये उसके पास के लिये विशेषज्ञ है । यह तथ्य शेष रहा कि कम्पनी ने ईएमडी एवं अपसेट मूल्य को तक्रसंगत रूप से तय नहीं किया ।

आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र

2.2.25 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी प्रबंधन गतिविधि के आवश्यक अंग है एक कुशल एवं प्रभावी तंत्र प्रबंधन को अपने तय उद्देश्यों को पूरा करने, प्रक्रियाओं के अनुपालन एवं वित्तीय अनुशासन को लागू करने में सहायता करता है ।

कम्पनी में व्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र में कमी थी चूँकि कम्पनी में प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी, खातो को समय पर अंतिम रूप देना (कण्डिका 2.2.7) बहुत पुरानी प्राप्तियों की समय-समय पर वसूली न होना (कण्डिका 2.2.9) सब्सिडी एवं अग्रिमों का समय पर उपयोग न होने पर (कण्डिका 2.2.10) में उपस्थित नहीं था । इसके अतिरिक्त अचलायमान एवं आधिक्य अधिशेषों जो कि उनके शाखा कार्यालयों में एकत्रित थी को समय पर निपटान के लिए तंत्र नहीं था जैसा कि (पैरा 2.2.27) में दर्शाया है ।

निदेशक मण्डल की नियमित बैठकों का न होना ।

2.2.26 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 285 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 173 (1) (अप्रैल 2014 से लागू) के अनुसार प्रत्येक वर्ष निदेशक मण्डल की न्यूनतम 4 बैठके होनी चाहिये ।

हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य 20 बैठकों के स्थान पर सिर्फ 12 बैठके हुई, हमने पाया कि महत्वपूर्ण मामले जैसे कि (i) कीटनाशक संयंत्र बीना का वाणिज्यिक उपयोग (ii) एमएएफ को पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के माध्यम से मॉडल खेत के रूप में विकसित करना (iii) आरटीई उत्पादन संयंत्र में 2000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना (iv) किसानों की जरूरतों एवं व्यापार प्रतियोगिता में बदलाव को 2010-11 से 2013-14 के मध्य हुई बीओडी मीटिंग में रखा गया किन्तु इन मामलों की प्रगति को निदेशकों की बैठकों में नहीं रखा गया यह शीर्ष स्तर पर नियंत्रण न होना दर्शाता है ।

इस प्रकार शीर्ष स्तर पर इन आवश्यक बैठको का न होने का प्रभाव कम्पनी की समय पर निर्णय लेने की क्षमता एवं नियंत्रण प्रक्रिया पर पड़ा ।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2015) में आश्वासन दिया कि कम्पनी भविष्य में कम्पनी अधिनियम के आधार पर बैठके आयोजित करेगी, इसके अलावा लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों को हल करने के लिए कार्य दिया जायेगा ।

अकार्यशील आस्तियों एवं अचलायमान मदों का निपटारा न होना

2.2.27 कम्पनी अपने स्टोर/अधिशेष में कमी/अधिक्य जांचने के लिए प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाती है ।

₹ 1.14 करोड़ के स्कंध और स्टोर बेकार पड़े थे और ₹ 11.30 लाख की कमी भी पायी गयी

स्टोर्स के दस्तावेज एवं जिला कार्यालयों एवं उत्पादन इकाइयों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को जांचने के बाद हमने पाया कि स्कंध जिसका मूल्य ₹ 1.14 करोड़ (परिशिष्ट 2.2.8) बेकार अस्तियों एवं अचल एवं अकार्यशील सम्पत्ति/स्टोर्स मदों के रूप में स्टोर्स में बेकार पड़े थे हालांकि कम्पनी द्वारा इन्हें इनकी आयु के हिसाब से वर्गीकृत नहीं किया ।

हमने पुनः पाया कि 9 जिला कार्यालयों/उत्पादन इकाइयों में ₹ 11.30 लाख (परिशिष्ट 2.2.9) की वस्तुओं में कमी पाई गई । प्रबंधन ने अचलायमान एवं बेकार आस्तियों के

निपटारा न होने पर कोई कार्यवाही नहीं की एवं किसी भी कर्मचारी पर सामान खोने की जिम्मेदारी तय नहीं की ।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि जिला कार्यालयों को बेकार माल के निपटान के निर्देश जारी कर दिये गये हैं, तथ्य शेष रहा कि कम्पनी ने बेकार माल को समय पर निपटारा नहीं किया ।

सुझाव

कम्पनी की समय पर निर्णय लेने एवं प्रभावी निगरानी के लिये आवश्यक बोर्ड निदेशको की बैठको को आयोजित करना चाहिये एवं बेकार संपत्तियों अथवा अचालयमान वस्तुओं के निपटारे के लिये एक प्रणाली तैयार करनी चाहिये ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

- लेखाशीर्षों में एक समान कोड विकसित नहीं करने के कारण कंपनी अपने जिला कार्यालयों के लेखे समय से संकलित में असमर्थ थी। इसके कारण वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी हुई है। 31 अक्टूबर 2015 को कंपनी के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देना बकाया था।

कंपनी को वार्षिक लेखे समय से अंतिम रूप से तैयार करने के लिए लेखांकन शीर्षों के सामान्य कोड विकसित करने चाहिए।

- कंपनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गतिविधियों को दिशा देने के लिये दृष्टिकोण एवं रणनीति आयोजना नहीं बना रही थी। म. प्र. शासन के साथ वर्ष 2010-11 से 2013-14 के वार्षिक समझौता ज्ञापन को जिसमें कंपनी को वित्तीय/वाणिज्यिक लक्ष्य दिये रहते हैं देर से अंतिम रूप दिया गया। साथ ही वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप ही नहीं दिया गया था। इस प्रकार, कंपनी के कुशलपूर्वक संचालन को दिशा देने के लिये म. प्र. राज्य शासन के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होने का उद्देश्य ही असफल रहा।

कंपनी को अपनी निरंतर चल रही गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिये और परिचालन गतिविधियों का संचालन हेतु समझौता ज्ञापन को समय से अंतिम रूप दिया जा सके आश्वस्त करना चाहिये।

- जैसा कि अनुमोदित कास्ट सीट में अपेक्षा की गई, आर टी ई उत्पादो का विक्रय मूल्य का प्रत्येक छः माह में पुनरीक्षित नही किया गया था इस कारण महिला एवं बाल विकास विभाग का दी जा रही आपूर्ति उच्च दरों पर निश्चित की गयी थी। फलस्वरूप कम्पनी ने ₹ 16.94 करोड़ का अतिरिक्त लाभ कमाया तथा इसी सीमा राशि तक शासकीय कोष पर अतिरिक्त भार डाला गया था।

शासकीय कोष की कीमत पर बिक्री मूल्य अनुचित रूप से अधिमूल्यित नही हो इस को आश्वस्त करने के लिये कम्पनी को पूर्व निर्धारित छः माह के आधार पर आर. टी. ई. उत्पादो की बिक्री कीमतो के निर्धारण की समीक्षा करनी चाहिये।

- आर.टी.ई उत्पादन इकाई बाडी के विस्तार के साथ भंडारण स्थान के निर्माण नही करने के कारण कम्पनी खिचडी उत्पादन संयंत्र के उपार्जन से चार वर्ष बीत जाने पर भी इसको क्रियान्वित नही कर सके और वैकल्पिक स्थान से कच्चे माल के परिवहन कर ₹ 20.96 लाख परिहार्य व्यय भी करना पडा।

भंडारण सुविधा के निर्माण और आर.टी.ई उत्पादन इकाई पर खिचडी संयंत्र के संचालन को एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिये।

- मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म (एम. ए. एफ.) बाबई मे उपलब्ध भूमि कम प्रयोग हो रहा था जो 2010-11 से 2014-15 के दौरान खरीफ मौसम में 22.27 प्रतिशत से 48.41 प्रतिशत के बीच रहा तथा रवी मौसम में 41.42 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत के बीच रहा।

एम.ए.एफ. बाबई की बिक्री एवं लाभप्रदता बढ़ाने के लिये में उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करने के लिये कम्पनी के पास एक योजना होनी चाहिये।

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था क्योंकि सब्सिडी एवं अग्रिमों का समय से प्रयोग और अप्रचलित स्टोर्स और बेकार संपत्तियों के समय से निपटान देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियमित बैठके न बुलाने से समय से निर्णय लेने एवं निगरानी तंत्र प्रभावित था। कम्पनी की समय पर निर्णय लेने एवं प्रभावी निगरानी के लिये आवश्यक बैठको को आयोजित करना चाहिये एवं बेकार संपत्तियों अथवा अचालयमान वस्तुओं के निपटारे के लिये एक प्रणाली तैयार करनी चाहिये।

2.3 मध्य प्रदेश में नव एवं नवकरणीय ऊर्जा का विकास

कार्यकारी सारांश

परिचय

राज्य में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 में की गई थी। राज्य में अक्षय ऊर्जा से संबंधित गतिविधियाँ ग्रिड संबंधित एवं बिना ग्रिड सम्बन्धित (ऑफ ग्रिड) परियोजनाओं में वर्गीकृत हैं। ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यालय, आयुक्त, नवीन और नव करणीय ऊर्जा (विभाग) की स्थापना (अप्रैल 2010) में की गई थी, जबकि कम्पनी ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियां करती है।

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विभाग का ग्रिड गतिविधियों निष्पादन और ऑफ ग्रिड गतिविधियों के विकास से संबंधित कम्पनी के निष्पादन को जानने के लिये की गया थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं

राज्य में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 39095 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के खिलाफ केवल 1243 मेगावाट था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2011 से जुलाई 2012 तक के दौरान सौर, पवन, लघु जल बिजली और बायोमास सम्बन्धित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बनाई गई अक्षय ऊर्जा नीतियों में राज्य में अक्षय ऊर्जा की क्षमता के आकलन पर आधारित नहीं थी, जिसका अक्टूबर 2014 में मूल्यांकन किया गया था। इसके अलावा, क्षमता वृद्धि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे और न ही अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक/अल्पावधि योजनाएं विभाग द्वारा तैयार की गई थी। नतीजतन, राज्य में अक्षय ऊर्जा की संभावना को एक सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.3.2 और 2.3.8)

- 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, सौर में 453.22 मेगावाट की परियोजना (45 प्रतिशत), पवन में 665.30 मेगावाट (9 प्रतिशत) और बायोमास में 55.40 मेगावाट (12 प्रतिशत) क्षमता का 1007.50 मेगावाट, 7196.55 मेगावाट और 471.20 मेगावाट क्रमशः पंजीकृत परियोजनाओं के खिलाफ क्रियाशील किया गया था। इसके अलावा कोई लघु जल बिजली परियोजना विभाग द्वारा क्रियाशील नहीं किया गया था। इसके अलावा, सौर में 247 मेगावाट की परियोजना (25 प्रतिशत), 833.35 मेगावाट पवन में (12 प्रतिशत), छोटी पन बिजली में 44.80 मेगावाट (14 प्रतिशत) और बायोमास में 194 मेगावाट (41 प्रतिशत) की परियोजनाओं का पंजीकरण विभाग द्वारा निरस्त किये गए थे।

- परियोजनाओं के क्रियाशीलता के कम प्रतिशत और ज्यादा पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन न किया जाना, विकासकर्ता द्वारा उदासीनता दिखाया जाना, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऊर्जा के लिए अपर्याप्त टैरिफ और परियोजनाओं की लंबी अवधि थे, परिणामस्वरूप अक्षय ऊर्जा की बिजली परियोजना को स्थापित करने के लिए निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अक्षय ऊर्जा की नीतियों के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.9, 2.3.13 और 2.3.14)

- सरकारी जमीन पर परियोजनाओं को समय पर पूरा सुनिश्चित करने के ग्रीड सम्बन्धित पवन और बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े सात विकासकर्ताओं का निष्पादन गारंटी के गैर-संग्रह के कारण ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जाना ।

(कंडिका 2.3.12 और 2.3.15)

ऑफ ग्रीड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ

- मध्य प्रदेश शासन ने आफ ग्रीड अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए कोई विशेष नीति और वार्षिक लक्ष्य तय किए नहीं किये हैं । विशिष्ट लक्ष्यों के अभाव में, ऑफ ग्रीड परियोजनाओं की स्थापना लाभार्थियों से प्राप्त तदर्थ मांग के आधार पर किया जा रहा था । नतीजतन, राज्य में ऑफ ग्रीड सम्बन्धित नवकरणीय ऊर्जा के लिए पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका ।

(कंडिका 2.3.17)

- आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा कार्य को पूरा न किये जाने के कारण एवं कार्य आदेशों के लगातार रद्द होने के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान कंपनी नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा 6725 के.डब्ल्यू.पी. क्षमता की मंजूरी के विरुद्ध केवल 3061 के.डब्ल्यू.पी. क्षमता (45 प्रतिशत) ही सौर फोटो वोल्टिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सका । आपूर्तिकर्ताओं द्वारा काम के पूरा न होने के कारणों को विश्लेषण करने में और सुधारात्मक कार्रवाई करने में कंपनी की विफलता के कारण लाभार्थी अक्षय ऊर्जा के लाभ से वंचित हुए यद्यपि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 34.08 करोड़ के लाभार्थी हिस्सेदारी कंपनी के साथ अप्रयुक्त पड़ी रही थी ।

(कंडिका 2.3.18)

- रद्द किये गये कार्य आदेशों की पुनः निविदा में की गई देरी के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान कंपनी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 81.70 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र के विरुद्ध केवल 18.66 लाख लीटर प्रतिदिन (22.84 प्रतिशत) क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र की ही स्थापना कर पाई परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार लाभार्थी अंश के रूप में ₹ 4.54 करोड़ कंपनी में व्यर्थ पड़ा हुआ था ।

(कंडिका 2.3.19)

- कंपनी के अधिकारियों के साथ साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा 38 स्थापित सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र प्रणालियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में केवल 26 प्रणालियां (68 प्रतिशत), क्रियाशील हालत में पाये गये चार प्रणाली (11 प्रतिशत) बिना क्रियाशील हालत में और 8 प्रणाली (21 प्रतिशत) यद्यपि क्रियाशील हालत में थे परन्तु आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रख रखाव की कमी और कम्पनी द्वारा समुचित निगरानी के अभाव के कारण पुर्जा/बैट्री आदि में समस्याएं का सामना कर रहे थे। इस प्रकार कम्पनी स्थापित संयंत्रों के दीर्घकालिक स्थिरता और समुचित रख-रखाव करने में विफल रही परिणामस्वरूप लाभार्थियों को इच्छित लाभ से वंचित होना पड़ा ।

(कंडिका 2.3.20)

- वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य में अक्षय ऊर्जा के अपर्याप्त उत्पादन के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों मध्य प्रदेश नियामक आयोग द्वारा तय अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.) के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकी परिणामस्वरूप कुल 6316.91 मिलियन यूनिट आर.पी.ओ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी हुई इसके अलावा विद्युत वितरण कम्पनियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता में कमी के लिए ₹ 3013.20 करोड़ की अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र की खरीद नहीं की थी ।

(कंडिका 2.3.22)

प्रस्तावना

2.3.1 राज्य में अक्षय ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कोयला की स्थापना 25 अगस्त 1982 को हुई। कम्पनी, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन से विभिन्न अक्षय ऊर्जा योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राशि प्राप्त करती है।

राज्य में अक्षय ऊर्जा संबंधित गतिविधियां ग्रिड सम्बन्धित एवं ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं में वर्गीकृत है। ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं में सौर, पवन, लघु जल बिजली एवं बायोमास स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है जिसे की ग्रिड में दिया जाता है। ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं में सोलर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्रों से उत्पादित अक्षय ऊर्जा स्ट्रीट लाइट प्रणाली, होम लाइट प्रणाली सौर गर्म जल संयंत्र प्रणाली, फोटोवोल्टिक पानी के पंप प्रणाली शामिल है जिस से उत्पन्न ऊर्जा बिना ग्रिड को दिए लाभार्थी द्वारा स्वयं उपयोग किया जाता है। ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (विभाग) के कार्यालय की स्थापना (अप्रैल 2010) की गई थी जबकि कंपनी ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को चलती है।

मध्य प्रदेश में समग्र बिजली की स्थिति

2.3.2 राज्य में सभी स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता (मार्च 2015) 15320 मेगावाट थी जिसमें से केवल 1243 मेगावाट (8 प्रतिशत) ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत से बनी है। 31 मार्च 2015 में राज्य के विभिन्न अक्षय स्रोतों के तहत अनुमानित क्षमता और स्थापित क्षमता तालिका 2.3.1 में वर्णित है

तालिका 2.3.1

अक्षय ऊर्जा के स्रोत	क्षमता (मेगावाट में)	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	2010-15 के दौरान विद्युत (मिलियन यूनिट में)
सौर	17672	453	575.92
पवन	19550	665	2087.01
लघु जल बिजली	411	70	893.00
बायोमास	1462	55	137.02
कुल	39095	1243	3692.95

(स्रोत: कम्पनी एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार इनकी संभावित क्षमता की तुलना में अलग अलग अक्षय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता सौर, पवन, बायोमास परियोजना प्रत्येक के लिए मात्र 3 प्रतिशत थी और 17 प्रतिशत लघु जल बिजली परियोजनाओं के लिए था। अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में पवन ऊर्जा अधिकतम (54 प्रतिशत) साथ में सौर ऊर्जा (37 प्रतिशत), लघु जल बिजली (6 प्रतिशत) और बायोमास (3 प्रतिशत) थी।

वर्ष 2010-15 के दौरान कुल 3692.95 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का अधिकतम (56 प्रतिशत) योगदान साथ में लघु जल बिजली परियोजना (24 प्रतिशत) और सौर परियोजना (16 प्रतिशत) और बायोमास (4 प्रतिशत) रहा है।

राज्य में 39095 मेगावाट की अनुमानित संभावना के विरुद्ध अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता केवल 1243 मेगावाट थी।

संगठनात्मक संरचना

2.3.3 कंपनी के संगठनात्मक संरचना में शीर्ष स्तर पर निदेशक मण्डल शामिल है। ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कम्पनी के अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक की सहायता के लिए एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता, दो कार्यपालक अभियंताओं और एक नियंत्रक वित्त एवं लेखा हैं। आयुक्त के कार्यालय के अध्यक्ष (प्रधान सचिव), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन है और सहायता के लिए उपायुक्त, चार कार्यकारी अभियंता और एक लेखा अधिकारी है। कंपनी तथा विभाग की संगठनात्मक संरचना *परिशिष्ट 2.3.1* में दी गयी है।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.3.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य यह आंकलन करना है कि:-

- धन के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए अच्छा वित्तीय प्रबंधन तंत्र कम्पनी और विभाग में मौजूद था
- कंपनी/विभाग नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक स्रोत की संभावित अक्षय ऊर्जा के अनुसार राज्य के ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा का योगदान बढ़ाने की योजना तैयार की है।
- योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन रूपरेखा के अनुसार किया गया था और योजनाओं/कार्यक्रमों का निरीक्षण पर्याप्त और प्रभावी था

लेखा परीक्षा मापदण्ड

2.3.5 निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से तैयार किया गया:

- अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम. एन.आर.ई.) के दिशा निर्देश ;
- अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन की नीतियां एवं निर्देश/दिशानिर्देश ;
- ऊर्जा के अक्षय स्रोत से बिजली के उत्पादन और सह उत्पादन पर मध्य प्रदेश विद्युत नियमक आयोग नियम 2008 एवं मध्य प्रदेश शासन के वित्तीय नियम/नियम।

लेखा परीक्षा के क्षेत्र एवं पद्धति

2.3.6 वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ग्रिड सम्बन्धित और ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः विभाग एवं कम्पनी की गतिविधियों को शामिल करते हुए यह निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2015 के दौरान संचालित किया गया। हमने 357 ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं में से 152 अभिलेखों की परीक्षण जांच की (94 क्रियाशील परियोजनाओं में से 38 एवं 69 निरस्त पंजीकृत परियोजनाओं में से 21 शामिल)।

इसके अलावा राज्य भर में 37 जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय में से चार¹ जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय, कम्पनी के प्रधान कार्यालय के साथ-साथ चुना गया। चयनित किये गये 4 जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालयों में 61 सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लाट में से 38 का चयन संयुक्त भौतिक सत्यापन हेतु लेखा परीक्षा दल तथा साथ में कंपनी का एक अधिकारी द्वारा किया गया।

प्रमुख सचिव नव एवं नवकरणीय, विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ 30 अप्रैल 2015 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली एवं क्षेत्रों पर चर्चा की गई। ऑडिट निष्कर्षों को 4 अगस्त 2015 को विभाग कम्पनी के संज्ञान में लाया गया। सरकार एवं कम्पनी के जवाब प्रतीक्षित है। निकास सम्मेलन 4 नवम्बर 2015 को आयोजित किया गया। प्रबंधन के मत को निश्चित स्थान पर प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की आगे आने वाले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजना

2.3.7 जैसा कि कंडिका 2.3.1 में चर्चा की गई है कि, राज्य में ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं को आयुक्त नव एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को सौंपा गया। ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता/अनुदान नव एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान नहीं की जाती है और परियोजनाओं को पूरी तरह से स्वयं के स्रोत से निजी विकासकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित किया गया है, हालांकि अक्षय ऊर्जा नीति में विकासकर्ताओं के लिए निजी भूमि की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट, संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद पर प्रवेश कर और वैट कर में छूट, बिजली शुल्क में छूट आदि प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं जैसा की **परिशिष्ट 2.3.2** में वर्णित है

नीति एवं योजना

लम्बी अवधि/अल्प अवधि योजनाओं का न बनाया जाना एवं लक्ष्यों का निर्धारण न होना

2.3.8 मध्य प्रदेश शासन ने पांच साल की अवधि के लिए राज्य में ऊर्जा नीति को जारी किया (अक्टूबर 2006) बाद में अलग से ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा नीतियां बायोमास सम्बन्धित ऊर्जा परियोजना (अक्टूबर 2011), लघु पन बिजली परियोजना (नवम्बर 2011), पवन ऊर्जा परियोजनाएं (जनवरी 2012) एवं सौर ऊर्जा परियोजनाएं (जुलाई 2012) नीतियां, ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की राज्य में स्थापना के लिए निजी विकासकर्ताओं को प्रोत्सासन एवं छूट प्रदान करती है जैसा की **परिशिष्ट 2.3.2** में वर्णित है।

हमने पाया कि उपरोक्त नीतियां जो बनी थी, राज्य में अक्षय ऊर्जा की सम्भावना के आंकलन पर सम्बन्धित नहीं थी जो की पहली बार हाल ही में अक्टूबर 2014 में आंकलित किया गया इसके अलावा, क्षमता वृद्धि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया और राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक/अल्पकालिक योजनाएं नहीं थी, परिणामस्वरूप राज्य में संभावित अक्षय ऊर्जा को एक सुनियोजित तरीके के इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

क्षमता वृद्धि के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया था और कोई राज्य में अक्षय ऊर्जा की संभावनाओं के विकास के लिये कोई दीर्घकालिक/अल्पकालिक योजनाएं नहीं थी।

¹ छिंदवाडा, शिवपुरी, भोपाल, रायसेन।

31 मार्च 2015 को विभाग द्वारा पंजीकृत, क्रियाशील और विपंजीकृत परियोजनाएं तालिका 2.3.2 में वर्णित है

तालिका 2.3.2

स.क्र.	अक्षय ऊर्जा के स्रोत	पंजीकृत परियोजनाएं (मेगावाट)	क्रियाशील परियोजनाएं (मेगावाट)
1.	सौर	1007.50	453.22
2.	पवन	7196.55	665.30
3.	लघु जल बिजली	316.00	--
4.	बायोमास	471.20	55.40

(स्रोत: कम्पनी एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त के अनुसार यह देखा जा सकता है की परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई विशेष लक्ष्य नहीं थे, वर्ष 2010-11 से 2014-2015 के दौरान सौर में केवल 45 प्रतिशत, पवन में 9 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत बायोमास पर सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं ही पंजीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध क्रियाशील हुई इसके अलावा लघु जल बिजली अक्षय ऊर्जा में कोई भी परियोजना उक्त अवधि के दौरान क्रियाशील नहीं हुई थी। क्रियाशील परियोजनाओं की प्रतिशत में कमी को देखते हुए यह पाया गया कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने में निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का मूल उद्देश्य पूरा नहीं किया गया ।

प्रधान सचिव ने भविष्य में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की छोटी और लम्बी अवधि की योजना निर्दिष्ट करने के लिए निकास सम्मेलन में सहमती व्यक्त की ।

सुझाव :

विभाग को राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अक्षय ऊर्जा की स्रोतवार लक्ष्य उन्मुख योजना तैयार करनी चाहिये ।

परियोजना कार्यान्वयन

ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों का निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

सौर ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता वर्धन में न्यून उपलब्धि

2.3.9 म.प्र. में ग्रिड सम्बन्धित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये निजी क्षेत्र को भागीदारी को राज्य में सौर ऊर्जा सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से म.प्र. शासन ने (जुलाई 2012) में एक नीति जारी की परियोजना के क्रियाशील होने की अवधि 24 माह है। सौर नीति में प्रदान की गई प्रोत्साहन और छूटें **परिशिष्ट 2.3.2** में वर्णित है।

31 मार्च 2015 की स्थिति में पंजीकृत, क्रियाशील और निरस्त पंजीकृत परियोजनाओं की स्थिति **तालिका 2.3.3** में वर्णित है ।

तालिका 2.3.3

वर्ष	पंजीकृत परियोजनाओं की संख्या	पंजीकृत परियोजनाओं की क्षमता (मेगावाट में)	क्रियाशील परियोजना		विपंजीकृत परियोजना	
			नं.	(मेगावाट में)	नं.	(मेगावाट में)
2010-11	-	-	-	-	-	-
2011-12	1	2.00	1	2.00	-	-
2012-13	32	334.95	17	35.21	4	120.00
2013-14	31	141.32	23	306.83	2	120.00
2014-15	30	529.23	10	109.18	2	7.00
कुल	94	1007.50	51	453.22	8	247.00

(स्रोत : जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित किया गया)

31 मार्च 2015 की स्थिति में कुल पंजीकृत क्षमता परियोजना में से केवल 45 प्रतिशत ही क्रियाशील हो सका।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2015 को स्थिति में कुल पंजीकृत क्षमता की परियोजनाओं में से केवल 45 प्रतिशत ही क्रियाशील हो सका है। इसके अलावा 2013-14 की तुलना में 2014-15 के दौरान यद्यपि पंजीकृत परियोजनाओं में लगभग तीन गुना 141 मेगावाट से 529 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि क्रियाशील क्षमता में वृद्धि में गिरावट 64 प्रतिशत 307 मेगावाट से 109 मेगावाट दर्ज की गई।

इसके अलावा 2012-13 से 2014-15 के दौरान कुल 94 पंजीकृत परियोजनाओं (1007.50 मेगावाट क्षमता) में से 8 परियोजना जिनकी संभावित क्षमता 247 मेगावाट (25 प्रतिशत) थी उनका पंजीकरण निरस्त हो गया। हमने परीक्षण जांच में पाया कि चार² परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त हो गया था। अन्य 17³ परियोजनाओं में भूमि की अनुलब्धता के कारण कोई प्रगति नहीं हो पाई। विभाग, विकासकर्ताओं के लिये भूमि के आवंटन को सुविधाजनक बनाने के लिये अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में विफल रहा। यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी एवं और परियोजनाओं के पंजीकरण के निरस्तीकरण के कारण था।

विभाग ने (जुलाई 2015) लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया है कि भूमि की अनुलब्धता और विकासकर्ताओं द्वारा नीति के प्रावधानों के गैर अनुपालन धीमी प्रगति के मुख्य कारण है।

यद्यपि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी एवं पंजीकरण के निरस्तीकरण के कारण की विभाग को जानकारी थी, फिर भी यह आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया। इस प्रकार राज्य और सौर ऊर्जा के लिये भारी अक्षय ऊर्जा क्षमता के बावजूद महज 3 प्रतिशत ही वर्तमान में उपयोग किया जा रहा जैसा कि तालिका 2.3.1 में बताया गया है।

अन्य अनियमितताएँ:-

2.3.10 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया देखी गई अन्य कमियां निम्नानुसार हैं:-

² एश्विन इन्टरप्राइजेज प्रा. लि., टी.एच.डी.सी., वारी इन्टरप्राइजेज, ए.डी.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.

³ स्वान पावर प्र. लि. (2), एम. & बी. स्विच गियर, स्टेपल एनर्जी प्र. लि., ऊजास एनर्जी (3), कैलाश देव बिल्ड, मैनेजमेन्ट मल्टी ट्रेड, वारी, वाल्सपन, अवन्ती पावर प्र.लि., साई प्रकाश पावर इण्डिया लि., सारंगगा रिन्युएबल एनर्जी, श्रीजी पालिमरस, ईस्टमैन इन्टरनेशनल

(अ) परियोजना मंजूरी और क्रियान्वयन बोर्ड बैठक का आयोजन न किया जाना

विभाग ने भूमि आवंटन के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए भी पी.सी.आई.बी. की बैठक आयोजित नहीं की।

सौर ऊर्जा नीति की धारा 7 खण्ड बी के अनुसार परियोजनाओं एवं अंतर विभागीय समन्वय के कार्यान्वयन में कठिनाईयों को हटाने के लिये मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित परियोजना मंजूरी और क्रियान्वयन बोर्ड (पीसीआईबी) को भेजा जाना था। जबकि चार निरस्त पंजीकृत परियोजनाओं की परीक्षण जांच में हमने पाया कि भूमि की अनुपलब्धता की वजह से आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा 17 परियोजनाओं के परीक्षण जांच में हमने पाया कि ये परियोजनाएँ क्रियाशील नहीं हो पायीं भूमि की अनुपलब्धता की वजह से, जैसा की कंडिका 2.3.9 में चर्चा की गई है। इसके बावजूद कोई पीसीआईबी बैठक 2010-11 से 2014-15 के दौरान परियोजनाओं के लिये भूमि आवंटन में कठिनाईयों की दूर करने के लिये विभाग द्वारा नहीं बुलाई गई थी।

निकास सम्मेलन में प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया कि भविष्य में पीसीआईबी बैठक के आयोजन के संबंध में आवश्यक अनुपालन जैसा कि नीति के प्रावधानों के निहित है, का पालन किया जायेगा।

(ब) निगरानी में कमी की वजह से बिजली उत्पादन के आकड़ों का गैर रखरखाव:

विभाग ने क्रियाशील सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उत्पादन का कोई भी विवरण संधारित नहीं किया है जो कि कमजोर निगरानी का सूचक है।

सौर ऊर्जा नीति भाग ख के अनुच्छेद 5(ग), 5(घ) के अनुसार परियोजना विकासकर्ताओं को मासिक तथा वार्षिक उत्पादन विवरणों को विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और विभाग को भी उपरोक्तानुसार एक आकड़ा संकोष (डाटा बैंक) का संधारण करना था। हमने पाया कि विभाग ने किसी भी क्रियाशील परियोजना का उत्पादन विवरण का संधारण नहीं किया। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा नीति के अनुसार क्रियाशील परियोजनाओं की निगरानी नहीं की गयी थी।

निकास सम्मेलन के दौरान, प्रमुख सचिव ने लेखा परीक्षा आक्षेप स्वीकार करते हुए नीति में प्रावधानित उपबंधों के पालन का आश्वासन दिया।

(ग) उर्जा क्रय अनुबंध उपलब्ध न होना :

सौर उर्जा नीति भाग 'अ' के अनुच्छेद 12 (ब) के अनुसार, उर्जा क्रय अनुबंध, विकासकर्ता तथा मध्यप्रदेश पावर मनेजमेन्ट कंपनी के बीच प्रशासनिक अनुमोदन के पाँच माह के अन्दर किये जाते थे। विभाग के पास विकासकर्ताओं द्वारा उर्जा क्रय अनुबंध हस्तांतरित होने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अतः विभाग सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत उक्त कि निगरानी में असफल रहा। हमने स्वतंत्र रूप से उर्जा क्रय अनुबंध हस्तांतरित होने की जानकारी मध्यप्रदेश पावर मनेजमेन्ट कंपनी से प्राप्त की। उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमने पाया कि 51 परियोजनाओं में (33 प्रतिशत) पावर मनेजमेन्ट कंपनी द्वारा सिर्फ 17 परियोजनाओं के अनुबंध हस्तांतरित हुए। शेष 34 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ एक वर्ष पूर्व चालु हो चुकी थी। यह बात इस तथ्य को दर्शाती है कि 34 चालू परियोजनाओं (66 प्रतिशत) में राज्य सरकार/मध्यप्रदेश पावर मनेजमेन्ट कंपनी द्वारा उक्त परियोजनाएँ चालु होने के पश्चात् भी विद्युत आपूर्ति नहीं ली जा रही थी।

निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने लेखा परीक्षा कंडिका को स्वीकार किया तथा उर्जा क्रय अनुबंध संबंधी नीति के प्रावधानों का भविष्य में ध्यान रखने का आश्वासन दिया।

ग्रिड सम्बन्धित पवन ऊर्जा परियोजनाएं :-

2.3.11 राज्य में ग्रिड सम्बन्धित पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने एक व्यापक नीति जारी

किया (जनवरी 2012)। विभाग ने समय-समय पर सरकारी और निजी भूमि पर परियोजनाओं के आवंटन के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किया परियोजनाओं के कार्यशील होने की समय सीमा 36 महीने है। पवन ऊर्जा नीति में प्रदान की गई छूट और प्रोत्साहन परिशिष्ट 2.3.2 में वर्णित है।

31 मार्च 2015 की स्थिति में पंजीकृत, क्रियाशील एवं निरस्त पंजीकृत परियोजनाओं की स्थिति तालिका 2.3.4 में वर्णित है।

तालिका 2.3.4

वर्ष	पंजीकृत परियोजनाएं (सं)	पंजीकृत क्षमता (मेगा वाट में)	क्रियाशील परियोजनाएं (सं)	क्रियाशील परियोजनाएं (मेगावाट में)	विपंजीकृत परियोजनाएं (सं)	विपंजीकृत परियोजनाएं (मेगावाट में)
2009-10	13	582.70	1	15.00	8	306.50
2010-11	12	318.65	4	46.50	—	—
2011-12	8	268.75	5	100.50	—	—
2012-13	14	254.10	2	9.60	—	—
2013-14	40	1676.35	3	37.40	22	526.85
2014-15	83	4096.00	18	456.30	—	—
कुल	170	7196.55	33	665.30	30	833.35

(स्रोत : सूचना विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत योजनाएं की कार्यशील होने की लंबी समय सीमा के कारण पंजीकृत क्षमता की मात्र 9 प्रतिशत योजनायें ही क्रियाशील हो पाई।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पंजीकृत एवं क्रियाशील परियोजनाओं की संख्या काफी हद तक पिछले दो वर्षों में ऊपर आई है। हालांकि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं के कार्यशील होने की लंबी समय सीमा होने के कारण 7196.55 मेगावाट क्षमता पंजीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध 665.30 मेगावाट (9 प्रतिशत) क्षमता की परियोजनाएं ही मुख्य रूप से क्रियाशील हो पाई।

इसके अलावा वर्ष 2010-15 के दौरान निष्पादन गारंटी के न प्रस्तुत करने के कारण 833.5 मेगावाट (कुल पंजीकृत परियोजनाओं की 12 प्रतिशत) की क्षमता की 30 परियोजनाएं विपंजीकृत हो गई। इस प्रकार से परियोजनाओं की मृत्युदर अधिक थी।

मुख्य सचिव ने विकास सम्मेलन के दौरान कहा कि पवन ऊर्जा परियोजनाओं में प्रमुख पंजीकरण पिछले दो वर्षों के दौरान हुये है और इस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने की अवधि लगभग 3 वर्ष है इसलिये आगे आने वाले वर्षों में ये परियोजनाएं क्रियाशील हो जायेंगी। यह भी कहा कि सरकार को आने वाले वर्षों में लगभग 60 से 70 प्रतिशत कार्यान्वयन दर की उम्मीद है।

अन्य अनियमितताएं

2.3.12 पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पाई गई अन्य कमियां निम्न प्रकार है :-

(क) बिजली उत्पादन के आंकड़ों एवं क्रियाशीलता प्रतिवेदन के संधारण न करने के कारण निगरानी में अभाव

पवन ऊर्जा नीति के अनुच्छेद 6.3 खण्ड 'ब' के अनुसार परियोजनाओं के क्रियाशील होने के बाद प्रत्येक विकासकर्ता के लिये यह आवश्यक था कि वह मासिक बिजली उत्पादन के आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध करवाये। हमने पाया कि विभाग न तो ऐसा कोई आंकड़ा

विभाग द्वारा उत्पादन आंकड़ों का संधारण न करना निजी प्रावधानों का उल्लंघन

संधारित करता है और न ही क्रियाशील परियोजनाओं के उत्पादन आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके अलावा 11⁴ क्रियाशील परीक्षण जांच किये हुये परियोजनाओं में से 4⁵ परियोजनाओं में यह पाया गया कि, परियोजना की क्रियाशीलता प्रतिवेदन भी विभाग द्वारा नहीं संधारित की जा रही। यह दर्शाती है कि विभाग द्वारा परियोजनाओं की निगरानी, नीति के अनुसार नहीं की जा रही है।

(ब) विकासकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाना

पवन ऊर्जा नीति के अनुच्छेद 3.1.3 के अनुसार सरकारी भूमि पर परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिये विकासक को ₹ एक लाख प्रति मेगावाट की निष्पादित गारंटी जमा करनी है। एक 30 मेगावाट की कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान की परियोजना के मामले में हमने पाया कि ₹ 30 लाख की निष्पादन गारंटी विकासक से प्राप्त नहीं की गई।

निकास सम्मेलन के दौरान, मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि मामले की समीक्षा की जायेगी और तथ्यात्मक स्थिति से सूचित किया जायेगा।

लघु पवन बिजली परियोजना की गैर-क्रियाशीलता

2.3.13 राज्य में ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने ग्रिड संयोजित लघु पन बिजली परियोजना (एस.एच.पी.) नीति के कार्यान्वयन के लिये एक व्यापक नीति जारी की (नवम्बर 2011) विभाग ने अधिकतम 25 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना के लिये विकासकों से प्रस्ताव के लिये अनुरोध आमंत्रित किया है। परियोजना के कार्यशील होने की अवधि, विकासकर्ता एवं विभाग के बीच हाइड्रल पावर डेवलपमेंट करार के निष्पादन की तारीख से 35 से 48 महीने होती है। लघु पन बिजली नीति में प्रदान की गई प्रोत्साहन और छूट **परिशिष्ट 2.3.2** में वर्णित है –

31 मार्च 2015 की स्थिति में पंजीकृत, क्रियाशील एवं विपंजीकृत परियोजनाओं का वर्णन **तालिका 2.3.5** में है।

⁴ रिनयुएबल एनर्जी जेनेरेशन प्र.लि., गमेश विन्ड टरबाइन लि., सिद्धार्थ विन्ड एनर्जी लि., एनरकॉन इण्डिया लि.

⁵ बैतूल विन्ड फार्म लि., रिनयुएबल एनर्जी जेनेरेशन प्र.लि., गमेश विन्ड टरबाइन लि., सिद्धार्थ विन्ड एनर्जी लि., साउथर्न विन्ड फार्म लि., एनरकॉन इण्डिया लि., चोक्से एनर्जी इनफ्रा पावर लि., विन्ड वर्ल्ड इन्डिया लि., सुजलोन लि.(3)

तालिका-2.3.5

वर्ष	पंजीकरण		क्रियाशील ⁶		विपंजीकृत	
	संख्या	क्षमता (मेगावाट में)	(सं.)	क्षमता (मेगावाट में)	(सं.)	क्षमता (मेगावाट में)
2010-11	—	—	—	—	—	—
2011-12	1	0.50	—	—	—	—
2012-13	63	224.75	—	—	19	44.80
2013-14	19	86.15	—	—	—	—
2014-15	4	4.60	—	—	—	—
कुल	87	316.00	—	—	19	44.80

(स्रोत : जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

विभाग द्वारा 2010-15 के दौरान कोई भी लघु पन बिजली परियोजना क्रियाशील नहीं किया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2015 की स्थिति से 87 परियोजनाएं 316 मेगावाट की पंजीकृत हुई हैं जिनमें से कोई भी परियोजना लम्बी परियोजना कार्यान्वयन अवधि के कारण क्रियाशील नहीं हो पायी। जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान 44.80 मेगावाट की 19 परियोजनाएं (14 प्रतिशत) भूमि की अनुपलब्धता और विकासकर्त्ताओं की उदासीनता के कारण विपंजीकृत हो गईं।

इस प्रकार राज्य में लघु पन बिजली के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की क्षमता की संभावना का अभी तक दोहन नहीं किया जा रहा है।

निकास सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव ने आडिट टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की। तथ्य यह है कि लघु पन बिजली ऊर्जा क्षमता की संभावना, पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई भी क्षमता वर्धन न होने से नहीं बढ़ी है।

बायोमास सम्बन्धित बिजली परियोजनाओं का गैर-पंजीकरण :-

2.3.14 राज्य में बायोमास सम्बन्धित बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने ग्रिड संयोजित बायोमास बिजली परियोजना के कार्यान्वयन के लिये एक व्यापक नीति जारी की (अक्टूबर 2012) नई परियोजनाओं के आवंटन के लिये विभाग द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी की तारीख से 24 महीने के निर्धारित समय सीमा के भीतर क्रियाशील किया जाना था। बायोमास नीति में प्रदान प्रोत्साहन एवं छूटे परिशिष्ट 2.3.2 में वर्णित है।

31 मार्च 2015 की स्थिति में पंजीकृत क्रियाशील एवं विपंजीकृत परियोजनाओं का वर्णन तालिका 2.3.6 में है -

तालिका-2.3.6

वर्ष	पंजीकृत परियोजनाएं (सं.)	पंजीकृत क्षमता (मेगावाट)	परियोजनाएं क्रियाशील (सं.)	क्रियाशील क्षमता (मेगावाट)	विपंजीकृत परियोजनाएं	
					(सं.)	क्षमता (मेगावाट)
2009-10	29	280.00	5	12.95	—	—
2010-11	17	186.00	3	7.05	16	152.00
2011-12	—	—	3	10.75	3	32.00
2012-13	2	5.20	2	1.45	—	—
2013-14	—	—	3	23.20	1	10.00
2014-15	—	—	—	—	—	—

⁶ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण व निजी पार्टी द्वारा राज्य में स्थापित 70.45 मेगावाट की एस.एच.पी. परियोजनाएं शामिल नहीं है

कुल	48	471.20	16	55.40	20	194.00
-----	----	--------	----	-------	----	--------

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई जानकारी)

2013-15 की अवधि के दौरान कोई नई बायोमास परियोजना क्रियाशील नहीं की।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कोई नयी परियोजना पिछले 2 वर्षों में पंजीकृत नहीं हुई है इसके अलावा 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 471.20 मेगावाट क्षमता की पंजीकृत 48 परियोजनाओं में से 55.40 मेगावाट (12 प्रतिशत) की क्षमता के साथ केवल 16 परियोजनाएं ही क्रियाशील हुई। इसके अलावा 471.20 मेगावाट की कुल पंजीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध 194 मेगावाट (41 प्रतिशत) की प्रस्तावित क्षमता के साथ 20 परियोजनाएं विपंजीकृत हुई थी। यह दर्शाता है कि राज्य में बायोमास सम्बन्धित बिजली परियोजनाओं में विकासकर्ताओं का रुझान कम था, मुख्य कारण जिनमें बायोमास ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा के लिए अपर्याप्त टैरिफ और कच्चे माल की अनुपलब्धता कहा गया है। हालांकि हमने विभाग द्वारा संभावित विकासको द्वारा टंडी प्रतिक्रिया के कारणों को पहचानने के लिये विभाग/सरकार द्वारा उठाये गये किसी भी ठोस कार्यवाही का करना नहीं पाया।

निकास सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया था।

इस प्रकार बायोमास सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के भागीदारों को प्रोत्साहित करने का बायोमास नीति के उद्देश्य हासिल नहीं हो पाया है।

अन्य अनियमितता

2.3.15 बायोमास सम्बन्धित परियोजनाओं में पायी गई अन्य कमियां निम्नानुसार है :-

(क) विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाना :-

6 विकासकर्ताओं से ₹ 72 लाख की निष्पादन गारंटी वसूल न करके उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

बायोमास नीति के अनुच्छेद 4.3 के अनुसार, इस परियोजना के क्रियाशील होने के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिये विकासकर्ता, परियोजना के आवंटन से एक महीने के भीतर ₹ एक लाख प्रति मेगावाट की दर से निष्पादन गारंटी जमा करेगा। क्रियान्वयन के तहत 12 मामलों में से 6⁷ मामलों की परीक्षण जांच में हमने पाया कि कुल ₹ 72 लाख निष्पादन गारंटी के विकासकर्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

तथापि विभाग ने निष्पादन गारंटी के संग्रह के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप विकासकों को अनुचित लाभ पहुँचा।

निकास सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए मुख्य सचिव ने उसके कारणों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया।

(ख) निगरानी के अभाव में उत्पादन आंकड़ों का संग्रहण न करना

विभाग द्वारा न उत्पादन आंकड़ों का संग्रहण की न ही क्रियाशील परियोजनाओं की निगरानी की।

उत्पादन आंकड़ों का संधारण न करने के कारण निगरानी का अभाव बायोमास नीति के अनुच्छेद 12.2 अ के अनुसार वितरण/प्रसारण कंपनी द्वारा प्रमाणित, उत्पादित बिजली का मासिक आंकड़ा विकासकर्ताओं को विभाग में प्रस्तुत किया जाना था।

⁷ बैतूल नॉन कानवेनशियल एनजी प्र. लि., हेमा श्री एग्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जैन रिन्यूएबल एनर्जी प्र. लि., एस.आर. रिन्यूएबल एनर्जी, श्याम एग्रो नागपुर (प्र.) लि., शैलीवहन ग्रीन एनर्जी, जैन एनर्जी (प्र.) लि.

क्रियाशील 5⁸ परियोजनाओं की परीक्षण जांच में हमने पाया कि विभाग द्वारा उत्पादन आंकड़े संधारित नहीं किये जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा नीति के अनुसार क्रियाशील परियोजनाओं की निगरानी नहीं की जा रही।

निकास सम्मेलन के दौरान, मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और भविष्य में बिजली उत्पादन के आंकड़ों के संधारण के सम्बन्ध में नीति के प्रावधानों के आवश्यक अनुपालन का आश्वासन दिया।

सुझाव : कंपनी को अक्षय ऊर्जा के लिये नीति की रूपरेखा का मूल्यांकन करना चाहिये और देखी गई बाधाओं के अनुसार प्रावधानों के पूर्ण विवरण में जाकर इनका क्रियान्वयन करना चाहिये।

ऑफ ग्रीड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं

कंपनी राज्य में बिना ग्रीड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये पायी है जिसमें सौर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट, स्ट्रीट लाइट, होम लाइट सयंत्र, सौर गर्म जल सयंत्र, सौर जल पम्प और दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा घरेलू उपयोग के लिये बायोगैस सयंत्र भी बिना ग्रीड अक्षय ऊर्जा के घटक में से एक है हालांकि बायोगैस सयंत्र के कार्यान्वयन कंपनी द्वारा नहीं किये गये हैं।

वित्तीय प्रबंधन

एम.एन.आर.ई., मध्यप्रदेश शासन एवं लाभार्थियों के धन का कम उपयोग :-

2.3.16 विभिन्न बिना ग्रीड सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों से केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में एम.एन.आर.ई. (सी.एफ.ए.) से धन प्राप्त होता है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान एम.एन.आर.ई., मध्य प्रदेश शासन और लाभार्थियों से प्राप्त धन **तालिका 2.3.7** में वर्णित है :-

तालिका- 2.3.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एम.एन.आर.ई.		मध्यप्रदेश शासन		लाभार्थियों	
	प्राप्त धन	व्यय	प्राप्त धन	व्यय	प्राप्त धन	व्यय
2010-11 ⁹	27.02	23.03	27.46	17.90	17.48	7.95
2011-12	21.84	8.55	6.36	4.95	49.92	5.50
2012-13	7.05	9.12	17.61	5.27	15.50	8.36
2013-14	2.16	19.27	35.82	18.46	78.28	33.46
2014-15	23.56	15.70	9.29	26.08	33.34	52.12
कुल	81.63	75.67	96.54	72.66	194.52	107.39

(स्रोत : जानकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

31 मार्च 2015 को लाभार्थियों को प्राप्त ₹ 87.13 करोड़ की राशि कम्पनी के पास बेकार पड़ी हुई है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान उपलब्ध धन की उपयोगिता एम.एन.आर.ई. द्वारा उपलब्ध धन की दशा में 93 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध धन की दशा में 75 प्रतिशत है। जबकि, लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध धन की उपयोगिता महत्वपूर्ण रूप से कम थी। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान लाभार्थियों से प्राप्त ₹ 194.52 करोड़ के विरुद्ध कंपनी ने केवल ₹ 107.39 करोड़

⁸ आर्या एनर्जी लि., ओरिन्ट ग्रीन पावर, अनंत उर्जा प्र. लि., लंकेश प्र. लि., प्रगया एनर्जी प्र. लि.

⁹ वर्ष 2010-11 के प्राप्त धन के भागों में प्रारम्भिक शेष ₹ 6.28 करोड़, ₹ 6.18 करोड़ एवं ₹ 4.93 करोड़ एम.एन.आर.ई., मध्यप्रदेश और लाभार्थी से थे।

(55 प्रतिशत) ही उपयोग कर पायी, 31 मार्च 2015 को कंपनी के पास लाभार्थियों का ₹ 87.13 करोड़ बेकार पड़ा रहा। धन के कम उपयोग के कारणों की चर्चा कंडिका 2.3.18 और 2.3.19 में की गई है।

निकास सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया। तथ्यात्मक स्थिति यह है कि लाभार्थी कंपनी में धन जमा करने के बावजूद भी अक्षय ऊर्जा से मिलने वाले लाभों से वंचित हो गये।

सुझाव :

कंपनी को लाभार्थियों के धन को उपयोग करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

नीति एवं योजना

2.3.17 मध्यप्रदेश शासन ने (अक्टूबर 2006) राज्य की ऊर्जा नीति जारी की पांच साल की अवधि के लिए, इस नीति के समापन के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन ने बिना ग्रिड सम्बन्धित सौर संयंत्रों की स्थापना के लिये कोई विशेष नीति एवं लक्ष्य नहीं बनाया। अतः कंपनी ने एम.एन.आर.ई. द्वारा बिना ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया।

ऑफ ग्रिड प्रणाली आधारित संयंत्रों की स्थापना के लिये कोई विशेष नीति नहीं बनाई

बिना ग्रिड सम्बन्धित प्रतिवेदनों के लिए क्योंकि कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था इसलिये बिना ग्रिड सम्बन्धित प्रतिष्ठानों की स्थापना लाभार्थियों से प्राप्त तदर्थ मार्गों के आधार पर किया गया। अतः लक्ष्यों को निश्चित नहीं करने और राज्य की कोई विशेष नीति न बनी होने के कारण राज्य में बिना ग्रिड सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के लिये पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

निकास सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया।

परियोजना कार्यान्वयन

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत एवं उसके विरुद्ध प्राप्तियां विभिन्न बिना ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिये **तालिका 2.3.8** में वर्णित है।

तालिका-2.3.8

	विभिन्न बिना ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम					
	सौर फोटो बोल्टिम पावर प्लांट (नं.)	सौर स्ट्रीट लाइट संयंत्र (नं.)	होम लाइट संयंत्र (संख्या)	सौर गर्म जल संयंत्र (संख्या)	सौर पावर गर्म जल संयंत्र	दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (गांवों की संख्या)
स्थापना के लिये स्वीकृत	1565	1287	16213	81.69	2191	223
प्राप्तियां	592	1263	15932	18.69	1919	220

(स्रोत : जानकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कंपनी की उपलब्धि दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत उल्लेखनीय रही है (98 प्रतिशत) स्ट्रीट लाइट संयंत्र (98 प्रतिशत) होम लाइट संयंत्र (98 प्रतिशत) और सौर फोटो बोल्टिक जल पंप (88 प्रतिशत) जबकि सौर फोटो बोल्टिक पावर प्लांट एवं सौर गर्म जल संयंत्र के संबंध में प्राप्तियां नगण्य 38 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत क्रमशः रही। इस प्रकार इन कार्यक्रमों

में लाभार्थियों द्वारा रूचि दिखाने के बावजूद अक्षय ऊर्जा संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि आगे कंडिका 2.3.18 एवं 2.3.19 में चर्चा की गई है।

सुझाव :-

बिना ग्रिड सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिये एक आवश्यकता सम्बन्धित और लक्ष्य सम्बन्धित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये कंपनी को एक नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिये।

सौर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट में न्यून उपलब्धि :-

2.3.18 पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने और कार्यालय भवन एवं घर की मौजूद छत के स्थान को अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिये उपयोग करने के उद्देश्य से कंपनी रूफ टाप सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता 1 किलोवाट से 100 किलोवाट के बीच होती है।

एम.एन.आर.ई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना ग्रिड सम्बन्धित एवं विकेन्द्रीकृत सौर प्रयोग (जून 2010) ने कार्यान्वयन के लिये एम.एन.आर.ई. 30 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, मध्यप्रदेश शासन 20 प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है बाकी की 50 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कंपनी ने ₹ 18.42 करोड़ एम.एन.आर.ई. से ₹ 15.34 करोड़ मध्यप्रदेश शासन से और लाभार्थियों से ₹ 67.72 करोड़ सौर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिये प्राप्त किये इसी के विरुद्ध कंपनी ने ₹ 70.03 करोड़ खर्च कर सकी। 31 मार्च 2015 की स्थिति में सौर फोटो बोल्टिक संयंत्रों के लाभार्थियों के अंश ₹ 34.08 करोड़ कंपनी के पास बेकार पड़े रहे।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा अवगत करा दी गई स्वीकृत एवं कंपनी द्वारा स्थापित सौर फोटो बोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों का वर्णन तालिका 2.3.9 में है।

तालिका-2.3.9

वर्ष	अवगत करा दी गई स्वीकृत सौर फोटो बोल्टिक ऊर्जा संयंत्र		सौर फोटो बोल्टिक ऊर्जा संयंत्र कंपनीद्वारा स्थापित	
	संख्या	क्षमता (किलोवाट)	संख्या	क्षमता (किलोवाट)
2010-11	200	1845	67	525
2011-12	937	3020	36	216
2012-13	428	1860	57	369
2013-14	निरंक	निरंक	402	1343
2014-15	निरंक	निरंक	30	608
कुल	1565	6725	592	3061

(स्रोत : जानकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

कार्य आदेश के निरन्तर निरस्त होने के कारण एम.एन.आर. ई. एवं सौर पावर बोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों के 62 प्रतिशत संयंत्र स्थापित नहीं हो सके तथा हितग्राही के ₹ 34.08 करोड़ कंपनी के पास बेकार पड़े रहे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के दौरान कंपनी एम.एन.आर.ई. द्वारा मंजूर सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों की संख्या में से मात्र 38 प्रतिशत ही क्रियाशील कर पाई और एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत क्षमता के संदर्भ में मात्र 45 प्रतिशत क्रियाशील कर पाई।

हमने पाया कि स्वीकृत सौर फोटो वोल्टिक प्लांट की स्थापना के लिये जिन दो फर्मो प्रारंभ में कार्य आदेश जारी किये गये थे (जनवरी 2013 से अप्रैल 2013) उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया परिणामस्वरूप उनके कार्य आदेश निरस्त किये गये। बाद में कार्य आदेश (अगस्त 2013 से मार्च 2014) एक और फर्म को जारी किये गये बचे हुये कार्य के लिये थे कार्य

आदेश भी एक बार फिर से रद्द हो गया क्योंकि नई फर्म ने भी काम बीच में ही छोड़ दिया।

कंपनी, आपूर्तिकर्ताओं की ओर से काम न कर पाने के कारणों का आंकलन करने में विफल रही और कार्य के सफल समापन सुनिश्चित करने के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।

नतीजन 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत संख्या के मामले में सौर फोटो बोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों के 62 प्रतिशत को 31 मार्च 2015 तक की स्थिति में स्थापित नहीं किये जा सके।

कंपनी ने उत्तर दिया (जून 2015) कि निविदा प्रक्रिया में देरी की वजह से निधि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। निकास सम्मेलन के दौरान प्रधान/सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और बिना ग्रीड सम्बन्धित स्थापना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले अनुबंध प्रबन्धन के मुद्दों से निपटने के लिये आश्वासन दिया।

तथ्य शेष रहा कि लाभार्थी राशि जमा करने के पश्चात् भी अक्षय उर्जा के लाभो से वंचित रहें।

सुझाव : :-

कंपनी को अनुबंध प्रबन्ध में सुधार और अक्षय ऊर्जा प्रणालिया के समय पर स्थापना के लिये विक्रेता आधार में वृद्धि करनी चाहिए।

सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना न होना

2.3.19 एम.एन.आर.ई. राज्य नोडल एजेंसियों, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और निजी संस्थाओं के माध्यम से सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना के लिये योजना लागू कर रही है।

इस योजना के तहत एम.एन.आर.ई. प्रणाली की लागत पर 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) प्रदान करती है शेष 70 प्रतिशत लागत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाना था। हालांकि सब्सिडी का वितरण अक्टूबर 2014 से एम.एन.आर.ई. द्वारा बंद कर दिया गया है अब सौर गर्म जल संयंत्र का कार्यान्वयन 100 प्रतिशत लाभार्थी निधि से किया जाता है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कंपनी ने एम.एन.आर.ई. से ₹ 7.61 करोड़ प्राप्त किये जिसमें एम.एन.आर.ई. से ₹ 2.88 करोड़ एवं लाभार्थी से 4.73 करोड़ थे, जिसमें से केवल ₹ 1.98 करोड़ ही खर्च हुए शेष खर्च नहीं की गई ₹ 5.63 करोड़ (74 प्रतिशत) जिसमें एम.एन.आर.ई. का ₹ 1.09 करोड़ एवं लाभार्थी का ₹ 4.54 करोड़ का अंश मार्च 2015 की स्थिति में पड़ा था।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्राप्त स्वीकृतियों और सौर ऊर्जा गर्म जल संयंत्र कार्यक्रम के तहत सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना का ब्यौरा तालिका 2.3.10 में दिखाया गया है।

तालिका-2.3.10

वर्ष	स्वीकृति क्षमता (ली. प्रतिदिन लाख में)	क्षमता उपलब्धि (लीटर प्रतिदिन लाख में)
2010-11	15.00	2.25

2011-12	—	6.80
2012-13	8.75	5.32
2013-14	57.95	3.51
2014-15	—	0.78
कुल	81.70	18.66

(स्रोत : जानकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-15 के दौरान कंपनी एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत 81.70 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के विरुद्ध कंपनी केवल 18.66 लाख लीटर प्रतिदिन (22.84 प्रतिशत) क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र की ही स्थापना कर पाई। यह एक वर्ष से ज्यादा कंपनी के साथ अप्रयुक्त पड़ा हुआ लाभार्थियों के अंशदान के रूप में ₹ 4.54 करोड़ धन की उपलब्धता के बावजूद था।

दो कार्य आदेशों के परीक्षण जांच के दौरान हमने पाया कि फर्म जिसे कि एक स्थल¹⁰ पर 40000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना का कार्य आदेश दिया गया था उसने कोई भी कार्य शुरू नहीं किया और दूसरी फर्म जिसे कि 36 स्थलों में कुल 209700 लीटर प्रतिदिन क्षमता का आदेश दिया गया था उसने केवल 10 साइटों¹¹ पर ही काम किया। दोनों मामलों के यद्यपि आपूर्तिकर्ताओं के अनुबंध रद्द कर दिये गये थे (अक्टूबर 2014) और उनकी बयाना राशि को जब्त कर लिया गया था। कंपनी एक वर्ष बीतने के बाद भी कार्य के पुनः निविदा करने में विफल रही। नतीजन लाभार्थियों द्वारा ₹ 1.08 करोड़ अग्रिम भुगतान करने के बावजूद ही अक्षय ऊर्जा से मिलने वाले लाभों से वंचित हो गये।

निकास सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया।

तथ्य यह है कि, कंपनी एक वर्ष से भी अधिक के लिये लाभार्थी निधि को रखने के बाद संयंत्रों को स्थापित करने में विफल रही।

बिना ग्रीड सम्बन्धित संयंत्रों का अनुचित निगरानी रखरखाव :-

2.3.20 बन्द ग्रीड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोगों के लिये एम.एन.आर.ई. के दिशा-निर्देशों (जून 2010) की धारा 10 के अनुसार कंपनी के अधिकारियों को वास्तविक आधार पर लाभार्थियों के स्थल पर स्थापित संयंत्रों की जमीन पर जाकर प्रत्यक्ष अवलोकन करना आवश्यक था। इसके अलावा दिशा -निर्देशों के अनुसार दो साल की वारंटी के साथ ही वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद तीन साल की अवधि के लिये व्यापक रख-रखाव के अनुबंध के लिये प्रावधान संयंत्रों के आपूर्तिकर्ताओं के लिये जारी किये गये क्रय आदेशों में शामिल हो गये थे। आपूर्तिकर्ताओं को भी कंपनी के लिये प्रणाली के काम-काज पर त्रैमासिक व्यापक रख-रखाव प्रमाण-पत्र (सी.एम.सी.) प्रस्तुत करना आवश्यक था।

हमने पाया कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक आधार पर कोई भी प्रत्यक्ष अवलोकन संयंत्रों की जमीन पर नहीं की गई थी।

चार¹² जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी के कार्यालयों के क्षेत्र दौरे एवं 61 स्थापित सौर फोटो वोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों में से 38 संयंत्रों की कंपनी के कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा दल

¹⁰ बामौर साईट

¹¹ (1) कस्तूरबा गाँधी गर्ल्स हॉस्टल पारसियाँ, तमियाँ, डाइट अमरवाडा, (2) हनुमान मंदिर छिंदवाडा (3) कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन बडवाह, बरवानी, दुधी एवं झबुआ और टीकमगढ़

¹² छिंदवाडा, शिवपुरी, भोपाल, रायसेन

के संयुक्त क्षेत्र दौरे के दौरान यह पाया कि 26 संयंत्र (68 प्रतिशत) क्रियाशील हालत में, चार संयंत्र (11 प्रतिशत) बंद अवस्था में और 8 संयंत्र (21 प्रतिशत) यद्यपि क्रियाशील हालत थे लेकिन पुर्जो/बैटरी संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। अक्षय ऊर्जा कार्यालय के परीक्षण जांच में यह भी पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा त्रैमासिक व्यापक रख-रखाव प्रमाण-पत्र (सी.एम.सी.) किसी भी कार्यालय में नियमित रूप से नहीं किया गया। निकास सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

इस प्रकार कंपनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रख-रखाव के कार्य की निगरानी करने में असफल रही और साथ ही स्थापित संयंत्रों दीर्घ कालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में असफल रही जिसके कारण स्थापित संयंत्र कमजोर अस्तित्व/कामकाज में परिणामित हुये और अक्षय ऊर्जा से अभिप्रेत लाभों से लाभार्थी वंचित हुये।

सुझाव :

कंपनी उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने और कामकाज के लिये स्थापित बंद ग्रिड संयंत्रों की निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिये।

दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

2.3.21 भारत सरकार ने (2005-06) ऊर्जा गैर-पारंपरिक माध्यम से दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिये कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन दूरस्थ अविद्युतीकरण गांवों को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युतीकरण करना था जहां ग्रिड से संयोजना साध्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है। कार्यक्रम जिला स्तर के निकायों की सक्रिय भागीदारी, पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम परिषदों आदि के साथ राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाना था।

अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता एम.एन.आर. ई. द्वारा प्रदान किया गया था। परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत लाभार्थियों, राज्य योजना, या अन्य स्रोतों/विकास योजनाओं से योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कार्यक्रम के तहत उपलब्ध धन राशि ₹ 28.11 करोड़ लगभग पूरी तरह से खर्च हो गये। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कंपनी ने स्वीकृत किये गये 223 अविद्युतीकृत गांवों के विरुद्ध 220 गांवों (98 प्रतिशत) को विद्युतीकृत किया गया था और स्वीकृत 1287 स्ट्रीट लाईट संयंत्रों के विरुद्ध 1263 (98 प्रतिशत) संयंत्रों को क्रियाशील किया एवं स्वीकृत 16213 होम लाइट संयंत्रों के विरुद्ध 15932 (98 प्रतिशत) संयंत्रों को क्रियाशील किया। इस तरह दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उन्हें लगभग पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया था।

इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा दल की छः¹³ कंपनी दूरस्थ गांवों का क्षेत्र दौरा करने पर पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से संयंत्रों का रखरखाव किया जाता है। दो गांवों में लाभार्थी संयंत्रों से संतुष्ट थे जबकि दूसरे गांव में लाभार्थियों ने बैटरी मंद रोशनी एवं क्षमता में समय के साथ-साथ क्रमिक गिरावट के बारे में शिकायत की।

¹³ सतकुण्डा, गोपीसुर, पंजीर, झीरीभेदिया, भूराखेडा, सिराली

अक्षय खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.)

बाध्य संस्थाओं द्वारा अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता के गैर-अनुपालन

2.3.22 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नियमों 2008 (ऊर्जा के अक्षय स्रोत से बिजली की सह-उत्पादन और उत्पादन) के अनुसार अक्षय खरीद दायित्व (आर.पी.ओ.) लक्ष्य से न्यूनतम मात्रा के मामले में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खरीदे जाने बाध्य इकाई (ओ.ई.) यानी मध्यप्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों¹⁴ (डिस्काम) के लिए तय किया गया है।

इसके बाद संशोधित नियमों (नवम्बर 2010) के तहत वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में सौर और गैर सौर अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खरीदे जाने वाली ऊर्जा के अलग-अलग लक्ष्यों को तालिका 2.3.11 में वर्णित किया गया है।

तालिका-2.3.11

क्रम संख्या	वर्ष	सौर (%)	गैर सौर (%)	कुल (%)
1	2010-11	..	0.80	0.80
2	2011-12	0.40	2.10	2.50
3	2012-13	0.60	3.40	4.00
4	2013-14	0.80	4.70	5.50
5	2014-15	1.00	6.00	7.00

(स्रोत : एम.पी.ई.आर.सी. नियमन 2010 आर.ई.सी. पर)

यदि बाध्य संस्थाएं न्यूनतम अक्षय ऊर्जा खरीद की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वे इस कमी को पूरा करने की हद तक राष्ट्रीय लोड डिस्पेच सेंटर द्वारा जारी किये गये अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आर.ई.सी.) की खरीद करता था। इसके अलावा बाध्य संस्था यदि कमी के लिये आर.ई.सी. खरीद नहीं करता है, तो वे एम.पी.ई.आर.सी. के निर्देशों के अनुसार बाध्य संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे एक अलग कोष में इस तरह की राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान डिस्काम द्वारा उनके कुल ऊर्जा खरीद में अक्षय ऊर्जा खरीद में अक्षय ऊर्जा के एमपीईआरसी द्वारा तय लक्ष्य और वास्तविक अक्षय ऊर्जा खरीद एवं उसमें कमी के विवरण तालिका 2.3.12 में है :-

तालिका 2.3.12

वर्ष	कुल ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट) ¹⁵	अक्षय खरीद बाध्यता लक्ष्य (मिलियन यूनिट)		अक्षय खरीद बाध्यता प्राप्ति (मिलियन यूनिट)		कमी (मिलियन यूनिट)		बाध्य संस्था द्वारा आरईसी व खरीदना (करोड़ में) कुल
		सौर	गैर सौर	सौर	गैर सौर	सौर	गैर सौर	
2010-11	38855.00	0.00	311.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00

¹⁴ मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वि.वि. निगम लि., जबलपुर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र वि.वि. निगम लि., भोपाल, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र वि.वि. निगम लि., इन्दौर

¹⁵ मिलियन ईकाई

2011-12	40410.00	161.60	849.00	0.00	540.00	161.60	309.00	395.23
2012-13	44590.00	267.50	1516.00	5.27	684.00	262.23	832.00	625.94
2013-14	53677.40	429.40	2523.00	172.40	755.00	257.00	1768.00	927.82
2014-15#	56085.00	560.90	3365.00	398.25	800.57	162.65	2564.43	1064.21
कुल	233617.40	1419.40	8564.00	575.92	3117.57	843.48	5473.43	3013.20

(स्रोत: जानकारी मध्य प्रदेश पावन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

अस्थाई आंकड़े

डिस्काम द्वारा अक्षय ऊर्जा बाध्यता कमी के लिए ₹ 3013.20 करोड़ की आर.ई.सी. खरीद में असफल रहा।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-15 के दौरान बाध्य संस्थाओं/डिस्काम के लिये अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता के लिये लक्ष्य सौर (1419 मिलियन यूनिट) और सौर (8564 मिलियन यूनिट) से 9983 मिलियन यूनिट था। इस अवधि के दौरान राज्य में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन केवल 3693 मिलियन यूनिट था, बाध्य संस्थाएं अपने अक्षय ऊर्जा बाध्यता के लक्ष्य का केवल 37 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकी परिणामस्वरूप 6316.91 मिलियन यूनिट की कमी हुई।

हमने पाया कि अक्षय ऊर्जा बाध्यता की उपलब्धि में कमी के लिये बाध्य संस्थाओं को कुल ₹ 3013.20 करोड़ की आरईसी की खरीद या एमपीईआरसी के नियमों के अनुसार एक अलग कोष में राशि जमा करना आवश्यक था जबकि न तो कोई आरईसी खरीदी गई थी और नहीं कोई राशि अलग कोष में बाध्य संस्थाओं द्वारा जमा की गई थी।

अक्षय ऊर्जा बाध्यता को लगाने के पीछे उद्देश्य अधिक से अधिक जनता के हित में था क्योंकि इससे पर्यावरण की सुरक्षा पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है और ग्रीन हाऊस जैसों के उत्सर्जन में कमी आती है जो कि हासिल नहीं किया।

सुझाव :

सरकार को अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास करने चाहिये और डिस्काम को अक्षय ऊर्जा बाध्यता में कमी के लिये अपेक्षित आरईसी खरीद या एमपीईआरसी नियमों के अनुसार एक अलग कोष बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

ग्रिड आधारित अक्षय ऊर्जा परियोजना

• वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान अक्षय ऊर्जा के किसी भी स्रोत के लिये क्षमता वृद्धि के लिये कोई विशेष लक्ष्य तय नहीं था और कोई दीर्घकालिक/अल्पकालिक योजनाएं अक्षय ऊर्जा के विकास के लिये विभाग द्वारा नहीं बनाई गई थी नतीजन राज्य में संभावित अक्षय ऊर्जा का सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

विभाग को राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिये अक्षय ऊर्जा स्रोत वार लक्ष्य उन्नमुख योजना तैयार करनी चाहिये।

• 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार सौर में 453.22 मेगावाट की परियोजना (45 प्रतिशत), पवन में 665.30 मेगावाट (9 प्रतिशत) और बायोमास में 55.40 मेगावाट (12 प्रतिशत) क्षमता क्रमशः 1007.50 मेगावाट, 7196.55 मेगावाट और 471.20 मेगावाट पंजीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध क्रियाशील किया गया है। इसके अलावा कोई छोटी पन बिजली परियोजना का विभाग द्वारा क्रियाशील नहीं किया गया था। इसके अलावा सौर में 247 मेगावाट की परियोजना (25 प्रतिशत) 833.35 मेगावाट पवन में (12 प्रतिशत), छोटी

पन बिजली 44.80 मेगावाट (14 प्रतिशत) और बायोमास में 194 मेगावाट (41 प्रतिशत) की परियोजनाओं का पंजीकरण विभाग द्वारा निरस्त किये गये थे ।

परियोजनाओं के क्रियाशील के कम प्रतिशत और ज्यादा विपंजीकरण के लिये परियोजनाओं के लिये भूमि का आवंटन न किया जाना, विकासकर्ताओं द्वारा उदासीनता दिखाया जाना कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऊर्जा के लिये अपर्याप्त टैरिफ और परियोजनाओं की लंबी कार्यान्वयन अवधि आदि कारण थे ।

कंपनी के अक्षय ऊर्जा के लिये नीति की रूपरेखा का मूल्यांकन करना चाहिये और देखी गई बाधाओं के अनुसार प्रावधानों के पूर्ण विवरण में जाकर इनका क्रियान्वयन करना चाहिये ।

- सरकारी भूमि पर पवन एवं बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं की समय सीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के लिये ली जाने वाली निष्पादन गारंटी को न वसूलने का कारण विकासकर्ताओं को ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया ।

ऑफ ग्रीड परियोजनाएं :

- ऑफ ग्रीड संयंत्रों की स्थापना के लिये क्योंकि कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था अतः ऑफ ग्रीड संयंत्रों की स्थापना लाभार्थियों से प्राप्त तदर्थ मार्गों के आधार पर किया गया था। इसके कारण राज्य में बंद ग्रीड संयंत्रों की स्थापना की पूर्ण संभावना का आंकलन नहीं किया सका और योजनाबद्ध तरीके से विकसित नहीं किया जा सका ।

बंद ग्रीड सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिये एक आवश्यकता सम्बन्धित और लक्ष्य सम्बन्धित दृष्टिगत सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी को एक नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिये ।

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कार्यों को पूर्ण न कर पाने के कारणों का विश्लेषण करने में असफल होने के कारण और कोई सुधारात्मक कदम न उठाने के कारण कंपनी वर्ष 2010-15 के दौरान एमएनआरई द्वारा स्वीकृत 6725 किलोवाट पावर क्षमता के सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों के विरुद्ध कंपनी केवल 3061 किलोवाट(45 प्रतिशत) पावर क्षमता ही क्रियाशील कर पाई थी । इसमें परिणामस्वरूप लाभार्थी अक्षय ऊर्जा से मिलने वाले लाभ से वंचित हो गये यद्यपि उनका अंश ₹ 34.08 करोड़ कंपनी में बेकार पड़ा रहा ।

कंपनी को अनुबंध प्रबंध में सुधार और अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के समय पर स्थापना के लिये विक्रेता आधार में वृद्धि करनी चाहिये ।

- कम्पनी के कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा दल की संयुक्त भौतिक परीक्षणों के दौरान पाया गया कि 38 स्थापित सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों में से 4 संयंत्र क्रियाशील हालत में नहीं पाया गया और आठ संयंत्र तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे जिस पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तत्काल ध्यान नहीं दिया, ऐसा कम्पनी द्वारा निगरानी न करने और रखरखाव अनुबंध की शर्त के अनुसार संयंत्रों की त्रैमासिक रख रखाव प्रमाण पत्र को जमा करने के लिये जोर नहीं देने के कारण हुआ था ।

कम्पनी को स्थापित ऑफ ग्रीड संयंत्रों के निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिये उनके नियमित रख रखाव एवं कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के लिये ।

- वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य के अक्षय ऊर्जा के अपर्याप्त उत्पादन के कारण 6316.91 मिलियन यूनिट की अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) लक्ष्य को पूरा करने में कमी हुई थी ।

इसके अलावा विद्युत वितरण कम्पनियों, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता में कमी के लिये (आरईसी) की राशि ₹ 3013.20 करोड़ की खरीद नहीं की थी ।

सरकार को अक्षय ऊर्जा बाध्यता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास करने चाहिये और डिस्काम को एमपीईआरसी के नियमों के अनुसार अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता में कमी के लिये अपेक्षित आरईसी खरीदने चाहिये ।

अध्याय—तीन

3 लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा किए गए लेन-देन की नमूना जाँच के आधार पर एक वृहत कण्डिका एवं 12 कण्डिकाएँ शामिल की गयी हैं।

सरकारी कम्पनियाँ

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.1 मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में राज्य शासन की वित्तीय पुनर्संरचना योजना के कार्यान्वयन पर वृहत कण्डिका

3.1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश शासन, राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों की खराब वित्तीय स्थिति तथा उन्हे वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं आत्म निर्भर बनाने को ध्यान में रखते हुये, वर्ष 2016-17 तक लक्षित छः वर्षीय वित्तीय पुनर्संरचना अवधि हेतु वर्ष 2013-14 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये वित्तीय पुनर्संरचना योजना (जुलाई 2011) का अनुमोदन किया।

हमारे द्वारा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में वित्तीय पुनर्संरचना योजना के कार्यान्वयन तथा वितरण कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव का परीक्षण किया गया।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

वितरण कम्पनी का प्रबन्धन उसके संचालक मण्डल में निहित है। नियन्त्रक कम्पनी (मध्य प्रदेश पावर मैनजमेंट कम्पनी लिमिटेड) का प्रबन्ध संचालक वितरण कम्पनी का अध्यक्ष है। वितरण कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसको कार्यकारी निदेशक (कार्य), मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), मुख्य महाप्रबंधक (आर.ए.पी. डी.आर.पी.), मुख्य महाप्रबंधक (ए.डी.बी./आर.जी.जी.वी.वाई.), मुख्य महाप्रबंधक (क्रय), मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) तथा मुख्य वित्त अधिकारी (वित्त एवं लेखा) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वितरण कम्पनी का संगठनात्मक आरेख **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

3.1.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य निम्न बिन्दुओं का आकलन करना है कि क्या :

- वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अन्तर्गत प्रदान वित्तीय सहायता तथा वितरण कम्पनी की वित्तीय स्थिति के मध्य उपयुक्त अनुबन्ध रहा तथा योजना के कार्यान्वयन के उपरान्त वितरण कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार आया।
- वितरण कम्पनी, योजना में लक्षित स्तर पर राजस्व वसूली की औसत दर को प्राप्त करने तथा राजस्व वसूली तथा वितरण लागत की औसत दरों के मध्य अंतर को मिटाने में सक्षम हुई।
- वितरण कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि के लक्ष्यों का पालन किया गया।
- वितरण कम्पनी की संग्रहण क्षमता में सुधार आया तथा योजना अवधि के विस्तार में विनिर्दिष्ट बकाया राशि की वसूली के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया।

- फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम में बकाया कार्यों के निष्पादन तथा पुनः निविदा प्रक्रिया को योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ण किया गया।

3.1.4 लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

हमने वितरण कम्पनी के मुख्यालय पर राज्य सरकार की वित्तीय पुनर्संगठन योजना से सम्बन्धित अवधि 2010-11 से 2014-15 तक के अभिलेखों की समीक्षा की (अप्रैल-मई 2015)। लेखा परीक्षा आपत्तियों को वितरण कम्पनी तथा सरकार को जुलाई 2015 में सूचित किया गया। सरकार/वितरण कम्पनी का उत्तर अक्टूबर 2015 में प्राप्त हुआ तथा 16 अक्टूबर 2015 को आयोजित निकास सम्मेलन में लेखा परीक्षा रिकार्डों पर प्रमुख सचिव तथा वितरण कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक से चर्चा की गई। वितरण कम्पनी के उत्तर तथा अभिमत को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

3.1.5 लेखा परीक्षा के मापदण्ड

लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित स्रोतों में निर्धारित मापदण्डों पर आधारित है:-

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना योजना।
- वित्तीय पुनर्संरचना के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा नियामक आयोग के दिशा-निर्देश/आदेश/निर्देश, अथवा
- नियामक आयोग द्वारा निर्गत वार्षिक राजस्व मांग प्रस्ताव से सम्बद्ध प्रशुल्क आदेश तथा पुनर्निरीक्षण याचिका।

3.1.6 वितरण कम्पनी में वित्तीय पुनर्संरचना योजना का कार्यान्वयन

वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2011 तक बकाया कार्यशील तथा पूंजीगत ऋण ब्याज सहित, सरकार को देय विद्युत शुल्क/उपकर तथा 2011-12 से 2013-14 के दौरान सरदार सरोवर परियोजना से क्रय की गयी विद्युत लागत का परिवर्तन सतत् ऋण ब्याज हेतु 3 वर्षों की स्थगन अवधि सहित के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। तथापि, योजना के इस चरण के अन्तर्गत परिपालन तथा वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिये लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया।

3.1.6.1 वित्तीय पुनर्संरचना योजना का विस्तार

चूँकि 31 मार्च 2014 को योजना की 03 वर्षीय अवधि पूर्ण होने के उपरान्त वितरण कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ, राज्य सरकार द्वारा मौजूदा योजना को आगामी 03 वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के विस्तार का अनुमोदन (नवम्बर 2014) किया गया। विस्तारित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वितरण कम्पनी को प्रतिपालन हेतु निम्न लक्ष्यों का निर्धारण किया :

- वितरण कम्पनी राजस्व वसूली प्रति इकाई की औसत दर¹ 2014-15 में ₹ 3.59, 2015-16 में ₹ 4.02 तथा 2016-17 में ₹ 4.63 जो कि क्रमशः 8 प्रतिशत, 12 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करेगा।

¹ उपयोगिता इकाई के विरुद्ध प्रति इकाई राजस्व प्राप्ति

- वितरण कम्पनी सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि² को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक कम करेगा।
- वितरण कम्पनी संग्रहण क्षमता³ कम से कम 95 प्रतिशत तक लायेगा।
- वितरण कम्पनी 2013-14 के अन्त में बकाया राशि की वसूली हेतु नवम्बर 2014 के अन्त तक वित्त विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा तथा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार वसूली करेगी।
- पुनः निविदा प्रक्रिया, फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत निरस्त की गई निविदा के सम्बन्ध में, कार्यादेश की दिनांक से 18 माह के अन्दर तथा अन्य प्रकरण में अक्टूबर 2015 के अन्त तक कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिये।

3.1.6.2 वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनी को वित्तीय सहायता

जैसा कि योजना में निहित था, वितरण कम्पनी को राज्य सरकार के लघुकालीन तथा पूंजीगत ऋण, ऋण पर ब्याज, विद्युत शुल्क तथा सरदार सरोवर परियोजना से क्रय विद्युत लागत को अवधि 2011-12 से 2014-15 के दौरान सतत ऋण में परिवर्तित किया गया जो कि निम्न तालिका 3.1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका: 3.1.1

वर्ष	राज्य सरकार का लघुकालीन ऋण	पूंजीगत ऋण	ऋण पर ब्याज	कुल ऋण	विद्युत शुल्क राशि	सरदार सरोवर परियोजना से क्रय विद्युत लागत	योग
2011-12	1271.12	1685.03	348.86	3305.01	464.49	—	3769.50
2012-13	—	—	—	—	382.84	265.05	647.89
2013-14	—	—	—	—	461.56	133.95	595.51
तीन वर्षों का योग							5012.90
2014-15	2214.38	382.66	367.20	2964.24	515.97	108.80	3589.01
चार वर्षों का योग	3485.50	2067.70	716.05	6269.25	1824.85	507.80	8601.91

● स्रोत: वितरण कम्पनी द्वारा प्रदाय जानकारी

31 मार्च 2015 के अन्त में 5 वर्षों के दौरान वितरण कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्यकारी परिणामों को परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

3.1.7. लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

वितरण कम्पनी में वित्तीय पुनर्संरचना योजना के कार्यान्वयन तथा प्रभाव से सबन्धित लेखा परीक्षा आपत्तियों को अग्रलिखित कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

² [1- प्रभार क्षमता × संग्रहण क्षमता] × 100 % । प्रभार क्षमता = विक्रय इकाई / उपयोगिता इकाई एवं संग्रहण क्षमता = संग्रहित राशि / प्रभार राशि

³ बकाया राशि को छोड़कर संग्रहित राशि / विक्रय

3.1.8 वित्तीय पुनर्संरचना योजना के प्रथम चरण में योजना तथा वित्तीय स्थिति में सुधार के मध्य अनुबन्ध का अभाव

योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत लक्ष्यो को निर्धारित नहीं करने के कारण, वितरण कम्पनी पर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार का दायित्व नहीं था जिससे राज्य शासन को लघुकालीन ऋण ₹ 2214.38 करोड़ को योजना के अन्तर्गत प्रदाय वित्तीय सहायता से अतिरिक्त जारी करना पड़ा।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान योजना के प्रथम चरण में उपलब्ध वित्तीय सहायता के उपयोग से वितरण कम्पनी के परिचालन एवं वित्तीय सुधार हेतु लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस चरण में ₹ 5012.90 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जिसका वितरण तालिका 3.1.1 में है।

योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत परिचालन क्षमता में सुधार के लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया जिससे वितरण कम्पनी को अपनी परिचालन क्रियाओं के माध्यम से वित्तीय स्थिति में सुधार की प्रतिबद्धता का अभाव था। हमने पाया कि वितरण कम्पनी की वार्षिक हानि 2010-11 में ₹ 973.80 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 1887.15 करोड़ हो गयी (परिशिष्ट 3.2)। निरन्तर वार्षिक हानि से वितरण कम्पनी की ऋणात्मक शुद्ध परिसम्पत्तियाँ 2010-11 में ₹ 2334.30 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 5805.34 करोड़ हो गयी।

परिणामतः राज्य सरकार द्वारा वितरण कम्पनी को वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकता पूर्ति हेतु ₹ 2214.38 करोड़ लघुकालीन ऋणों को मुक्त करना पड़ा जो कि वितरण कम्पनी की राज्य सरकार पर लगातार निर्भरता को दर्शाता है। अतः वितरण कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार का योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

3.1.9 राजस्व वसूली एवं वितरण लागत की औसत दरों के मध्य निरन्तर अंतर

विस्तारित योजना के अनुसार, वितरण कम्पनी विद्युत राजस्व वसूली प्रति इकाई दर 2014-15 में ₹ 3.59, 2015-16 में ₹ 4.02 तथा 2016-17 में ₹ 4.63 तक प्राप्त करेगा। तथापि, राजस्व वसूली तथा वितरण लागतों के मध्य विद्यमान अंतर को मिटाने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया।

राजस्व वसूली की औसत दर, वितरण लागत की औसत दर तथा उनके मध्य अन्तर का विवरण निम्नांकित तालिका 3.1.2 में दिया गया है।

तालिका: 3.1.2

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अंतिम)
1	उपयोगित इकाई (10 लाख इकाइयों में)	10563	11749	13371	14526	16106
2	प्रभारित इकाई (10 लाख इकाइयों में)	7231	8178	9892	11087	12613
3	कुल आय विद्युत विक्रय से राजस्व सहित (₹ करोड़ में)	3363.90	3960.10	5268.07	5845.34	6952.64
4	कुल व्यय विद्युत क्रय लागत सहित (₹ करोड़ में)	4337.70	5182.40	6782.55	7898.16	8344.82
5	कुल आय से सम्बद्ध राजस्व वसूली की औसत दर (3/1) ₹ प्रति इकाई	3.18	3.37	3.94	4.02	4.32
6	कुल व्यय से सम्बद्ध वितरण लागत की औसत दर (4/1) ₹ प्रति इकाई	4.11	4.41	5.07	5.44	5.18
7	प्रति इकाई राजस्व वसूली तथा वितरण लागत के मध्य अंतर (5-6) ₹ प्रति इकाई	(-) 0.93	(-) 1.04	(-) 1.07	(-) 1.42	(-) 0.86

योजना में लक्ष्यों के नहीं होने के कारण राजस्व वसूली तथा वितरण लागत के मध्य अन्तर वर्षों से विद्यमान रहा है।

उपरोक्त दर्शाता है कि 2014-15 में राजस्व वसूली की दर परिकल्पित लक्ष्य ₹ 3.59 प्रति इकाई की तुलना में ₹ 4.32 प्रति इकाई को प्राप्त किया। तथापि, कुल आय में वृद्धि की तुलना में विद्युत क्रय लागत सहित कुल व्यय में विशेष वृद्धि के कारण राजस्व वसूली तथा वितरण लागत की औसत दरों के मध्य अन्तर 2011-12 में (-) ₹ 0.93 से बढ़कर 2013-14 में (-) ₹ 1.42 प्रति इकाई तक हो गया जबकि सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी तथा संग्रहण क्षमता में सुधार के कारण उक्त अन्तर 2014-15 में घटकर (-) ₹ 0.86 प्रति इकाई आ गया। यह दर्शाता है कि राजस्व वसूली तथा वितरण लागत की औसत दरों के मध्य अन्तर वर्षों से विद्यमान है। अतः विस्तार की गयी योजना में वितरण लागत की औसत दर के अनुबन्धन के बिना राजस्व वसूली की ₹ प्रति इकाई औसत दर के लक्ष्य का निर्धारण न्यायोचित नहीं था।

निकास सम्मेलन में, सरकार (अक्टूबर 2015) ने स्वीकार किया कि वितरण लागत से राजस्व वसूली की औसत दर का अनुबन्ध को शून्य स्तर तक लाया जाना आवश्यक है और आगे कहा गया कि वितरण लागत की औसत दर पर वितरण कम्पनी का नियन्त्रण नहीं है क्योंकि वितरण लागत पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के उत्पादन तथा पारेषण से सम्बन्धित नियमन, कोयला मूल्य, कोयला की निम्न श्रेणी तथा बाजार स्थिति का प्रभाव होता है। अतः शासन राजस्व वसूली की औसत दर के सम्बन्ध में लक्ष्यों के निर्धारण करने का निर्णय लिया।

तथ्य है कि वितरण लागत से राजस्व वसूली की औसत दरों के मध्य अनुबन्ध के अभाव में, वितरण कम्पनी पर वितरण लागत तथा राजस्व वसूली की औसत दरों के मध्य अन्तर को घटाकर शून्य स्तर पर लाने के दायित्व का निर्धारण नहीं हुआ।

सुझाव :

योजना की शेष अवधि में सरकार द्वारा वितरण कम्पनी के परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिये प्रोत्साहन हेतु राजस्व वसूली तथा वितरण लागत की औसत दर के मध्य अन्तर को कम करने के लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिये।

3.1.10 सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी के लक्ष्यो का प्राप्त न करना।

विस्तारित योजना के अनुसार, वितरण कम्पनी को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के स्तर तक कम करना था। निम्नांकित तालिका 3.1.3 में 2011-12 से 2014-15 तक पाँच वर्षों के दौरान नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के स्तर के विरुद्ध वितरण कम्पनी की हानि को दर्शाया गया है।

तालिका 3.1.3

वर्ष	कुल उपयोगित इकाई (10 लाख इकाईयों में)	विद्युत क्रय की लागत ⁴ (₹)	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (%)	औसत उपलब्धि (%)	वितरण कम्पनी द्वारा अवशोषित हानि (%) (5-4)	अवशोषित हानि का मूल्य (₹ करोड़ में) (2×6)×3
1	2	3	4	5	6	7
2010-11	10563	2.70	30	34.87	4.87	138.89
2011-12	11749	3.37	27	31.76	4.76	188.47
2012-13	13371	3.84	24	26.02	2.02	103.72
2013-14	14526	4.01	23	23.68	0.68	39.61
2014-15	16106	4.12	20	21.69	1.69	112.14
योग						582.83

स्रोत: वितरण कम्पनी द्वारा प्रदाय जानकारी

वितरण कम्पनी नियामक आयोग के निर्धारित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के स्तर तक कम करने में असमर्थ रही एवं तत्पश्चात् वितरण कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली ₹ 582.83 करोड़ की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के आधिक्य को अवशोषित किया।

जैसा कि उपरोक्त तालिका 3.1.3 से देख सकते हैं कि वितरण कम्पनी नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के स्तर तक कम नहीं कर सका। उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि का मुख्य कारण विद्युत चोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त उपभोक्ताओं का मीटरीकरण ना होना तथा खराब राजस्व वसूली दर है। जैसा विद्युत नियामक आयोग विनिर्दिष्ट सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के आधार पर राजस्व मांग का निर्धारण करता है, वितरण कम्पनी द्वारा लक्षित मूल्यों के अतिरिक्त सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के रूप में पाँच वर्ष के दौरान 2014-15 तक ₹ 582.83 करोड़ अवशोषित किया गया।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) उत्तर दिया कि साल दर साल सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में निरन्तर कमी आयी है और आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक कराने का प्रयास जारी है। तथ्य है कि वितरण कम्पनी नियामक आयोग के निर्धारित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के स्तर तक कम करने में असमर्थ रही एवं तत्पश्चात् वितरण कम्पनी ने अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के आधिक्य को अवशोषित किया।

सुझाव :

वितरण कम्पनी द्वारा, नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के स्तर तक कम करते हुये प्रकरण क्षमता में सुधार तथा विद्युत चोरी पर नियन्त्रण हेतु ठोस कदम उठाना चाहिये।

3.1.11 संग्रहण क्षमता की स्थिति

विस्तारित योजना की शर्तों में से एक, वितरण कम्पनी अपनी संग्रहण क्षमता में प्रभार राशि के 95 प्रतिशत तक सुधार करेगी।

पाँच वर्षों के लिये 2014-15 तक शुद्ध व्यावसायिक प्राप्य तथा संग्रहण क्षमता का विवरण तालिका 3.1.4 में दिया गया है।

⁴ विद्युत क्रय की लागत / उपयोगित इकाई

तालिका 3.1.4

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	विद्युत विक्रय से राजस्व	3133.73	3753.65	5040.73	5645.64	6669.96
2	सकल प्राप्य	3067.65	3022.56	3334.83	3432.28	3975.13
3	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	733.60	878.13	994.83	806.67	992.68
4	शुद्ध प्राप्य	2334.05	2144.43	2340.00	2625.61	2982.45
5	वर्ष के दौरान अपलिखित अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	49.98	35.81	305.55	585.06	9.27
6	संग्रहण क्षमता प्रतिशत में ⁵	94.53	105.05	96.12	94.94	94.65

स्त्रोत: वितरण कम्पनी द्वारा प्रदाय जानकारी

बकाया वसूली की पहल के प्रभावी अनुयोजन के अभाव में राजस्व बकाया का संचय ₹ 2982.45 करोड़ हो गया।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि विस्तारित योजना में निर्धारित संग्रहण क्षमता लगभग प्राप्त कर ली गई परन्तु शुद्ध व्यावसायिक प्राप्य (राजस्व बकाया) 2010-11 में ₹ 2334.05 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 2982.45 करोड़ हो गया जो राजस्व बकाया के संचयन को इंगित करता है। इसका कारण दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्रयाप्त अनुयोजन की पहल राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की शुरुआत के अभाव आदि था। इसने वितरण कम्पनी की तरलीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

हमने इसे अतिरिक्त पाया कि वितरण कम्पनी द्वारा 2014-15 तक पाँच वर्षों में ₹ 985.61 करोड़ अशोध्य ऋण के रूप में अपलिखित किया जिसके विरुद्ध वितरण कम्पनी द्वारा नियामक आयोग के द्वारा चाही गयी अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के विवरण की जानकारी प्रदान न करने के कारण नियामक आयोग ने प्रशुल्क आदेश में 2010-11 से 2014-15 के दौरान वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में निरंक मान्य किये तथा 2012-13 व 2013-14 में ₹ एक करोड़ प्रतिवर्ष तथा 2014-15 के ₹ 2 करोड़ अशोध्य ऋण के रूप में मान्य किए। इस प्रकार वितरण कम्पनी द्वारा अशोध्य ऋण के ₹ 981.61 करोड़ की हानि को अवशोषित जिसका वितरण कम्पनी का वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निकास सम्मेलन में, सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभार राशि की वसूली न होना तथा स्थायी विद्युत आच्छेदित पक्षकारों से दीर्घकालीन लम्बित निश्चित राशि के कारण बकाया वसूली न होने के दवाब में वितरण कम्पनी द्वारा निश्चित राशि को अपलिखित किया।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि नियामक आयोग द्वारा अपेक्षित तथ्य को प्रदान न करने के कारण वितरण कम्पनी को अस्वीकृत राशि को अवशोषित करना पड़ा।

सुझाव:

वितरण कम्पनी बकाया राशि के विशाल संचयन तथा परिणामस्वरूप अशोध्य ऋण को टालने हेतु समयबद्ध रीति से बकाया वसूली के लिये प्रभावी अनुयोजन करना चाहिये।

3.1.12 राजस्व बकाया की वसूली हेतु प्रस्ताव के बनाने में देरी

वितरण कम्पनी द्वारा बकाया वसूली के प्रस्ताव को वित्त विभाग को 10 माह की देरी से प्रस्तुत किया।

विस्तारित योजना के अनुसार (एफ. आर. पी.) वितरण कम्पनी को नवम्बर 2014 तक बकाया राजस्व की वसूली के प्रस्ताव को तैयार कर वित्त विभाग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना

⁵ (कुल आय + पूर्व वर्ष का शुद्ध व्यावसायिक प्राप्य - चालू वर्ष का शुद्ध व्यावसायिक प्राप्य) / कुल आय x 100

था। आधार वर्ष (2013-14) तक बकाया राजस्व ₹ 2625.61 करोड़ था। हमने पाया कि वितरण कम्पनी द्वारा 10 माह की देरी से अगस्त 2015 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया लेकिन वित्त विभाग से उक्त का अनुमोदन अब तक (अक्टूबर 2015) अप्राप्त है।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) उत्तर दिया कि प्रस्ताव अगस्त 2015 में वित्त विभाग को प्रेषित किया गया तथा अनुमोदन प्रतीक्षित है। तथ्य है कि वितरण कम्पनी के द्वारा प्रस्ताव को विलम्ब से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप वित्त विभाग से अनुमोदन में देरी हुई और बकाया राशि की वसूली हेतु तब तक प्रभावी उपाय नहीं किये जा सकें।

3.1.13 फीडर विभक्तिकरण कार्यों की पूर्णता में देरी

फीडर विभक्तिकरण के कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि को घटाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

विस्तारित योजना में वितरण कम्पनी द्वारा अक्टूबर 2015 के अन्त तक फीडर विभक्तिकरण योजना के कार्यों को पूर्ण किया जायेगा। वितरण कम्पनी को निरस्त निविदाओं के पुनः आदेश देना तथा आदेश दिनांक से 18 माह के भीतर कार्य को पूर्ण करना आवश्यक था।

2010 में वितरण कम्पनी ने फीडर विभक्तिकरण योजना का आरम्भ सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि कम करने हेतु कृषि फीडरों को समान्य फीडरों से विभक्त करने के मुख्य उद्देश्य के साथ किया। तदनुसार 11 के.व्ही. लाइन के 1589 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण तैयारी के आधार पर 21 पैकेजों (नवम्बर 2010 तथा अगस्त 2011) 18 माह के समयावधि में आदेशित किया गया जो कि मई 2012 से फरवरी 2013 के दौरान पूर्ण होने थे।

वितरण कम्पनी (दिसम्बर 2014) द्वारा 8 पैकेज को निष्पादन में देरी के कारण निरस्त किया गया जिसमें से 2 पैकेज को अप्रैल 2015 में पुनः आदेशित किया गया तथा बकाया 6 पैकेज का पुनः आदेश अभी तक (अक्टूबर 2015) होना बाकी है। इसके अतिरिक्त, निविदाकारों द्वारा कार्य निष्पादन में देरी के कारण अक्टूबर 2015 तक 477 फीडरों का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका जबकि 300 फीडरों का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हुआ। 777 फीडरों पर कार्य पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी का उद्देश्य पिछड़ गया।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) उत्तर दिया कि निधि की अनुपलब्धता तथा श्रम शक्ति के अभाव के कारण निविदाकार समय पर कार्य पूर्ण नहीं कर सकें। निकास सम्मेलन में, सरकार ने आगे कहा कि कुछ निविदाकार बिना निष्पादन के कार्य को छोड़कर चले गये। तथ्य बकाया है कि निरस्त पैकेजों में बचे हुये कार्यों के पुनः आदेश में देरी तथा जारी पैकेजों में कार्य निष्पादन में देरी के परिणामस्वरूप सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

सुझाव:

वितरण कम्पनी के समयबद्ध रीति से बाधाओं को हटाते हुये फीडर विभक्तिकरण के कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिये।

3.1.14 योजना के परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करना।

वितरण कम्पनी योजना में परिकल्पित कार्य दक्षता वृद्धि से वाणिज्यिक रूप से सक्षम, प्रगतिशील आत्मनिर्भरता तथा शासन पर कम निर्भर होने के मुख्य उद्देश्य को प्रथम चार वर्षों (2011-12 से 2014-15) के दौरान योजना के कार्यान्वयन के कारण सतत ऋण में शासन को देय लघुकालीन/दीर्घकालीन दायित्व के ₹ 8601.91 करोड़ के पुनःसंरचना की वित्तीय सहायता के उपरान्त भी प्राप्त नहीं कर सकी।

वितरण कम्पनी आत्मनिर्भर बनने तथा वित्तीय स्थिति में सुधार के योजना के परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रही।

पूर्व काल से वितरण कम्पनी स्वयं के संसाधनों के सुधार में सक्षम न होने के कारण योजनान्तर्गत सतत ऋण की पूंजीगत प्राप्ति सहित अपनी पूंजी के उपयोग से अपने राजस्व व्यय को पूर्ण कर रही है। फलस्वरूप वितरण कम्पनी की ऋणात्मक शुद्ध परिसम्पत्तियाँ 2010-11 में ₹ 2334.30 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 6714.21 करोड़ हो गयी तथा संचयित हानि 2010-11 में ₹ 4338.22 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 10074.46 करोड़ हो गयी जो कि उसके अपने संसाधनों पर वितरण कम्पनी की अस्थिरता को दर्शाता है। जिसमें परिणामस्वरूप वितरण कम्पनी आत्मनिर्भर बनने तथा वित्तीय स्थिति में सुधार के योजना के परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रही।

सुझाव:

वितरण कम्पनी को राज्य सरकार पर निर्भरता के बिना वाणिज्यिक तथा वित्तीय रूप से सक्षम होने के लिये अपनी परिचालन तथा वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करना चाहिये।

निष्कर्ष एवं सुझाव

- वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान वित्तीय पुनर्संरचना योजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन में, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वितरण कम्पनी को उनके परिचालन तथा वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हेतु लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप वितरण कम्पनी की खराब वित्तीय स्थिति के कारण, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अन्तर्गत ₹ 5012.90 करोड़ के अतिरिक्त ₹ 2214.38 करोड़ की लघु अवधि ऋणों का भी ऋण के रूप में जारी किया।

- विस्तारित योजना (2014-17) में, राज्य सरकार द्वारा राजस्व वसूली तथा वितरण लागत की औसत दरों के मध्य अन्तर को कम करने के पर्याप्त अनुबन्ध के बिना राजस्व वसूली की औसत दर के लक्ष्यों का निर्धारण किया। परिणामस्वरूप, राजस्व वसूली एवं वितरण लागत की औसत दर के मध्य अंतर योजना के क्रियान्वयन उपरांत भी विद्यमान रहा।

योजना की शेष अवधि में सरकार द्वारा वितरण कम्पनी के परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिये प्रोत्साहन हेतु राजस्व वसूली तथा वितरण लागत की औसत दर के मध्य अंतर कम करने के लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिये।

- वितरण कम्पनी विस्तारित योजना में वर्णित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के स्तर तक कम करने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप, वितरण कम्पनी द्वारा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के आधिक्य रूप में ₹ 582.83 करोड़ अवशोषित किया जिससे उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के स्तर तक कम करते हुये प्रकरण क्षमता में सुधार तथा विद्युत चोरी पर नियन्त्रण हेतु ठोस कदम उठाना चाहिये।

- वितरण कम्पनी का राजस्व बकाया, बकाया वसूली हेतु प्रयोजित नियोजन की पहल के अभाव से वर्ष 2010-11 में ₹ 2334.05 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 2982.45 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त ₹ 985.61 करोड़ को अशोध्य ऋण के रूप में अपलिखित किया गया। विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कम्पनी को तत्संबन्धी विवरण को उपलब्ध न कराने पर ₹ 981.61 करोड़ को प्रशुल्क आदेश में मान्य नहीं किया।

वितरण कम्पनी बकाया राशि के विशाल संचयन तथा परिणामस्वरूप अशोध्य ऋण को टालने हेतु समयबद्ध रीति से बकाया वसूली के लिये प्रभावी नियोजन करना चाहिये।

● योजना की शर्त के अनुसार वितरण कम्पनी फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत निरस्त कार्य के पुनः आदेश तथा चालू कार्य के निष्पादन में देरी के कारण 1589 फीडरों में से 777 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण करने में असफल रही।

वितरण कम्पनी को समयबद्ध रीति से बाधाओं को हटाते हुये फीडर विभक्तिकरण के कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिये।

● वितरण कम्पनी योजना के चार वर्षों की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी वित्तीय स्थिति में सुधार तथा वाणिज्यिक रूप से सक्षम होने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप वितरण कम्पनी को 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 8602 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्ति के उपरान्त भी राज्य सरकार पर निर्भर रही।

वितरण कम्पनी को राज्य सरकार पर निर्भरता के बिना वाणिज्यिक तथा वित्तीय रूप से सक्षम होने के लिये अपनी परिचालन तथा वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करना चाहिये।

3.2 तरलता क्षति की कम वसूली

त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों से राशि ₹ 4.47 करोड़ की तरलता क्षति की कम वसूली।

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत टर्नकी आधार पर पाँच ठेकेदारों को राशि ₹ 200.48 करोड़ कुल लागत के निर्माण कार्य नवीन 11 के0 व्ही लाईन, लॉ टेन्शन लाईन (एल0टी0) वितरण उपकेन्द्रों एवं छतरपुर, टीकमगढ, पन्ना एवं सागर जिलों के गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं के लिए हाउस वायरिंग को शामिल करते हुए सर्विस लाईन के विस्तार का कार्य प्रदान किया (फरवरी 2009 से सितम्बर 2012). उपरोक्त कार्य क्षेत्र में लाईन्स का संयुक्त सर्वे, नवीन 11 के0 व्ही0 लाईन का निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण परिवारों के लिए हाउस वायरिंग को शामिल करते हुए वितरण ट्रान्सफार्मरों की स्थापना करना शामिल था।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को कार्य अर्वाड करने के दिनांक से 18 माह के अन्दर कार्य को समाप्त करना था। एवं ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में हुए विलंब की दशा में प्रत्येक केलेण्डर सप्ताह के लिए ठेके के कुल लागत के आधे प्रतिशत की दर से तरलता क्षति देने के लिए वाध्य होंगे जो कि अधिकतम ठेके के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी।

हमने पाया कि ठेकेदार कार्य के लिए निर्धारित समयावधि 18 माह में कार्य पूर्ण नहीं कर सके एवं मार्च 2015 तक कार्य अपूर्ण रहे। जैसा कि सभी ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण करने में 10 सप्ताह से अधिक का विलंब हुआ अतः ठेकेदारों से ठेकों के कुल मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से राशि ₹ 10.02 करोड़ की तरलता क्षति वसूली योग्य थी। जबकि कम्पनी द्वारा ठेकों के कुल मूल्य के पाँच प्रतिशत के स्थान पर वास्तविक रूप से हुए कार्य के लिए प्रस्तुत बिलों के मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से तरलता क्षति की गणना की जाकर राशि ₹ 5.55 करोड़ की वसूली की गयी (अगस्त 2015)। इस तरह वसूली के लिए गणना की त्रुटिपूर्ण प्रणाली से ठेकेदारों से राशि ₹ 4.47 करोड़ तरलता क्षति के रूप में कम वसूल किए गए (परिशिष्ट-3.3)।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर, 2015) कि एल0डी0 के लिए अनुबंध में दिए गए अनुच्छेद के अनुसार कार्य में विलंब के प्रत्येक केलेण्डर सप्ताह या उसके किसी भाग के लिए ठेके

के मूल्य पर आधे प्रतिशत की राशि ठेकेदार द्वारा तरलता क्षति के रूप में देय होगी एवं तदनुसार वसूली की गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा ठेके के कुल मूल्य की वजाय ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत बिलों के मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से तरलता क्षति आरोपित की गयी है।

इस तरह गणना के लिए त्रुटिपूर्ण प्रणाली अपनाने से राशि ₹ 4.47 करोड़ की तरलता क्षति ठेकेदारों से कम वसूल की गयी।

प्रकरण सरकार को मई, 2015 को प्रेषित किया गया एवं उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर, 2015)।

3.3 कार्पोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट (सी0एल0टी0डी0) योजना को नहीं अपनाने के कारण ब्याज हानि ।

चालू खाते में सी0एल0टी0डी0 योजना नहीं अपनाने एवं परिणामस्वरूप चालू खाते में आधिक्य निधि रहने से कम्पनी को राशि ₹ 1.98 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, (कम्पनी) पूँजी एवं राजस्व व्ययों की पूर्ती के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सात खातों को शामिल करते हुए नौ चालू खाते उपयोग में ला रही है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चालू खातों वाली संस्थाओं के लिए कार्पोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट (सी0एल0टी0डी0) योजना प्रस्तावित की गयी। सी0एल0टी0डी0 योजना के अनुसार सी0एल0टी0डी0 के लिए कम से कम ₹ 50,000 की राशि सदैव चालू खाते में रहना आवश्यक है। न्यूनतम सात दिवस की अवधि की सीमा को ध्यान में रखते हुए सी0एल0टी0डी0 के दिनों की संख्या के लिए बेसिक टर्म डिपोजिट ब्याज दर पर ब्याज देय होगा। एवं आवश्यकता की दशा में, आहरणों की संख्या सीमा के बगैर आवश्यक राशि ₹ 5000 के गुणन में सी0एल0टी0डी0 से स्वचालित रूप से आहरित होगी एवं ऑनर चैक्स/भुगतानों से चालू खातों में जमा होगी। इस तरह, सी0एल0टी0डी0 के प्रावधानों के अनुसार सी0एल0टी0डी0 में ₹ 50,000 के अलावा चालू खाते में किसी प्रकार के न्यूनतम शेष की आवश्यकता नहीं होगी।

हमने पाया (मई, 2015) कि एक चालू खाते⁶ के सन्दर्भ में कम्पनी ने सी0एल0टी0डी0 योजना को नहीं अपनाया और न ही आधिक्य निधि को अन्य लघुकालिक सावधिक जमा में हस्तांतरित किया। जैसा कि आहरणों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, कम्पनी उक्त चालू खाते के लिए सी0एल0टी0डी0 योजना को अपना सकती थी जिससे निधियों की तरलता के साथ साथ ब्याज भी प्राप्त किया जा सकता था।

अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि में माह के प्रत्येक दिवस चालू खाते का न्यूनतम शेष राशि ₹ 0.57 करोड़ से ₹ 37.86 करोड़ की सीमा में था एवं उक्त समान अवधि में माह के प्रत्येक दिवस चालू खाते का अधिकतम बैलेस राशि ₹ 42.25 करोड़ से ₹ 136.29 करोड़ की सीमा में था। अतः उक्त योजना के न अपनाने के कारण कम्पनी चालू खाते में उपलब्ध इन निधियों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं कर सकी। यदि चालू खाते में कम्पनी द्वारा उक्त योजना को अपनाया जाता तो राशि ₹ 1.98 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया जा सकता था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई है।

⁶ चालू खाता संख्या 00000010238007069

इस तरह, चालू खाते में सी0एल0टी0डी0 योजना न अपनाने एवं तदनुसार चालू खाते में आधिक्य निधि व्यर्थ रहने के कारण कम्पनी को राशि ₹ 1.98⁷ करोड़ के ब्याज की हानि हुई (परिशिष्ट-3.4)।

सरकार ने कहा (अगस्त 2015) कि संबंधित चालू खाते को जुलाई 2015 से सी0एल0टी0डी0 योजना के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया है। वहरहाल, तथ्य अभी भी शेष है कि कम्पनी द्वारा सी0एल0टी0डी0 के विकल्प को विलंब से अपनाने के कारण कम्पनी को राशि ₹ 1.98 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

3.4 मॉग वापिसी के कारण राजस्व की हानि

कम्पनी द्वारा उपभोक्ता पर न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग को वापिस लेने के कारण राशि ₹ 3.85 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय समय पर जारी रिटेल सप्लाई आदेश के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य शर्तों के नियम क्रमांक 1.6 के अनुसार, उपभोक्ता की बिलिंग इस बात का विचार किए बिना कि वर्ष के दौरान कोई उर्जा खपत हुई है अथवा नहीं उसके श्रेणी में उल्लेखित अनुबंध मॉग की प्रति के0व्ही0ए0 ईकाईओं की संख्या के आधार पर प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत के लिए की जावेगी।

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, (कम्पनी) ने खजुराहो मध्यप्रदेश को विद्युत आपूर्ति के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध किया (अक्टूबर, 2008) अनुबंध के अनुसार, 33 के0व्ही0 समर्पित लाईन का निर्माण किया गया एवं उक्त लाईन के निर्माण एवं आवश्यक विद्युत/भार क्षमता की आपूर्ति के लिए तैयारी की सूचना उपभोक्ता को देने हेतु अधिसूचना जारी की गयी (जून 2011)।

अनुबंध के अनुच्छेद 2 के अनुसार, कम्पनी एवं उपभोक्ता के मध्य, अनुबंध का प्रारम्भ या तो उपभोक्ता द्वारा वास्तव में विद्युत उर्जा प्राप्ति के आरम्भिक दिनांक से या फिर उपभोक्ता को सूचना हेतु दी गयी विशिष्ट अधिसूचना दिनांक से 90 दिवस की अवधि की समाप्ति पर जो भी पहले हो को माना जावेगा। उपभोक्ता द्वारा विद्युत आपूर्ति न लेने की स्थिति में वह न्यूनतम प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 27 के अनुसार अनुबंध यदि समाप्त नहीं किया जाता तब दो वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा एवं वर्ष दर वर्ष समान शर्तों पर निरन्तर माना जावेगा। आगे, दो वर्ष की आरम्भिक अवधि की समाप्ति पर अनुबंध किसी भी पक्ष द्वारा न्यूनतम एक माह की सूचना देने से समाप्त किया जा सकेगा।

हमने पाया (मार्च 2015) कि उपभोक्ता द्वारा 90 दिवस की अधिसूचना अवधि की समाप्ति (अगस्त 2011) पर भी समर्पित लाईन से संयुक्त भार नहीं लिया गया। कम्पनी द्वारा सितम्बर 2011 के पश्चात् से न्यूनतम प्रभारों के आधार पर बिलिंग प्रारम्भ की गयी। जबकि उपभोक्ता ने कम्पनी द्वारा न्यूनतम प्रभारों के बिलों का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप सितम्बर 2011 से जनवरी 2015 तक की अवधि के लिए उपभोक्ता से वसूली योग्य राशि एकत्रित होकर ₹ 3.85 करोड़ थी। इस दौरान, उपभोक्ता की प्रार्थना (जनवरी 2014) पर सी0जी0एम0 (कमर्शियल) ने मुख्य अभियंता को अनुबंध के साथ संस्वीकृत भार को निरस्त करने एवं समस्त न्यूनतम बिलिंग को वापिस लेने हेतु निर्देश दिए (अक्टूबर 2014)। तदनुसार मुख्य अभियंता ने उपभोक्ता से अनुबंध को निरस्त किया (जनवरी 2015) एवं समस्त राशि ₹ 3.85 करोड़ की न्यूनतम बिलिंग को वापिस लिया।

⁷ व्यर्थ दिवसों के लिए 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से।

इस तरह बिलिंग का वापिस लिया जाना टैरिफ आदेश एवं अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत है। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को हानि हुई एवं राशि ₹ 3.85 करोड़ का उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया गया।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (मई 2015) कि तीन माह के उर्जा उपलब्धता अधिसूचना के भ्रमात्मक मुद्दे के कारण 15 अक्टूबर 2008 का अनुबंध प्रारम्भ नहीं हो सका एवं उपभोक्ता की प्रार्थना जो कि उक्त भ्रमात्मक अधिसूचना अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी पर निरस्त किया गया। चूँकि उपभोक्ता द्वारा किसी प्रकार की उर्जा की खपत नहीं की गयी अतः कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई एवं उपभोक्ता द्वारा 33 के0व्ही लाईन की संधारण व्ययों एवं 33 के0व्ही0 लाईन के लाईन हानि का भी भुगतान किया गया। राशि ₹ 3.85 करोड़ की माँग को वापिस लिया गया क्योंकि अनुबंध एवं संस्वीकृत भार को निरस्त किए जाने के पश्चात् इस तरह की माँग को बनाए नहीं रखा जा सकता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि अनुबंध का उपवाक्य 2(अ) उल्लेख करता है कि अनुबंध का प्रारम्भ या तो उपभोक्ता द्वारा वास्तव में विद्युत उर्जा प्राप्ति के आरम्भिक दिनांक से या फिर उपभोक्ता को सूचना हेतु दी गयी विशिष्ट अधिसूचना दिनांक से 90 दिवस की अवधि की समाप्ति पर जो भी पहले हो को माना जावेगा। कार्यपालन अभियंता, खजुराहों (संचारण एवं संधारण) ने यह उल्लेखित करते हुए अधिसूचना जारी की (जून 2011) कि विद्युत की आपूर्ति अनुबंध के अनुसार उपलब्ध थी। इस तरह अनुबंध का आरम्भ सितम्बर 2011 से प्रभावी हुआ जो कि अधिसूचना के 90 दिवस की अवधि के पश्चात् था एवं कम्पनी ने तदनुसार बिलिंग भी आरम्भ कर दी। तथ्य अभी भी शेष है कि उपभोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति के लिए प्रार्थना (नवम्बर 2011) सितम्बर 2011 में अनुबंध आरम्भ होने के पश्चात् की गयी थी।

प्रकरण सरकार को मई 2015 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

3.5 विद्युत पर परिहार्य व्यय

कम्पनी द्वारा आवश्यक संयोजन भार के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारण विद्युत पर राशि ₹ 1.21 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकास को प्रोत्साहित करने के क्रम में ग्वालियर जिले में एक आई0टी0 पार्क की स्थापना की गयी। कम्पनी ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के साथ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में विद्युत आपूर्ति के लिए 200 किलो वोल्ट एम्पियर (के0व्ही0ए0) की आरम्भिक अनुबंधित माँग (सी0डी0) के लिए दो वर्ष की अवधि का एक अनुबंध किया (अक्टूबर 2012)। अनुबंध की शर्तों में विद्युत माँग में वृद्धि के लिए इस परिकल्पना पर कि आई0टी0 पार्क का 18 माह की अवधि में पूर्ण रूप से अधिग्रहण हो जाएगा माह सितम्बर 2013 एवं अप्रैल 2014 को क्रमशः अधिकतम 500 के0व्ही0ए0 एवं 1500 के0व्ही0ए0 तक की क्रमिक तरीके से वृद्धि का प्रावधान निहित था।

मध्यप्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 (संहिता) की कण्डिका क्रमांक 7.9 के अनुसार, अनुबंध के दिनांक से प्रथम दो वर्ष की अवधि में अनुबंधित माँग में कमी के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जावेगा। जबकि, आपूर्ति संहिता में भार में वृद्धि के लिए आवेदन की प्रस्तुति पर इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

हमने पाया (जनवरी 2015) कि मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आई0टी0 पार्क को उर्जा की आपूर्ति की एवं लागू टैरिफ आदेश के अनुसार उर्जा प्रभारों सहित नवम्बर 2012 से अगस्त 2013 तक 200 के0व्ही0ए0, सितम्बर 2013 से मार्च 2014 तक 500 के0व्ही0ए0 एवं अप्रैल 2014 से 1500 के0व्ही0ए0 के 90 प्रतिशत पर न्यूनतम निर्धारित प्रभार के लिए बिलिंग की गयी यद्यपि सितम्बर 2013 से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान वास्तविक माँग 26 के0व्ही0ए0 से 71 के0व्ही0ए0 दर्ज थी। कम्पनी ने अनुबंधित माँग का पुनार्कलन किया (अक्टूबर 2014) एवं इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि आई0टी0 पार्क में अपेक्षित क्षेत्र के उपयोग न होने से 1500 के0व्ही0ए0 भार के उपयोगिता की संभावना नहीं है अनुबंध माँग को 200 के0व्ही0ए0 तक कम करने पर विचार किया। अतः कम्पनी ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से भार को 200 के0व्ही0ए0 तक कम करने के लिए प्रार्थना की (नवम्बर 2014)। तदनुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जनवरी 2015 में 1500 के0व्ही0ए0 भार को 200 के0व्ही0ए0 तक कम किया एवं 200 के0व्ही0ए0 के आधार पर विद्युत प्रभारों के लिए बिलिंग आरम्भ की।

हमने यह भी पाया कि अनुबंध का उपवाक्य अनुबंध माँग में 500 के0व्ही0ए0 एवं 1500 के0व्ही0ए0 तक के लिए क्रमिक वृद्धि का उल्लेख करता है, वह अनेपक्षित था क्योंकि अनुबंध माँग में वृद्धि आगामी समय में कभी भी संभव थी जबकि आपूर्ति संहिता की शर्तों के अनुसार अनुबंध के प्रथम दो वर्षों तक अनुबंध माँग में कमी संभव नहीं थी।

इस तरह, आई0टी0 पार्क के लिए वास्तविक विद्युत की माँग से असम्बद्ध अनुबंध माँग में क्रमिक वृद्धि को उल्लेखित करने वाले त्रुटिपूर्ण अनुबंध उपवाक्य के कारण 200 के0व्ही0ए0 तक अधिकतम अनुबंधित भार के संदर्भ में अगस्त 2013 से दिसम्बर 2014 की अवधि के लिए न्यूनतम माँग प्रभारों (*परिशिष्ट-3.5*) के रूप में राशि ₹ 1.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय कम्पनी द्वारा किया गया।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (मई 2015) कि माँग का आकलन मध्यप्रदेश गृह एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा किया गया था एवं तदनुसार कम्पनी द्वारा उनके आकलन एवं इस तथ्य के आधार पर कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 18 माह की अवधि में आई0टी0 पार्क का पूर्ण अधिग्रहण हो जावेगा संयोजन के लिए आवेदन किया। यह भी उल्लेखित है कि लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन के लिए ध्यान में लिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई0टी0 पार्क की स्थापना कम्पनी द्वारा की गयी एवं मध्यप्रदेश गृह एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड केवल निर्माण एजेन्सी थी। कम्पनी को विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अनुबंधित माँग के लिए अनुबंध करना चाहिए था एवं अधिग्राहीयों द्वारा विद्युत माँग एवं आई0टी0 पार्क में अधिग्रहण में वृद्धि के अनुसार समय समय पर अनुबंधित माँग में वृद्धि के लिए आवेदन करना चाहिए था।

प्रकरण सरकार को मई 2015 में भेजा गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

3.6 आई0टी0 नीति से विचलन में भूमि का आवंटन

आई0टी0 नीति में विचलन कर आई0टी0 कम्पनियों को कम दरों पर भूमि का आवंटन किया गया। परिणामस्वरूप सरकार को राशि ₹ 128.85 करोड़ की हानि हुई एवं उसी सीमा तक आई0टी0 कम्पनियों को अनुचित लाभ हुआ।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में निवेश प्रवाह में वृद्धि के उद्देश्य एवं राज्य में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार को अधिकतम करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की (जनवरी 2000) जिसे कि समय समय पर आई0टी0 उद्योग के विकास/आवश्यकता के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया। आई0टी0 नीति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आई0टी0 कम्पनियों को कम दरों पर भूमि आवंटित करने के लिए निजी भूमि को शामिल करते हुए बड़ी मात्रा में भूखण्ड निश्चित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति (अप्रैल 2006 एवं सितम्बर 2012) में भूमि की लागत में छूट सहित अनेक प्रोत्साहन शामिल थे। नीति के अनुसार, भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आई0टी0 उद्योगों को सरकारी भूमि प्रचलित कलेक्टर निर्देशित दरों के 25 प्रतिशत पर उपलब्ध करायी जानी थी जिसमें कि तीन वर्ष की अवधि में निश्चित पूंजी निवेश आई0टी0 कम्पनियों द्वारा किये जाने की शर्त निर्धारित थी। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को नोडल एजेन्सी के रूप में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के आई0टी0 परियोजनाओं का लागू करने का दायित्व सौंपा गया।

मध्यप्रदेश सरकार (अप्रैल 2012) द्वारा राशि ₹ 20 लाख प्रब्याजि प्रति एकड (कुल लागत ₹ 46.01 करोड़) पर 33 वर्ष के लिए पट्टा आधार पर 100 एकड एवं 130.08 एकड भूमि आवंटन के लिए क्रमशः टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज (टी0सी0एस0) एवं इन्फोसिस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित (अप्रैल 2012) किया। तत्पश्चात् मध्यप्रदेश सरकार ने राशि ₹ 20 लाख प्रब्याजि प्रति एकड पर 99 वर्ष के लिए पट्टा आधार पर उक्त भूमि के आवंटन के लिए दो आई0टी0 कम्पनियों के साथ पट्टा अनुबंध हस्ताक्षरित किया (अक्टूबर 2012)।

हमने पाया (मार्च 2014) कि टी0सी0एस0 एवं इन्फोसिस को आवंटित भूमि की कीमत कलेक्टर निर्देशिका दरों के अनुसार ₹ 699.44⁸ करोड़ थी। इस तरह, आई0टी0 कम्पनियों को आवंटित भूमि के लिए वसूली योग्य राशि लागत प्रचलित कलेक्टर निर्देशिका दरों के 25 प्रतिशत पर राशि ₹ 174.86 करोड़ होनी चाहिए थी। जबकि भूमि आई0टी0 कम्पनियों को केवल लागत राशि ₹ 46.01 करोड़ में पट्टे पर दी गयी, परिणामस्वरूप भूमि का आवंटन राशि ₹ 128.85 करोड़ की अतिरिक्त छूट पर किया गया। इस तरह भूमि की लागत पर छूट नीति के अनुसार अनुमत 75 प्रतिशत के विरुद्ध 93.42 प्रतिशत दी गयी।

हमने यह भी पाया कि आई0टी नीति 2006 के उपवाक्य V(8) (ई) के अनुसार जो कम्पनियों 500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा रही है उन्हें केबिनेट की अनुमति के पश्चात् भूमि की दरों में और अतिरिक्त छूट प्रदान किया जा जावेगा। आई0टी0 नीति 2006 के उपवाक्य V(8) (एफ.) आई0टी0 कम्पनियों को आगामी नवीनीकरण के प्रावधान सहित 33 वर्ष के लिए पट्टा आधार पर भूमि के आवंटन का प्रावधान करता है। 6 सितम्बर 2012 को अधिसूचित पुनरीक्षित आई0टी0 नीति 2012 में 500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही कम्पनियों को भूमि आवंटन की दरों में अतिरिक्त छूट के प्रावधान को वापिस ले लिया गया। स्पष्ट रूप से अतिरिक्त छूट के सम्बन्ध में आई0टी0

⁸ 210.68 एकड़ निजी भूमि के लिए ₹ 640.38 करोड़ जैसे- ₹ 640.38 / 210.68 = ₹ 3.04 करोड़ प्रति एकड़, कुल भूमि 230.08 एकड़ × 3.04 = 699.44 करोड़।

नीति 2006 में अनिश्चित प्रावधान के कारण अतिरिक्त छूट की मात्रा की अनुमति में निरन्तर स्वविवेक को लागू करने की संभावना रही। बहरहाल, आई0टी0 नीति 2012 में पट्टे की समयावधि बढ़ा कर 99 वर्ष कर दी गयी।

हमने पाया कि अक्टूबर 2012 में मध्यप्रदेश सरकार एवं आई0टी0 कम्पनियों के मध्य हुई पट्टा अनुबंध में 99 वर्ष के लिए पट्टा आधार पर भूमि आवंटन के संबंध में पुनरीक्षित आई0टी0 नीति 2012 के प्रावधानों का पालन किया गया लेकिन प्रचलित कलेक्टर निर्देशिका दरों पर 25 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। हमने यह भी पाया कि भूमि के ₹ 20 लाख प्रति एकड़ की दर निर्धारण के आधार का विवरण न ही समझौता ज्ञापनों/पट्टा अनुबंध में और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अन्य प्रपत्रों में पाया गया। इस तरह आई0टी0 कम्पनियों को भूमि का आवंटन आई0टी0 नीति 2012 के प्रावधानों से पृथक अधिक कम दरों पर किया गया। परिणामस्वरूप सरकार को राशि ₹ 128.85 करोड़ की हानि हुई एवं उसी सीमा तक आई0टी0 कम्पनियों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

आगे हमने पाया (जून 2015) कि उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भिक अवस्था में था जैसा कि परिसर के लिए चारदीवारी का निर्माण कार्य ही किया गया। जो कि कम्पनी द्वारा तीन वर्ष की अवधि में निश्चित पूँजी निवेश की शर्त के विरुद्ध है।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जुलाई 2015) कि टी0सी0एस0 एवं इन्फोसिस कम्पनियों को भूमि आवंटन का निर्णय राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया था। एवं आई0टी0 नीति 2006 का उपवाक्य V(8) (ई) 500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल की अनुमति से अतिरिक्त छूट का प्रावधान करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई0टी0 नीति 2006 एवं 2012 प्रचलित कलेक्टर निर्देशिका दरों के 25 प्रतिशत पर आई0टी0 कम्पनियों को भूमि आवंटन का प्रावधान करती है एवं भूमि के अतिरिक्त छूट पर आवंटन का कोई आधार प्रकट नहीं किया गया। आई0टी0 नीति 2006 के अनुसार अतिरिक्त छूट पर भूमि आवंटन की नीति को आई0टी0 नीति 2012 (सितम्बर 2012 को जारी) में वापिस ले लिया गया था। जो कि अक्टूबर 2012 में आई0टी0 कम्पनियों के साथ पट्टा अनुबंध किए जाने से पूर्व था।

प्रकरण सरकार को जून 2015 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.7 कर्मचारी कल्याण उपकर की कम वसूली

कम्पनी द्वारा आपूर्ति भाग के लिए ठेकेदारों के बिलों से राशि ₹ 49.39 लाख के कर्मचारी कल्याण उपकर की कम वसूली की गयी एवं इस प्रकार ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 संगठन द्वारा व्यय किए गए निर्माण लागत पर एक उपकर आरोपित करने एवं सकलित करने का प्रावधान करती है। तदनुसार, भारत सरकार ने नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण लागत पर एक प्रतिशत की दर से उपकर आरोपित करने की अधिसूचना जारी की (सितम्बर 1996)।

भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर नियम, 1998 का नियम 8 यह प्रावधान करता है कि निर्धारित समय में उपकर की राशि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (बोर्ड) को जमा करने में असफल रहने पर भुगतान नहीं की जाने वाली राशि पर दो प्रतिशत की दर से प्रत्येक माह या उसके किसी भाग के लिए विलंब की दशा में ब्याज अनिवार्य देय होगा।

उपकर नियम, 1998 का नियम 9 यह भी प्रावधान करता है कि निर्धारित समय में उपकर का भुगतान न करने की दशा में दण्ड की आरोपित राशि मूल उपकर की राशि से अधिक नहीं होगी। नियम, 1998 के नियम 3 के अनुसार, निर्माण की लागत में भूमि की लागत एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के अलावा भवन एवं अन्य निर्माण के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा किए गए सभी व्यय शामिल होंगे।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने दो वृहद योजनाओं जैसे- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर0जी0जी0व्ही0वाय) एवं फीडर विभक्तिकरण योजना (एफ0एस0पी) के अन्तर्गत टर्न की आधार पर 11 के0व्ही लाईन एवं निम्न दाब लाईन के निर्माण के लिए आपूर्ति एवं निर्माण के लिए पृथक पृथक कार्य सौंपा (सितम्बर 2011 एवं मार्च 2012)।

कम्पनी के शाजापुर वृत्त कार्यालय के अभिलेखों से हमने पाया (अक्टूबर 2014) कि वृत्त कार्यालय द्वारा ठेकेदारों के चालू बिलों से निर्माण लागत के हिस्से पर ही एक प्रतिशत की दर से कर्मचारी कल्याण उपकर काटा गया एवं प्राधिकारी को प्रेषित किया गया। लेकिन उपकर आरोपित करने के लिए आपूर्ति (सामग्री) लागत को शामिल नहीं किया गया। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 3 के अनुसार निर्माण लागत में भूमि एवं क्षतिपूर्ति की लागत के अलावा सभी व्ययों⁹ को शामिल किया जाना था। अतः उपकर सामग्री आपूर्ति लागत पर भी संकलित किया जाना चाहिए था।

परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों पर ठेकेदारों के बिलों से राशि ₹ 49.39 लाख के उपकर की कम वसूली एवं तदनुसार बोर्ड को कम राशि प्रेषित की गयी। और इस तरह आपूर्ति लागत पर उपकर की गणना करने में असफल रहने के कारण उसी सीमा तक ठेकेदारों को अलक्षित लाभ पहुँचाया गया। कम्पनी राशि ₹ 49.39 लाख पर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज एवं दण्ड राशि के भुगतान के लिए भी दायी हुई।

सरकार ने उत्तर दिया (जून 2015) कि भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम केवल निर्माण अनुबंधों पर लागू होता है न कि सामग्री आपूर्ति/विक्रय के अनुबंध पर। इस तरह सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यों के बिलों से उपकर के भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी कहा गया कि भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों की परिभाषा केवल निर्माण अनुबंधों तक ही सीमित है एवं अन्य अनुबंध जैसे सामग्री के आपूर्ति एवं विक्रय के अनुबंध को शामिल नहीं करती है। सरकार ने यह भी कहा कि सामग्री आपूर्ति कार्य एवं निर्माण कार्य के लिए अनुबंध एवं कार्य आदेश दो पृथक अनुबंध है और ऐसा विभिन्न न्यायाधिक घोषणाओं में भी कहा गया है कि निर्माण एवं आपूर्ति भाग के लिए यदि दो पृथक अनुबंध एवं कार्य आदेशों का पालन किया जाता है तब दोनों को एक की तरह नहीं माना जा सकता एवं आपूर्ति के लिए अनुबंध को विक्रय के लिए अनुबंध माना जावेगा न कि निर्माण अनुबंध।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा एक साझा निविदा प्रपत्र के विरुद्ध अनुबंध सौंपा गया (आपूर्ति एवं निर्माण)। आगे, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ने मेसर्स

⁹ उर्जा के वितरण एवं प्रसारण से सम्बन्धित निर्माण को शामिल करते हुए जैसा कि भवन एवं अन्य निर्माण कर्मगार अधिनियम, 1996 के धारा 2 (डी) में संदर्भित है।

जी0व्ही0पी0आर0 इन्जीनियर्स लिमिटेड बनाम मध्यप्रदेश राज्य के प्रकरण में अपने फैसले (मई 2012) में कहा कि उपकर निर्माण की कुल लागत पर आरोपित किया जाना चाहिए चाहे योजना दो भागों में विभाजित हो (जैसे- आपूर्ति एवं निर्माण)। नियम, 1998 का नियम 3 भी उल्लेख करता है कि उपकर सामग्री की लागत को शामिल करते हुए निर्माण कार्य की कुल लागत पर आरोपित किया जाना चाहिए। अतः नियम उपकर आरोपित करने के उद्देश्य से कार्य को आपूर्ति एवं निर्माण भागों में विभाजित नहीं करता। उत्तर में संदर्भित न्यायालयीन प्रकरण कर्मचारी कल्याण उपकर को लागू करने के संदर्भ में नहीं है अतः लेखापरीक्षा टिप्पणी से संबंधित नहीं है।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड

3.8 रियायतग्राही को अतिरिक्त बोनस का भुगतान

परामर्शदाता द्वारा परियोजना सम्भाव्यता प्रतिवेदन में अनुशंसित/मान्य अवधि से अधिक निर्माण अवधि की अनुमति के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को राशि ₹ 12.21 करोड़ के अतिरिक्त बोनस का भुगतान किया गया।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) योजनाओं के लिए वित्त के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए निर्माण संचालन एवं हस्तान्तरण (बी0ओ0टी) आधार पर सरकारी निजी साझेदारी के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों को करती है। कम्पनी द्वारा क्रमशः दो पृथक सड़क परियोजनाओं 34.97 किलोमीटर लम्बाई की सीतामठ-बसई-सुबासारा (एस0बी0एस0आर) सड़क एवं 35.68 किलोमीटर लम्बाई की अशोकनगर-विदिशा (ए0व्ही0आर) सड़क के विकास कार्य के लिए सम्भाव्य प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य दो पृथक परामर्शदाताओं का सौंपा गया। इस तरह, कुल रियायत अवधि ट्रैफिक की मात्रा पर निर्भर थी जबकि सड़क निर्माण के लिए कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं थी। परामर्शदाताओं द्वारा सम्भाव्य प्रतिवेदनों में दोनों सड़कों के लिए क्रमशः 12 एवं 18 माह की निर्माण अवधि की अनुशंसा/मान्य किया गया।

तत्पश्चात् कम्पनी ने चुंगी एवं वार्षिक वृत्ती आधार पर एस0बी0एस0आर एवं ए0व्ही0आर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दो पृथक रियायत अनुबंध किये (दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2013)। रियायत अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, परियोजना अवधि आरम्भिक दिनांक¹⁰ से 15 वर्ष की थी। जिसमें दो वर्ष (730 दिवस) निर्माण अवधि एवं शेष 13 वर्ष सड़कों के संचालन एवं मरम्मत कार्य के लिए थे। रियायत अनुबंधों की शर्तों में रियायतग्राही को उसके द्वारा संकलित चुंगी के अतिरिक्त एस0बी0एस0आर एवं ए0व्ही0आर के संचालन एवं मरम्मत अवधि के दौरान छमाही आधार पर (कुल 26 वार्षिक वृत्ती) क्रमशः राशि ₹ 3.69 करोड़ एवं राशि ₹ 5.04 करोड़ की वार्षिक वृत्ती के भुगतान का प्रावधान भी था।

रियायत अनुबंधों के उपवाक्य 15.1 के अनुसार, व्यवसायिक प्रारम्भ दिनांक (सी0ओ0डी) दिनांक होगी जिस पर स्वतंत्र अभियंता¹¹ द्वारा सड़क कार्य के समापन का प्रावधिक प्रमाणपत्र जारी किया जावेगा। रियायत अनुबंधों के उपवाक्य 28.1 के अनुसार, यदि रियायतग्राही निर्धारित समापन अवधि से पूर्व ही सी0ओ0डी0 उपलब्ध करता है तब रियायतग्राही परियोजना के पूर्व समापन के लिए बोनस प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो

¹⁰ आरम्भिक दिनांक वह दिनांक होगी जिस दिनांक को रियायतग्राही द्वारा वित्तीय क्लोजर प्राप्त किया जावेगा एवं उसी दिनांक को कार्य को प्रारम्भ करने का दिवस माना जावेगा।

¹¹ स्वतंत्र अभियंता कम्पनी द्वारा रियायतग्राही के कार्य का निरीक्षण एवं तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन कम्पनी को सौंपने के लिए नियुक्त किया गया।

कि औसत दैनिक वार्षिक वृत्ती एवं कार्य समापन की निर्धारित अवधि से जितने दिवस पूर्व सी0ओ0डी उपलब्ध करता है उन दिवसों के उत्पाद के समान होगा।

हमने पाया कि रियायतग्राही द्वारा परियोजनाओं का समापन निर्धारित अवधि से 401 एवं 470 दिनों (परिशिष्ट-3.6) पूर्व किया गया। जिसके लिए कम्पनी द्वारा रियायतग्राही को एस0बी0एस0आर0 एवं ए0व्ही0आर परियोजनाओं के लिए क्रमशः ₹ 8.00 करोड़ एवं ₹ 12.80 करोड़ बोनस का भुगतान किया गया। कम्पनी द्वारा अन्य 63.80 किलोमीटर से 119.36 किलोमीटर की लम्बाई की सड़क परियोजनाओं के लिए भी दो वर्ष की समापन अवधि निर्धारित की थी के तथ्य को विचार में लेते हुए लगभग 35 किलोमीटर लम्बाई की इन सड़क परियोजनाओं के लिए दो वर्ष की निर्धारित समापन अवधि न केवल अधिक थी बल्कि स्पष्ट रूप से सलाहकारों द्वारा अनुशसित/मान्य अवधि 12 एवं 18 माह के विरुद्ध भी थी।

इस तरह, रियायत अनुबंधों में दो वर्ष की समापन अवधि की अनुमति, एवं दो सड़क परियोजनाओं के लिए बगैर सड़कों की लम्बाई से सम्बद्ध क्रमशः 12 माह एवं 6 माह समापन अवधि को स्थगन देना कम्पनी के हितों के विपरीत सिद्ध हुआ। तदनुसार, रियायतग्राही सड़क परियोजनाओं के लिए बोनस के रूप में राशि ₹ 7.28 करोड़ एवं ₹ 4.93 करोड़ (परिशिष्ट- 3.6) अतिरिक्त भुगतान का अधिकारी हुआ।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2015) कि रियायत अनुबंध परियोजनाओं के लिए दो वर्ष की समापन अवधि का प्रावधान करता है। चूंकि निविदा खुली एवं निष्पक्ष थी अतः निर्माण अवधि निष्पक्ष रूप से निर्धारित की गयी थी एवं उसी के अनुरूप वित्तीय आमंत्रण प्राप्त हुए थे। प्रबन्धन ने यह भी कहा कि निर्माण अवधि को एक वर्ष निर्धारित किया जाता तब वार्षिक वृत्ती संख्या 26 से बढ़कर 28 हो जाती। अतः निर्माण अवधि दो वर्ष से एक वर्ष किये जाने से वित्तीय बचत नहीं होती। प्रबन्धन ने यह दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण संलग्न किया है कि एम0पी0आर0डी0सी द्वारा उपयोग किया जाने वाला रियायत अनुबंध में अपनायी गयी विधि उत्तम एवं एम0पी0आर0डी0सी के लिए लाभदायी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों की कोट्स सुनिश्चित मापों पर आधारित होती है जबकि कार्य का पूर्व समापन एवं बोनस का भुगतान सुनिश्चित नहीं होता जैसा कि कार्य का पूर्व समापन कई आन्तरिक एवं बाह्य कारणों पर निर्भर करता एवं दरों को कोट्स करते समय अनुमानित नहीं होता है। आगे, संचारण एवं संधारण के अवधि विस्तार को कवर करने के लिए यदि वार्षिक वृत्ती की संख्या बढ़ायी जाती तब रियायतग्राही वार्षिक वृत्ती की 26 किशतों के बजाय 28 किशतों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वार्षिक वृत्ती एवं निवेश पर लक्षित प्राप्ति के लिए अलग राशि कोट करता। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को सड़कों के संचारण एवं संधारण के लिए एक वर्ष/छ माह की अतिरिक्त अवधि का लाभ होता एवं वार्षिक वृत्ती की अतिरिक्त किशतों को भी प्रभावहीन करता।

इस तरह, परामर्शदाताओं द्वारा अनुशसित/मान्य समापन अवधि से अधिक समापन अवधि अनुमत करने के कारण कार्य के पूर्व समापन की अवधि में वृद्धि हुई परिणामस्वरूप रियायतग्राही अतिरिक्त बोनस राशि के भुगतान का अधिकारी हुआ।

प्रकरण सरकार को मई 2015 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)

3.9 रियायत अनुबंध में उपवाक्य के अनुसार ब्याज वसूल न किए जाने के परिणामस्वरूप हानि।

प्रब्याजि के विलंब से भुगतान के लिए अनुबंध के उपवाक्य के अनुसार ब्याज की वसूली न करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.17 करोड़ ब्याज की हानि साथ ही रियायतग्राही से राशि ₹ 43.20 करोड़ की वसूली भी न होना।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को पब्लिक प्राईवेट साझेदारी में राजकीय राजमार्गों के नेटवर्क को विकसित करने की मुख्य जिम्मेदारी के लिए मध्यप्रदेश के राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया। कम्पनी मध्यप्रदेश सरकार की ओर से निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (वी0ओ0टी0) आधार पर भोपाल बायपास रोड के निर्माण, संचालन एवं संधारण के लिए ट्रांसटरी भोपाल बायपास टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ एक रियायत अनुबंध (सी0ए0) किया (नवम्बर,2010)। वी0ओ0टी (टोल) मॉडल के अन्तर्गत जहाँ कि रियायतग्राही द्वारा कम्पनी को वार्षिक प्रब्याजि देय होगा।

रियायत अनुबंध के उपवाक्य 15.1 के अनुसार चुंगी संग्रहण का कार्य सड़क के व्यवसायिक संचालन दिनांक (सी0ओ0डी0) से होना था। उपवाक्य 26.2.1 के अनुसार रियायतग्राही सी0ओ0डी0 को प्रथम वर्ष के लिए राशि ₹ 21 करोड़ प्रब्याजि के रूप में एवं तत्पश्चात् रियायत अनुबंध के आगामी वर्षों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में पाँच प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रत्येक वर्ष के आरम्भ होने के सात दिवस के अन्दर भुगतान के लिए दायी होगा। आगे, उपवाक्य 27.1.1 के अनुसार, रियायतग्राही को रियायत अनुबंध की समाप्ति तक सी0ओ0डी0 को एवं से उपयोगकर्ता से एक उचित शुल्क मॉगने एवं संग्रहित करने का विशेषाधिकार होगा।

जैसा कि उपवाक्य 36.2.1 में प्रावधान है कि रियायतग्राही द्वारा निर्धारित प्रब्याजि जमा नहीं किए जाने की दशा में, कम्पनी चुंगी संग्रहण के लिए निलंबन आदेश जारी कर सकती है। एवं निलंबन की अवधि में कम्पनी रियायतग्राही की ओर से अनुबंध के अधीन सभी शुल्क एवं राजस्व संग्रहण कर सकेगी एवं उस राशि को एस्करो खाते में जमा करेगी एवं निलंबन के कारण को सुधारने एवं क्षतिपूर्ति के लिए कम्पनी द्वारा किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु उक्त एस्करो खाते से आहरण के लिए अधिकृत होगी।

हमने पाया (अप्रैल 2015) कि रियायतग्राही द्वारा परियोजना के सी0ओ0डी0 दिनांक जो कि मई, 2013 थी, से उपयोगकर्ताओं से चुंगी संग्रहण आरम्भ किया। रियायतग्राही द्वारा प्रथम वर्ष में देय तिथि जो कि मई, 2013 थी को राशि ₹ 17.84¹² करोड़ के प्रब्याजि का भुगतान नहीं किया एवं तत्पश्चात् इसका भुगतान 53 एवं 172 दिनों के विलंब श्रेणी में किशतों में किया गया। आगे, रियायतग्राही ने द्वितीय वर्ष के लिए देय राशि ₹ 22.05 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 2 करोड़ का भुगतान किया (मई, 2014) एवं आज तक (जून, 2015) तृतीय वर्ष के लिए राशि ₹ 23.15 करोड़ का भी भुगतान नहीं किया। प्रब्याजि का भुगतान न करना उपवाक्य 26.2.1 को खंडित करता है एवं रियायत अनुबंध के उपवाक्य 47.5 के अनुसार बैंक दरों से पाँच प्रतिशत अधिक दर से गणना करते हुए भुगतान में विलंब की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान के लिए वाध्य करता है।

हालांकि, प्रब्याजि के भुगतान में रियायतग्राही के असफल रहने पर भी कम्पनी ने रियायतग्राही द्वारा चुंगी संग्रहण के निलंबन के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया और न ही रियायत अनुबंध के उपवाक्य 47.5 के अनुसार प्रब्याजि के भुगतान में विलंब अवधि के

¹² प्रथम वर्ष के लिए प्रब्याजि राशि ₹ 21 करोड़ 365 दिनों के लिए, हालांकि सी0ओ0डी0 दिनांक 26 मई 2013 को जारी की गयी। उदाहरणार्थ प्रथम वर्ष में केवल 310 दिवस थे। अतः ₹ 21 करोड़×310 दिवस/365 दिवस = ₹ 17.84 करोड़।

लिए ब्याज का दावा किया। इस तरह, देय तिथि को प्रब्याजि के भुगतान के लिए ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2015) कि प्रब्याजि राशि जमा कराने हेतु रियायतग्राही को विभिन्न अधिसूचनाएँ जारी की गयी। यह भी कहा गया कि चुंगी के निलंबन के पश्चात् एम0पी0आर0डी0सी0 को चुंगी संग्रहण का दायित्व लेने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी एवं रियायत अनुबंध का उपवाक्य 47.5 दोनों पक्षों के लिए बकाया राशि के भुगतान में विलंब के लिए बैंक दरों से पाँच प्रतिशत अधिक की दर से दण्डिक ब्याज का प्रावधान करता है। हालांकि, वी0ओ0टी परियोजना होने के कारण जिसमें अन्तिम रूप दिए जाने को शेष कार्य में परिवर्तन एवं वायविलिटी गेप फन्डिंग के रूप में किसी प्रकार का सहयोग सरकार की ओर से संभव नहीं है एवं ऐसी विभ्रम की दशा में दण्डिक ब्याज का आरोपण नहीं किया गया। कार्य में परिवर्तन की लागत जिसका आकलन एक स्वतंत्र अभियंता द्वारा किया गया राशि ₹ 16.24 करोड़ (लगभग) थी एवं उक्त राशि को प्रब्याजि की राशि से समायोजित करने के लिए रियायतग्राही द्वारा निवेदन किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्य में परिवर्तन का पूर्ण न होना कम्पनी को रियायतग्राही से प्रब्याजि एवं दण्डिक ब्याज की वसूली में बाधक नहीं है एवं रियायतग्राही द्वारा चुंगी संग्रहण को निलंबित करने की दशा में कर्मचारियों को नियुक्त करने की लागत की पूर्ति संग्रहित चुंगी राजस्व से की जा सकती थी।

इस तरह, रियायतग्राही द्वारा चुंगी संग्रहण को निलंबित न किए जाने एवं प्रब्याजि के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज की वसूली न किए जाने से कम्पनी ने ब्याज के रूप में राशि ₹ 3.17 करोड़¹³ (परिशिष्ट-3.7) की हानि हुई। एवं इसके अतिरिक्त प्रब्याजि राशि के रूप में राशि ₹ 43.20 करोड़ क्रमशः देय तिथियों 7 अप्रैल 2014 एवं 7 अप्रैल 2015 को वसूल होना शेष रहे।

प्रकरण सरकार को मई 2015 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

3.10 रियायतग्राही को अनौचित्यपूर्ण बोनस का भुगतान

रियायत अनुबंध में परियोजना के निर्धारित समयावधि से पूर्व समापन के लिए बोनस के भुगतान की कोई अधिकतम सीमा का उल्लेख नहीं किया गया एवं परामर्शदाताओं द्वारा अनुशासित निर्माण अवधि से अधिक निर्माण अवधि की अनुमति देने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 85.02 करोड़ का अतिरिक्त बोनस भुगतान किया गया।

मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को पब्लिक प्राइवेट साझेदारी में राजकीय राजमार्गों के नेटवर्क को विकसित करने की मुख्य जिम्मेदारी के लिए मध्यप्रदेश के राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया। कम्पनी ने चुंगी, वार्षिक वृत्ति सहित चुंगी, प्रब्याजि सहित चुंगी एवं वार्षिक वृत्ति तरीकों के अन्तर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार (जी0ओ0आई0) द्वारा संस्वीकृत आदर्श रियायत अनुबंध (एम0सी0ए0) के आधार पर निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (वी0ओ0टी0) क्रियाविधि को अपनाया।

कम्पनी वार्षिक वृत्ति विधि पर सडक निर्माण परियोजनाओं के लिए विभिन्न रियायतग्राहियों के साथ नौ रियायत अनुबंधों में प्रवेश किया (नवम्बर 2011 से फरवरी 2013)। रियायत

¹³ एफ0डी0आर पर ब्याज दर को आधार मानते हुए अपनायी गयी ब्याज दर 9 प्रतिशत है।

अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, कुल परियोजना अवधि 15 वर्ष थी जिसमें निर्माण के लिए दो वर्ष (730 दिवस) एवं परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 13 वर्ष थे। रियायतग्राही को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी प्रावधान किया गया कि यदि रियायतग्राही निर्धारित समापन अवधि से पूर्व ही सी0ओ0डी0¹⁴ उपलब्ध करता है तब रियायतग्राही परियोजना के पूर्व समापन के लिए बोनस प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो कि औसत दैनिक वार्षिक वृत्ती एवं कार्य समापन की निर्धारित अवधि से जितने दिवस पूर्व सी0ओ0डी0 उपलब्ध करता है उन दिवसों के उत्पाद के समान होगा।

रियायतग्राहियों द्वारा नौ सड़क परियोजनाओं के लिए निर्धारित समापन तिथि से 98 से 501 दिवस (परिशिष्ट-3.8) पूर्व ही परियोजनाओं¹⁵ का समापन किया गया। रियायत अनुबंधों के अनुसार परियोजनाओं के पूर्व समापन के लिए रियायतग्राही बोनस का अधिकारी हुआ। हमने पाया कि रियायत अनुबंधों में बोनस की कोई अधिकतम सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। नौ सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय से पूर्व ही पूर्ण करने पर रियायतग्राहियों को कुल राशि ₹ 155.65 करोड़ (परिशिष्ट-3.8) के बोनस का भुगतान किया गया। बोनस राशि की गणना सभी नौ सड़क परियोजनाओं की कुल लागत पर 13.12 प्रतिशत की दर से की गयी। इस तरह, ठेकेदार द्वारा अव्यावहारिक रूप से अनुबंध के क्रियान्वयन को हतोत्साहित करने के लिए कुल बोनस की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती थी।

हमने यह भी पाया कि नौ परियोजनाओं में से चार में परियोजनाओं की सम्भाव्य प्रतिवेदन में परामर्शदाता द्वारा अनुशंसित/मान्य 12 माह समापन अवधि के विरुद्ध दो वर्ष की समापन अवधि निर्धारित की गयी थी। इन परियोजनाओं के सन्दर्भ में निर्धारित समापन तिथि (परिशिष्ट-3.8) से 135 दिवस से 501 दिवसों अधिक पहले कार्यों का समापन किया गया। इस तरह, बगैर किसी आधार के रियायत अनुबंधों में निर्माण के लिए दो वर्ष अवधि की अनुमति देने और इस तरह इन चार परियोजनाओं में समापन अवधि को 12 माह स्थगित करना कम्पनी के हितों के विरुद्ध था। तदनु रूप उक्त चार सड़क परियोजनाओं के रियायतग्राही बोनस/राशि ₹ 85.02 करोड़ के अतिरिक्त बोनस जो कि परियोजनाओं की कुल लागत का 16.53 प्रतिशत था के भुगतान के अधिकारी हुए। इस प्रकार रियायतग्राहियों को बोनस का भुगतान सरकारी कोष पर अताक्रिक रूप से आधिक्य भार सिद्ध हुआ।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2015) कि बोनस का प्रावधान संस्वीकृत वार्षिक वृत्ती परियोजनाओं के लिए स्पष्ट रूप से रियायत अनुबंधों में उल्लेखित था एवं यह परियोजनाओं को तीव्रगति से पूर्ण करने के लिए रियायतग्राही को एक प्रोत्साहन था और तदनु रूप बोनस का भुगतान प्राप्त किया गया। यह भी कहा गया कि चूंकि निविदा खुली एवं निष्पक्ष थी एवं सभी नियम एवं शर्तें जिन्होंने कि वित्तीय कोट्स को निर्धारित प्रकिया भी स्पष्ट उल्लेखित की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रियायत अनुबंध परियोजनाओं के पूर्व समापन के लिए बोनस भुगतान की कोई अधिकतम सीमा का प्रावधान नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की लागत के 26 प्रतिशत तक बोनस का भुगतान किया गया एवं सड़क निर्माण के लिए उल्लेखित समयावधि परामर्शदाताओं द्वारा अनुशंसित/मान्य अवधि से अधिक थी। जिसके कारण रियायतग्राहियों को अतिरिक्त बोनस का भुगतान करना पडा। उत्तर यह कि चूंकि निविदा खुली एवं निष्पक्ष थी एवं सभी नियम एवं शर्तें जिन्होंने कि वित्तीय कोट्स को निर्धारित किया भी स्वीकार्य नहीं है ठेकेदारों के कोट्स सुनिश्चित आधारों पर निर्भर करते हैं जबकि इस प्रकरण में कार्य का पूर्व समापन एवं बोनस का

¹⁴ जैसा कि अनुबंध में उल्लेखित कार्य की कुल कीमत के 75 प्रतिशत पर समापन प्रावधिक सी0ओ0डी0 जारी कर सकती थी।

¹⁵ इन परियोजनाओं में वह भी शामिल है जिनके सन्दर्भ में प्रावधिक समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया।

भुगतान निश्चित नहीं था। क्योंकि कार्य का निर्धारित समयावधि से पूर्व समापन कई आन्तरिक एवं बाह्य कारणों पर निर्भर करता है। अतः दरों को कोट्स करते समय अप्रत्याशित होता है।

प्रकरण सरकार को मई 2015 में प्रेषित किया गया। एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.11 ट्रांसफार्मर ऑयल की कमी की प्रतिपूर्ति न करना।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विभिन्न एरिया स्टोर्स में प्राप्त होने वाले असफल ट्रांसफार्मरों से प्राप्त होने वाले ट्रांसफार्मर ऑयल में कमी के विरुद्ध राशि ₹ 4.27 करोड़ की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

विद्युत प्रवाह को स्टेपिंग डाउन करने के उद्देश्य से विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा क्रय किए गए वितरण ट्रांसफार्मर (डी0टी0आर्स) उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण किए जाने वाले बिन्दु/स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर में बाईडिंग के मध्य इन्सुलेटर के रूप में कार्य करने एवं बाईडिंग के तापमान को ठण्डा रखने के लिए ट्रांसफार्मरों में ट्रांसफार्मर ऑयल उपयोग किया जाता है। असफल ट्रांसफार्मरों को विभिन्न एरिया स्टोर्स में लाया जाता है जहाँ कि इनका ट्रांसफार्मर ऑयल निकाल लिया जाता है। डी0टी0आर्स की मरम्मत के बाद आवश्यक मात्रा में रिक्लेम्ड/फ्रेस ट्रांसफार्मर ऑयल रिफिल्ड किया जाता है। 25 के0व्ही0ए0 से 200 के0व्ही0ए0 की श्रेणी की क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों में विविध क्षमता वाले ऑयल टेक होते हैं।

मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एम0पी0एम0के0व्ही0व्ही0सी0एल0) के आदेश (अक्टूबर 2012) अनुसार, दुर्घटना, चोरी इत्यादि से अलग कारणों के लिए प्रत्याभूति अवधि के बाहर असफल ट्रांसफार्मरों एवं निर्देशित सीमा (जैसे- एल0टी0 बुसिंग से कम) से कम ट्रांसफार्मर ऑयल वाले इस तरह के डी0टी0आर्स एरिया स्टोर्स में स्वीकार किए जावेंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि असफल डी0टी0आर्स से प्राप्त ऑयल की मात्रा तय करने के लिए एक समिति परीक्षण भी करेगी। आगे, प्रभारी वितरण वृत्तों (डी0सी0) से ट्रांसफार्मर ऑयल में कमी के लिए निर्देशित दर पर जी0एम0/डी0जी0एम0 (स्टोर्स) द्वारा लागत वसूल किया जाना आवश्यक होगा। डी0टी0आर्स की क्षमता के अनुसार असफल ट्रांसफार्मरों से आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाने वाला ट्रांसफार्मर ऑयल का विवरण निम्न है।

डी0टी0आर्स क्षमता	की	ट्रांसफार्मर ऑयल की कुल क्षमता (लीटर में)	एल0टी0 बुसिंग स्तर तक आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाने वाला ट्रांसफार्मर ऑयल (लीटर में)
200 के0व्ही0ए		265	198
100 के0व्ही0ए		165	123
63 के0व्ही0ए		150	112
25 के0व्ही0ए		61	45

एरिया स्टोर्स ग्वालियर एवं उज्जैन में असफल ट्रांसफार्मरों से प्राप्त ऑयल में कमी के लिए लागत वसूली में विसंगति पायी गयी जो कि इस प्रकार है।

(अ) मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अन्तर्गत ग्वालियर एरिया स्टोर्स के सन्दर्भ में 3473 असफल डी0टी0आर्स से 404894 लीटर्स ट्रांसफार्मर ऑयल प्राप्त किया जाना था जिसके विरुद्ध 2012-13 एवं 2013-14 वर्ष के दौरान एरिया स्टोर्स ग्वालियर ने 277958 लीटर ऑयल ही प्राप्त किया । इस तरह, असफल ट्रांसफार्मरों में राशि ₹ 53.31¹⁶ लाख मूल्य के 126936 लीटर ऑयल की कमी हुई। इसके विपरीत राशि ₹ 1.45¹⁷ लाख मूल्य के 8231 लीटर ऑयल कमी के लिए वसूली की गयी। इस तरह, राशि ₹ 51.86 लाख मूल्य के 118705 लीटर ऑयल की कमी के लिए लागत वसूली किया जाना शेष है।

असफल ट्रांसफार्मरों के सम्बन्ध में एरिया स्टोर्स में आने वाले दिनांक को ही ऑयल की मात्रा का परीक्षण करने के लिए एक समिति के गठन की आवश्यकता थी। हमने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त उद्देश्य अर्थात् ट्रांसफार्मर ऑयल में कमी के कारणों के परीक्षण के लिए कोई समिति का गठन हुआ है एवं जून 2015 तक एरिया स्टोर द्वारा ट्रांसफार्मर ऑयल में कुल कमी के लिए किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि ऑयल की कमी के कारणों में ब्रेकिंग ऑफ बुसिंग एवं बाडी से लीकेज हैं एवं फ्लोर पर लीकेज के कारण ऑयल क्षति के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया कि असफल ट्रांसफार्मरों से प्राप्त ऑयल की मात्रा एवं मात्रा में कमी के कारणों के परीक्षण के उद्देश्य से किसी समिति का गठन किया गया था।

(ब) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अन्तर्गत उज्जैन एरिया स्टोर्स के सन्दर्भ में 14632 असफल डी0टी0आर्स से 1749938 लीटर्स ट्रांसफार्मर ऑयल प्राप्त किया जाना था जिसके विरुद्ध 2012-13 एवं 2014-15 वर्ष के दौरान एरिया स्टोर्स उज्जैन ने 856688 लीटर ऑयल ही प्राप्त किया । इस तरह, असफल ट्रांसफार्मरों में राशि ₹ 3.75 करोड़ मूल्य के 893250 लीटर ऑयल की कमी हुई। कार्यपालन अभियंता, एरिया स्टोर उज्जैन द्वारा ट्रांसफार्मर ऑयल की कमी सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार की समिति के गठन न होने की सूचना दी गयी (जुलाई 2015)।

इस तरह, ग्वालियर एरिया स्टोर्स के सन्दर्भ में असफल डी0टी0आर्स से ट्रांसफार्मर ऑयल की कमी की मात्रा समिति द्वारा निश्चित नहीं की गयी एवं उज्जैन एरिया स्टोर्स के सन्दर्भ में उक्त उद्देश्य के लिए कोई समिति का गठन नहीं किया गया। दोनों एरिया स्टोर्स वितरण वृत्तों/जिम्मेदार अधिकारियों से राशि ₹ 4.27 करोड़ मूल्य के ट्रांसफार्मर ऑयल की कमी की वसूली करने में असफल रहे।

प्रकरण को जुलाई 2015 में सरकार/कम्पनी को प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

¹⁶ वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान नीलामी में प्राप्त न्यूनतम दर ₹ 42 प्रति लीटर पर गणना की गयी।

¹⁷ वर्ष 2012-13 में 1678 लीटर एवं वर्ष 2013-14 में 6553 लीटर के लिए क्रमशः ₹ 13988 एवं ₹ 131310/- ।

दादा धुनीवाले, खण्डवा पावर लिमिटेड

3.12 कम्पनी मामलों का त्रुटिपूर्ण प्रबन्धन।

कम्पनी द्वारा कोयले की श्रृंखला को सुनिश्चित किए वगैर संचालन जारी रखने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

दादा धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड (कम्पनी) को जिला खण्डवा मध्यप्रदेश में 1600 मेगावाट (2×800 मेगावाट) सुपर क्रीटिकल¹⁸ कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र बनाने, स्वामित्व एवं संचालित करने के लिए मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एम0पी0पी0जी0सी0एल) एवं भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बी0एच0ई0एल) के संयुक्त उपक्रम के रूप में निगमित किया गया (फरवरी 2010)।

कम्पनी के संस्थापक द्वारा पावर प्लांट हेतु दीर्घावधि कोयला श्रृंखला के लिए कोयला मंत्रालय (एम0ओ0सी), भारत सरकार को आवेदन दिया (जनवरी 2010)। जबकि, कोयला मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2012) कि बारहवीं योजना अवधि (2012-17) परियोजनाओं के लिए नवीन कोयला श्रृंखला की कोई संभावना नहीं है। तत्पश्चात् कम्पनी ने अपने मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य उपवाक्य में कोयले के विकास एवं खनन को एक उद्देश्य के रूप में शामिल करते हुए संशाधित किया (जनवरी 2013) एवं कोयला मंत्रालय को कोयले के ब्लॉक्स के आवंटन हेतु एक आवेदन दिया (जनवरी 2013) लेकिन अगस्त 2013 में कोयला मंत्रालय द्वारा किए गए कोयले ब्लॉक्स के आवंटन में उक्त आवेदन को विचार में नहीं लिया गया (अगस्त 2013)।

परियोजना में कोई अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में, कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रोक दिया गया (फरवरी 2014) क्योंकि कोल ब्लॉक का कोई आश्वासन नहीं था एवं प्रबंध संचालक को कम्पनी के संभाव्य समापन को शामिल करते हुए एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

हमने पाया कि (जनवरी 2015) कि कम्पनी के संभाव्य समापन को शामिल करते हुए विस्तृत रोड मैप के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस तरह, सितम्बर 2013 से मार्च 2015 की अवधि में कम्पनी द्वारा किया गया राशि ₹ 1.03 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा जिसे फरवरी 2012 में वर्ष 2012-17 के दौरान नवीन कोयला श्रृंखला की असंभाव्यता पर कोयला मंत्रालय के निर्णय एवं मंत्रालय द्वारा अगस्त 2013 में कोयला ब्लॉक्स के आवंटन के आवेदन को अस्वीकार करने के पश्चात् समय पर कार्यवाही से उक्त व्यय को परिहार्य किया जा सकता था। लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण संज्ञान में लाए जाने के पश्चात् कम्पनी के संचालक मण्डल ने कम्पनी के समापन के लिए अन्तिम रूप से अनुंशसा की (मार्च 2015) क्योंकि कम्पनी को कोई कोयला श्रृंखला प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, कम्पनी का समापन होना अभी भी शेष है (जुलाई 2015)।

सरकार/प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जुलाई 2015) कि परियोजना का विकास कोयले की अनुपलब्धता के कारण बाधित हुआ। जैसा कि पिछले पाँच वर्षों से कोयला श्रृंखला के लिए अत्यधिक प्रयास किए गए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली एवं भविष्य में भी कोल ब्लॉक्स आवंटन की नगण्य संभावना है। 27 मार्च 2015 को आयोजित संयुक्त उपक्रम के संचालक मण्डल की बैठक द्वारा आगामी व्ययों को करने के स्थान पर अन्तिम रूप से संयुक्त उपक्रम के समापन की अनुंशसा की गयी।

¹⁸ यह उच्च ताप एवं दाब को नियमित करती है। परिणामस्वरूप उत्तम कार्यकुशलता, ईंधन कमी एवं ग्रीन हाउस गैसों का कम मात्रा में निर्वसन होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि कम्पनी के संचालक मण्डल के संज्ञान में था (अगस्त 2013) कि कोयला श्रृंखला प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है एवं परियोजना की कोई प्रगति अपेक्षित न होने के कारण कम्पनी के संचालक मण्डल ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय भी लिया (फरवरी 2014) लेकिन कम्पनी के समापन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। परिणामस्वरूप कम्पनी के संचालन पर परिहार्य व्यय हुआ।

नर्मदा बेसिन परियोजना कम्पनी लिमिटेड

3.13 आधिक्य निधि के निवेश न करने से ब्याज की हानि।

कम्पनी स्वयं के मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन में अर्न्तनिहित प्रावधान के अनुसार निष्क्रिय निधि को सावधि जमा (एफ0डी0) में निवेशित करने में असफल रही जिसमें परिणामस्वरूप कम्पनी ने ₹ 1.15 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

नर्मदा बेसिन परियोजना कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को सिचाई, पानी आपूर्ति एवं निकासी के लिए योजनाओं के संचालन एवं विस्तार के उद्देश्य से निगमित किया गया (अक्टूबर 2011)। कम्पनी की अधिकृत अंश पूँजी राशि ₹ 50 करोड़ थी जिसमें से राशि ₹ 5 करोड़ के अंश पूँजी मध्य प्रदेश शासन द्वारा कम्पनी के चालू खाते में जमा कर दी गयी (मार्च 2012)। कम्पनी के उद्देश्यों को परिभाषित करने वाले मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कम्पनी किसी ऐसी राशि को जिसकी उस समय कम्पनी के उद्देश्यों के लिए आवश्यकता न हो, राष्ट्रीयकृत बैंकों में लघु अवधि के लिए निवेश कर सकती है।

हमने पाया (जून 2015) कि कम्पनी द्वारा अपने प्रारम्भिक खर्चों के लिए राशि ₹ 31.38 लाख का व्यय किया गया (मार्च 2012) एवं शेष पूँजी राशि ₹ 4.69 करोड़ को उसी दिनांक से चालू खाते में उस समय तक जबकि 15 फरवरी 2015 को उक्त निधि ₹ 4.69 करोड़ को बैंक में सावधि जमा के रूप में निवेशित किया गया, निष्क्रिय रखा गया। जैसा कि कम्पनी अभी आरम्भिक दौर में थी जहाँ कि निधियों की आकस्मिक आवश्यकता की संभावना कम थी कम्पनी अपनी निष्क्रिय निधियों को समय पर सावधि जमाओं में निवेशित कर सकती थी। तथापि कम्पनी अपने मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन में अर्न्तनिहित प्रावधानों के अनुसार अपनी निष्क्रिय निधि राशि ₹ 4.69 करोड़ को सावधि जमाओं में निवेशित करने में असफल रही। परिणामस्वरूप कम्पनी ने अप्रैल 2012 से फरवरी 2015 की अवधि के लिए राशि ₹ 1.15¹⁹ करोड़ के ब्याज प्राप्ति के अवसर को त्याग दिया।

हमने यह भी पाया कि कम्पनी द्वारा दिसम्बर 2014/जनवरी 2015 में वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए वार्षिक खातों को विलंब से अन्तिम रूप दिए जाने के कारण चालू खाते में आधिक्य निधि को संज्ञान में नहीं लाया जा सका। इसके कारण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर हुई एवं कम्पनी प्रबन्धन अपने आधिक्य निधियों के सावधि जमाओं पर ब्याज आय के लिए निवेश करने की कार्यवाही समय पर नहीं कर सका।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जुलाई 2015) कि अधिकतम समय, प्रबंध संचालक का पद खाली रहा एवं वर्ष 2013 से ही केवल प्रबन्ध संचालक के पद पर ही नियुक्ति की गयी एवं कम्पनी के पास उपलब्ध निधियों का निवेश सावधिक जमाओं में किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियाँ चालू खाते में निष्क्रिय पड़ी थी एवं कम्पनी ने अपनी आधिक्य निधियाँ विलंब से 15 फरवरी 2015 को निवेशित की।

¹⁹ कम्पनी द्वारा अपनी सावधिक जमाओं पर प्राप्त ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत पर गणना की गयी।


प्रकरण सरकार को जुलाई 2015 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

भोपाल
दिनांक 11 फरवरी 2016

दीपक कपूर
(दीपक कपूर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 12 फरवरी 2016


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट – 1.1

अद्यतन वर्ष जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सांराशित वित्तीय परिणाम

(कांडिका 1.1 & 1.15 में संदर्भित)

(स्तम्भ 5 से 12 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूंजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/हानि(-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि(-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूंजी ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
क. कार्यशील सरकारी कंपनियां													
कृषि तथा संबद्ध													
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	3.29	0.05	50.51	1238.85	35.28	(-) 0.69	60.11	35.44	58.96	510
2	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	39.32	--	186.12	110.39	80.50	(-) 12.64	222.45	80.50	36.19	725
क्षेत्रानुसार योग		--	--	42.61	0.05	236.63	1349.24	115.78	(-) 13.33	282.56	115.94	41.03	1235
वित्त													
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2013-14	2014-15	2.85	--	16.89	21.25	8.28	--	19.74	8.29	42.00	252
4	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	2013-14	2014-15	3.40	--	119.13	200.18	86.75	(-) 18.01	246.43	88.08	35.74	226
5	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2013-14	2014-15	2.83	--	8.11	3.16	1.90	--	10.94	1.90	17.37	63
6	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	2012-13	2014-15	1.80	1.09	4.56	1.86	0.99	--	9.24	1.13	12.23	87
7	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास	2014-15	2015-16	10.00	--	5.16	4.78	(-) 1.05	--	15.16	(-) 1.04	--	39

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूंजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/हानि(-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि(-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूंजी ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	निगम (उज्जैन) लिमिटेड												
8	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन (स्वातंत्र्य) लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.75	--	3.80	10.39	4.38	--	5.55	4.38	78.92	169
9	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2013-14	2015-16	4.00	--	(-) 0.05	0.62	(-)0.02	--	3.95	(-) 0.01	--	27
10	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2014-15	7.55	44.88	0.16	2.41	0.06	--	52.59	0.06	0.11	16
11	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2011-12	18.36	11.06	2.51	4.38	1.94	(-) 0.36	20.07	3.27	16.29	--
12	डी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2014-15	0.50	--	--	3.27	0.84	--	27.19	0.85	3.13	18
13	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	81.09	479.68	(-) 583.37	6.96	10.14	(-) 0.55	(-) 22.50	10.16	--	82
क्षेत्रानुसार योग		--	--	134.13	536.71	(-) 423.10	259.26	114.21	(-) 18.92	388.36	117.07	--	979
आधार संरचना													
14	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	4.58	161.24	35.90	17.63	9.10	--	201.60	9.10	4.51	312
15	म.प्र. रोड विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	20.00	--	104.09	69.52	34.78	1.45	124.09	34.78	28.03	192
16	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	5.00	--	0.29	--	--	--	4.71	--	--	--

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूंजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/हानि(-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि(-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूंजी ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
क्षेत्रानुसार योग		--	--	29.58	161.24	140.28	87.15	43.88	1.45	330.40	43.88	--	504
निर्माण													
17	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2014-15	2015-16	12.12	--	(-) 7.36	8.77	1.28	--	59.56	1.28	2.15	32
18	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	21.91	17.12	(-) 6.91	21.91	3.06	0.11	43.26	3.06	7.07	59
19	क्रिस्टल आई. टी. पार्क (इन्दौर) लिमिटेड	2014-15	2015-16	0.05	--	(-) 0.08	--	--	--	(-) 0.03	--	--	--
20	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	1.26	0.37	2.55	53.55	0.07	(-) 4.40	24.48	0.07	0.29	270
21	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	2.20	--	163.73	241.53	66.12	--	228.95	66.13	28.88	350
22	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.00	--	(-) 0.66	--	(-) 0.18	--	0.34	(-) 0.18	--	--
23	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.00	--	(-) 0.33	0.01	(-) 0.01	--	0.67	(-) 0.01	--	--
24	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.00	--	(-) 6.03	--	(-) 5.18	--	(-) 5.03	(-)1.55	30.82	--
25	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	1.00	--	(-) 1.28	--	(-) 0.85	--	(-)0.28	(-) 0.09	32.14	--
26	एम.पी. जेपी कोल लिमिटेड	2014-15	2015-16	10.00	52.10	(-) 6.07	--	(-) 5.11	--	56.03	(-) 5.11	--	--
27	एम.पी. मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	2.00	--	0.37	--	--	--	1.63	--	--	164
28	एम.पी. जेपी मिन्नरल्स लिमिटेड	2014-15	2015-16	61.22	135.00	(-) 90.02	207.61	(-) 88.67	--	106.20	(-) 88.67	--	--

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूंजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/हानि(-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि(-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूंजी ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29	एम.पी. जेपी कोल फील्ड लिमिटेड	2014-15	2015-16	10.00	--	(-) 9.66	--	(-) 9.26	--	0.34	(-) 9.26	--	--
30	म.प्र. सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड	2014-15	2015-16	33.30	0.64	(-) 0.73	--	(-) 0.02	--	33.21	(-) 0.02	--	12
क्षेत्रानुसार योग		--	--	158.06	205.23	37.52	533.38	(-) 38.75	(-) 4.29	549.33	(-) 34.35	--	887
ऊर्जा													
31	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.69	1.43	--	18.05	--	11.59	2.25	--	--	202
32	म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	2553.14	2031.73	(-) 236.17	2346.36	120.81	(-) 31.74	4348.70	256.70	5.90	5006
33	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	1598.08	9596.71	(-) 8824.44	5845.30	(-) 1887.15	(-) 48.11	3488.04	(-) 1577.73	--	17359
34	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	1945.38	2436.73	(-) 7733.55	7046.46	(-) 1810.95	25.23	(-) 2105.74	(-) 1534.93	72.89	14621
35	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	1841.73	9200.56	(-) 8673.05	4914.00	(-) 2113.02	(-) 72.89	(-) 2255.29	(-) 1684.06	--	12170
36	म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	5325.55	10401.39	(-) 3047.01	6508.07	(-) 896.82	(-) 10.03	12761.04	341.05	2.67	5785
37	शाहपुरा ताप विद्युत कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	0.05	3.35	0.02	0.01	0.01	--	3.42	0.01	0.29	--
38	म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	5358.38	4.63	--	18898.00	--	--	5363.03	163.97	3.06	763
39	दादाधुनी वाले खण्डवा पॉवर	2014-15	2015-16	45.00	--	0.75	0.02	0.01	--	45.75	0.01	0.02	07

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूंजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/हानि(-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि(-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूंजी ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	लिमिटेड												
40	बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	0.05	23.00	(-) 2.81	1.84	(-) 0.98	--	20.24	1.84	9.09	16
41	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2014-15	2015-16	0.05	--	(-) 0.01	--	--	--	0.04	--	--	03
क्षेत्रानुसार योग		--	--	18668.10	33699.53	(-) 28516.27	45578.15	(-) 6588.09	(-) 125.95	21671.48	(-) 4033.14	--	55932
सेवाएं													
42	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.80	666.98	12.15	6.53	4.32	--	679.93	4.33	0.64	30
43	म.प्र. लघु उद्योग नि. लिमिटेड	2012-13	2014-15	2.83	--	87.58	259.16	27.75	(-) 15.02	90.41	27.75	30.69	332
44	सेज इन्दौर लिमिटेड	2013-14	2014-15	31.39	--	13.97	--	(-) 12.39	(-) 1.07	68.91	(-) 12.29	--	--
45	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15	8.47	--	135.98	12542.48	(-) 1.66	123.03	4087.98	1407.02	34.42	917
46	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2015-16	24.97	0.51	(-) 2.05	125.67	1.96	(-) 24.73	484.88	2.08	0.43	2059
47	अटल इन्दौर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.25	--	3.34	11.99	(-) 0.12	--	23.88	(-) 0.12	--	--
48	जबलपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2014-15	2015-16	0.25	--	1.08	0.62	0.43	--	1.33	0.43	32.33	--
49	भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड	2009-10	2014-15	0.30	--	0.89	0.41	0.03	(-) 0.08	1.19	0.03	2.52	14
50	उज्जैन सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए											
51	कटनी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस	2010-11	2011-12	0.15	--	(-) 0.01	--	(-) 0.01	--	0.15	(-) 0.01	--	--

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूंजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/हानि(-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि(-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूंजी ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	लिमिटेड												
52	म.प्र. विक्रम उद्योग पुरी (उज्जैन) लिमिटेड	2014-15	2015-16	112.86	--	1.58	3.57	3.28	--	114.44	3.28	2.87	01
53	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.16	--	0.01	0.06	0.01	--	13.33	47.26	0.08	05
54	पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए											
55	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2013-14	2014-15	25	--	(-) 1.82	1.67	(-) 1.31	--	23.18	(-) 3.52	--	61
क्षेत्रानुसार योग		--	--	207.43	667.49	252.70	12952.16	22.29	82.13	5589.61	1476.24	--	3419
योग (क) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील कम्पनियाँ		--	--	19239.91	35270.25	(-) 28272.24	60759.30	(-) 6330.68	(-) 78.91	28811.74	(-) 2314.36	---	62956
ख. कार्यशील सांविधिक निगम													
कृषि एवं संबद्ध													
1	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	2013-14	2014-15	8.06	174.30	220.42	182.53	46.16	--	584.88	47.26	8.08	1382
क्षेत्रानुसार योग		--	--	8.06	174.30	220.42	182.53	46.16	--	584.88	47.26	8.08	1382
वित्त													
2	म.प्र. वित्त निगम	2014-15	2015-16	371.14	883.09	(-) 208.97	112.48	16.27	(-) 13.30	1105.17	92.41	8.36	185
क्षेत्रानुसार योग		--	--	371.14	883.09	(-) 208.97	112.48	16.27	(-) 13.30	1105.17	92.41	8.36	185
सेवाएं													

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूंजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/हानि(-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि(-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूंजी ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2007-08	2008-09	141.81	716.84	(-) 1024.52	210.05	(-) 13.62	--	(-) 144.80	(-) 3.52	--	300
क्षेत्रानुसार योग		--	--	141.81	716.84	(-) 1024.52	210.05	(-) 13.62	--	(-) 144.80	(-) 3.52	--	300
योग (ख) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील सांविधिक निगम		--	--	521.01	1774.23	(-) 1013.07	505.06	48.81	(-) 13.30	1545.25	136.15	--	1867
महायोग (क+ख)		--	--	19760.92	37044.48	(-) 29285.31	61264.36	(-) 6281.87	(-) 92.21	30356.99	(-) 2178.21	---	64823
ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं सम्बद्ध													
1	म.प्र. लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2003-10	2010-11	5.92	--	(-) 6.33	परिसमापन के अधीन	0.04	--	(-) 0.36	0.04	--	परिसमापन के अधीन
2	म.प्र. राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2002-03	--	--	--	परिसमापन के अधीन	--	--	--	--	--	परिसमापन के अधीन
क्षेत्रानुसार योग		--	--	5.92	--	(-) 6.33	--	0.04	--	(-) 0.36	0.04	--	--
वित्त													
3	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11	1.04	--	--	परिसमापन के अधीन	--	--	1.02	--	--	परिसमापन के अधीन
4	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07	0.16	--	0.02	परिसमापन के अधीन	0.03	--	0.16	0.03	--	परिसमापन के अधीन
क्षेत्रानुसार योग		--	--	1.20	--	0.02	--	0.03	--	1.18	0.03	--	--
आधार संरचना													
5	म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड	2011-12	2014-15	13.14	--	(-) 59.63	0.06	(-) 8.69	--	--	(-) 8.69	--	परिसमापन के अधीन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूंजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/हानि(-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि(-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूंजी ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	1989-90	1993-94	5.00	--	(-) 2.15	परिसमापन के अधीन	(-) 1.13	--	2.87	(-) 1.13	--	परिसमापन के अधीन
क्षेत्रानुसार योग		--	--	18.14	--	--	0.06	(-) 9.82	--	--	(-) 9.82	--	--
निर्माण													
7	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009-10	2010-11	23.97	46.6	(-) 131.76	परिसमापन के अधीन	(-) 29.21	--	(-) 24.48	(-) 27.07	--	परिसमापन के अधीन
8	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	2007-08	2012-13	6.86	87.84	(-) 112.13	0.01	(-) 4.14	--	(-) 17.42	(-) 0.32	--	03
9	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	--	--	1.50	--	0.04	परिसमापन के अधीन	--	--	1.50	--	--	--
क्षेत्रानुसार योग		--	--	32.33	134.44	(-) 243.85	0.01	(-) 33.35	--	--	(-) 27.39	--	03
योग (ग) क्षेत्रानुसार अकार्यशील सरकारी कम्पनियां		--	--	57.59	134.44	(-) 311.94	0.07	(-) 43.10	--	--	(-) 37.14	--	03
महायोग (क+ख+ग)		--	--	19818.51	37178.92	(-) 29597.25	61264.43	(-) 6324.97	(-) 92.21	30320.28	(-) 2215.35	--	64826

¹प्रदत्त पूंजी में शेयर आवेदन राशि सम्मिलित है।

²लेखे के टिप्पणियों के प्रभाव में संविधिक लेखा परीक्षक तथा सी.ए.जी. की टिप्पणी का प्रभाव सम्मिलित है। तथा (+) लाभ में वृद्धि /हानि में कमी तथा (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को इंगित करता है

³नियोजित पूंजी = अंशधारी कोष + दीर्घकालीन ऋण { सांविधिक निगमों के अतिरिक्त, जहाँ नियोजित पूंजी = निवल स्थाई संपत्ति (पूंजीगत कार्य प्रगति सम्मिलित) + कार्यशील पूंजी }

⁴नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, लाभ एवं हानि-लेखाओं पर लाभ एवं ब्याज जोड़कर आंकलित किया गया है।

परिशिष्ट – 1.2

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किया गया निवेश जिनके लेखे लंबित है को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कड़िका 1.11 में संदर्भित)

(स्तम्भ 4 तथा 6 से 8 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनी का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।	अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	बकाया वर्ष जिसमें निवेश प्राप्त हुआ	उन वर्षों के दौरान, जिनके लेखे बकाया है, राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					समता पूंजी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क.	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ						
1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2013-14	39.32	2014-15	--	--	39.39
2	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर	2013-14	3.40	2014-15	--	--	34.11
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड (सागर)	2013-14	4.00	2014-15	--	--	2.50
4	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2008-09	7.55	2013-14 तक	2.60	--	1.44
				2014-15	0.50	--	0.50
5	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2003-04	18.36	2013-14 तक	6.33	--	14.80
				2014-15	--	--	3.50
6	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2012-13	81.09	2013-14	--	50.00	--
				2014-15	--	50.00	--
7	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14	4.58	2014-15	--	27.50	--
8	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2013-14	1598.08	2014-15	48.6	1315.11	56.5
9	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2013-14	1945.38	2014-15	120.00	276.52	129.21
10	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2013-14	1841.73	2014-15	76.50	178.50	78.57
11	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	0.80	2014-15	--	--	3.50
12	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल	2012-13	24.97	2013-14	--	--	51.50
				2014-15	--	--	47.84
13	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2013-14	25.00	2014-15	15.00	--	--
योग (क)	कार्यशील कम्पनियाँ		5594.26	--	269.53	1897.63	463.36
(ख)	कार्यशील सांविधिक निगम						
-		-	-	-	--	--	--
	योग (ख) कार्यशील सांविधिक निगम		--	--	--	--	--
	महायोग (क+ख)		5594.26		269.53	1897.63	463.36

परिशिष्ट 2.1.1

स्थापित क्षमता (ताप व जल) तथा वित्तीय विवरण दिखाता पत्रक

(कड़िका 2.1.1 में संदर्भित)

अ. स्थापित ताप क्षमता व क्रियाशीलन का केन्द्रवार व इकाई वार विवरण

क्र.	इकाई	मेगा वाट	क्रियाशील दिनांक	अभियुक्तियाँ
1. अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र, चचई				
1	I	120	11-09-1977	यह इकाई टरबाइन में हुई भीषण दुर्घटना के कारण 12.01.2015 से बंद है व उत्पादन नहीं कर रही है।
2	II	120	31-03-1978	यह इकाई टरबाइन में अत्यधिक कंपन के कारण 30.04.2014 से बंद है व उत्पादन नहीं कर रही है।
3	III	210	09-09-2008	-
कुल		450		
2. संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र, बीरसिंहपुर				
1	I	210	07-10-1993	-
2	II	210	26-05-1994	-
3	III	210	01.09.1999	-
4	IV	210	01-04-2000	-
5	V	500	28.08.2008	-
कुल		1340		
3. सतपुडा ताप विद्युत केन्द्र, सारणी				
1	I	62.5	6-10-1967	7-1-2014 को बंद
2	II	62.5	21-03-1968	5-12-13 को बंद
3	III	62.5	14-05-1968	1-10-12 को बंद
4	IV	62.5	10-07-1968	5-12-13 को बंद
5	V	62.5	21-03-1970	1-2-13 को बंद
6	VI	200	27-06-1979	-
7	VII	210	20-09-1980	-
8	VIII	210	25-01-1983	-
9	IX	210	27-02-1984	-
10	X	250	18-08-2013	-
11	XI	250	16-03-2014	-
कुल		1642.50		
4. श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खंडवा				
1	I	600	01-02-2014	
2	II	600	28-12-2014	
कुल		1200		
कुल योग मेगावाट		4632.50		
(-) निष्क्रिय क्षमता मेगावाट		312.50		
शुद्ध ताप उत्पादन मेगावाट		4,320.00		

ब. स्थापित जल क्षमता व क्रियाशीलन का केन्द्रवार व इकाई वार विवरण –

स. क्र.	इकाई	मेगावाट	इकाई बंद होने की तिथि	टिप्पणी
I गांधी सागर				
1	I	23	19.11.1960	
2	II	23	19.11.1960	
3	III	23	19.11.1960	
4	IV	23	16.08.1963	
5	V	23	03.11.1966	
कुल		115		
II पेच				
1	I	80	09.09.1986	
2	II	80	09.03.1987	
कुल		160		
III बरगी				
1	I	45	03.06.1988	
2	II	45	29.11.1988	
कुल		90		
IV बाण सागर टोन्स				
1	I	105	03.08.1992	
2	II	105	30.08.1992	
3	III	105	30.08.1992	
कुल		315		
V टोन्स फेस II				
1	I	15	28.08.2002	
2	II	15	01.09.2002	
कुल		30		
V टोन्स फेस III				
1	I	20	18.07.2001	
2	II	20	26.08.2001	
3	III	20	02.09.2002	
कुल		60		
V टोन्स फेस IV				
1	I	10	20.08.2006	
2	II	10	30.08.2006	
कुल		20		
VI मड़ी खेड़ा				
1	I	20	28.08.2006	
2	II	20	09.09.2006	
3	III	20	19.08.2007	
कुल		60		
VII बीरसिंहपुर				
1	I	20	01.11.1991	
कुल		20		
VIII राजघाट				
1	I	15	15.10.1999	
2	II	15	29.09.1999	
3	III	15	03.11.1999	
कुल		45		
जल क्षमता का कुल योग (मेगावाट में)		915		

स. म. प्र. प. ज. क. लि. द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्राप्त राजस्व, वहित लागत एवं लाभ/हानि (₹ करोड़ में) का विवरण दिखाता पत्रक

वर्ष	प्राप्त राजस्व	वहन की गई लागत	वहन हानि
2010-11	3662.09	3859.62	197.53
2011-12	4885.10	4935.93	50.83
2012-13	5386.13	5396.46	10.33
2013-14	5544.96	5930.70	385.74
2014-15	6337.28	7438.06	1100.78
कुल	25,815.56	27,560.77	1,745.21

परिशिष्ट 2.1.3

2010-11 से 2014-15 के दौरान उत्पादन लक्ष्य व संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के विवरण को दर्शाता पत्रक
(कड़िका 2.1.6 में संदर्भित)

(मि.यु. में)

वर्ष	लक्ष्य			म. प्र. पा. ज. के. लि.	उत्पादन			कमी		
	संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र				संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र			संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र		
	वि. गृ. I	वि. गृ. II	वि. गृ. III		वि. गृ. I	वि. गृ. II	वि. गृ. III	वि. गृ. I	वि. गृ. II	वि. गृ. III
2010-11	2058	3553	3553	16715	1910.8	2144.93	3665.85	147.2	1408.07	-112.85
2011-12	2100	2325	3755	18345	2037.7	2499	3726.47	62.3	-174	28.53
2012-13	2771	2944	3727	19575	2602.07	2532.46	3495.14	168.93	411.54	231.86
2013-14	2513	2556	3769	19339	2296.13	2012.73	3643.98	216.87	543.27	125.02
2014-15	2706	2274	3479	19582	1779.48	1827.49	3215.78	926.52	446.51	263.22
	12148	13652	18283		10626.18	11016.61	17747.22	1521.82	2635.39	535.78
कुल	44083.000				39390.010			4692.990		

परिशिष्ट 2.1.4

2010-11 से 2014-15 के दौरान स्टेशन हीट रेट (एस. एच. आर.) व वि. गृ. I द्वारा कोयले के उपभोग तथा वहन की गई लागत के आधिक्य के विवरण को दर्शाता पत्रक
(कड़िका 2.1.10 में संदर्भित)

स. क्र.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वर्ष	उत्पादित ऊर्जा (एम.यू.)	एस. एच. आर. हेतु म. प्र. वि. नि. आ. के मानक (कि. कैल. /यूनिट)	वास्तविक एस. एच. आर. (कि. कैल./यूनिट)	अधिक ताप उपभोग (कि. कैल. /यूनिट)	कोयले की कैलोरिफिक वैल्यू (कि. कैल. /यूनिट)	अधिक ताप हेतु अधिक कोयले के उपभोग की मात्रा (कि. कैल. /यूनिट) (4/5)	वर्ष के दौरान अधिक एस. एच. आर. के कारण अधिक कोयला खपत (एम. टी.) (1x6x1000)	कोयले का मूल्य प्रति एम. टी. (₹)	वहन की गई कुल अधिक लागत (₹) (7x8)	अधिक एस. एच. आर. प्रयोग (प्रतिशत में) (4/2) x 100	म. प्र. वि. आ. के . एस. एच. आर. लक्ष्य के अनुसार वांछित ताप दक्षता (प्रतिशत)	विद्युत गृह की वास्तविक ताप दक्षता (प्रतिशत)	विद्युत गृह की ताप दक्षता में गिरावट (प्रतिशत)
2010-11	1910.842	2700	2889.67	189.67	3698.00	0.051	98006.869	2015.86	197568127	7.025	31.85	29.76	2.09
2011-12	2037.696	2650	2973.71	323.71	3892.00	0.083	169481.648	3648.50	618353791	12.215	32.45	28.92	3.53
2012-13	2602.070	2600	3050.30	450.30	3955.67	0.114	296210.786	4009.15	1187553472	17.319	33.08	28.19	4.89
2013-14	2296.128	2600	3047.60	447.60	3831.92	0.117	268206.772	3670.95	984573649	17.215	33.08	28.22	4.86
2014-15	1779.483	2600	3029.05	429.05	3628.92	0.118	210389.642	3670.95	772329857	16.502	33.08	28.39	4.69
कुल							1042293.588		3760379076				

परिशिष्ट 2.1.5
2010-11 से 2014-15 के दौरान वि. गृ. I में ईंधन तेल उपभोग के विवरण को दर्शाता पत्रक
(कड़िका 2.1.11 में संदर्भित)

वर्ष	उत्पादन (एम. यू.)	म. प्र. वि. नि. आ. के अनुसार ईंधन तेल उपभोग मानक (मि.ली./ यूनिट) तेल उपभोग (कि.ली.)	वास्तविक तेल उपभोग (कि. ली.)	अधिक तेल उपभोग (कि. ली.)	औसत तेल मूल्य (प्रति कि. ली.)	औसत तेल मूल्य (प्रति कि. ली.)	कुल लागत (₹)
2010-11	1910.8	1.15	2197.42	5710.000	3512.580	32845.88	115373781
2011-12	2037.7	1.15	2343.36	5096.000	2752.650	43591.05	119990904
2012-13	2602.07	1.15	2992.38	4687.000	1694.620	50256.03	85164874
2013-14	2296.128	1.15	2640.55	3134.600	494.050	56817.46	28070666
2014-15	1779.483	1.15	2046.41	3166.000	1119.590	60430.2	67657048
कुल अधिक तेल उपभोग (किलो लीटर में)							9,573.49
अधिक तेल उपभोग के कारण वहन किया गया अधिक परिहार्य खर्च							41,62,57,272

परिशिष्ट –2.1.6

2010-11 से 2014-15 के दौरान वि. गृ.- I में अधिक सहायक ऊर्जा उपभोग दर्शाता पत्रक
(कड़िका 2.1.12 में संदर्भित)

क्र.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
		वि. गृ. -I	वि. गृ. -I	वि. गृ. -I	वि. गृ. -I	वि. गृ. -I	
1	उत्पादित ऊर्जा (एम. यू.)	1910.84	2037.7	2602.09	2296.13	1779.483	
2	वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत (एम. यू.)	218.834	207.667	257.1	232.229	192.586	
3	वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत (%)	11.45	10.19	9.88	10.11	10.82	
4	सहायक ऊर्जा खपत हेतु म. प्र. वि. नि. आ. के मानक (%)	8.25	8.00	8.00	9.00	9.00	
5	अधिक सहायक ऊर्जा खपत (%)	3.20	2.19	1.88	1.11	1.82	
6	अधिक सहायक ऊर्जा खपत (एम. यू.)	61.190	44.651	48.933	25.577	32.433	
7	सेन्ट आउट आधार पर प्रति यूनिट उत्पादन लागत (₹)	1.91	3.13	3.52	3.26	3.79	
8	अधिक सहायक ऊर्जा खपत का मूल्य (₹)	116872900	139757630	172244160	83381020	122921070	
9	कुल (₹)						635176780

परिशिष्ट 2.1.7

2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह I में तल व फलाई राख में अधजले, कोयले की अधिक मात्रा के कारण हुई कोयला हानि को दर्शाता पत्रक
(कड़िका 2.1.14 में संदर्भित)

वर्ष	माह	उत्पादित राख की मात्रा (एम.टी.)		तल राख में अधजले कोयले का औसत (प्रतिशत)	फलाई राख में अधजले कोयले का औसत (प्रतिशत)	राख में अधिकतम सीमा से अधिक अधजले कोयले की मात्रा (एम.टी.) (तल राख में 4 प्रतिशत एवं फलाई राख में 1 प्रतिशत)			कोयला मूल्य प्रति (एम.टी.)	कोयला हानि का कुल मूल्य (₹)
		तल राख	फलाई राख			तल राख में कोयले की मात्रा (एम. टी.)	फलाई राख में कोयले की मात्रा (एम. टी.)	कुल कोयला (एम. टी.)		
2010-11	अप्रैल	18378	61259	11.5	2.33	1378.350	811.682	2190.032	2015.80	4414666.00
	मई	18838	62794	7.8	1.275	715.844	0.000	715.844	2015.80	1442998.34
	जून	16465	54883	12.125	2.6	1337.781	878.128	2215.909	2015.80	4466829.87
	जुलाई	16296	54320	10.825	1.85	1112.202	461.720	1573.922	2015.80	3172711.97
	अगस्त	8199	40996	13.80	2.25	803.502	512.450	1315.952	2015.80	2652696.04
	सितम्बर	3955	19776	18.80	2.95	585.340	385.632	970.972	2015.80	1957285.36
	अक्टूबर	4197	20985	13.30	2.05	390.321	220.343	610.664	2015.80	1230975.48
	नवम्बर	13068	43561	11.4	1.45	967.032	0.000	967.032	2015.80	1949343.11
	दिसम्बर	19777	65923	13.1	1.475	1799.707	0.000	1799.707	2015.80	3627849.37
	जनवरी	23588	78626	9.9	1.35	1391.692	0.000	1391.692	2015.80	2805372.73
	फरवरी	20354	67845	10.2	1.175	1261.948	0.000	1261.948	2015.80	2543834.78
	मार्च	22459	74862	10.325	1.275	1420.532	0.000	1420.532	2015.80	2863507.90
	कुल	185574	645830			13164.251	3269.954	16434.205		33128070.94
2011-12	अप्रैल	12450	62251	12.7	2.25	1083.150	778.138	1861.288	3648.50	6790907.44
	मई	13065	65324	12.475	1.925	1107.259	604.247	1711.506	3648.50	6244428.73
	जून	16774	55913	11.175	1.775	1203.535	433.326	1636.860	3648.50	5972084.62
	जुलाई	8755	43776	12.10	2.025	709.155	448.704	1157.859	3648.50	4224448.56
	अगस्त	3949	34855	11.73	1.93	305.060	322.409	627.469	3648.50	2289320.65
	सितम्बर	2918	24566	10.95	1.75	202.801	184.245	387.046	3648.50	1412137.33
	अक्टूबर	1687	7334	7.60	1.50	60.732	0.000	60.732	3648.50	221580.70
	नवम्बर	9762	48959	5.975	1.35	192.800	171.357	364.156	3648.50	1328623.17

	दिसम्बर	17626	70502	6.28	1.375	400.992	264.383	665.374	3648.50	2427617.04
	जनवरी	14262	57049	6.5	1.225	356.550	0.000	356.550	3648.50	1300872.68
	फरवरी	12794	56862	6.825	1.525	361.431	298.526	659.956	3648.50	2407849.47
	मार्च	18328	63199	7.45	1.85	632.316	537.192	1169.508	3648.50	4266948.11
	कुल	132370	590590			6615.779	4042.524	10658.303		38886818.50
2012-13	अप्रैल	19495	68165	8.7	3.075	916.265	1414.424	2330.689	4009.15	9344080.80
	मई	16465	66075	8.5	1.6	740.925	396.450	1137.375	4009.15	4559906.98
	जून	21326	69018	6.95	1.5	629.117	345.090	974.207	4009.15	3905741.99
	जुलाई	13627	53512	8.975	2.2	677.943	642.144	1320.087	4009.15	5292427.80
	अगस्त	6940	45835	14.175	2.1	706.145	504.185	1210.330	4009.15	4852394.52
	सितम्बर	9455	43373	13.05	1.525	855.678	227.708	1083.386	4009.15	4343455.98
	अक्टूबर	18308	59055	6.5	1.88	457.700	516.731	974.431	4009.15	3906641.05
	नवम्बर	18499	61476	10.1	1.525	1128.439	322.749	1451.188	4009.15	5818030.37
	दिसम्बर	21448	71492	9	2.45	1072.400	1036.634	2109.034	4009.15	8455433.66
	जनवरी	18411	68189	9.675	2.675	1044.824	1142.166	2186.990	4009.15	8767970.96
	फरवरी	15209	54493	11.15	2.825	1087.444	994.497	2081.941	4009.15	8346812.76
	मार्च	24307	65873	7.5	2.6	850.745	1053.968	1904.713	4009.15	7636280.12
	कुल	203490	726556			10167.625	8596.746	18764.371		75229176.99
2013-14	अप्रैल	17841	66844	7.825	2.15	682.418	768.706	1451.124	3670.95	5327004.57
	मई	31988	77322	9.2	1.7	1663.376	541.254	2204.630	3670.95	8093086.50
	जून	17678	50455	9.475	1.925	967.871	466.709	1434.579	3670.95	5266268.70
	जुलाई	9752	37508	8.675	1.975	455.906	365.703	821.609	3670.95	3016085.56
	अगस्त	11304	35853	10.63	2.20	748.890	430.236	1179.126	3670.95	4328512.59
	सितम्बर	14294	55359	9.225	2.40	746.862	775.026	1521.888	3670.95	5586772.92
	अक्टूबर	11409	38092	9.775	3.375	658.870	904.685	1563.555	3670.95	5739731.31
	नवम्बर	20537	59252	11.825	3.05	1607.020	1214.666	2821.686	3670.95	10358269.14
	दिसम्बर	19677	64537	7.15	3.1	619.826	1355.277	1975.103	3670.95	7250502.52
	जनवरी	16823	64631	7.95	2.475	664.509	953.307	1617.816	3670.95	5938920.73
	फरवरी	16971	62096	5.15	2.60	195.167	993.536	1188.703	3670.95	4363667.44
	मार्च	22377	73439	6.98	2.35	665.716	991.427	1657.142	3670.95	6083286.34

31 मार्च 2015 समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

	कुल	210651	685388			9676.429	9760.532	19436.960		71352108.31
2014-15	अप्रैल	18507	53736	6.85	2.15	527.450	617.964	1145.414	4048.00	4636633.85
	मई	28485	71833	7.625	2.325	1032.581	951.787	1984.369	4048.00	8032723.69
	जून	15752	49786	8.775	2.175	752.158	584.986	1337.144	4048.00	5412756.89
	जुलाई	17745	62636	9.225	2.175	927.176	735.973	1663.149	4048.00	6732428.16
	अगस्त	7636	18051	5.6	1.5	122.176	90.255	212.431	4048.00	859920.69
	सितम्बर	7716	19619	6.325	1.55	179.397	107.905	287.302	4048.00	1162996.47
	अक्टूबर	22748	56001	6.725	2	619.883	560.010	1179.893	4048.00	4776206.86
	नवम्बर	15409	51364	5.525	1.775	234.987	398.071	633.058	4048.00	2562619.80
	दिसम्बर	18045	58683	7.1	2.025	559.395	601.501	1160.896	4048.00	4699306.00
	जनवरी	13397	40172	8.4	1.34	589.468	136.585	726.053	4048.00	2939061.73
	फरवरी	20722	58953	11.625	2.875	1580.053	1105.369	2685.421	4048.00	10870585.22
	मार्च	15680	44712	9.05	2.225	791.840	547.722	1339.562	4048.00	5422546.98
	कुल	201842	585546		58107786.33	7916.564	6438.127	14354.690		58107786.33
सकल योग								79648.529		276703961.077

परिशिष्ट 2.1.8
2010-11 से 2014-15 के दौरान कोयला मिलों की बहुधा खराबियों के कारण वि. गृ. I में हुई उत्पादन हानि
के सारांश को दर्शाता पत्रक
(कड़िका 2.1.16 में संदर्भित)

वर्ष	उत्पादन हानि (एम. यू. में)			सेन्ट आधार पर उत्पादन लागत (प्रति यूनिट)	योग (₹)
	इकाई 1	इकाई 2	योग		
2010-11	74.337	67.433	141.77	1.91	270780700
2011-12	52.437	44.323	96.76	3.13	302858800
2012-13	81.796	97.444	179.24	3.52	630924800
2013-14	56.427	82.895	139.322	3.26	454189720
2014-15	45.192	56.692	101.884	3.79	386140360
कुल	310.189	348.787	658.976		2044894380
2010-11 से 2014-15 के दौरान कोयला मिलों के खराब प्रदर्शन के कारण वि. गृ. I में अधिक ईंधन तेल के उपभोग के विवरण को दर्शाता पत्रक					
वर्ष	एच.एफ.ओ.	एल.डी.ओ.	योग	मूल्य प्रति कि. ली.	योग (₹)
2010-11	1255.6	142	1397.6	32845.88	45905401.89
2011-12	548.6	0	548.6	43591.05	23914050.03
2012-13	888.9	0	888.9	50256.03	44672585.07
2013-14	83.9	0	83.9	56817.46	4766984.894
2014-15	152.2	23.7	175.9	60430.2	10629672.18
कुल	2929.2	165.7	3094.9		129888694.1

नोट : एच.एफ.ओ. : हैवी फ्यूल ऑयल
 एल. डी. ओ. : लाइट डीजल ऑयल

परिशिष्ट 2.1.9

2010-11 से 2014-15 के दौरान तीनो विद्युत गृह में नियंत्रित करने योग्य कारणों से हुई उत्पादन हानि का विवरण दर्शाता पत्रक

(कंडिका 2.1.20, 2.1.30 व 2.1.41 में संदर्भित)

वर्ष	विद्युत गृह (वि. गृ.)			कुल
	वि. गृ. I	वि. गृ. II	वि. गृ. III	
2010-11	1052.076	576.596	186.279	1814.951
2011-12	704.891	573.016	245.441	1523.348
2012-13	658.571	679.94	67.13	1405.641
2013-14	433.02	493.843	26.538	953.401
2014-15	604.964	544.351	270.721	1420.036
Total	3453.522	2867.746	796.109	
उत्पादन हानि का कुल योग (एम. यू.)				7117.377
(-) 2010-11 से 2014-15 के दौरान वर्षा काल (जुलाई से सितम्बर) से प्राप्त खराब कोयले के कारण हुई आंशिक हानि				298.19
कुल आंशिक उत्पादन हानि				6819.187

परिशिष्ट 2.1.10

2010-11 से 2014-15 के दौरान स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.) एवं वि.गु. II में अधिक कोयला उपभोग व अधिक वहन की गई लागत के विवरण को दिखाता पत्रक
(कांडिका 2.1.23 में संदर्भित)

स. क्र.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वर्ष	उत्पादित ऊर्जा (एम.यू.)	एस. एच. आर. हेतु म. प्र. वि. नि. आ. के मानक (कि. कैल. /यूनिट)	वास्तविक एस. एच. आर. (कि. कैल./यूनिट)	अधिक ताप उपभोग (कि. कैल. /यूनिट)	कोयले की कैलोरिफिक वैल्यू (कि. कैल. /यूनिट)	अधिक ताप हेतु अधिक कोयले के उपभोग की मात्रा (कि. कैल./यूनिट) (4/5)	वर्ष के दौरान अधिक एस. एच. आर. के कारण अधिक कोयला खपत (एम. टी.) (1x6x1000)	कोयले का मूल्य प्रति एम. टी. (₹)	वहन की गई कुल अधिक लागत (₹) (7x8)	अधिक एस. एच. आर. प्रयोग (प्रतिशत में) (4x2) x 100	म. प्र. वि.नि. आ. के . एस. एच. आर. लक्ष्य के अनुसार वांछित ताप दक्षता (प्रतिशत)	विद्युत गृह की वास्तविक ताप दक्षता (प्रतिशत)	विद्युत गृह की ताप दक्षता में गिरावट (11-12)
2010-11	2144.929	2700	2744.18	44.18	3688.00	0.012	25694.947	2015.86	51797415	1.636	31.81	31.34	0.47
2011-12	2499.001	2650	2712.37	62.37	3978.00	0.016	39181.170	3648.50	142952497	2.354	32.45	31.71	0.74
2012-13	2532.456	2600	2721.20	121.20	3950.87	0.031	77687.595	4009.15	311461223	4.662	33.08	31.60	1.48
2013-14	2012.734	2600	3054.60	454.60	3824.92	0.119	239217.781	3670.95	878156515	17.485	33.08	28.15	4.93
2014-15	1827.494	2600	3347.61	747.61	3636.25	0.206	375731.259	3670.95	1379290664	28.754	33.08	25.69	7.39
कुल							757512.751		2763658313				

परिशिष्ट 2.1.11

2010-11 से 2014-15 के दौरान वि. गू. II में ईंधन तेल उपभोग के विवरण को दर्शाता पत्रक
(कंडिका 2.1.24 में संदर्भित)

वर्ष	उत्पादन (एम. यू.)	म. प्र. वि. नि. आ. के अनुसार ईंधन तेल उपभोग मानक (मि.ली./ यूनिट) तेल उपभोग (कि.ली.)	वास्तविक तेल उपभोग (कि. ली.)	अधिक तेल उपभोग (कि. ली.)	औसत तेल मूल्य (प्रति कि. ली.)	औसत तेल मूल्य (प्रति कि. ली.)	कुल लागत (₹)
2010-11	2144.929	1.00	2144.929	3489.580	1344.651	32845.88	44166245
2011-12	2499.001	1.00	2499.001	5048.520	2549.519	43591.05	111136210
2012-13	2532.456	1.00	2532.4563	4727.000	2194.544	50256.03	110289069
2013-14	2012.734	1.15	2274.38942	2986.400	712.011	56817.46	40454634
2014-15	1827.494	1.00	1827.49442	3297.140	1469.646	60430.2	88811002
कुल अधिक तेल उपभोग (किलो लीटर में)							8,270.37
अधिक तेल उपभोग के कारण वहन किया गया अधिक परिहार्य खर्च							39,48,57,160

परिशिष्ट -2.1.12
2010-11 से 2014-15 के दौरान वि. गृ.- II में अधिक सहायक ऊर्जा उपभोग दर्शाता पत्रक
(कंडिका 2.1.25 संदर्भित)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
		वि. गृ. -II	वि. गृ. -II	वि. गृ. -II	वि. गृ. -II	वि. गृ. -II	
1	उत्पादित ऊर्जा (एम. यू.)	2144.929	2499.001	2532.456	2012.734	1827.494	
2	वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत (एम. यू.)	218.834	251.655	264.633	229.469	214.948	
3	वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत (%)	10.20	10.07	10.45	11.40	11.76	
4	सहायक ऊर्जा खपत हेतु म. प्र. वि. नि. आ. के मानक (%)	8.25	8	8	9	9	
5	अधिक सहायक ऊर्जा खपत (%)	1.95	2.07	2.45	2.40	2.76	
6	अधिक सहायक ऊर्जा खपत (एम. यू.)	41.877	51.735	62.037	48.323	50.474	
7	सेन्ट आउट आधार पर प्रति यूनिट उत्पादन लागत (₹)	1.91	3.13	3.52	3.26	3.79	
8	अधिक सहायक ऊर्जा खपत का मूल्य (₹)	79985070	161930550	218370240	157532980	191296460	
9	कुल (₹)						809115300

परिशिष्ट 2.1.13

2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II में तल व फलाई राख में अधजले, कोयले की अधिक मात्रा के कारण हुई कोयला हानि को दर्शाता पत्रक
(कड़िका 2.1.26 में संदर्भित)

वर्ष	माह	उत्पादित राख की मात्रा (एम.टी.)		तल राख में अधजले कोयले का औसत प्रतिशत	फलाई राख में अधजले कोयले का औसत प्रतिशत	राख में अधिकतम सीमा से अधिक अधजले कोयले की मात्रा (एम.टी.) (तल राख में 4% एवं फलाई राख में 1%)			कोयला मूल्य प्रति (एम. टी.)	कोयला हानि का कुल मूल्य (₹)
		तल राख	फलाई राख			तल राख में कोयले की मात्रा (एम. टी.)	फलाई राख में कोयले की मात्रा (एम. टी.)	कुल कोयला (एम. टी.)		
2010-11	अप्रैल	24223	80744	4.725	1.43	175.617	343.162	518.779	2015.80	1045754.20
	मई	24497	81656	3.35	0.675	0.000	0.000	0.000	2015.80	0.00
	जून	17934	59781	5.825	0.7	327.296	0.000	327.296	2015.80	659762.27
	जुलाई	5763	19211	6.675	0.825	154.160	0.000	154.160	2015.80	310756.23
	अगस्त	5062	25311	8.85	1.40	245.507	101.244	346.751	2015.80	698980.67
	सितम्बर	4577	22887	4.55	0.90	25.174	0.000	25.174	2015.80	50744.74
	अक्टूबर	7271	36356	4.30	0.75	21.813	0.000	21.813	2015.80	43970.65
	नवम्बर	16495	54984	3.825	0.75	0.000	0.000	0.000	2015.80	0.00
	दिसम्बर	22289	74298	3.3	0.65	0.000	0.000	0.000	2015.80	0.00
	जनवरी	25214	84047	3.65	0.675	0.000	0.000	0.000	2015.80	0.00
	फरवरी	23870	79566	3.95	0.675	0.000	0.000	0.000	2015.80	0.00
	मार्च	21621	72071	3.65	0.625	0.000	0.000	0.000	2015.80	0.00
		कुल	198816	690912			949.566	444.406	1393.972	
2011-12	अप्रैल	14248	71240	4.7	0.725	99.736	0.000	99.736	3648.50	363886.80
	मई	8131	40665	4.9	1.125	73.179	50.831	124.010	3648.50	452451.40
	जून	18189	60630	3.925	1.175	0.000	106.103	106.103	3648.50	387114.97
	जुलाई	11226	56130	3.78	0.85	0.000	0.000	0.000	3648.50	0.00
	अगस्त	3519	31058	4.25	0.85	8.798	0.000	8.798	3648.50	32097.68

	सितम्बर	5394	45407	4.95	0.925	51.243	0.000	51.243	3648.50	186960.09
	अक्टूबर	16803	73055	4.63	0.88	105.019	0.000	105.019	3648.50	383160.91
	नवम्बर	11890	59448	4.475	1	56.478	0.000	56.478	3648.50	206058.16
	दिसम्बर	17224	68895	4.25	0.925	43.060	0.000	43.060	3648.50	157104.41
	जनवरी	15764	63054	4.825	0.925	130.053	0.000	130.053	3648.50	474498.37
	फरवरी	13788	61278	5.35	1.075	186.138	45.959	232.097	3648.50	846804.08
	मार्च	19958	68820	6.3	1.475	459.034	326.895	785.929	3648.50	2867461.96
	कुल	156134	699680			1212.737	529.787	1742.524		6357598.81
2012-13	अप्रैल	16924	59174	6.15	1.7	363.866	414.218	778.084	4009.15	3119455.47
	मई	15353	61610	5.525	0.825	234.133	0.000	234.133	4009.15	938675.32
	जून	18476	59792	5.275	0.975	235.569	0.000	235.569	4009.15	944431.46
	जुलाई	8916	35014	9.225	1.6	465.861	210.084	675.945	4009.15	2709964.90
	अगस्त	7394	48834	12.225	2.15	608.157	561.591	1169.748	4009.15	4689693.19
	सितम्बर	13200	60549	11.275	1.875	960.300	529.804	1490.104	4009.15	5974049.45
	अक्टूबर	20013	64555	9.325	1.43	1065.692	274.359	1340.051	4009.15	5372465.47
	नवम्बर	18346	60967	8.275	1.15	784.292	91.450	875.742	4009.15	3510981.04
	दिसम्बर	18744	62479	8.575	1.95	857.538	593.551	1451.089	4009.15	5817631.46
	जनवरी	17354	64273	8.725	1.975	819.977	626.662	1446.638	4009.15	5799789.74
	फरवरी	16776	60107	11.05	1.25	1182.708	150.268	1332.976	4009.15	5344098.73
	मार्च	26053	70604	10.55	1.75	1706.472	529.530	2236.002	4009.15	8964465.41
	कुल	197549	707958			9284.564	3981.516	13266.079		53185701.63
2013-14	अप्रैल	19101	71567	10.975	1.825	1332.295	590.428	1922.723	3670.95	7058218.16
	मई	33430	80808	8.275	1.4	1429.133	323.232	1752.365	3670.95	6432842.46
	जून	18230	52030	6.7	1.2	492.210	104.060	596.270	3670.95	2188877.36
	जुलाई	12747	49027	9.475	1.675	697.898	330.932	1028.831	3670.95	3776785.32
	अगस्त	9923	31471	11.50	1.85	744.225	267.504	1011.729	3670.95	3714004.74
	सितम्बर	9700	37567	9.35	1.65	518.950	244.186	763.136	3670.95	2801432.26
	अक्टूबर	4077	13611	15.3	1.475	460.701	64.652	525.353	3670.95	1928545.51
	नवम्बर	11381	32835	5.15	1.55	130.882	180.593	311.474	3670.95	1143405.48

	दिसम्बर	20574	67476	3.825	1.15	0.000	101.214	101.214	3670.95	371551.53
	जनवरी	17210	66117	3.35	1.05	0.000	33.059	33.059	3670.95	121356.10
	फरवरी	16550	60556	6.725	1.40	450.988	242.224	693.212	3670.95	2544744.76
	मार्च	11451	37580	4.50	1.00	57.255	0.000	57.255	3670.95	210180.24
	कुल	184374	600645			6314.536	2482.082	8796.618		32291943.93
2014-15	अप्रैल	15054	43710	6.525	1.38	380.114	163.913	544.026	4048.00	2202217.25
	मई	16518	41655	7.75	2	619.425	416.550	1035.975	4048.00	4193626.80
	जून	16123	50957	6.55	1.2	411.137	101.914	513.051	4048.00	2076828.42
	जुलाई	6905	24372	7.55	1.55	245.128	134.046	379.174	4048.00	1534894.33
	अगस्त	19027	44981	8.7	2.125	894.269	506.036	1400.305	4048.00	5668435.65
	सितम्बर	17307	44006	7.025	1.175	523.537	77.010	600.547	4048.00	2431015.27
	अक्टूबर	24423	60127	5.7	1.3	415.191	180.381	595.572	4048.00	2410875.46
	नवम्बर	20393	67977	6.625	1.275	535.316	186.937	722.253	4048.00	2923680.14
	दिसम्बर	16182	52624	9.25	0.925	849.555	0.000	849.555	4048.00	3438998.64
	जनवरी	18678	56006	4	0.9	0.000	0.000	0.000	4048.00	0.00
	फरवरी	21703	61743	4.1	1.05	21.703	30.872	52.574	4048.00	212821.58
	मार्च	15625	44554	3.95	2.15	0.000	512.371	512.371	4048.00	2074077.81
		कुल	207938	592712			4895.374	2310.030	7205.403	
सकल योग								32404.596		123812684.47

परिशिष्ट 2.1.14

2010-11 से 2014-15 के दौरान कोयला मिलों की बहुधा खराबियों के कारण वि. गृ. II में हुई उत्पादन हानि के सारांश को दर्शाता पत्रक
(कॉडिका 2.1.28 में संदर्भित)

वर्ष	उत्पादन हानि (एम. यू. में)			सेन्ट आधार पर उत्पादन लागत (प्रति यूनिट)	योग (₹)
	इकाई 3	इकाई 4	कुल		
2010-11	69.345	44.055	113.4	1.91	216594000
2011-12	49.745	38.729	88.474	3.13	276923620
2012-13	179.7965	152.4746	332.2711	3.52	1169594272
2013-14	96.448	50.261	146.709	3.26	478271340
2014-15	85.888	49.442	135.33	3.79	512900700
कुल	481.2225	334.9616	816.1841		2654283932
2010-11 से 2014-15 के दौरान कोयला मिलों के खराब प्रदर्शन के कारण वि. गृ. II में अधिक ईंधन तेल के उपभोग के विवरण को दर्शाता पत्रक					
वर्ष	एच.एफ.ओ.	एल.डी.ओ.	योग	मूल्य प्रति कि. ली.	योग (₹)
2010-11	166.03	2.8	168.83	32845.88	5545369.92
2011-12	239.6	72.25	311.85	43591.05	13593868.94
2012-13	1155.62	53.7	1209.32	50256.03	60775622.2
2013-14	787.4	0	787.4	56817.46	44738068
2014-15	63.2	0	63.2	60430.2	3819188.64
कुल	2411.85	128.75	2540.6		128472117.7

परिशिष्ट 2.1.15

2010-11 से 2014-15 के दौरान स्टेशन हीट रेट (एस. एच. आर.) व वि. गृ. III द्वारा कोयले के उपभोग तथा वहन की गई लागत के आधिक्य के विवरण को दर्शाता पत्रक
(कड़िका 2.1.33 में संदर्भित)

स. क्र.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वर्ष	उत्पादित ऊर्जा (एम.यू.)	एस. एच. आर. हेतु म. प्र. वि. नि. आ. के मानक (कि. कैल./यूनिट)	वास्तविक एस. एच. आर. (कि. कैल./यूनिट)	अधिक ताप उपभोग (कि. कैल./यूनिट)	कोयले की कैलोरिफिक वैल्यू (कि. कैल./यूनिट)	अधिक ताप हेतु अधिक कोयले के उपभोग की मात्रा (कि. कैल./यूनिट) (4/5)	वर्ष के दौरान अधिक एस. एच. आर. के कारण अधिक कोयला खपत (एम. टी.) (1x6x1000)	कोयले का मूल्य प्रति एम. टी. (₹)	वहन की गई कुल अधिक लागत (₹) (7x8)	अधिक एस. एच. आर. प्रयोग (प्रतिशत में) (4x2) x 100	म. प्र. वि. नि. आ. के एस. एच. आर. लक्ष्य के अनुसार वांछित ताप दक्षता (प्रतिशत)	विद्युत गृह की वास्तविक ताप दक्षता (प्रतिशत)	विद्युत गृह की ताप दक्षता में गिरावट (11-12)
2010-11	3665.852	2425	2574.00	149.00	3818.00	0.039	143062.323	2015.86	288393614	6.144	35.46	33.41	2.05
2011-12	3726.468	2425	2511.00	86.00	3896.00	0.022	82257.764	3648.50	300117451	3.546	35.46	34.25	1.21
2012-13	3495.144	2425	2652.00	227.00	3957.00	0.057	200504.849	4009.15	803854016	9.361	35.46	32.43	3.03
2013-14	3643.980	2425	2569.00	144.00	3777.00	0.038	138928.546	3670.95	509999748	5.938	35.46	33.48	1.98
2014-15	3215.976	2425	2456.00	31.00	3656.00	0.008	27268.943	3670.95	100102927	1.278	35.46	35.02	0.44
कुल							592022.425		2002467755				

परिशिष्ट 2.1.16

2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह III में तल व फलाई राख में अधजले, कोयले की अधिक मात्रा के कारण हुई कोयला हानि को दर्शाता पत्रक
(कॉडिका 2.1.35 में संदर्भित)

वर्ष	माह	उत्पादित राख की मात्रा		तल राख में अधजले कोयले का औसत प्रतिशत	फलाई राख में अधजले कोयले का औसत प्रतिशत	राख में अधिकतम सीमा से अधिक अधजले कोयले की मात्रा (एम.टी.) (तल राख में 4% एवं फलाई राख में 1%)			कोयला मूल्य प्रति (एम. टी.)	कोयला हानि का कुल मूल्य (₹)
		तल राख	फलाई राख			तल राख में कोयले की मात्रा (एम. टी.)	फलाई राख में कोयले की मात्रा (एम. टी.)	वर्ष		
2010-11	अप्रैल	11540	38466	3.15	0.50	248.110	0.000	248.110	2015.86	500155.02
	मई	23585	78616	2.45	0.45	341.983	0.000	341.983	2015.86	689388.84
	जून	23254	77512	2.3	0.45	302.302	0.000	302.302	2015.86	609398.51
	जुलाई	17382	57939	2.55	0.4	269.421	0.000	269.421	2015.86	543115.02
	अगस्त	17234	86169	3.05	0.50	353.297	0.000	353.297	2015.86	712197.29
	सितम्बर	15103	75517	3.00	0.55	302.060	0.000	302.060	2015.86	608910.67
	अक्टूबर	16264	81319	2.90	0.60	309.016	0.000	309.016	2015.86	622932.99
	नवम्बर	25552	85172	1.65	0.5	166.088	0.000	166.088	2015.86	334810.16
	दिसम्बर	28472	94905	3.3	0.5	654.856	0.000	654.856	2015.86	1320098.02
	जनवरी	29374	97913	3.2	0.55	646.228	0.000	646.228	2015.86	1302705.18
	फरवरी	28380	94599	2.8	0.55	510.840	0.000	510.840	2015.86	1029781.92
मार्च	30055	100184	2.9	0.5	-330.605	0.000	-330.605	2015.86	-666453.40	
	कुल	266195	968311			3773.596	0.000	3773.596		7607040.22
2011-12	अप्रैल	29663	98875	3.5	0.55	741.575	0.000	741.575	3648.50	2705636.39
	मई	26926	89754	3.7	0.65	727.002	0.000	727.002	3648.50	2652466.80
	जून	26654	88848	3.35	0.55	626.369	0.000	626.369	3648.50	2285307.30
	जुलाई	23924	79746	3.50	0.6	598.100	0.000	598.100	3648.50	2182167.85
	अगस्त	17518	66129	3.60	0.55	455.468	0.000	455.468	3648.50	1661775.00

	सितम्बर	21245	44986	3.4	0.7	509.880	0.000	509.880	3648.50	1860297.18
	अक्टूबर	28530	81514	3.90	0.65	827.370	0.000	827.370	3648.50	3018659.45
	नवम्बर	15049	75246	3	0.55	300.980	0.000	300.980	3648.50	1098125.53
	दिसम्बर	23732	94928	2.95	0.5	462.774	0.000	462.774	3648.50	1688430.94
	जनवरी	18067	72268	3.25	0.55	406.508	0.000	406.508	3648.50	1483142.61
	फरवरी	13165	58509	2.55	0.55	204.058	0.000	204.058	3648.50	744503.79
	मार्च	21722	74903	2.45	0.55	314.969	0.000	314.969	3648.50	1149164.40
	कुल	266195	925706			6175.052	0.000	6175.052		22529677.22
2012-13	अप्रैल	24956	87260	2.1	0.45	274.516	0.000	274.516	4009.15	1100575.82
	मई	17953	72043	2.05	0.5	188.507	0.000	188.507	4009.15	755750.83
	जून	26647	86235	2.1	0.6	293.117	0.000	293.117	4009.15	1175150.02
	जुलाई	22027	86500	2.4	0.55	308.378	0.000	308.378	4009.15	1236333.66
	अगस्त	784	5179	2.95	0.55	15.288	0.000	15.288	4009.15	61291.89
	सितम्बर	8851	40600	2.6	0.6	141.616	0.000	141.616	4009.15	567759.79
	अक्टूबर	28117	90697	2.95	0.44	548.282	0.000	548.282	4009.15	2198142.78
	नवम्बर	21012	69830	2.85	0.65	388.722	0.000	388.722	4009.15	1558444.81
	दिसम्बर	26998	89993	2.8	0.45	485.964	0.000	485.964	4009.15	1948302.57
	जनवरी	24070	89148	2.15	0.45	276.805	0.000	276.805	4009.15	1109752.77
	फरवरी	17624	63147	1.6	0.4	105.744	0.000	105.744	4009.15	423943.56
	मार्च	27863	75509	2.25	0.45	348.288	0.000	348.288	4009.15	1396336.83
	कुल	246902	856141			3375.226	0.000	3375.226		13531785.31
2013-14	अप्रैल	22926	85897	2	0.4	229.260	0.000	229.260	3670.95	841602.00
	मई	36818	88996	2	0.45	368.180	0.000	368.180	3670.95	1351570.37
	जून	25258	72088	1.85	0.4	214.693	0.000	214.693	3670.95	788127.27
	जुलाई	17047	65566	2	0.4	170.470	0.000	170.470	3670.95	625786.85
	अगस्त	22097	70084	1.70	0.40	154.679	0.000	154.679	3670.95	567818.88
	सितम्बर	19779	76603	1.8	0.40	158.232	0.000	158.232	3670.95	580861.76
	अक्टूबर	21854	72969	1.7	0.45	152.978	0.000	152.978	3670.95	561574.59

	नवम्बर	27041	78018	1.6	0.45	162.246	0.000	162.246	3670.95	595596.95
	दिसम्बर	26092	85575	1.5	0.45	130.460	0.000	130.460	3670.95	478912.14
	जनवरी	21030	80793	1.5	0.55	105.150	0.000	105.150	3670.95	386000.39
	फरवरी	19541	71500	1.75	0.50	146.558	0.000	146.558	3670.95	538005.25
	मार्च	27994	91873	1.60	0.60	167.964	0.000	167.964	3670.95	616587.45
	कुल	287477	939962			2160.870	0.000	2160.870		7932443.89
2014-15	अप्रैल	31532	91558	1.5	0.55	157.660	0.000	157.660	4048.00	638207.68
	मई	36023	90842	1.6	0.6	216.138	0.000	216.138	4048.00	874926.62
	जून	23531	74370	1.65	0.6	152.952	0.000	152.952	4048.00	619147.67
	जुलाई	21890	77267	1.7	0.55	153.230	0.000	153.230	4048.00	620275.04
	अगस्त	37586	88856	1.7	0.6	263.102	0.000	263.102	4048.00	1065036.90
	सितम्बर	30869	78487	1.6	0.65	185.214	0.000	185.214	4048.00	749746.27
	अक्टूबर	30565	75247	1.75	0.7	229.238	0.000	229.238	4048.00	927953.40
	नवम्बर	19719	65732	1.9	0.65	177.471	0.000	177.471	4048.00	718402.61
	दिसम्बर	24436	79465	2.2	1.1	293.232	0.000	293.232	4048.00	1187003.14
	जनवरी	25089	75229	1.9	0.65	225.801	0.000	225.801	4048.00	914042.45
	फरवरी	19480	55420	1.85	0.65	165.580	0.000	165.580	4048.00	670267.84
	मार्च	0	0	4.35	1.2	0.000	0.000	0.000	4048.00	0.00
	कुल	300720	852473			2219.617	0.000	2219.617		8985009.62
सकल योग								17704.360		60585956.27

परिशिष्ट 2.1.17

अव्यवस्थित अनुसूचना व ग्रिड अनुशासन के अनुपालन न करने के कारण एस. एल. डी. सी. को किए गये भुगतान के विवरण को दर्शाता पत्रक

(कांडिका 2.1.36 में संदर्भित)

वर्ष	माह	निर्धारित के. डब्ल्यू. एच.	वास्तविक के. डब्ल्यू. एच.	डिविशन/यू. आई. प्रभार भुगतान	कॉपिंग शुल्क भुगतान	अतिरिक्त डिविशन प्रभार	शुद्ध राशि भुगतान (₹)
2014-15	अप्रैल	307, 831, 250	305, 301, 303	3328265	185905	52468	3566638
	मई	293, 946, 250	290, 581, 769	4676273	-672178	129475	4133570
	जून	259, 095, 000	255, 132, 943	12876742	-2688506	4287376	14475612
	जुलाई	260, 526, 250	257, 260, 443	13538465	-189405	2744595	16093655
	अगस्त	282, 805, 000	280, 226, 499	1766010	-622578	1122784	2266216
	सितम्बर	284, 422, 500	280, 989, 876	10408351	-1362273	1067951	10114029
	अक्टूबर	288, 545, 000	286, 547, 231	7520503	-606758	1968589	8882334
	नवम्बर	253, 553, 750	251, 596, 689	3448051	-72094	2042825	5418782
कुल							64950836
2013-14	मई	307, 900, 000	303, 663, 341	6372428	50917	3004	6426349
	जुलाई	261, 643, 750	259, 796, 137	203520	-2315	0	201205
	अगस्त	269, 007, 500	268, 912, 706	116668	-62545	6185	60308
	सितम्बर	299, 488, 750	298, 771, 351	2422445	-139758	16545	2299232
	अक्टूबर	280, 451, 250	278, 562, 549	4713400	30847	1679	4745926
	नवम्बर	278, 052, 500	275, 171, 738	6778512	-104446	8345	6682411
	दिसम्बर	287, 771, 250	283, 276, 345	12034433	-130328	8077	11912182
	जनवरी	286, 311, 250	285, 300, 128	2712416	13588	3915	2729919
	फरवरी	164, 402, 500	162, 632, 429	4959860	-108749	0	4851111
	मार्च	302, 533, 000	297, 952, 478	9177371	-1511373	278521	7944519
कुल							47853162
2012-13	अगस्त	19, 921, 250	16, 557, 232	6716366	-370988	17848	6363226
	सितम्बर	141, 915, 000	135, 925, 098	8150071	-263122	6210	7893159
	अक्टूबर	323, 046, 000	319, 819, 308	5532831	-70970	1949	5463810
	नवम्बर	265, 239, 500	260, 848, 778	8876078	-4782	17631	8888927
	दिसम्बर	334, 063, 500	331, 335, 416	4887872	-115208	18417	4791081
	जनवरी	343, 589, 500	340, 242, 475	6989757	-360009	40926	6670674
कुल							40070877
कुल योग							152874875


परिशिष्ट 2.1.18

समन्वय ठेकेदार द्वारा प्रदत्त खराब कोयले के कारण हुई उत्पादन हानि (एम. यू.) दर्शाता पत्रक
(कड़िका 2.1.45 में संदर्भित)

कुल उत्पादन हानि (एम. यू.)					वर्षाकाल में प्राप्त खराब कोयला				वर्षाकाल को छोड़कर, खराब कोयले के कारण हुई कुल उत्पादन हानि	सेन्ट आउट आधार पर प्रति यूनिट उत्पादन लागत	मूल्य (₹)
वर्ष	वि.गृ.-I	वि.गृ.-II	वि.गृ.-III	कुल	वि.गृ.- I	वि.गृ.- II	वि.गृ.- III	कुल			
2010-11	107.45	195.81	59.49	362.750	3.980	24.200	42.880	71.060	291.690	1.91	557127900
2011-12	61.12	183.67	10.82	255.610	2.790	57.300	1.770	61.860	193.750	3.13	606437500
2012-13	153.2	185.34	14.5	353.040	27.430	61.320	3.100	91.850	261.190	3.52	919388800
2013-14	125.46	85.93	13.85	225.240	15.290	11.050	0.000	26.340	198.900	3.26	648414000
2014-15	52.5	170.2	32.39	255.090	11.180	21.230	14.670	47.080	208.010	3.79	788357900
कुल				1451.730				298.190	1153.540		351,97,26,100

परिशिष्ट 2.2.1

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड का संगठनात्मक चार्ट
(कंडिका 2.2.2 में संदर्भित)



परिशिष्ट 2.2.2

वर्ष 2010-11 से 2013-14 में कंपनी की वित्तीय स्थिति

(कड़िका 2.2.6 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

स. क्र.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अंतिम)
	दायित्व				
	अंश धारको की निधियां				
1	प्रदत्त पूंजी	329.50	329.50	329.50	329.50
2	संचय एवं अतिरेक	1,004.74	3,342.33	5,676.98	10,797.31
3	कुल	1,334.24	3,671.83	6,006.48	11,126.81
	गैर चालू दायित्व				
4	दीर्घकालिक उधारियाँ	202.63	164.39	5.48	5.47
5	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	6,159.85	4,859.58	7,844.38	6,292.70
6	दीर्घकालिक प्रावधान	50.00	50.00	772.00	920.15
7	कुल गैर चालू दायित्व	6,412.48	5,073.97	8,621.86	7,218.32
8	चालू दायित्व एवं प्रावधान	31,602.36	37,181.24	28,691.68	27,649.02
	कुल दायित्व	39,349.08	45,927.04	43,320.02	45,994.15
	संपत्तियां				
	गैर चालू सम्पत्ति				
10	सकल ब्लाक	1,109.59	1,158.08	1,167.85	441.54
11	घटायें-हास	724.39	755.20	790.77	0.00
12	शुद्ध ब्लाक	385.20	402.88	377.08	441.54
13	गैर चालू निवेश	30.80	30.80	144.00	144.00
14	स्थगित कर सम्पत्ति	3.93	107.13	336.70	336.70
15	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	246.79	250.01	247.30	1,913.33
16	अन्य गैर चालू सम्पत्ति	15.95	15.95	38.59	9.79
17	कुल गैर चालू सम्पत्तियां	682.67	806.77	1,143.67	2,845.36
18	चालू सम्पत्तियां	38,666.41	45,120.27	42,176.35	43,148.79
	कुल सम्पत्तियां	39,349.08	45,927.04	43,320.02	45,994.15
	नियोजित पूंजी	1,536.87	3,836.22	6,011.96	11,132.28
	ब्याज भुगतान	18.90	18.90	15.85	0.00
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	1,516.05	3,059.72	2,340.47	5,120.32
	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत	98.65	79.76	38.93	46.00
	शुद्ध आवर्त	1,536.87	3,836.22	6,011.96	11,132.28

परिशिष्ट 2.2.3

कंपनी के वर्ष 2010-11 से 2013-14 के कार्यचालन परिणाम

(कड़िका 2.2.6 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

स. क्र.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अंतिम)
	राजस्व				
	प्रचलन आय				
1	विक्रय	93,696.70	1,24,698.96	1,22,091.02	1,28,958.79
2	सेवायें	253.72	224.20	231.41	201.84
3	अन्य प्रचालन आय	51.55	89.45	315.15	215.92
4	प्रचलन से राजस्व	94,001.97	1,25,012.61	1,22,637.58	1,29,376.55
5	ब्याज से आय	404.23	866.29	1,203.50	1,609.36
6	विविध आय	16.73	15.43	44.46	11.52
7	अन्य आय	420.96	881.72	1,247.96	1,620.88
8	कुल राजस्व	94,422.93	1,25,894.33	1,23,885.54	1,30,997.43
	व्यय				
9	क्रय एवं उपभोग की गई सामग्री	89,398.77	1,18,517.05	1,16,598.41	1,22,416.41
10	कर्मचारी कल्याण के व्यय	1,904.21	2,069.45	2,835.88	2,697.13
11	ह्रास एवं परिशोधन के खर्चे	36.45	33.85	39.08	18.04
12	वित्त लागत	18.90	18.90	15.86	.
13	अन्य व्यय	492.04	626.34	868.13	740.53
14	कुल व्यय	91,850.37	1,21,265.59	1,20,357.36	1,25,872.11
15	कर पूर्व लाभ/हानि	2,572.56	4,628.74	3,528.18	5,125.32
16	ब्याज आय को छोड़कर लाभ/हानि	2,168.33	3,762.45	2,324.68	3,515.96
17	कर व्यय	1,056.45	1,567.78	1,187.66	.
18	पूर्ववर्ती एवं अपवादिक मदें	0.06	1.24	0.05	5.00
19	कर के बाद लाभ एवं हानि	1,516.05	3,059.72	2,340.47	5,120.32
20	सामान्य संचय के लिए प्रावधान	164.72	306.13	.	.
21	लाभांश	329.44	612.26	.	.
22	लाभांश कर	53.45	104.05	.	.
23	संचय एवं अतिरेक में स्थानांतरित शुद्ध लाभ	968.44	2,037.28	2,340.47	5,120.32

परिशिष्ट 2.2.4

कंपनी द्वारा उपयोग नहीं की गई सब्सिडीज्/अग्रिमो का विवरण पत्रक

(कड़िका 2.2.10 से संदर्भित)

स. क्र.	मद	विवरण	राशि (₹ में)
1	सबसिडी	देय सबसिडी – बायोगैस	61651442
2	सबसिडी	बैलगाड़ी	15000
3	सबसिडी	पी. पी. उपकरण	165663
4	सबसिडी	जैव उर्वरक	161314
5	सबसिडी	समष्टि प्रबंधन योजना	6141278
6	सबसिडी	उद्यानिकी सब्जी बीज विकास	2172724
7	सबसिडी	मक्खी पालन (सामान्य)	1271873
8	सबसिडी	मक्खी पालन (एस.एस.सी.)	240000
9	सबसिडी	मक्खी पालन (एस.टी.)	546000
10	सबसिडी	उद्यानिकी (हरित गृह)	696000
11	सबसिडी	ट्रैक्टर	75000
12	सबसिडी	आई.सी.डी.पी. केन्द्रीय (चावल) योजना	1926900
13	सबसिडी	बैल से खीचे जाने वाले उपकरण	44678
14	सबसिडी	सूरजमुखी बीज	159248
15	सबसिडी	स्प्रिंकलर	656917
16	सबसिडी	आई.डी. उपकरणों पर	361356
17	सबसिडी	गन्ना	209656
18	सबसिडी	ड्रिप सिंचाई	258628
19	सबसिडी	पावर ट्रिलर	502165
20	सबसिडी	मतस्य निदेशक (भोपाल)	10784697
21	सबसिडी	शासकीय सबसिडी	18307987
22	सबसिडी	खाद्य प्रसंस्करण	13980000
23	सबसिडी	उद्यानिकी केला बीज	21758
24	सबसिडी	निर्यात के लिए परिवहन	500000
योग (अ)			12,08,50,284
1	अग्रिम	उद्यानिकी विभाग	32211475
2	अग्रिम	लहसुन बीज का उद्यानिकी मिशन	1374409
3	अग्रिम	उद्यानिकी विज्ञापन और प्रसार के लिए	1330000
4	अग्रिम	बैल चलित उपकरण	2375000
5	अग्रिम	फुट बाल्व का प्रतिस्थापन	667710
6	अग्रिम	कृषि यांत्रिकी निदेशक	1425483
7	अग्रिम	कुआ खुदाई	170473
8	अग्रिम	खाद्य प्रसंस्करण के लिए अनुदान	500000
9	अग्रिम	फूड पार्क उद्यानिकी के लिए सहायता	21531875
10	अग्रिम	फूड पार्क (उद्योग) के लिए सहायता	749762
11	अग्रिम	नोडल एजेन्सी के लिए सहायता (उद्यानिकी)	4950000
12	अग्रिम	ई.डी.पी. कार्यक्रम (उद्यानिकी)	4916745
13	अग्रिम	खाद्य प्रसंस्करण सेमिनार 2010-11	12028062
14	अग्रिम	निदेशक कृषि यांत्रिकी भोपाल	42335594
15	अग्रिम	विकास कार्यक्रम के लिये (उद्यानिकी)	500000
16	अग्रिम	प्रयोगशाला उपकरण	21664
17	अग्रिम	उपभोक्ता	98497372
18	अग्रिम	आर.टी.ई. खाद्य	2500000
19	अग्रिम	छात्रावास निर्माण	244000
योग (ब)			22,83,29,624
कुल योग (अ + ब)			34,91,79,908

परिशिष्ट 2.2.5

आठ वर्ष से अधिक से कम्पनी द्वारा प्रयोग नहीं की गई/वितरित नहीं की गई सब्सिडीज/अग्रिमों का विवरण पत्रक

(कडिका 2.2.10 में संदर्भित)

स.क्र.	विवरण	राशि (₹ लाख) 2013-14
1	समग्र प्रबंधन योजना के लिये सब्सिडीज	61.41
2	उद्यानिकी के लिये सब्सिडीज सब्जी बीज	21.73
3	मक्खी पालन के लिये सब्सिडीज (सामान्य)	12.72
4	मक्खी पालन के लिये सब्सिडीज (एस.एस.सी)	2.40
5	मक्खी पालन के लिये सब्सिडीज (एस.टी.)	5.46
6	उद्यानिकी के लिये सब्सिडीज हरितग्रह	6.96
7	गन्ने के लिये सब्सिडीज	2.09
8	ड्रिप सिंचाई	2.58
9	शासकीय सब्सिडीज एवं अनुदान (सी आर)	183.07
10	निर्यातको को परिवहन के लिये सब्सिडीज	5.00
11	बैलचलित उपकरणों के लिये अग्रिम	23.75
12	फुट बाल्व के प्रतिस्थापन के लिये अग्रिम	6.68
13	औद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिये अग्रिम	5.00
14	आर टी खाद्य के लिये अग्रिम	25.00
कुल		363.85

परिशिष्ट 2.2.6

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म की उपलब्ध भूमि के प्रयोग प्रदर्शित करता
विवरण पत्रक

(कांडिका क्र. 2.2.22 से संदर्भित)

वर्ष	फसल	मौसम	क्षेत्र (हेक्टर में)			
			उपलब्ध भूमि	उपयोग की गई भूमि	कमी	उपयोग की गई भूमि का प्रतिशत
2010-11	धान	खरीफ	376.47	109.76	266.71	29.16
	गेहूँ	रबी	376.47	195.21	181.26	51.85
2011-12	धान	खरीफ	376.47	108.54	267.93	28.83
	गेहूँ	रबी	376.47	182.25	194.22	48.41
2012-13	धान	खरीफ	376.47	92.34	284.13	24.53
	गेहूँ	रबी	376.47	156.33	220.14	41.53
2013-14	धान	खरीफ	376.47	83.84	292.63	22.27
	गेहूँ	रबी	376.47	155.92	220.55	41.42
2014-15	धान	खरीफ	376.47	90.72	285.75	24.10
	गेहूँ	रबी	376.47	176.17	200.30	46.80

परिशिष्ट 2.2.7

बाग/पेड़ों की निलामी में माँगी गई ई.एम.डी. का विवरण प्रदर्शित करता पत्रक

(कडिका 2.2.24 में संदर्भित)

बागों का नाम	वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	पेड़ों की संख्या	ई.एम.डी. (₹ में)
आम के बाग	2011-12	33.21	1418	75,000/-
आम के बाग		21.46	958	35,000/-
आम के बाग		32.40	1260	1,75,000/-
आम के बाग		19.04	468	2,500/-
कटहल	2012-13	10.53	779	1,00,000/-
कटहल		7.29	443	75,000/-
आम के बाग		33.21	1418	1,00,000/-
आम के बाग		21.46	958	75,000/-
आम के बाग		32.40	1200	1,00,000/-
आम के बाग		19.04	468	50,000/-
यूकेलिप्टस के बाग	2013-14	लागू नहीं	1517	50,000/-

बागों/पेड़ों की निलामी में बोली मूल्य के साथ-साथ माँगी गई ई.एम.डी. का विवरण पत्रक

बागों का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	वर्ष	बोली लगाने वाले का नाम	बोली मूल्य (₹)	ई.एम.डी. (₹)
आम के बाग	19.04	2012-13	रजनीकांत कुठारियां	35,551/-	50,000/-
आम के बाग	33.21	2012-13	अल्लाबक्श रेन	11,55,555/-	1,00,000/-
कटहल के बाग	10.53	2012-13	रहीम बेग	7,02,796/-	1,00,000/-
कटहल के बाग	7.29	2012-13	भगवान सिंह यादव	4,54,000/-	1,75,000/-
आम के बाग	21.46	2012-13	मुमताज बेग	7,36,211/-	75,000/-
आम के बाग	32.40	2012-13	मुमताज बेग	14,14,414/-	1,00,000/-
कटहल के बाग	10.53	2010-11	अश्वनी मिश्रा	2,11,000/-	70,000/-
कटहल के बाग	7.29	2010-11	अश्वनी मिश्रा	1,66,000/-	40,000/-
यूकेलिप्टस के बाग	लागू नहीं	2013-14	नयन इण्डस्ट्रीयल	21,01,000/-	50,000/-
यूकेलिप्टस के बाग	लागू नहीं	2013-14	मोहित ट्रेडर्स	20,51,000/-	50,000/-
यूकेलिप्टस के बाग	लागू नहीं	2013-14	मोहित ट्रेडर्स	17,01,000/-	50,000/-
यूकेलिप्टस के बाग	लागू नहीं	2013-14	लियाकत खान	12,01,000/-	50,000/-

परिशिष्ट 2.2.8

31 मार्च 2014 को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार जिला कार्यालय वार अप्रयोज्य स्कंध का विवरण पत्रक

(कंडिका 2.2.27 में संदर्भित)

स.क्रं.	स्थान	राशि (₹)
1	जबलपुर	131575
2	नरसिंहपुर	3056
3	सिवनी	9207
4	मण्डला	148600
5	डिण्डोरी	1728
6	सतना	49797
7	शहडोल	103128
8	उमरिया	6556
9	सिधी	53659
10	रीवा	124484
11	ग्वालियर	24005
12	दतिया	3291
13	शिवपुरी	8820
14	गुना / अशोकनगर	103059
15	भिण्ड	77076
16	मुरैना	78667
17	होशंगाबाद	55898
18	रायसेन	2801
19	ब्यावरा	126243
20	बैतूल	898
21	इन्दौर	808026
22	खण्डवा	124
23	खरगौन	2474
24	बड़वानी	1856
25	धार	7705
26	झाबुआ	34331
27	पन्ना	183251
28	टीकमगढ़	8065
29	छत्तरपुर	109597
30	उज्जैन	500229
31	मन्दसौर	193362
32	रतलाम	6116
33	शाजापुर	36422
34	देवास	10968
	योग (अ)	3015074
35	बी.एफ.पी., भोपाल	2533701
36	डब्ल्यू एस आई, भोपाल	459771
37	ओ.एम.पी., ग्वालियर	5373000
	योग (ब)	8366472
	कुल योग (अ+ब)	1,13,81,546

परिशिष्ट 2.2.9


31 मार्च 2014 को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार कमी/खोये हुये स्कंध का विवरण पत्रक

(कड़िका 2.2.27 में संदर्भित)


स.क्रं	जिला कार्यालय का नाम	खोई मद का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	शहडोल / अनुपपुर	बायो फर्टिलाइजर	51788 पैकेट	16.00	8,28,608.00
2	सतना	पेडी पेडलर	150 यूनिट	10.00	15,000.00
3	रतलाम	लासो 25 कि. ग्रा.	9 बैग	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		थाईरम	1637 पैकेट	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4	उज्जैन	आयरन बोर्ड 3 X 2	50 यूनिट	500.00	25,000.00
5	मन्दसौर	यूरिया	299 बैग	263.73	78,855.27
		बायो गैस एक्सलेरिस	115 यूनिट	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		पाइप	5062 मीटर	17.59	89,040.58
6	ब्याबरा	मस्टर्ड सीड	524 कि. ग्रा.	1.00	524.00
7	शाजापुर	गेट वाल्व	22 यूनिट	129.00	2,838.00
		बायो गैस लैम्प	10 यूनिट	244.00	2,440.00
		सीमेन्ट	154 यूनिट	1.00	154.00
		डी.ए.पी.	108 बैग	48.00	51,840.00
8	मण्डला	हेण्ड हो	401 यूनिट	70.00	28,070.00
		चोफ कटर	1 यूनिट	630.00	630.00
9	होशंगाबाद	टायर टयूब	2 यूनिट्स	3543.00	7,086.00
कुल					11,30,085.85

परिशिष्ट 2.3.1
कंपनी एवं कार्यालय, कमिश्नर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, विभाग, मध्य प्रदेश शासन की
संगठन संरचना
(कंडिका 2.3.3 में संदर्भित)

अ. मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल



ब. कार्यालय, कमिश्नर, नवीन एवं नवकरणीय विभाग, मध्य प्रदेश शासन



परिशिष्ट 2.3.2


ग्रिड संबंध अक्षय ऊर्जा नीति में प्रदान की गई प्रोत्साहन एवं छूटें

(कंडिका 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.11, 2.3.13 और 2.3.14 में संदर्भित)

क्र. सं.	प्रोत्साहन एवं सुविधाएं	सौर	पवन	लघुपन बिजली	बायोमास
1.	विद्युतकर एवं उपकर में छूट	10 साल तक के लिये अनुमति	10 साल तक के लिये अनुमति	10 साल तक के लिये अनुमति	10 साल तक के लिये अनुमति
2.	व्हीलिंग प्रभार छूट	चार प्रतिशत	चार प्रतिशत	चार प्रतिशत	चार प्रतिशत
3.	ऊर्जा बैंकिंग	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	लागू नहीं
4.	मांग अनुबंध में कमी	अनुमति दी	लागू नहीं	अनुमति दी	अनुमति दी
5.	तीसरे पक्षकार को बिक्री	अनुमति दी	अनुमति दी	अनुमति दी	अनुमति दी
6.	उद्योग का दर्जा प्रदान	प्रदान की	प्रदान की	प्रदान की	प्रदान की
7.	प्रवेश/वेट छूट	सौर ऊर्जा संयंत्रों की खरीद के लिये छूट की अनुमति दी	पवन ऊर्जा संयंत्रों की खरीद के लिये छूट की अनुमति दी	संयंत्रों की खरीद के लिये छूट की अनुमति दी	उपकरणों की खरीद पर छूट के लिये अनुमति दी
8.	50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट निजी भूमि की खरीद पर	अनुमति दी	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुमति दी

परिशिष्ट-3.1

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का संगठनात्मक ढाँचा
(कण्डिका 3.1.2 में संदिभत)



कार्यकारी
निदेशक (कार्य)

मुख्य
महाप्रबंधक
(एच०आर०डी
एवं प्रशासन)

मुख्य महाप्रबंधक
(आर०ए०पी०डी०आर०
पी) एवं
(ए०डी०बी० / आर०जी०ज
ी०व्ही०वाय०)

मुख्य महाप्रबंधक
(क्रय)

मुख्य महाप्रबंधक
(वाणिज्य)

मुख्य वित्त
अधिकारी (वित्त
एवं लेखे)

परिशिष्ट-3.2

विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्काम) के कार्यशील परिणामों एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कण्डिका 3.1.6.2 एवं 3.1.8 में संदिभत) (₹ करोड में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
विद्युत विक्रय से राजस्व	3133.73	3753.65	5040.73	5645.84	6669.96
अन्य राजस्व	230.17	206.43	227.34	199.50	282.68
आय	3363.90	3960.08	5268.07	5845.34	6952.64
विद्युत क्रय	2858.10	3965.00	5140.88	5816.67	6638.39
मरम्मत एवं संधारण	29.10	44.90	52.86	86.50	66.00
रोजगार लागत	569.00	623.00	671.63	750.92	824.02
प्रशासन एवं सामान्य	74.30	124.70	128.38	130.94	146.89
ब्याज	341.20	126.80	256.30	309.42	261.26
मूल्य हास	94.80	117.00	109.83	157.22	207.44
अन्य	371.20	181.00	422.67	646.48	200.82
कुल व्यय	4258.86	5182.34	6782.55	7898.16	8344.82
अतिरिक्त एवं विशेष वस्तु	78.84	-55.43	-82.25	-165.67	-142.16
कर पूर्व हानि (अतिरिक्त एवं विशेष वस्तु पश्चात्)	-973.80	-1166.83	-1432.23	-1887.15	-1250.02
कर पश्चात् हानि	-973.80	-1166.83	-1432.23	-1887.15	-1250.02
सकल स्थायी सम्पत्तियाँ	2600.22	3173.69	4268.93	5341.45	6114.13
संचित मूल्य हास	1391.55	1508.56	1618.40	1775.61	1983.06
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	1208.67	1665.13	2650.53	3565.84	4131.07
डब्ल्यू आई पी	587.11	618.18	335.35	337.20	538.16
चालू सम्पत्तियाँ	2902.52	2796.44	3055.64	3380.65	3823.87
अन्य अ-चालू सम्पत्तियाँ	431.35	602.96	664.09	690.83	624.92

कुल सम्पत्तियाँ	5129.67	5682.71	6705.61	7974.52	9118.03
समता (अंश)	1014.91	1194.45	1391.44	1598.08	1790.21
शेयर एप्लीकेशन मनी	179.54	196.99	206.64	143.53	26.70
संचित हानि	-4338.22	-5505.05	-6937.29	-8824.44	10074.46
आरक्षित निधियाँ एवं आधिक्य(संचित हानि को छोड़कर)	809.49	952.72	1153.58	1277.49	1543.34
दीर्घकालिक दायित्व	4279.44	5619.80	7385.57	9293.39	11322.78
चालू दायित्व	3184.51	3223.80	3505.67	4486.47	4509.46
कुल समता एवं दायित्व	5129.67	5682.71	6705.61	7974.52	9118.03
कार्यशील पूँजी (चालू सम्पत्तियाँ-चालू दायित्व)	-281.99	-427.36	-450.03	-1105.82	-685.59
पी0ए0टी/राजस्व	-29%	-30%	-27%	-32%	-18%
चालू अनुपात (चालू सम्पत्तियाँ/चालू दायित्व)	0.91	0.87	0.87	0.75	0.85
शुद्ध मूल्य (कुल सम्पत्तियाँ- दायित्व)	-2334.30	-3160.90	-4185.64	-5805.34	-6714.21
शुद्ध मूल्य पर प्राप्ति	0.42	0.37	0.34	0.33	0.19
प्रति ईकाई क्य लागत (₹)	2.70	3.37	3.84	4.01	4.12
प्रति ईकाई विक्रय मूल्य: विद्युत विक्रय से राजस्व / इनपुट ईकाई(₹)	2.97	3.19	3.77	3.89	4.14
इनपुट ईकाई (एम0यू0 में)	10563	11749	13371	14526	16106

सूचना- वर्ष 2014-15 के आँकड़े प्रावधिक है।

शुद्ध मूल्य: कुल सम्पत्तियाँ-दीर्घकालिक एवं लघुकालिक दायित्व अथवा शेयर एप्लीकेशन मनी को शामिल करते हुए अंश पूँजी+संचित हानियों को शामिल करते हुए आरक्षित निधि एवं आधिक्य ।

चालू अनुपात: चालू सम्पत्तियाँ/चालू दायित्व

शुद्ध मूल्य पर प्राप्ति : हानि/शुद्ध मूल्य

परिशिष्ट-3.3
आर0जी0जी0व्ही0वाय योजना के सम्बन्ध में तरलता क्षति (एल0डी0) की कम वसूली को दर्शाने वाला
विवरण पत्रक
(कण्डिका 3.2 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

ठेकेदार का नाम	ठेके का कुल मूल्य	ठेकेदार से ठेके के कुल मूल्य पर अधिकतम 5 प्रतिशत की दर से आरोप्य एल0डी0 की राशि	एल0डी0 की वास्तविक वसूल राशि	एल0डी0 की कम वसूल राशि
जी0व्ही0पी0आर0 इन्जी0	2448.88	122.444	86.14	36.304
रोहिणी इन्ड्रस्ट्रीज	4671.1	233.555	174.89	58.665
ईलटेल पावर प्राईवेट लिमिटेड	4444.55	222.2275	9.76	212.4675
वी0एस0 ट्रान्सकोम लिमिटेड	2474.67	123.7335	120	3.7335
ईसुन रेरोले लिमिटेड बैंगलोर	6009.11	300.4555	164.34	136.1155
कुल				447.2855

परिशिष्ट-3.4
आधिक्य निधियों के निवेश न करने के कारण ब्याज हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कण्डिका 3.3 में संदर्भित)

उपलब्ध आधिक्य निधियाँ			राशि निवेश के लिए (₹ करोड में)	
से	तक	व्यर्थ दिवस	राशि (₹ करोड में)	ब्याज हानि (₹ लाख में) (राशि x दिन x 6 प्रतिशत प्रति वर्ष)
खाता संख्या :- 00000010238007069				
02.04.13	17.04.13	16	10	2.63
19.06.13	03.07.13	16	7	1.84
27.08.13	14.09.13	19	20	6.25
16.09.13	30.09.13	16	10	2.63
01.10.13	19.10.13	19	40	12.49
13.11.13	13.12.13	31	25	12.74
16.12.13	07.01.14	23	50	18.90
20.02.14	31.03.14	16	10	2.63
13.03.14	31.03.14	20	50	16.44
01.04.14	25.04.14	26	45	19.23
01.05.14	21.05.14	21	20	6.90
03.06.14	25.06.14	23	15	5.67
12.07.14	12.08.14	31	30	15.29
11.10.14	29.10.14	18	20	5.92
09.12.14	31.03.15	113	37	68.73
कुल योग			198.29	

परिशिष्ट-3.5

न्यूनतम मॉग प्रभार¹ के कारण अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कण्डिका 3.5 में संदर्भित)

माह	अनुबंधित मॉग (के0व्ही0ए)	विलिंग मॉग (के0व्ही0ए)	पुनरीक्षित सी0डी0 (के0व्ही0ए)	विलिंग पुनरीक्षित सी0डी0 (के0व्ही0ए)	अंतर (के0व्ही0ए)	स्थायी प्रभार दर (₹ प्रति के0व्ही0ए)	राशि (₹ में)	टी0एम0एम0 न्यूनतम उर्जा बिलिंग (ईकाई)	टी0एम0एम0 न्यूनतम उर्जा बिलिंग होनी थी (ईकाई)	अंतर (ईकाई)	टी0एम0एम0 की दर (₹ में)	राशि (₹ में)	कुल (₹ में)
अगस्त-13	500	450	200	180	270	310	83700	42250	12250	30000	5.34	160200	243900
सितम्बर-13	500	450	200	180	270	310	83700	42970	12970	30000	5.34	160200	243900
अक्टूबर-13	500	450	200	180	270	310	83700	48530	18530	30000	5.34	160200	243900
नवम्बर-13	500	450	200	180	270	310	83700	46770	16770	30000	5.34	160200	243900
दिसम्बर-13	500	450	200	180	270	310	83700	41580	11580	30000	5.34	160200	243900
जनवरी-14	500	450	200	180	270	310	83700	39300	9300	30000	5.34	160200	243900
फरवरी-14	500	450	200	180	270	310	83700	42320	12320	30000	5.34	160200	243900
मार्च-14	500	450	200	180	270	310	83700	47250	17250	30000	5.34	160200	243900
अप्रैल-14	1500	1350	200	180	1170	310	362700	138650	8650	130000	5.39	700700	1063400
मई-14	1500	1350	200	180	1170	310	362700	138760	8760	130000	5.39	700700	1063400
जून-14	1500	1350	200	180	1170	380	444600	131800	1800	130000	5.39	700700	1145300
जुलाई-14	1500	1350	200	180	1170	380	444600	131630	1630	130000	5.39	700700	1145300
अगस्त-14	1500	1350	200	180	1170	380	444600	145120	15120	130000	5.39	700700	1145300
सितम्बर-14	1500	1350	200	180	1170	380	444600	138620	8620	130000	5.39	700700	1145300
अक्टूबर-14	1500	1350	200	180	1170	380	444600	131670	1670	130000	5.39	700700	1145300
नवम्बर-14	1500	1350	200	180	1170	380	444600	134010	4010	130000	5.39	700700	1145300
दिसम्बर-14	1500	1350	200	180	1170	380	444600	134610	4610	130000	5.39	700700	1145300
							4507200					7587900	12095100

1 विलिंग के लिए टी0एम0एम0 उर्जा चार्ज का आधार 200 के0व्ही0ए0 x 100=20000- माह के दौरान उर्जा खपत

परिशिष्ट-3.6

बोनस के अतिरिक्त भुगतान एवं परियोजना के समापन अवधि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कण्डिका 3.8 में संदर्भित)

विवरण	सीतामउ-बसई-सुवासारा रोड	अशोकनगर-विदिशा रोड
रियायतग्राही का नाम	डी0बी0एल0 सीतामउ-सुवासारा टोलवेज लिमिटेड, भोपाल	डी0बी0एल अशोकनगर-विदिशा टोलवेज लिमिटेड, भोपाल
अनुबंध दिनांक	05.12.2011	22.03.2013
नियत दिनांक	04.05.2012	09.11.2013
समापन की निर्धारित तिथि	03.05.2014	08.11.2015
प्रावधिक समाप्ति	28.03.2013	26.07.2014
पूर्व समाप्ति	401 दिवस	470 दिवस
बोनस के रूप में भुगतान की गई वास्तविक राशि	₹ 8 करोड	₹ 12.80 करोड
वार्षिक वृत्ति की राशि	₹ 3.69 करोड	₹ 5.04 करोड
औसतन प्रतिदिन वार्षिक वृत्ति	₹ 199459	₹ 272432
परियोजना की मूलभूत समयावधि	03.05.2027	09.11.2028
परियोजना की संशोधित समयावधि	28.03.2026	26.07.2027
सलाहाकार द्वारा अनुशंसित/अनुमत निर्माण समयावधि	12 माह	18 माह
सलाहाकार द्वारा अनुशंसाओं/अनमति के अनुसार निर्माण समयावधि के आधार पर पूर्व समाप्ति	36 माह	289 दिवस
सलाहाकार की अनुशंसाओं के अनुसार राशि जो कि भुगतान की जानी चाहिए थी।	₹ 0.72 करोड	₹ 7.87 करोड
बोनस का अतिरिक्त भुगतान	₹ 7.28 करोड	₹ 4.93 करोड

परिशिष्ट-3.7

प्रब्याजी के विलंबित भुगतान के कारण ब्याज हानि दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कण्डिका 3.9 में संदर्भित)

प्रारंभ दिनांक	अंतिम दिनांक	राशि	दिवस	ब्याज की दर	ब्याज की हानि
प्रथम वर्ष					
26 मई 13	18 जुलाई 13	177800000	53	9	2323578
19 जुलाई 13	24 अगस्त 13	107800000	37	9	983490
25 अगस्त 13	14 नवम्बर 13	57800000	82	9	1168668
					4475737
द्वितीय वर्ष					
08 अप्रैल 14	21 मई 14	220500000	44	9	2392274
22 मई 14	30 जून 15	200500000	405	9	20022534
तृतीय वर्ष					
08 अप्रैल 15	30 जून 15	231500000	84	9	4794904
		कुल ब्याज की हानि			31685449

परिशिष्ट-3.8
बोनस के आधिक्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
 (कण्डिका क्रमांक 3.10 में संदर्भित)

(₹ करोड में)

मुख्य जिला सडकें												
क्रमांक	परियोजना का नाम	लंबाई (कि० मी० में)	रियायत अनुबन्ध का दिनांक	टी०पी०सी ० (करोड में) सी०ए० के अनुसार	वोट मोडल	कोटेट वार्षिक वृत्ति अर्द्धवार्षिकी (करोड)	नियत दिनांक	सी०ओ०डी०	पूर्व समापन के लिए वोनस (०९ परियोजनाओं में)	समापन के लिए लिए गए वास्तविक दिवस	निश्चित समापन के लिए निर्धारित दिवस	रियायतग्राही की अनुसंशा से अधिक निर्माण अवधि वाले चार परियोजनाओं के लिए पूर्व समापन वोनस
1	बीजावड-कोसमानिया-हारन-दीपगंज	136	16-01-2012	200.03	A	19.53	07-07-2012	31-03-2014	9.97	632	98	0
	कटाफोड-नचलपुर											
2	वैतुल-अटनेर	63.80	04-01-2012	83.92	A	8.17	26-07-2012	29-03-2014	5	611	119	0
	हरदा-चीपानेर											
3	गराकोटा-रेहली-देवरी	67.38	05-12-2011	101.25	A	8.51	12-09-2012	28-10-2013	14.79	411	319	0
	श्रेहली-गोरजामार											
4	देवगुलार जोड-अरन्डिया	94.46	30-11-2011	152.07	A	14.72	12-09-2012	30-04-2014	9.86	595	135	0
	पिपलिया-मनासा											
	सलसलयी-गुलाना से गुलई रेलवे स्टेशन											
5	सौसर-मोहगांव-मौरडोगंरी	86.11	30-01-2012	152.60	A	15.84	24-08-2012	29-03-2014	12.16	582	148	12.16
	सोनापिपरी-उमरेठ-मोनारी-अम्वाह											
	गाडरवाडा से तेदुखेडा											

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

6	अलीराजपुर-जोवट	94.3 5	24-12- 2012	132.92	A	12.91	01-05- 2013	02-08- 2014	18.91	458	135	18.91
	वावनगजा-पाटी-वोकराटा											
	ए0वी0											
	रोड-मागरखेडी-वामरी											
7	सिंगंहाना-चिकाल्दा रोड	65.4	28-01- 2013	103.44	A	9.90	14-08- 2013	31-03- 2014	26.9	229	501	26.9
	बखलापता-डोगावा वाया											
	वोरावा-सरवरदेवाला											
8	पुनासा-मुण्डी-सिंगांजी (थर्मल पावर प्लान्ट) रोड एवं सिगांजी ब्रिज एप्रोच	119. 4	02-02- 2013	134.52	A	14.25	03-10- 2013	21-08- 2014	30.8	322	135	0
	मुण्डी-देवाला-कुठाला-अ टूट एन0व्ही0डी0ए											
	एन0एच-86 जक्शन (टयोन्डा)-गंजवासौदा											
	कुरावर-इकलेहरा-टालेन ईटखेडी-रसलाखेडी											
	आनखिया-वरखेडा-डोगंर गाँव-नजीरावाद											
लटेरी-आनन्दपुर-भगवन्त पुर												
9	जावरा-पिपलौदा-जालन्ध रखेडा एवं पिपलौदा सैलाना	87.7 7	24-11- 2012	125.4	A	12.06	29-06- 2013	09-05- 2014	27.05	314	416	27.05
	रायपुरिया-पेटलावाद-वाम ानिया											
	जावद रोड से खौ											
	सोयत-पिडावा											
				1186.15				कुल	155.7			85.02

© भारत के नियंत्रक –महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in